



(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 3

(जनवरी से मार्च - 2025)

Volume 1 - 2024, Issue - 3

(January to March 2025)

Starting Year - 2024

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Literary Research Journal

Our Mentors

1 Mr. Ashok Upreti - Former Indian Forest Service Officer,
Retd. Principal Chief Conservator of Forests and State Head -
(Forest Department Tamilnadu),
Former Chairman - Research Advisory Committee of Tamilnadu.

2 Dr. Malini Pande - Professor and Additional Registrar,
Director: Internal Quality Assurance Cell,
Director: Center for Online Programs,
Director: Academic Staff College, Special Officer - New Education Policy,
Dr. MGR Educational : Research Institute, Deemed to be University,
Chennai.

3 Dr. Davinder Singh Boha - Dist. Language Officer, (Retd.),
S.A.S. Nagar, Dist Mohali, Punjab

आवरण पृष्ठ चित्र साभार : डॉ. सरोज सिंह, चेन्नई
चित्र विवरण- गृहस्थान के मृदपात्र में पल्लवित हरिद्रा पुष्प

Published by:

(Research and Development Division)

Sharada Saptarishi Foundation (NGO)

(A Registered Organization with the Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India)

Address for Correspondence:

Plot No 2/463, Shri Balaji Nagar (Main),

Periyapalayam High Road, Thiruninravur, Dist-Thiruvallur, Chennai-602025, Tamilnadu



(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 3

(जनवरी से मार्च - 2025)

Volume 1 - 2024, Issue - 3

(January to March 2025)

Starting Year - 2024

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Literary Research Journal

About the Journal

VIDWAT VANI is an International Peer Reviewed Quarterly Hindi Literary Research Journal which publishes quality research papers in Hindi language. This Journal provides an excellent platform to provide access to Hindi research publications around the world. The Journal plays a very significant role in supporting the academic programmes of various Colleges and Universities globally for their Hindi Literary Research Publications. Being an Open Access Journal, it identifies, evaluates, procures, processes and makes these research resources easily accessible to the faculty and research students for their teaching, study and research.

The Journal is published under the Aegis of **Sharada Saptarishi Foundation (NGO)**, Chennai. (A Registered and Licensed Organization with the Ministry of Corporate Affairs, Govt of India).

Vidwat Vani provides researchers and authors with an outstanding opportunity to publish their research articles on a diverse range of topics. These research papers undergo rigorous and transparent evaluation by our peer review board, ensuring high standards of consistency and scholarly integrity.

Mission: **Vidwat Vani** aims to foster academic excellence by promoting innovative research in Hindi literature, culture and philosophy. Our mission is to provide a platform for scholars and researchers to share their insights, encouraging intellectual discourse and preserving the richness of Hindi scholarly traditions.

Vision: **Vidwat Vani** envisions becoming a leading journal that bridges traditional and contemporary Hindi research, inspiring a new generation of scholars to explore and contribute to the evolving landscape of Hindi academia.

Our Values: We uphold academic integrity and accountability as paramount. We value intellectual excellence and research while encouraging a strong commitment to exploration, rationality and expertise, which form the cornerstone of our journal's scholarly culture.



(विचार, विस्तार और नवाचार)

त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2025 अंक - 2

(जनवरी से मार्च - 2025)

Volume 1 - 2024, Issue - 3

(January to March 2025)

Starting Year - 2024

An International Peer-Reviewed Quarterly Hindi Literary Research Journal

Our Editorial Team

Editor-in-Chief:

Dr. Sanjay Raman, Director, Sharada Saptarishi Foundation, Address: No 8, Green City, Sripathi Nagar, Thiruninravur, Vill Pakkaam, Dist Thiruvallur, Chennai-602025, Tamilnadu
Email editor.vidwatvani@gmail.com

Our Editorial Board Members

We are proud to have a team of experienced and intellectually strong editorial board members.

1. Zhihui (Dr. Vivek Mani Tripathi)
Professor (Hindi), Guangdong University of Foreign Studies, China. (Xiaoguwai, Panyu District, Guangzhou 510006, China)
Email vmtripathi@gdufs.edu.cn

2. Dr. Sushma Malhotra
Assistant Faculty-Queens College
65-30, Kissena Blvd
Flushing NY 11367
Professor (Retd.), Office of Adult : Continuing Education (OACE),
New York City, Education Department,
New York, United States of America.
Email sushma.malhotra@qc.cuny.edu

3. Dhunpal (Raj) Heeraman

Retd. Senior Journalist, Hindi Scholar, Senior Hindi Author, Senior Poet, Morc. Swan, Pereybere, Grand-Baie Republic of Mauritius
Email rajheeramun7727@gmail.com

4. Dr. Vandana Sharma

Assistant Professor (Hindi), Central University of Jammu, Bagla (Rahya Suchani), Samba Jammu-181143, Jammu and Kashmir
Email vandana.hnd@cuammu.ac.in

5. Dr. Ashish Kumar

Asst. Director (O.L), Central University of Nagaland, Lumami, Nagaland, 798627
Email hindiofficer@nagalanduniversity.ac.in

6. Dr. P. Saraswathi

Assistant Professor (Hindi), University of Madras, Marina Campus, Chennai-600005, Tamilnadu.
Email sarashindi@unom.ac.in

7. Dr. Ashwini Shandilya

Assistant Professor (Hindi), Institute of Education and Training, Sector 2, Panchkula-134109, Haryana
Dept. of Education, (Govt of Haryana)
Email akakshandilya@gmail.com

8. Dr. Deepti Sahni

Assistant Professor and HOD,
Department of Hindi,
Hindu College, Dhab Khatika,
Amritsar-143001, Punjab.
Email drdeeptisahni@gmail.com

9. Dr. P. Ezhil Nachiar

Assistant Professor (Dept of Hindi-Aided),
SDNB Vaishnav College for Women,
Vaishnava College Road, Lakshmi Nagar,
Shanti Nagar, Chrompet,
Chennai-600044, Tamilnadu.
Email nangai1001@gmail.com

10. Dr. Santosh Kumar Tiwari

Assistant Professor (Hindi),
Government Inter College, Shankarpur,
Pauri Garhwal-246001, Uttarakhand.
Email santoshtiwari913@gmail.com

Peer Review Committee Members

1. Dr. Dilip Kumar Medhi

Professor, University of Gauhati,
Gopinath Bordoloi Nagar,
Jalukbari, Guwahati, Assam 781014
Email dkmedhi1@gauhati.ac.in

2. Dr. S.V.S.S. Narayan Raju

Professor, Department of Hindi,
School of Social Sciences and Humanities,
Central University of Tamilnadu,
Thiruvavur-610005, Tamilnadu.
Email svssnraju@cutn.ac.in

3. Dr. Savita Dhudkewar

Assistant Professor (Retd),
Institute of Higher Education and
Research,
Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha,
Madras, T. Nagar, Chennai-600017,
Tamilnadu.
Email savitashashikant@gmail.com

Assistant Editors

1. **Prema Bhuwan Pandey** - Poetess,
Novelist, Researcher, Reviewer, Author,
Senior Litterateur, Noida, Uttar Pradesh.
Email pandebhuwanchandra@gmail.com

2. **Dr. K. Priya** - Poetess, Reviewer, Young
Litterateur, Chennai
Email priyamuthukumaran2@gmail.com

3. **Pooja Parashar** - Poetess, Reviewer,
PhD. Scholar, Young Litterateur, Chennai.
Email poojasudharsun@gmail.com

4. **Dr. R. Gowri** - Senior Hindi Pracharak,
Author, Young Litterateur, Chennai
Email gowrirangaradjou@gmail.com



Published by:

Dr. Sanjay Raman, Editor-in-Chief

**(Research and Development Division)
Sharada Saptarishi Foundation (NGO)**

(A Registered Organization with the Ministry
of Corporate Affairs, Govt. of India)

Corporate Office:

No 8, Green City, Sripathi Nagar,
Thiruninravur, Dist Thiruvallur,
Chennai-602025, Tamilnadu

Address for Correspondence:

Plot No 2/463, Shri Balaji Nagar (Main),
Periyapalayam High Road, Thiruninravur,
Dist-Thiruvallur,
Chennai-602025, Tamilnadu

Printed by:

Karmany Printers, Vill Pakkam,
Thiruninravur, Dist Thiruvallur,
Chennai-602025, Tamilnadu

Our Review Process

All research papers are reviewed by our qualified editorial board members and peer review committee members. Decisions on the paper review are made as rapidly as possible and our Journal responds to authors accordingly.

Guidelines for the Authors

Vidwat Vani welcomes the submission of manuscripts that meet the criteria of significance and literary excellence. The journal accepts only unpublished research papers. The main author must ensure that they have obtained necessary approval for their research paper publication from co-authors (if any).

The Journal adheres to a zero-tolerance policy for plagiarism and copyright infringement. All research paper submissions undergo a stringent plagiarism check before their acceptance for publication. However, the responsibility lies with the authors to ensure proper compliance with institutional approval where necessary.

Paper Submission Instructions

Electronic Submission: Only electronic submissions of research papers will be considered. The text should be error-free, fully typed in a single-spaced Microsoft Word file (in Arial Unicode/Mangal Font only) and should be emailed to **editor.vidwatvani@gmail.com** as an attachment only. **(No PDF or JPG files will be accepted).**

Author Details: The research paper should include the full name of the author and co-author(s) (if any), along with the institution and place. A scanned photograph in JPG format must be sent with the submission.

Acceptance and Publication: Upon review by our Peer Review and Editorial Board team, an acceptance letter will be emailed to the author, including the expected publication date.

References: A minimum of 5 references is mandatorily required for each paper with proper details including the book title, author's name, place and year of publication and page numbers etc.

Abstract: Each research paper must have an abstract of 200-250 words, along with 5 keywords.

Copyright Agreement: Authors and co-authors (if any) must submit a filled and scanned copyright agreement form upon acceptance of their paper.

Publication Charges: Submission of the paper implies that the work is original and unpublished. Authors are required to pay a processing fee of Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) after acceptance for their paper publication.

Our Bank Account Details are as follows:

Sharada Saptarishi Foundation
Current Account No 69640200000082
Bank Of Baroda
Nathamedu Branch
Dist Thiruvallur
Chennai-602025
IFSC Code BARB0VJNAME

All the Cheques/ Drafts should be in favour of **Sharada Saptarishi Foundation**, Payable at Chennai. **(Cheques are Subject to Realization)**

Publication Ethics

VIDWAT VANI follows the Committee on Publication Ethics (COPE) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

The perspectives shared in the articles published in this research journal are those of the author(s) and do not imply endorsement by Vidwat Vani or its editorial board.

All disputes will be governed exclusively by the jurisdiction of Chennai.

Contact Us

Vidwat Vani (Quarterly Hindi Journal)
C/o (Research and Development Division)
Sharada Saptarishi Foundation (NGO)

Address for Correspondence

Plot No 2/463, Shri Balaji Nagar (Main),
Periyapalayam High Road, Thiruninravur,
Dist-Thiruvallur,
Chennai-602024, Tamilnadu
E-mail editor.vidwatvani@gmail.com



WhatsApp for Quick Response

7526889547, 6381710754, 9092720450

Editor-in-Chief: 9841234866 (Calls Only)

Dr. Sanjay Raman

Tamilnadu Coordinator

Ajay Raman- 9884423940

Punjab State Coordinator

Mohan Kumar- 9888890019

Surjit Singh- 7973278851

Graphic Designer

Harshvarthan. M, Chennai.

Composing

Bhavani Gangadhar, Thiruvallur.

Branch Administrative Assistant

Shankar Periyar, UT, Chandigarh.



शुभकामना संदेश

दिनांक-31-March-2025

प्रिय प्रधान संपादक डॉ. संजय रामन जी,

हिंदी साहित्य और शोध के प्रति आपके अप्रतिम समर्पण का परिणाम **विद्वत् वाणी** के रूप में सामने आया है, जिसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

चेन्नई (तमिलनाडु) जैसे हिंदीतर-भाषी प्रदेश से एक स्तरीय त्रैमासिक हिंदी साहित्यिक शोध-पत्रिका का प्रकाशन करना आपकी दूरदर्शिता, अपार श्रमशीलता और हिंदी भाषा के प्रति गहरे समर्पण का प्रमाण है। यह न केवल हिंदी साहित्य के शोध और विमर्श को नई उंचाइयाँ प्रदान करेगा, बल्कि दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार को भी सुदृढ़ करेगा।

विद्वत् वाणी पत्रिका हिंदी साहित्य मनीषियों, शोधार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक प्रकाशस्तंभ की भाँति कार्य करेगी, जो विचारों के नए द्वार खोलेगी और हिंदी को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक सशक्त पहचान दिलाने में सहायक होगी।

आपका यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि **विद्वत् वाणी** दिन-प्रतिदिन नई उँचाइयों को छुए और आपका यह साहित्यिक यज्ञ अनवरत आगे बढ़ता रहे।

स्नेहाशीष...

-Sd

डॉ. अनिल वर्मा

Deputy Medical Superintendent
(Dept of Health), Govt of Haryana
Civil Hospital, Sector-6, Panchkula

अनुक्रमणिका

Table of Contents

1. रघुकुल में अंतःसलिला माण्डवी दीक्षा मेहरा, नैनीताल	12	11. हिंदी साहित्य में दलित स्वर : स्वरूप, अस्मिता, संघर्ष और परिवर्तन गोवर्धन.जी, तिरुपति	85
2. डॉ. शंकर शेष कृत 'आधी रात के बाद' नाटक में चर्चित सामाजिक विसंगतियाँ डॉ. पी.एल्लिल नाच्चियार, चेन्नई	20	12. हिंदी जाति के 'संकट मोचन' डॉ. रामविलास शर्मा	
3. वीरेंद्र जैन की कृतियों में सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण एस. राजलक्ष्मी, चेन्नई	26	विजयता दुबे, कोलकाता	92
4. उत्तर आधुनिकता और हिंदी उपन्यास डॉ. प्रफुल्ल कुमार, मधेपुरा	37	13. दलितों की गरिमा, स्वाभिमान एवं अधिकारों की त्रिवेणी- 'क्रीमी लेयर' सुशील कुमार राम, कोलकाता	102
5. किन्नर पीड़ा का कटीला दंश : पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा के संदर्भ में डॉ. नवल पाल, गाँव साल्हावास, जिला झज्जर, हरियाणा	45	14. अमृतलाल नागर के उपन्यासों में राजनीतिक चेतना डॉ. पी. बालाजी, तिरुपति	112
6. आदिवासी साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र देशमुख निलेश शिवाजी, वाराणसी	51	15. हिंदी साहित्य में डॉ. बालशौरि रेड्डी की सृजनात्मक दृष्टि डॉ. टी. लता मंगेश, तिरुपति	119
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और हिंदी शिक्षण वंदना सिंह, नई दिल्ली	58	16. वर्तमान में लोक साहित्य की प्रासंगिकता डॉ. दीपा, नई दिल्ली	128
8. औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज सुधार आंदोलनों का विवेचन बमबम कुमार, मधेपुरा	65	17. अमृतलाल नागर के उपन्यास "बूँद और समुद्र" में चित्रित पारिवारिक समस्याएँ डॉ. मु. नाज़िम पर्वीन, चेन्नई	138
9. नई शिक्षा नीति के संदर्भ में हिंदी की स्थिति और गति डॉ. वड्डी जगदीश, बेंगलूरु	71	18. सत्तरोत्तरी प्रगतिशील कविता : सत्तागत यथार्थ का चित्रण डॉ. सरिता चौहान, चण्डीगढ़	144
10. नयी सदी का साहित्य सृजन और पारिवारिक बिखराव डॉ.सी. चित्र नरसिंहडु, तिरुपति	78	19. दिविक रमेश के बाल-साहित्य का भाषा एवं शैलीगत अध्ययन डॉ. दीपशिखा शर्मा, चण्डीगढ़	151



त्रैमासिक

ISSN : 3048-9547 (Print)

विद्वत् वाणी

मूल्य: 100/- रुपये मात्र

प्रथम वर्ष - 2024 अंक - 3

(जनवरी से मार्च - 2025)

Volume 1 - 2024, Issue - 3

(January to March 2025)

Starting Year - 2024

संपादकीय



विश्व के सबसे बड़े तथा सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक समागमों में से एक, महाकुंभ, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं साहित्यिक विषयों की त्रिवेणी का भी एक आकर्षक संगम प्रस्तुत करता है। भारत के प्रयागराज क्षेत्र में गंगा, यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर विधिवत प्रत्येक बारह वर्षों पश्चात आयोजित होनेवाला यह भव्य उत्सव, संपूर्ण विश्व से लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ की पौराणिक पृष्ठभूमि, आध्यात्मिक शुद्धि, सांप्रदायिक सद्भाव, वैश्विक कल्याण एवं सामाजिक सुधार के विषयों के अन्वेषण हेतु एक समृद्ध चित्रपट प्रस्तुत करती है, जो समस्त हिंदी साहित्य एवं समाजवादी विचारधाराओं, दोनों के अभिन्न अंग हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिकता के उत्सव के रूप में उक्त महाकुंभ, समुदाय एवं सांझा संसाधनों के सामूहिक मूल्यों का उत्कृष्ट प्रतीक है। इस पर्व का आयोजन एक व्यापक सामूहिक प्रयास के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें सरकारी संस्थाएँ, स्थानीय समुदाय तथा धार्मिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती

है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि यह आयोजन सभी के लिए सुलभ रहे, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, जो संसाधनों तथा अवसरों तक समान पहुँच के न्यायसंगत सिद्धांत को दर्शाता है।

हिंदी साहित्य ने अपनी समृद्ध कहानी, काव्य व निबंधों की परंपरा के साथ महाकुंभ को प्रेरणा के महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में अपनाया है। रचनाकारों ने इसकी भव्यता, भक्ति एवं व्यापक जनसमूह के प्रवाह को चित्रित करते हुए इसके दार्शनिक पहलुओं को भी अभिव्यक्त किया है। पवित्र तथा सांसारिक के इस संगम ने महाकुंभ को अपने आध्यात्मिक महत्त्व से परे जाकर हिंदी साहित्यिक कृतियों में जीवन का रूपक बनने की अनुमति प्रदान की है। महाकुंभ को सदैव भारतीय समाज के एक सूक्ष्म जगत के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, जो आस्था से एकजुट होते हैं, फिर भी उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ विविधतापूर्ण ही होती हैं।

महाकुंभ का पौराणिक तथा ऐतिहासिक संदर्भ भी इसके महत्त्व को बढ़ाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन से निकले

अमृत कलश की बूँदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन एवं नासिक के पवित्र स्थलों पर जा गिरीं। यही कारण है कि इन चार स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसका इतिहास इतना पुराना है कि इसकी उत्पत्ति का समय स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं, परंतु इसका उल्लेख वेदों, पुराणों व महाकाव्यों में स्पष्ट मिलता है, जो इसकी प्राचीनता एवं महत्ता को प्रमाणित करता है।

महाकुंभ का प्रतिनिधित्व हिंदी साहित्य में अस्तित्ववादी विषयों के साथ जुड़ा हुआ है, जो जीवन, मृत्यु एवं पुनर्जन्म के चक्र पर केंद्रित है। यह उत्सव पहचान, उद्देश्य तथा मोक्ष आदि के प्रश्नों के अन्वेषण हेतु उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। नदियाँ, समय तथा मानवीय भावनाओं के प्रवाह का प्रतीक होती हैं, जो आत्मा की अनंत यात्रा के रूपक के रूप में कार्य करती हैं। यह प्रतीकात्मकता अस्तित्ववादी हिंदी रचनाओं में गहराई से प्रतिध्वनित होती है, जहाँ महाकुंभ सामान्यतः आध्यात्मिक जागरण की आकांक्षा रखनेवाले अथवा जीवन के अर्थ को लेकर संघर्षरत पात्रों हेतु एक महत्त्वपूर्ण परिवेश के रूप में उभरता है।

समकालीन हिंदी साहित्य में महाकुंभ ने भारत की परिवर्तनीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिशीलता को दर्शाते हुए नवीन आयाम ग्रहण किए हैं। पूर्व की रचनाएँ जहाँ

इसके आध्यात्मिक एवं दार्शनिक पहलुओं पर केंद्रित थीं, वहीं बहुधा आधुनिक लेखक इस त्योहार के सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों को व्याख्यायित करते हैं। व्यावसायीकरण, पर्यावरण क्षरण एवं आस्था के वस्तुकरण जैसे विषय प्रमुख हो गए हैं। गत दशक में प्रकाशित विभिन्न उपन्यासों तथा निबंधों ने महाकुंभ के पर्यावरणीय प्रभावों पर गहन प्रकाश डाला है, विशेष रूप से गंगा पर, जो विशाल मानव सभाओं का बोझ उठाती है।

महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, वरन् यह समाज के बदलते स्वरूप को भी प्रतिबिंबित करता है। महाकुंभ, परंपरा व आधुनिकता के संगम के रूप में हिंदी साहित्यिक कृतियों को निरंतर प्रेरित करता रहा है, पवित्र व धर्मनिरपेक्ष, व्यक्तिगत एवं सामूहिक के मध्य की दूरी को कम करता है। द्रुत गति से हो रहे वैश्वीकरण व तकनीकी परिवर्तन के परिवेश में महाकुंभ, भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं इसके सार को बनाए रखते हुए अनुकूलन करने की इसकी क्षमता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक बना हुआ है। हिंदी साहित्य हेतु यह एक कालातीत प्रेरणा के रूप में कार्य करता है, जो समाज के बदलते स्वरूप एवं मानवीय भावना आदि को परिभाषित करनेवाले अर्थ के शाश्वत अन्वेषण को दर्शाता है। महाकुंभ एक सामाजिक व सांस्कृतिक पर्व भी है, जो भारतीय समाज

की विविधता तथा सहिष्णुता को प्रदर्शित करता है। महाकुंभ का यह आयोजन एक आदर्श समाज की नींव रखने का प्रतीक है, जहाँ राज्य सत्ता, समाज सत्ता एवं धर्म सत्ता तीनों एक-दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं।

पुण्य-पाप-शुचिता की सनातनी संस्कृति की हमेशा कोशिश रही कि संसार में पुण्य बढ़े और पाप पूर्णतः नष्ट ना भी हो, तो उसे कम किया जा सके। मूल रूप से यही अवधारणा इस संस्कृति को जल की ओर ले जाती है; वह जल जो पाप को मिटा, आत्मा को पुण्य-पवित्र बना देता है। सनातनी परंपरा में पवित्रता की चाहत रखनेवाला कोई भी व्यक्ति, इस संकल्प के साथ कि वह अब पाप नहीं करेगा, उसके समस्त पाप महाकुंभ की गंगा में बह जाते हैं। इसलिए डिजिटल महाकुंभ में, रोबोटों की देखरेख और कृत्रिम बुद्धि के साथ इस बार मशीन, विज्ञान, धर्म, आस्था, समाज सभी ने शाही स्नान की जगह राजसी स्नान किया। कॉरपोरेट ने इतिहास को भुलाने और साहित्य-संस्कृति को चमकदार दिखाने के उद्देश्य से तरह-तरह के पेंटरे दिखाए। इतिहास की बहुरंगी व्याख्या हुई, साहित्य-संस्कृति के उत्सव हुए, राजनेताओं, धर्म गुरुओं का जमावड़ा हुआ। लेकिन सब कुछ स्पॉन्सर्ड। पूरा शहर कुंभों, कमल पुष्पों, कृत्रिम फव्वारों, सीमेंट के बड़े-बड़े शिवलिंगों और ऋषियों-मुनियों के सुपरमैन वाली प्रतिमाओं से सुसज्जित हो गया। नदी,

मिट्टी और हवा के साथ सीमेंट का एक सांस्कृतिक युद्ध शहर में चल पड़ा। जिसमें पेड़-पौधे, मवेशी, साफ हवा-पानी और आमजन कहीं पीछे रह गए।



प्रधान संपादक



दीक्षा मेहरा, सहायक प्राध्यापक (अतिथि व्याख्याता)
(हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग), डी.एस.बी. परिसर,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल-263002, उत्तराखंड
संपर्क dikshamehra12478@gmail.com

रघुकुल में अंतःसलिला माण्डवी

शोध सारांश

आज भले ही हम नेपथ्य की हैसियत को स्वीकार करते हुए उसके विभिन्न रूपों और संदर्भों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हों, किन्तु इस बदले हुए समय से पूर्व एक लम्बा दौर रहा जिसमें अनगिनत चरित्र नेपथ्य में खो गए। रघुकुल में 'माण्डवी' का चरित्र ऐसा ही है, जिससे संवाद करना मानो बुनी हुई स्वेटर उधेड़ देना और फिर नए भावबोध, नए प्रतिमान, नयी ऊर्जा के साथ उसको बुनना है। माण्डवी विनयशील, त्याग की मूर्ति, दयापूर्ण, क्षमापूर्ण और अनुगामिनी होते हुए उपेक्षित रही। वह रघुकुल को अंतःसलिला की भाँति निरंतर सींचती रही। रामकथा के अन्य प्रमुख पात्रों की अपेक्षा माण्डवी लंबे समय तक उपेक्षित ही रही। आज भी माण्डवी के संदर्भ में कोई कालजयी कृति नहीं मिलती। रामायण, रामचरितमानस आदि लोकप्रिय ग्रंथों में माण्डवी का उल्लेख ना के बराबर ही हुआ है। आज भले ही लोग 'माण्डवी' के नाम से परिचित हों, किन्तु उसके संपूर्ण चारित्रिक विशेषताओं से अभी भी

लोग अपरिचित ही हैं। बड़ी रचनाओं में नेपथ्य के पात्रों की यह विडम्बना रही है और शायद नियति भी।

बीज शब्द

1. नेपथ्य
2. गुमनाम
3. रामचरितमानस
4. भरत
5. माण्डवी
6. सीता
7. प्रतीक्षा
8. श्रुतकीर्ति
9. महाकाव्य
10. अयोध्या
11. अंतःसलिला

मूल शोध

कुशध्वज और चन्द्रप्रभा की पुत्री माण्डवी, रामायण नायिका की भगिनी - अप्रतिम सौंदर्य, पवित्र आत्मा, विद्वत्ता, सेवा, त्याग, कोमलता की प्रतिमूर्ति, परन्तु उसे यथायोग्य अलग पहचान न मिल सकी। समस्त रामकथाओं में चाहे वह साहित्य हो या समाज, नेपथ्य की भूमिका तक भी उसकी नगण्य-सी रही। रामायण, रामचरितमानस, कम्ब रामायण जैसे बड़े महाकाव्यों में भी माण्डवी को महत्त्व नहीं मिला। आधुनिक काल के कतिपय रचनाकारों ने अवश्य ही माण्डवी की भूमिका और उसकी मौन वेदना

को नई दृष्टि से देखने और अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में अरुणा शर्मा कृत 'माण्डवी का मौन वनवास', अनूप अशेष कृत 'माण्डवी कथा', डॉ. विनय कृत उपन्यास 'रामायण के अमर पात्र : माण्डवी' आदि गद्य रचनाओं को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त संगीता स्वरूप ने 'गुमनाम', क्षमा द्विवेदी ने 'चौदह वर्ष विरह वेदना', ऋषिकेश मिश्र ने 'माण्डवी', रेखा राजवंशी ने 'माण्डवी' आदि कविताओं में भी माण्डवी के चरित्र को उजागर करने का प्रयास किया गया है। मैथलीशरण गुप्त के 'साकेत', गिरिराज किशोर कृत 'आंजनेय जयते', उद्भ्रांत कृत 'त्रेता' आदि में भी माण्डवी का छिटपुट उल्लेख मिलता है। माण्डवी की गुमनामी की इस पीड़ा को संगीता स्वरूप की 'गुमनाम' कविता में देखा जा सकता है-

“माण्डवी! ज़रा कहो तो,
तुम आपबीती
निर्विकार भाव से
बोली माण्डवी कि
क्या कहूँ और
कौन सुनेगा हमें
कौन पहचानता है
बोलो न श्रुतकीर्ति
हाँ सच है-
हम सीता की भगिनियाँ
भरत, शत्रुघ्न की भार्या
कहाँ- कहीं बोलो कभी
हमारा नाम आया

सीता का त्याग और
भातृ - प्रेम लक्ष्मण का
बस यही सबको
नज़र आया।”

माण्डवी का भरत से विवाह का हेतु भी अयोध्या नरेश मर्यादा-पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी सीता ही थी। माण्डवी ही नहीं, वरन् लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति के विवाह का हेतु भी सीता ही बनी। वाल्मीकि रामायण में माण्डवी के विवाह संदर्भ (विवाह प्रस्ताव आदि-आदि) का ना मात्र ही उल्लेख है-

“वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम ।
भ्राता यवीयान् धर्मज्ञ एष राज कुशध्वजः ॥४॥
अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेणाप्रतिमं भुवि ।
सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे ॥५॥
भरतस्य कुमाररूपं शत्रुघ्नस्य च धीमतः ।
वरये ते सुते राजंस्तयोर्थं महात्मनोः ॥६॥”¹

(हे नरश्रेष्ठ! आप मेरे वचनों को सुनिए हे राजन...! आपके समीप धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इनकी भी दो कन्याएँ हैं, जो इस भूमण्डल पर अत्यंत सुन्दर हैं। मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और शत्रुघ्न से विवाह के संबंध में बात करना चाहता हूँ।)

वाल्मीकि जी माण्डवी के विवाह का वर्णन भी मात्र एक दोहे में ही कर देते हैं-

“तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत ॥
गृहाण पाणिं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन ॥३१॥”²

तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी

एक चौपाई में ही माण्डवी के विवाह का वर्णन कर दिया गया है-

**“तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु ब्याह साज सँवारि कै।
माण्डवी श्रुतकीरति उरमिला कुअँरि लई हँकारि कै।।
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई।
सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरतहि
दर्ई।।२।।”³**

सीता की अन्य भगिनियों को उनकी तरह वर चयन का अधिकार तो छोड़, उन्हें तो कुछ समय पहले तक ज्ञात भी नहीं था कि उनका विवाह होने वाला है। यदि वह चाहती तो अपनी इच्छानुरूप वर चयन के अधिकार की माँग भी कर सकती थीं। किन्तु माण्डवी ने पिता और काकाश्री की सहमति को सहर्ष स्वीकार ही नहीं किया, अपितु पूर्ण हृदय से इस संबंध को निभाया भी। कवि उद्भ्रांत उस समय के समाज में व्याप्त स्त्री धर्म से माण्डवी के चरित्र को अलग नहीं मानते हैं-

**“जल में गूँथे आटे की तरह
माँ ने माण्ड दिया था मुझको
पोर-पोर में
स्त्री-धर्म से।
स्त्री-धर्म में दीक्षित माण्डवी से
हो सकता था-
अधर्म-कर्म नहीं;
पुरुष अपने धर्म की
परवाह करे या नहीं।”⁴**

सीता की समान अन्य तीनों बहनें भी जनकपुर की शोभा थीं। तीनों बहनों ने बचपन

से लेकर विवाह तक का सारा समय साथ ही बिताया। एक ही कुल के संस्कारों के बीच पली-बढ़ीं और एक ही राजपरिवार में उनका विवाह भी हो गया। किन्तु नियति इन चारों की सर्वथा अलग-अलग रही। विवाहोपरांत चारों प्रसन्न मन से अयोध्या गई और आरंभिक समय सभी ने माताओं के दुलार में एक साथ बिताया। समय ने फिर करवट ली। माता कैकयी ने दशरथ से पुत्र-प्रेम के वशीभूत होकर भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का वचन ले लिया। पिता दशरथ ने राम को वनवास की आज्ञा देकर देह त्याग दी। इन दो घटनाओं ने संपूर्ण रघुकुल को विखंडित कर दिया। राम ने पिता की आज्ञा पाकर वन को प्रस्थान किया, साथ ही सीता ने भी रघुकुल का संपूर्ण दायित्व अपनी बहनों को सौंपकर राम के साथ वनवास का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण भी भ्रातृ-प्रेम में उर्मिला को माताओं की सेवाओं का दायित्व सौंपकर वन चले गए, भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने ननिहाल में थे। भरत को जब राम के वन जाने का पता चलता है, वह अत्यंत दुःखी होते हैं-

**“तदा तदन्तः पुरमुज्झितप्रभं
सुरैरिवोत्कृष्टमभास्करं दिनम्।
निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तमात्मवान् मुमोच बाष्पं
भरतः सुदुःखितः।।”⁵**

भरत को जब माता कैकयी के वचन का भान हुआ, तो वे माता कैकयी को त्याग कर प्रजा संग राम को लेने वन वापस गए। किंतु राम के

स्थान पर वे उनकी खड़ाऊ लेकर वापस आ गए। उन्हें लेकर नंदिग्राम में एक कुटिया बनाकर रहने लगे।

**“नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रये ऽद्य वः।
तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना।।२.११५.२।।”⁶**

राम के सदृश्य ही भरत ने भी वनवास ले लिया। भरत ने संपूर्ण राजवैभव त्याग कर साधुवत् राज्य का कार्यभार राम के प्रतिनिधि के रूप में संभाल लिया और प्रण लिया कि 14 वर्ष पश्चात् वह राम राज्य को वैसा ही राम को सौंपेंगे जैसा वह छोड़ कर गए थे।

**“स पादुके सम्प्रणम्य रामं वचनमब्रवीत्।
चतुर्दश हि वर्षाणि जटावीरधरो ह्यहम्।।२.११२.२३।।”
“फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन।
तवागमनमाकांक्षन् वसन् वै नगराद्वहिः।।२.११२.२४।।”
“तव पादुकयोर्न्यस्त राज्यतन्त्रः परन्तप।
चतुर्दशे हि सम्पूर्ण वर्षे ऽहनि रघूत्तम।।२.११२.२५।।”
“न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्।
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्।।२.११२.२६।।”⁷**

भरत द्वारा भ्रातृ-प्रेम में ली गई इस प्रतिज्ञा के पश्चात् वह अर्धांगिनी माण्डवी को अपने दायित्व का बोध कराते हुए उसके सफल निर्वहन हेतु माण्डवी से नन्दिग्राम न आने का अनुरोध करते हैं। इस प्रसंग का उल्लेख गिरिराज किशोर ने ‘आंजनेय जयते’ में इस प्रकार किया है-

“भरत माण्डवी से कह रहे थे, प्रिय मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं प्रभु के आने तक नन्दिग्राम में कुटी बनवाकर तपस्वी जीवन व्यतीत करूँगा।

तुम्हारा वहाँ आना मुझे स्वीकार्य नहीं होगा। मेरी सफलता चाहती हो तो वहाँ मत आना।”

निर्दोष और असहाय माण्डवी स्वामी के वचनों को सुन कर कुछ कह न सकी। माण्डवी की इसी व्यथा को डॉ. बलदेवप्रसाद मिश्र ने अपनी कृति ‘साकेत-संत’ के चतुर्थ सर्ग की पंक्तियों में कुछ इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है-

**“नम्र स्वर में वह बोली ‘नाथ’! बटाऊँ कैसे दुःख में हाथ।
बता दो यदि होकहीं उपाय, टपाटप गिरे अश्रु असहाय।।”⁸**

माण्डवी की विडंबना यह है कि वह अयोध्या वासियों की नज़र में महारानी है। किन्तु स्वामी के अनुरोध पर पत्नी के समस्त अधिकारों को त्याग वह चौदह वर्ष तक अकेले राजमहल में मौन रहकर कितना कुछ सहन करती है।

रेखा राजवंशी को भी ‘माण्डवी’ (1999) नामक कविता में माण्डवी की यही पीड़ा सालती है-

**“मैं तुम्हारी सहचरी थी, प्रेमिका थी, संगिनी थी
एक सुर में बंधी थी एक ही तो रागिनी थी
दोष क्या था मेरा मुझे यह तो बताते नाथ
मैं तो प्रेम रस में पगी, तुम्हारी कामिनी थी
पूछने का नहीं अधिकार पर पूछती हूँ
सीता भी तो राम संग हुई वनवासिनी थी
तज मुझको, किस हेतु गए सोचती हूँ
न थी अनुरागी वीतरागी, अर्धांगिनी थी”⁹**

माण्डवी का राजमहल में निवास, सीता के वनवास से कहीं अधिक पीड़ादायक है। किन्तु फिर भी माण्डवी की मनोदशा, दुःख, वेदना,

व्याकुलता, पीड़ा और प्रतीक्षा की ओर लम्बे समय तक इतिहासकारों एवं साहित्यकारों का ध्यान ही नहीं गया। क्षमा द्विवेदी 'चौदह वर्ष विरह वेदना' नामक कविता के माध्यम से माण्डवी की प्रतीक्षा की आकुलता को अभिव्यक्त करती हैं-

**"चौदह वर्ष विरह वेदना घुट घुट जीना
यादों को सीना
कब राम आयेंगे
कब वनवास भरत का खत्म होगा
बाट जोहती अपने
प्रियतम का माण्डवी"**¹⁰

माता कैकेई द्वारा किए गए षडयंत्र से भरत का हृदय इतना खिन्न था कि वे माण्डवी के प्रति अपना पतिधर्म भी न निभा सके। अपने दुःख, संताप, अपराधबोध के कारण वे शायद माण्डवी को भूल ही गए।

**"चौदह वर्ष माण्डवी को
भी तो था भरत के
बिना अकेले
बिताना
—
माण्डवी की मनोदशा, दुःख,
वेदना, तड़प, व्याकुलता,
पीड़ा, विरह की व्यथा
को कोई भी
न जाना
—
वनवास नहीं था राम सीता का**

**अकेले, वनवास तो था
लक्ष्मण उर्मिला का,
वनवास तो था
भरत माण्डवी
का भी...."**¹¹

भरत के नन्दिग्राम चले जाने के पश्चात माण्डवी ने भी राजमहल के समस्त वैभव का त्याग कर साधवी के सदृश्य जीवन यापन किया। अरुणा शर्मा 'माण्डवी का मौन वनवास' नामक रचना में इसका उल्लेख करती हैं-"पति अयोध्या में होते हुए भी मैंने एक विधवा का-सा जीवन बिताया, क्या यह न्याय था? उर्मिला के पति ने उसे चौदह वर्ष की सज़ा दी। अकेले छोड़कर पल पल मरने की और मासूम बहन श्रुतकीर्ति, वह तो दुःख और सुख को जान भी न पाई थी। सीता जंगलों में भटकती रही। हम चारों बहनों ने इस कायर अयोध्या में आकर क्या पाया।"¹²

रघुकुल की समस्त स्त्रियाँ त्याग की प्रतिमाएँ हैं। सभी का जीवन अनेक कठिनाइयों, चुनौतियों से भरा हुआ है। माण्डवी महारानी होते हुए भी जीवन के हर सुख से वंचित ही रहती है। यही रघुवंशी स्त्रियों के भाग्य की विडंबना है- माण्डवी की भावना को कवि उद्भ्रांत अपने शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं:

**"पर, मुझ पर तो न था
कोई बंधन,
मैं थी अयोध्या की महारानी,
और थी स्वतंत्र-
राजकीय गरिमा के अनुसार**

आचरण करने-
वस्त्र पहनने,
ओढ़ने अथवा बिछाने।
महाराज ने लगाया नहीं था
कोई प्रतिबंध मुझ पर।

—

प्रतिबंध किन्तु मैंने
लगाया था स्वयं पर था!”¹³

सीता के वन चले जाने के बाद अयोध्या और रघुकुल में सामंजस्य तीनों बहनों ने ही बनाया। किन्तु उस समय उर्मिला लक्ष्मण के वनसान जाने से विरह व्याकुल थी। श्रुतकीर्ति सबसे छोटी थी, तो स्वतः ही राजकुल के सभी कर्तव्यों का भार माण्डवी पर आ गया। माण्डवी ने विपरीत परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक राजकुल को बाँधे रखा। नदी की अविरल धारा की भाँति वह लगातार रघुकुल को सींचती रही। रघुकुल में जो भरत हम सबके समक्ष सत्य, त्याग, मर्यादा, चरित्र, वचन-पालन, तप, ताप और शौर्य के प्रतीक हैं, उसकी आधारशिला वास्तव में माण्डवी ही है। भारत में माण्डवी नामक एक नदी भी है, जो मूल रूप से कर्नाटक और गोवा में बहती है। कवि ऋषिकेश मिश्र भरत पत्नी माण्डवी को माण्डवी नदी सदृश्य चित्रित करते हुए कहते हैं-

“एक पवित्र भाव से
भर उठता हूँ
जब कहता हूँ ‘नदी’
जो
संवाहिका है

पुरुषार्थ चतुष्टय की,
जिसके बिना
असंभव है
सचराचर
जगत की गतिशीलता।

.....

और जब
अपने
मस्तिष्क की खराद पर
संज्ञा रूप
‘माण्डवी’ को चढ़ाता हूँ
तो
अघनाशिनी-
जुवारी के साथ
गलबहियाँ करती
तुम्हारी छवि
साकार हो उठती है।
स्मृति में
कौंध उठता है
वह चरित्र भी,
जिसने
सँभाल लिया था
साकेत का दारोमदार
मर्यादा पुरुषोत्तम के
वनगमन पर।”¹⁴

डॉ. श्यामसुन्दर दास के शब्दों में “माण्डवी तापसी जीवन के कारण एक विशिष्ट व्यक्तित्व को ग्रहण किये हुए है और इसलिए हिंदी महाकाव्यों के नारी पात्रों के मध्य में उसे अलग ही खोजा

जा सकता है।”¹⁵ किन्तु राजा दशरथ की पुत्रवधुओं में सीता का स्थान इतना उच्च है कि अन्य तीनों पुत्रवधुओं का चरित्र उभर ही नहीं पाता। जिस तरह बड़े-बड़े वृक्षों के नीचे छोटे-छोटे पेड़-पौधे दिखाई ही नहीं देते या उन्हें बहुत ध्यान देकर देखना पड़ता है, उसी तरह रामकथा के प्रकाश पुंज राम-सीता के समक्ष अन्य पात्र कांतिहीन हो गए हैं। इसका एक कारण महाकाव्य शैली भी है, जिसमें नायक के सर्वगुण संपन्न, उदात्त चरित्र, नायक के कुल और वंश की प्रशंसा आदि के समावेश से राम कथा में सिर्फ राम के संपर्क में आनेवाले चरित्रों को ही अधिक महत्त्व मिल पाया, अन्य गौण पात्र अवहेलित हो गए। रामकथा में पुरुष पात्रों के साथ तो तब भी न्याय हुआ है किन्तु महिला पात्रों के साथ न्याय नहीं हो पाया है। कालांतर में रचनाकारों ने उर्मिला, कौशल्या, कैकयी, सुमित्रा, शबरी, अहल्या, तारा, शूर्पनखा आदि अन्य गौण स्त्री पात्रों के विषाद, अंतर्मन की व्यथा और भावनाओं को उजागर करने का प्रयास किया है। मैथलीशरण गुप्त के ‘साकेत’ के बाद उर्मिला का चरित्र तो अधिक मुखर एवं उज्ज्वल बन गया है। किन्तु माण्डवी के अवहेलित चरित्र के साथ आज भी पूर्णतः न्याय नहीं हो पाया है। यद्यपि भरत को राज सिंहासन पर बैठाने का वर माँगकर कैकयी से जो लोक-भर्त्सना की कालिख रघुकुल पर लग गई थी उसे दूर करने का प्रयास माण्डवी ने ही किया। माण्डवी महारानी अवश्य थी, किन्तु इससे बढ़कर वह राज वैभव से मुक्त सती थी और त्याग-बलिदान की प्रतिमूर्ति

भी। जिसने राजमहल में आत्मसंयमित होकर चौदह वर्ष एकाकी जीवन जीते हुए संपूर्ण पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। वास्तव में वह सीता से भी अधिक तपस्विनी थी, जिसने स्व-अस्तित्व को खो कर भी रघुकुल के गौरव को बचाए रखा।

निष्कर्ष

वस्तुतः संपूर्ण रामकथा ही त्याग की प्रतिमूर्ति है। उसके प्रत्येक पात्र का अस्तित्व है। रामकथा में माण्डवी ही नहीं, कई ऐसे चरित्र हैं जिन्हें नई दृष्टि से देखा जा सकता है। हमारे समाज में कई ऐसी स्त्रियाँ हैं जिन्हें आज भी माण्डवी की तरह उपेक्षाओं का विष पीकर विरह वेदना में जीना पड़ता है।



संदर्भ ग्रंथ

1. वाल्मीकि, रामायण, बालकाण्ड, ramcharit.in/valmiki-ramayan
2. वाल्मीकि, रामायण, बालकाण्ड, सर्ग 73, ramcharit.in/valmiki-ramayan
3. तुलसीदास, रामचरितमानस, बालकाण्ड ramcharit.in/valmiki-ramayan
4. दिनेश कुमार माली, त्रेता : एक सम्यक मूल्यांकन <https://sahityakunj.net/books/read/14/527>
5. <https://www.ramcharit.in/valmiki-ramayana-ayodhyakanda-sarga-chapter-114-slokas-with-hindi-meaning/>
6. वाल्मीकि, रामायण, अयोध्याकाण्ड (<https://sa.wikisource.org/s/5up>)

7. वाल्मीकि, रामायण, अयोध्याकाण्ड
(<https://sa.wikisource.org/s/5um>)
8. डॉ. बलदेवप्रसाद मिश्र, साकेत-सन्त, विद्या मंदिर
लिमिटेड, नई दिल्ली, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 55
9. रेखा राजवंशी, माण्डवी (1999)
sahityaaustralia.wordpress.com (<https://sahityaaustralia.wordpress.com/2015/11/01/माण्डवी-1999-1-रेखा-राजवंशी-सि/>)
10. क्षमा द्विवेदी, कविता चौदह वर्ष विरह वेदना, 9 जून
2021 delhibulletin.in
(<https://delhibulletin.in/fourteen-years-of-pain/>)
11. क्षमा द्विवेदी, कविता चौदह वर्ष विरह वेदना, 9 जून
2021 delhibulletin.in
(<https://delhibulletin.in/fourteen-years-of-pain/>)
12. अरुणा शर्मा, माण्डवी का मौन वनवास, नेशनल प्रेस,
नई दिल्ली, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 110
13. दिनेश कुमार माली, त्रेता: एक सम्यक मूल्यांकन-
उद्भ्रांत के महाकाव्य त्रेता की पड़ताल,
(<https://sahityakunj.net/books/read/14/527>)
14. ऋषिकेश मिश्र, माण्डवी, 11 जुलाई 2021,
[Thepurvai.com](https://www.thepurvai.com)
(<https://www.thepurvai.com/two-poems-of-rishikesh-mishra/>)
15. <https://bharatdiscovery.org/india/माण्डवी>



डॉ. पी.एल्लिल नाच्चियार, विभागाध्यक्ष, सहायक प्राध्यापिका (हिंदी विभाग)
श्रीमती देवकुंवर नाना लाल भट्ट वैष्णव महिला महाविद्यालय
चेन्नई-600044, तमिलनाडु
संपर्क nangai1001@gmail.com

डॉ. शंकर शेष कृत 'आधी रात के बाद' नाटक में चर्चित सामाजिक विसंगतियाँ

शोध सारांश

यह अध्ययन व्यक्तिगत अस्तित्व और सामाजिक संरचनाओं के बीच जटिल संबंधों की खोज करता है, यह दर्शाते हुए कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिशीलता एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं। डॉ. शंकर शेष का व्यंग्य नाटक 'आधी रात के बाद' सामाजिक भ्रष्टाचार, पाखंड और अन्याय की तीखी आलोचना प्रस्तुत करता है। नाटक के दो मुख्य पात्रों - एक चोर और एक न्यायाधीश- के बीच संवाद प्रणालीगत दोषों, नैतिक विरोधाभासों और हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के अस्तित्व संघर्ष को उजागर करते हैं। गरीबी से प्रेरित चोर कारावास के बाद ईमानदार जीवन की तलाश में समाज की विफलता का प्रतीक है, जबकि न्यायाधीश कानूनी प्राधिकरण और नैतिक दुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। शेष का व्यंग्य यह दर्शाता है कि कैसे सम्मानित व्यक्ति, जैसे फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता, अनैतिक प्रथाओं में संलग्न होते हैं, जिससे उनके सार्वजनिक

और निजी जीवन के बीच का विरोधाभास सामने आता है। यह नाटक कानूनी व्यवस्थाओं की अक्षमता और सामाजिक उदासीनता की आलोचना करता है, वैध और अवैध व्यवहार के बीच धुंधली रेखाओं को उजागर करता है। यह शोध 'आधी रात के बाद' के माध्यम से आधुनिक समाज में नैतिक आदर्शों और व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच संघर्ष को रेखांकित करता है।

बीज शब्द

1. व्यक्तिगत अस्तित्व 2. सामाजिक संरचना
3. नैतिक विरोधाभास 4. भ्रष्टाचार 5. न्याय
व्यवस्था 6. व्यंग्य नाटक 7. आधुनिक समाज

मूल शोध

प्रत्येक मानव, समाज का अभिन्न अंग होता है। समस्त मानव के सामूहिक प्रयास से समाज का गठन होता है। मानव, समाज से बहुत कुछ लेता है और वह समाज को बहुत कुछ देता भी

है। अतः समाज की उन्नति और अवनति का वैयक्तिक जीवन पर प्रभाव पड़ना अति स्वाभाविक है। इस आधुनिक युग में मानव अत्यधिक सभ्य होने का दावा करता है। आधुनिक सभ्यता का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक; यह तो गंभीर चिन्तन का विषय है। छल कपट, अन्याय-अत्याचार, अनैतिकता, शोषण, भ्रष्टाचार, समाज विरोधी तत्त्व, जो भी हो साधारण मानव की प्रतिक्रिया दो तरह की होती है।

पहली प्रतिक्रिया – उपरोक्त बातों से डरना और आँखें मूँद लेना।

दूसरी प्रतिक्रिया – उपरोक्त बातों से अपनी स्वार्थ-पूर्ति का लालच करना और उन्हें बढ़ावा देना।

निःसन्देह, दोनों ही प्रतिक्रियाएँ, व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए अहितकार होती हैं। चंद लोग समाज में हो रहे अन्याय और अराजकता के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। उनमें रचनाकार अहम् भूमिका निभाता है। उसके सृजनात्मक मस्तिष्क और संवेदनशील मन दोनों समाजिक दायित्व और समाज कल्याण की भावना से भरे रहते हैं।

डॉ. शंकर शेष अपने नाटकों में व्यंग्य रूपी अद्भुत साधन के सहारे सामाजिक विसंगतियों का पर्दाफाश करते हैं। उनके नाटक, समाज में व्याप्त अत्याचारों व अनैतिकता का भंडाफोड़ अनायास ही कर देते हैं। उनका **‘आधी रात के बाद’** व्यंग्य नाटक, इसी श्रेणी का अति प्रसिद्ध

व अत्यधिक सफल नाटक माना जाता है।

‘आधी रात के बाद’ नाटक में समाज के प्रत्येक क्षेत्र की विकराल समस्याओं की नस पकड़ने की कोशिश हुई है। समाज में गैर कानूनी विषयों का प्रचलन कैसे हो रहा है, इन विषयों को बढ़ावा कौन दे रहे हैं और किसलिए दे रहे हैं आदि बातों का व्यंग्य की तलवार से चीरफाड़ की गई है। इस नाटक की विशेषता यह है कि गैर कानूनी मामलों का सांगोपांग ब्यौरा, एक चोर एक जज साहब को बताता है। समाज की अंधेर गलियों का अच्छा खासा ज्ञान तो उसी के पास है।

‘आधी रात के बाद’ नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं- चोर और जज साहब। चोर को नाटक का नायक कहना भी समीचीन होगा। गरीबी और विषम परिस्थितियों के कारण वह चोर बन गया था। उसके दृष्टिकोण में भूख से विवश होकर चोरी करने से उतना पाप नहीं लगता। पर लालच में अंधे होकर औरों को लूटना और छल कपट करना ही वास्तव में चोरी है। वही सबसे बड़ा पाप है।

नाटक का आरंभ बहुत ही रोचक ढंग से होता है। आधी रात में दुनिया की नज़र से बचकर एक चोर, एक जज साहब के घर में घुसता है। जज राघवेंद्र सिंह उसे देख लेते हैं और पकड़ भी लेते हैं। चोर को मालूम था कि वह किसके घर में घुस आया है और पकड़ा गया है ... फिर भी वह भागने की कोशिश तनिक भी नहीं करता।

प्रत्युत, चोर तो यह कहता है कि वह सही जगह पहुँचा है। आगे यह भी बताता है कि उसे जल्द-से-जल्द कैद होना है और जेल जाना है, क्योंकि सबसे बड़ा आराम उसे जेल में ही मिलेगा। वहाँ उसे खाने-कपड़े और मकान की कोई चिंता नहीं रहेगी। पर बाहर रहने में उसे कई मुसीबतें होती हैं। इस प्रसंग में चोर का कथन ध्यातव्य है—
“जेल...., वह तो अपना घर है सर। वहाँ जाने की जल्दी किसे नहीं होती। कुल मिलाकर साढ़े सात साल रह चुका हूँ उधर। हर बार छूटो तो सत्रह मुसीबतें। फुटपाथ पे सोवो। बरसात आए तो हालत पतली। उधर छप्पर है सर। बाहर कोई काम नहीं देता सर। चोर को भला कौन काम देगा कई बार भूखों मरने की बारी आ जाती है।”¹

जेल से मुक्त होने के बाद भी जीवन पर्यंत, चोर का मुहर झेलना कितनी कठिन परिस्थिति है। नए जीवन की आकांक्षा लेकर बाहर आए इन लोगों को यह समाज अपराधी ही मानेगा और ईमानदारी से जीने का अवसर कभी नहीं देगा, तो उनमें सुधार की अपेक्षा कैसे करें। समाज के तिरस्कार और नौकरी के अभाव के कारण अपने और परिवार के पालन हेतु, मजबूरन इन्हें चोरी ही करनी पड़ती है।

‘आधी रात के बाद’ नाटक के जज साहब दयावान और विवेकी एक साथ हैं। पर उनके लिए एक चोर को अतिथि के रूप में पाना... एक नया अनुभव था। न्यायालय के परिसर के बाहर उन्हें कभी किसी चोर से मिलने का, बातें करने

का अवसर प्राप्त नहीं था। अतः वे कौतूहलवश चोर से कई प्रश्न पूछने लग जाते हैं।

जज साहब चोर से उसकी पहली चोरी के बारे में भी पूछते हैं। चोर ने अपनी पहली चोरी एक फिल्म प्रोड्यूसर के घर में की थी। दरअसल हुआ यह था कि चोरी करते समय घर का मालिक अर्थात् फिल्म प्रोड्यूसर ऐन मौके में वहाँ आ गया और चोर को रंगे हाथ पकड़ भी लिया। पर चोर तो निश्चिंत था, क्योंकि उसे पता था कि काले धन की चोरी की शिकायत क़तई नहीं होगी। अब चोर ने प्रोड्यूसर को धमकी देनी शुरू की। प्रोड्यूसर को काले धन का रहस्य छिपाना था और अंत में प्रोड्यूसर को चोर के साथ समझौता करना पड़ा।

अपने फिल्मों में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के खिलाफ जमकर लड़ने का संदेश देनेवाले ये लोग, अपने निजी जीवन में काले धन को प्रोत्साहन देते हैं। यह कितनी बड़ी विसंगति है। नाटक के एक अन्य प्रसंग में चोर अपना मुँह मियाँ मिट्टू बनता है। वह अपनी एक खास प्रतिभा - तिजोरी खोलने की प्रतिभा के बारे में जज साहब को बताता है। एक बार चोर ने एक प्रतिष्ठावान समाज सेवक के घर में चोरी करने की योजना बनाई और उसने वहाँ रखी तिजोरी तोड़ी। तिजोरी में उसने क्या देखा चोर का कथन कुछ इस प्रकार है। **“सर ! नोटों से, सोने के बिस्कुटों से, सेफ भरा पड़ा था। और घर किसका था एक समाज सेवक का ... उस समय लगा कि जनता की सेवा करने से अच्छा तो कोई दूसरा पाक धंधा है ही नहीं।”²**

समाज सेवक तो उन्हें कहते हैं, जो निःस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं तथा समाज की उन्नति मात्र को ही ध्यान में रखते हैं। समाज सेवा के बहाने भोली जनता के पैसे लूटकर कोई अपनी जेब भरता है, तो उसे क्या कहें, समाज सेवक या चोर... नाटककार का यही प्रयास है कि पाठक इस मामले में सचेत हों।

नाटक के एक अन्य प्रसंग में जज साहब चोर से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। चोर का उत्तर यहाँ ध्यातव्य है। **“पढ़ा-लिखा आदमी चोर थोड़ी न होता है। वह तो चीट (CHEAT) होता है चीट। और हम लोग चीटिंग को चोरी से ज्यादा घटिया किस्म का गुनाह मानते हैं सर।”³**

इस नाटक के एक और सन्दर्भ में चोर एक दवाई कम्पनी के बारे में बताता है। उस कम्पनी के कैप्सूल (CAPSULE) में दवा के बदले बेसन ही भरा रहता है। इसे खाने के कारण कई मरीज़ बीमारी से मुक्त होने के बदले जीवन से ही मुक्त हो गए। विडम्बना की बात यह है कि गुनाह साबित होने के बावजूद भी नकली कम्पनी चलानेवाले गुनहगारों को ADULTERATION अर्थात्, मिलावट के अपराध के लिए सिर्फ छः वर्ष की सज़ा ही सुनाई गई। उनकी नकली दवा के कारण लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु नहीं हत्या हुई है। पर अपराधी मात्र छः वर्ष ही जेल में रहेगा... आराम से रहेगा। हमारी कानूनी व्यवस्था में पाई जाती विसंगतियों की ओर नाटककार हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। इस कोटी के बर्बर अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त व कड़े से

कड़े कानून की आवश्यकता पर नाटक में बल दिया गया है। इस प्रसंग में वकीलों के बारे में चोर की टिप्पणी भी उल्लेखनीय है-

“वकीलों की कौम भी एक ही कौम है। जानती है कि मर्डर हुआ है। पर पता नहीं कानून कहाँ से ढूँढकर लाती है।”⁴

आधुनिक सभ्यता के नारे तो समाज में हर कहीं गूँज रहे हैं। पर क्या आधुनिक सभ्यता ने मानव को परम सभ्य बना दिया। वास्तविकता तो यह है कि आधुनिक सभ्यता ने हर मानव को आत्म-केन्द्रित बना रखा है। इस सत्य को नाटककार चोर के वार्ता के माध्यम से हमें समझाते हैं-“**वो, जो सब कुछ देखते हुए भी, बिल्ली की तरह आँख मूँदकर दूध पीता है, अपने अलावा उसे दूसरे का काम झंझट नज़र आता है। भला आदमी वो है जो गुस्सा नहीं करता।”⁵**

हम नकार नहीं सकते हैं कि हमारी इसी आत्म-केन्द्रित जीवन शैली ने समाज में कई अपराधों को जगह दे रखी है; इसी आत्म-केन्द्रित जीवन शैली ने अपराधी को निडर होकर, बेझिझक अपराध करने को उकसाया है। आधुनिक समाज में आत्मीयता की जगह अलगाव की भावना क्यों छ रही है, इस विसंगति पर नाटककार ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। **‘आधी रात के बाद’** नाटक में एक चोर जान बूझकर एक जज साहब के घर क्यों प्रवेश करता है, कैद होना क्यों चाहता है, उसका मन्तव्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें नाटक के अंत में मिलते हैं।

शहर के मध्य भाग में एक चाल थी। वह चाल साठ वर्ष पुरानी थी। उसमें सैकड़ों गरीब लोग अपने परिवार समेत रहते थे। अचानक एक रात उस चाल में आग लग गई। उस आग में बच्चे, बूढ़े, स्त्रियाँ सब के सब जलकर मर गए। साठ वर्ष पुरानी चाल अब सिर्फ राख बन गई। दुनिया की नज़र में वह एक और आग की दुर्घटना थी। असली बात तो यह थी कि उस दुर्घटना की योजना कई महीने पहले ही बना ली गई थी। चाल जहाँ थी उसी जगह में एक नया बीस मंज़िला इमारत बनाने की योजना भी बहुत पहले ही बन गई थी। उस इमारत के हर स्क्वायरफीट (SQUARE FEET) का दाम भी पहले ही तय हो गया था। अतः यह तो स्पष्ट है कि बिल्डर्स की योजनानुसार ही चाल में आग की यह दुर्घटना हुई थी।

एक पत्रकार ने इस मामले को हाथ में लिया और इसमें छिपी साज़िश की खोज करने की कोशिश की। अपने अथक प्रयास से उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। जब बिल्डर्स को इस पत्रकार के बारे में, उसकी तहकीकात के बारे में पता चला, उन्होंने एक और दुर्घटना की योजना बनाई। इस बार सड़क दुर्घटना। इसकी भनक पत्रकार को भी लगी। उसने सारे सबूत चोर के हवाले कर दिए। दूसरे ही दिन जब वह पत्रकार सड़क में चल रहा था, एक लॉरी ने उसे कुचल दिया। यह भी बिल्डर्स की साज़िश थी।

अब सारे सबूत चोर के पास थे। इसलिए उसका जीवन भी अब खतरे में था। अतः वह

दुनिया की नज़रों से छिपकर, आधी रात के समय उन सबूतों को जज साहब के हवाले करने यहाँ आया है, क्योंकि चोर को पता था कि अगले दिन चाल में हुई आग की दुर्घटना के मुक़दमे में जज साहब न्याय सुनाने वाले थे। नाटक यहीं समाप्त होता है।

‘आधी रात के बाद’ नाटक में समाज की कई विसंगतियों का, विद्रूपताओं का पर्दाफाश हुआ है। कानूनी व्यवस्था के होने पर भी अपराध एवं अपराधी कैसे पनपते हैं इस मामले में व्यक्ति की एवं समाज की भूमिका क्या है। इन बातों पर गंभीर चिन्तन करने के लिए यह नाटक हमें विवश करता है। इस नाटक में हमारे समाज में व्याप्त अंतर्विरोधों पर, असंगतियों पर, असामाजिक तत्त्वों पर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। नाटककार शंकर शेष ने मिलावट, कालाधन, भ्रष्टाचार, समाजसेवा, कानून की अंधेरी गलियाँ, पुलिस विभाग में अनियमितताएँ, आधुनिक सभ्यता के नाम पर हो रहे अनैतिक कार्य, आत्मकेंद्रित जीवनशैली की परेशानी आदि अनेक अप्रासंगिक विषयों पर व्यंग्य की तीखी तलवार से तीखा प्रहार किया है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहना समीचीन होगा कि तथाकथित सभ्य समाज में व्याप्त विसंगतियों और विद्रूपताओं का भंडाफोड़ करने, तथा ढोंग के रंग-बिरंगे मुखौटों को चीर डालने में **‘आधी रात के बाद’** नाटक एक अति सफल प्रयास है। यह नाटक न केवल सामाजिक अन्याय और भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि यह भी

दिखाता है कि कैसे समाज की नैतिकता और न्याय प्रणाली केवल दिखावे तक सीमित रह गई है। पात्रों के माध्यम से लेखक ने मानवीय संवेदनाओं, अस्तित्व के संघर्ष और नैतिक दुविधाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, जो पाठक और दर्शक दोनों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। अंततः, यह नाटक दर्शकों के समक्ष एक ऐसा आईना रखता है, जिसमें वे न केवल समाज की असलियत, बल्कि अपनी अंतरात्मा के सवालों से भी रूबरू होते हैं।



संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ. शंकर शेष, 'आधी रात के बाद', नाटक, आर्य प्रकाशन मण्डल, गाँधी नगर, दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 10
2. डॉ. शंकर शेष, 'आधी रात के बाद', नाटक, आर्य प्रकाशन मण्डल, गाँधी नगर, दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 47
3. डॉ. शंकर शेष, 'आधी रात के बाद', नाटक, आर्य प्रकाशन मण्डल, गाँधी नगर, दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 51
4. डॉ. शंकर शेष, 'आधी रात के बाद', नाटक, आर्य प्रकाशन मण्डल, गाँधी नगर, दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 37
5. डॉ. शंकर शेष, 'आधी रात के बाद', नाटक, आर्य प्रकाशन मण्डल, गाँधी नगर, दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 37



एस. राजलक्ष्मी, सहायक प्राध्यापिका (हिंदी विभाग)
अगरचंद मानमल जैन महाविद्यालय, मीनम्बाक्कम, चेन्नई-600061, तमिलनाडु
संपर्क padmajashree.s2@gmail.com

वीरेंद्र जैन की कृतियों में सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण

शोध सारांश

वीरेंद्र जैन समकालीन हिंदी साहित्य के महत्त्वपूर्ण उपन्यासकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपने साहित्य में समाज की सच्चाइयों को उजागर किया है। उनके उपन्यासों में आर्थिक असमानता, जातिवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नारी-शोषण, नैतिक पतन, सांस्कृतिक संक्रमण, ग्रामीण और शहरी जीवन का संघर्ष, पर्यावरणीय समस्याएँ और पारिवारिक विघटन जैसी ज्वलंत सामाजिक समस्याओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। वीरेंद्र जैन का लेखन न केवल समाज की विद्रूपताओं को चित्रित करता है, बल्कि इन समस्याओं के मूल कारणों और संभावित समाधानों की भी खोज करता है। उनके उपन्यासों के पात्र आम जीवन से जुड़े हुए हैं, जो अपने संघर्षों के माध्यम से पाठकों को सामाजिक और व्यक्तिगत प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं।

उनकी भाषा सहज, प्रवाहमयी और प्रभावशाली है, जो उनके कथा-शिल्प को और

अधिक प्रामाणिक बनाती है। वीरेंद्र जैन के साहित्य में हाशिए पर खड़े वर्गों की व्यथा, पूँजीवाद की आलोचना और सामाजिक बदलाव की आकांक्षा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यह शोध-पत्र उनके उपन्यासों में चित्रित सामाजिक समस्याओं का गहन विश्लेषण कर उनके साहित्यिक योगदान को समझने का प्रयास करता है।

बीज शब्द

1. वीरेंद्र जैन 2. समकालीन हिंदी उपन्यास
3. सामाजिक यथार्थ 4. आर्थिक असमानता
5. जातिवाद और भ्रष्टाचार 6. नारी-शोषण
और नैतिक पतन 7. ग्रामीण-शहरी संघर्ष

मूल शोध

सामाजिक परिवर्तन और चेतना के निर्माण में साहित्य की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। समाज में व्याप्त विसंगतियों, अन्याय और असमानता को उजागर कर साहित्यकार जनचेतना को जागृत करने का कार्य करते हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य में कई लेखकों ने सामाजिक यथार्थ को

अपने लेखन का आधार बनाया है, जिनमें वीरेंद्र जैन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी रचनाएँ केवल कथा-वाचन नहीं, बल्कि सामाजिक समस्याओं की गहरी पड़ताल और समाधान की खोज भी हैं। विवाह पूर्व समस्याएँ, दहेज प्रथा, पति-पत्नी एवं सास-बहू के जटिल संबंध, गैर-ज़िम्मेदार पति और दांपत्य जीवन में विघटन जैसी पारिवारिक विसंगतियाँ उनके उपन्यासों में गहरे सामाजिक सरोकार के साथ चित्रित की गई हैं। साथ ही, जाति और वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, अंतर्जातीय विवाह की कठिनाइयाँ, वेश्यावृत्ति और साहित्यिक जगत में शोषण की परतें भी उनके लेखन का अभिन्न अंग हैं। उनका साहित्य मात्र यथार्थ का चित्रण नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना जगाने और पाठकों को परिवर्तन की ओर प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम है।

1. पारिवारिक समस्याएँ

परिवार सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ और सुसंगठित बनाता है। अच्छे समाज का श्रीगणेश परिवार से ही होता है। परिवार के विशेष संस्कारों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, परिष्कार और परिवर्धन होता है। व्यक्ति अपने माता-पिता, भाई-बहन, बाल-बच्चों के साथ जुड़ा रहता है और वह त्याग, सेवा, स्नेह, दया, ममता जैसे सद्गुणों को आत्मसात् कर एक अच्छा इन्सान बनता है। व्यक्ति का विकास परिवार पर निर्भर करता है और परिवार का व्यक्ति पर।

क) विवाह पूर्व समस्याएँ

विवाह पूर्व प्रेम के कारण आज की लड़कियाँ

अनेक समस्याओं को झेल रही हैं। विवाह पूर्व प्रेम अगर टूट जाता है या उसके बाद कुछ समस्या उत्पन्न हो, तो औरत की ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। 'सुरेखा पर्व' उपन्यास की सुरेखा इसी तरह की विसंगति का शिकार बनती है। अनाथाश्रम में रहनेवाली सुरेखा, आश्रम के अध्यक्ष के लड़के से प्रेम करती है, लेकिन प्यार टूट जाने के कारण उसकी शादी दूसरे पुरुष के साथ हो जाती है। पूर्व प्रेम संबंध को जानकर उसका पति उसे छोड़ देता है। "पूरे दो वर्ष भी न हुए थे जब एक दिन सुरेखा जीजी आश्रम में आई। उनकी गोद भरने वाली थी। सब लड़कियों ने उन्हें घेर लिया। पर वह खुशी मनाने का अवसर कितना विषाद लेकर आया था। यह तब पता चला जब लड़कियों के बीच आश्रम की व्यवस्थापिका आ विराजी और उन्हें सुरेखा जीजी ने बताया कि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। इतने दिनों तक वह अकारण ही उन पर अध्यक्ष के लड़के के साथ उनके याराना होने का दोष मढ़ता रहा और जबकि वे माँ बनने वाली हैं, वह कहीं भाग गया है। सुरेखा जीजी ने उसे होने वाली संतान का वास्ता दिया, तो उनके पति ने यह नसीहत और दे दी, 'जहाँ तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ आई थी, तुम भी इसे वहीं छोड़ आना।' ¹

ख) दहेज प्रथा

आदिकाल में विवाह के वक्त कन्या को तोहफे के रूप में पैसे और गहने दिए जाते थे। पर बदलते समय में धन लोलुपता के कारण इसने दहेज प्रथा का रूप धारण कर लिया है। इस प्रथा

के कारण सगाई के वक्त शादी रुक भी जाती है और लड़की को आजीवन कन्या ही रह जाना पड़ता है। दहेज कम दिया जाता है, तो शादी के बाद लड़की को सताया या मार भी दिया जाता है। दहेज समस्या ने आधुनिक समाज में गंभीर रूप धारण किया। दहेज के कारण उत्पन्न समस्याओं को चित्रित कर चेतना लाने का प्रयास किया गया है। लड़कियों के माता-पिता को इस दहेज प्रथा के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। लड़की मात्र एक खिलौना बनकर रह जाती है। 'प्रतिदान' उपन्यास में लड़की और उसके माँ-बाप की विवशता को लेखक ने प्रभा के पिता के मुँह से इस प्रकार बतलाया—“यह तो हर लड़की के माँ-बाप की विवशता है। वह अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े को तमाशा बनाने को लाचार हो जाता है। अगर आपकी ओर से भी ऐसा ही हुआ, तो न जाने कब तक आगे भी यही सिलसिला चलेगा।”

हमारे समाज में दहेज प्रथा सर में इतना चढ़ गया है कि अगर कोई युवा दहेज नहीं भी चाहता है, तो लड़की के माँ-बाप यह सोचते हैं कि उस युवक में कुछ कमी है या रोगग्रस्त है। इसलिए दहेज लेने से इन्कार कर रहा है। समाज भी उसे शक की नज़रों से देखता है। परिवार के सदस्य ही इसका विरोध करते हैं। 'प्रतिदान' उपन्यास का नायक नरेन के साथ ऐसा ही होता है। वह दहेज लेने से इन्कार करता है तो—'नरेन के चचेरे मझले भैया कहते न चूके “अरे नरेन, तू तो पगला है। मैं तो समझा, बड़े भैया यहाँ लाख

से ऊपर में मामला तय करेंगे, वरना अस्सी हज़ार की पार्टी तो मैं बगल में दबाए फिर रहा था। लगता है, भैया से बात संभली नहीं। पर उनका भी क्या दोष, तुझ पर ही आदर्श का भूत जो सवार है।”

ग) पति-पत्नी संबंध

परिवार में पति-पत्नी का संबंध ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आजीवन वे दोनों एक-दूसरे के विश्वास और प्यार के साथ जीते हैं। परस्पर आत्मीय प्यार और विश्वास से घर स्वर्ग तुल्य बन जाता है। अगर इन दोनों में विश्वास की बात न हो, तो घर नरक बन जाता है। इससे अन्य पारिवारिक सदस्यों के संबंधों में दरार पड़ जाती है और बच्चों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। इसके अलावा समाज में भी इनकी प्रतिष्ठा घट जाती है। विश्वासघात, द्वेष, अहंमान्यता आदि के कारण परिवार के टूटने की संभावना है। 'सुरेखा पर्व' उपन्यास की नायिका विद्या के साथ पति का व्यवहार उसे जीवन की खुशियों से वंचित कर देता है। वह विद्या को मारता है, अनैतिक संबंध रखता है। इससे तंग आकर विद्या अलग होना चाहती है। विद्या ने बड़े अनुनय से कहा—“मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। आप इन्हें कहिए कि ये मुझे तलाक दे दें।”

पत्नी को यातनाएँ देकर उससे आनंद उठाने वाले पुरुषों की समाज में कमी नहीं। ऐसे पति से तंग होकर वह अलग होना चाहती है। पति के कर्कश व्यवहार का विरोध करते हुए कहती है—“तो क्या इसी तरह तिल-तिल कर मारते हैं? लेकिन इस तरह नहीं मरूँगी। तुम देखना, किसी

दिन मैं बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाऊँगी।”²

पति-पत्नी एक-दूसरे की स्थिति को पहचानकर उसके अनुसार चलने से परिवार सुखी रहता है। जैसे ‘प्रतिदान’ उपन्यास की नायिका प्रभा अपने पति के प्यार को मुख्य समझकर ननद और देवर की पढ़ाई और अच्छे जीवन के लिए अपनी खुशियाँ छोड़ देती है।

घ) सास-बहू के संबंध

हमारे समाज में सास-बहू के रिश्तों की समस्या ने बहुत ही विकृत रूप धारण किया है। सास को बहू के साथ अपनी बेटी समान व्यवहार करना चाहिए और बहू को भी यह समझना चाहिए की सास उसकी माँ ही है। बेटे के प्यार और पति के प्यार प्राप्त करने की कोशिश में सास और बहू झगड़ा करते हैं। दोनों एक-दूसरे के काम पर गलती निकालते रहते हैं। माँ-बेटी का रिश्ता होने से परिवार सुखी रहता है। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा शादी के बाद खुश रहे। पर वही, शादी होने के बाद बहू को कोसती है। पुत्र के अपने से बिछुड़ जाने के डर से बहू पर लांछन लगाती है। ‘सुरेखा पर्व’ उपन्यास की नायिका विद्या का पति आलसी होता है और एक भी काम में निरंतर नहीं रहता पर विद्या की सास अपने बेटे की हरकतों के बारे में जानते हुए भी इसका कारण अपनी बहू को ठहराती है। “**विनय की अम्मा ने मुझे बड़ी मासूमियत के साथ यह बताया कि उनकी पुत्रवधू अभागन निकली। उसने सारा घर-चौपट कर दिया। उनके लड़के को बेकार कर दिया और अब बीमारी का बहाना करके**

उसके सिर पर सवार है।”³

उ) देवर-भाभी के संबंध

हमारे समाज में भाभी को माँ समान माना जाता है। पर कुछ समस्याओं के कारण इन संबंधों में दरार भी पड़ सकती है। ‘प्रतिदान’ उपन्यास की नायिका प्रभा के साथ ऐसा ही होता है। प्रभा और नरेन की शादी बिना दहेज के हो जाती है, तो नरेन के छोटे भाई मनीष उसकी हर बात को गलत समझकर डाँटता है—“मनीष आवेश में आकर बोला, ‘हाँ-हाँ, मैं खूब समझता हूँ कि तुम दोनों चाहते हो मैं इसी तरह तुम्हारे टुकड़ों पर पलता रहूँ। तुम्हारी उतरन पहनता रहूँ और यहीं पड़ा रहूँ, ताकि तुम मुझ पर रोब गलिब करते रह सको। अरे, यह तुम दोनों के अरमानों का ही तो परिणाम है, जो आज मैं दर-दर भटक रहा हूँ। अगर भैया ने दहेज स्वीकारा होता या तुम ही किसी तरह गहने जेवर के रूप में ही सही, कुछ ले आयी होती तो आज मेरी यह हालत होती? क्या पिता जी को इस तरह किसी का मोहताज होना पड़ता? क्या प्रगल्भा अब तक घर बैठी रहती?”

च) ननद-भाभी के संबंध

भाभी ननद की दूसरी माँ के समान है पर हर परिवार में दोनों के बीच आत्मीय प्यार का संबंध नहीं रहता। ननद अपने भाई का प्यार बंट जाने से भाभी से विमुख हो जाती है या फिर भाभी अपने पति का प्यार और धन, ननद को मिलने से उससे नफरत करने लगती है। ‘सुरेखा पर्व’ उपन्यास की नायिका विद्या अपने ननद का अपने

पड़ोसी दुष्ट पुलिसवाले से बचाना चाहती है और वह उसे चेताती है। पर वह अपने भाई विनय से शिकायत करती है, जिससे भाभी को पति से डाँट खानी पड़ती है। “उसी दिन शाम को पुलिस वाले ने आकर एक टिकट विनय को दे दिया। उसने बताया कि बड़ी मुश्किल से यह टिकट मिला है। एक और टिकट दो-एक दिन में ला देने का वादा भी किया। सुनीता भी पिक्चर देखना चाहती थी। मैंने वह टिकट उसे दे दिया। अगले दिन सुनीता जब पिक्चर देखकर वापस आई तो उसने बताया, साथ वाली सीट पर वही पुलिस वाला बैठा पिक्चर देख रहा था। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सुनीता को कहा, ‘तुम्हें फौरन वापस चले आना चाहिए था। मेरी बात पर सोचने के बजाय सुनीता और विनय मुझे बुरा-भला कहने लगे।’”⁴

छ) गैर ज़िम्मेदार पति

पुरुष स्वभावतः यह चाहता है कि खूब कमाए, अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रखे। पर कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं, जो अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं करते। कोई-कोई शादी भी नहीं करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति की अगर शादी हो जाए, तो भी वह गैर ज़िम्मेदार ठहराता है। ‘सुरेखा पर्व’ उपन्यास का नायक विनय शहर की लड़की और दहेज के प्रति आकर्षित होकर विद्या से शादी करता है। पर वह यह नहीं चाहता कि उसके बच्चे हों और वह उनकी ज़िम्मेदारी अपने सिर पर ले। इसलिए वह विद्या के गर्भ को गिराने का प्रयास करता है। इसके कारण बच्चा

अपाहिज पैदा होता है। “मैं अभी से बाप नहीं बनना चाहता था इसलिए मैंने उनके बताए तरीके से विद्या का गर्भ गिराना चाहा पर उसमें मुझे सफलता नहीं मिली।”⁵ अर्थ कामना और अपने परिवार की परवरिश करना पुरुष का कर्तव्य है। लेकिन ऐसे भी पुरुष पाये जाते हैं, जो नौकरी के प्रति अपेक्षा भाव रखते हैं।

ज) दाम्पत्य जीवन में विघटन की स्थितियों

पति-पत्नी का संबंध पवित्र होता है। अगर इस संबंध में धोखापन हो, तो दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ जाती है। धोखे से शादी करना, चोरी छुपे अवैध संबंध रखना आदि पति-पत्नी के संबंधों को बिगाड़ देते हैं। ‘कबीर की कविता’ उपन्यास का नायक कबीर बेकार है। लेकिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह एक उच्च अधिकारी है। कबीर और कविता उसी कार्यालय में काम करनेवाले व्यक्ति के घर में रहते हैं। तब बातचीत में कविता को अपने पति कबीर के धोखेपन का पता चलता है। “बताया न, जब जगह ही नहीं तो। हमारे यहाँ तो स्टाफ की छटनी हो रही है। मगर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो।”⁶

कुछ पुरुष ऐसे हैं, जो अमीर घर की लड़की से शादी करने के लिए उन्हें प्यार के जाल में फंसाते हैं। ‘कबीर की कविता’ उपन्यास की नायिका कविता एक अमीर परिवार की लड़की है। कविता और कबीर प्यार करते हैं। कविता की बहन घर से भागकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती है। इससे परिवार के सदस्य बहुत दुखी रहते हैं। कविता चाहती है कि उसकी शादी अपने माँ-

बाप की सहमती से हो। कबीर को टी.बी. है और उसे यह भी पता है कि कविता के परिवारवाले उसे दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वह कविता से झूठ बोलकर उसे घर से भगा ले जाता है। “यहाँ से लौटकर उसने मुझे बताया कि नौकरी मिल गई है। मेरे लिए यह खुशी की बात थी। मगर इसी के साथ उसने मुझे एक बुरी खबर भी दी। इसने बताया कि तारकजी ने इसे अपने एक प्रोफेसर दोस्त से मिलवाया था। उनकी एक लड़की है, शादी के योग्य, मगर मैं तुम्हें दिलों जान से चाहता हूँ। अब उससे बचने का एक ही रास्ता है कि यदि तुम राजी होओ तो हम तुम कोर्ट मैरिज कर लें और यदि नहीं तो तुम अपने जीजा जैसे किसी रूखे आदमी के चाभियों के गुच्छे संभालने के लिए स्वतंत्र हो और मैं उस प्रोफेसर की लड़की से शादी करने के लिए।”⁷

2. नारी की दुर्दशा

समाज में नारी की दशा दयनीय है। नारी अपने पति की बुरी हरकतों का फल भुगतती है। ‘सुरेखा पर्व’ उपन्यास की नायिका विद्या का पति विनय परिवार की ज़िम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। बच्चा पैदा न हो इसके लिए भ्रूणहत्या करने का प्रयास करता है। पर बच्चा अपाहिज पैदा होता है। तो विद्या के बारे में विनय सोचते हैं- “विद्या ने अपाहिज बच्चे को जन्म दिया। वह भी कुछ साढ़े सात महीने पर। जब विद्या को लड़का हुआ हमारी शादी को नौ महीने भी नहीं हुए थे। गाँव भर में औरतें, मर्द, बच्चे सभी अटकलें

लगाते फिरने लगे। कोई कहता - बच्चा विनय का नहीं है। कोई कुछ तो कोई कुछ। बच्चे के अपाहिज होने के कारण मेरे माँ-बाप तक यही कहने लगे। मैं जानता था, बच्चा ऐसा क्यों हुआ है। वास्तव में मेरा अनुमान था कि बच्चा मरा हुआ ही पैदा होता।”⁸

3. अन्तर्जातीय वैवाहिक समस्या

रूढ़िग्रस्त वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ। जाति व्यवस्था के कारण उच्च जाति व निम्न जाति का भेदभाव का प्रसार हो गया। उच्च जाति, जो अपने आपको प्रतिष्ठित मानती है, के द्वारा निम्नवर्ग वालों पर अत्याचार किये जाते हैं। इसे ये लोग अपनी प्रतिष्ठा के बल बाहर फैलने से रोक देते हैं। सच्चाई दफना देते हैं। निम्न जाति की स्त्री से अवैध संबंध जोड़ना भी इनके अत्याचारों में से एक है। ‘डूब’ उपन्यास के उच्च कुल का बामन कैलाश निम्न वर्ग के चंद्रभान की लड़की का बलात्कार कर देता है। समाज में उसकी परम्परा की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के डर से उससे विवाह करने से इन्कार कर देता है। “ब्याह...। किससे...? क्या चंद्रभान की लड़की से? नहीं-नहीं, वह अहीर, हम बामन, यह कैसे हो सकता है?”⁹

4. वेश्या-वृत्ति

समाज में नारी को अनेक स्थितियों में अत्याचार सहने पड़ते हैं। दहेज के कारण शादी नहीं हो पाए, तो वह या तो अविवाहित ही रह जाती है। जीविका चलाने जैसी स्थितियाँ उसे

वेश्या बनने के लिए विवश कर देती हैं। वेश्या धंधे में नादान लड़कियों को और स्त्रियों को फंसाने का काम कभी-कभी औरत ही करती है या परिस्थिति के कारण भी, 'सबसे बड़ा सिपहिया' उपन्यास में वीरेंद्र जैन ने इसका उल्लेख किया है। एक बूढ़ी ही लड़कियों को इस धंधे में फंसाती है। **“इस बुढ़िया के कई धंधे हैं। चोर-उचक्कों की मुखबिर ये है, पुलिस की चश्मदीद गवाह ये है, औरतों से पेशा ये कराती है... अब तुम्हें क्या-क्या बताऊँ, बस ये समझ लो कि हरदम 'काम' करती है। जहाँ कहीं खूबसूरत, मजबूर औरत दिखी उसे बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर उससे धंधा करवाने लगती है।”**¹⁰ इस प्रकार समाज में फैलती जा रही वेश्यावृत्ति एवं उससे उत्पन्न होनेवाली समस्याओं का लेखक ने उल्लेख किया।

5. जाति व्यवस्था

जाति व्यवस्था भारतीय समाज में फैली एक गंभीर समस्या है। रूढ़ियों से चली आ रही यह समस्या आज भी समाज को विकृत बना रही है। इसके कारण समाज में अन्याय, असमानता एवं अराजकता फैलती जा रही है। इस गंभीर समस्या का चित्रण 'गैल और गन' उपन्यास में उल्लेखित है। एक पुलिस अपने धर्म के व्यक्तियों को जेल नहीं भिजवाता, जबकि उन्होंने सरकार की चीज़ों को गैर कानूनी तौर पर अपने लिए उपयोग किया है। **“लेकिन किशन की नौकरी तो गई थी कंपनी माल अपने घर ले जाने के फेर में। ऐसा करते हुए वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। मामला पुलिस**

तक पहुँचा था, लेकिन कहते हैं थानेदार ब्राह्मण था सो उसी ने मामले को रफा-दफा करवा दिया, ताकि एक बामन सपूत को अवर्णों के साथ जेल की कोठारी में न रहना पड़े।”¹¹

6. वर्ण व्यवस्था

वर्ण धर्म, प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ रही है। कालान्तर में उच्च और निम्न वर्ग की मान्यता से अनेक जातियों और अजातियों में समाज का विभाजन हुआ। ग्रामीण स्तर पर सभी जातियाँ एक दूसरे पर आश्रित थीं। ब्राह्मण, ठाकुर आदि उच्च जातियों से लेकर धोबी, बढ़ई और चमार, हरिजन आदि सभी अपना पेशा करते थे। इसमें से एक का काम ठप्प हो जाने से अन्य लोगों का काम भी बिगड़ जाता है। 'पार' उपन्यास में माते जीरोन के मुखिया से कहते हैं कि-**“सबके अपने-अपने हुनर हैं। अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ। इनमें से एक भी अपना हाथ खींचते, वहीं काम ठप्प। सब कामकाज बेतरतीब। एक भी जन का काम ऐसा नहीं, जो छोटा हो, कि ओछा हो, कि गैर ज़रूरी हो। गाड़ी भी तभी चलती है जब सारे पहिए-पुर्जे ठीक रहें।”**¹² लड्डई गाँव का बकरियों और गायों को चराने के लिए ले जानेवाला शहर चला जाता है। इसके कारण गाँव के अन्य काम भी रुकने के कारण गाँव के लोग चिंतित रह जाते हैं। इसके लिए माते जीरोन के मुखिया से सहायता माँगते हैं। औद्योगिक विकास के कारण आज ज़माना बदल गया है। युवक परम्परागत पेशे को छोड़कर खूब शिक्षित होकर नौकरी कर रहा है या विदेश में नौकरी

कर रहा है।

7. छुआछूत की समस्या

भारतीय-समाज में वर्ण व्यवस्था, जो सुविधा के लिए बनायी गयी थी, बाद में समाज के विकास में मापा सिद्ध हुई। धार्मिक अंधविश्वासों द्वारा विकसित छुआछूत की भावना हिन्दू समाज के अधिकांश जनों में व्याप्त है। 'डूब' उपन्यास के ठाकुर देवीसिंह चमारों को बहुत पीटते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी मज़दूरी रुपये में माँगी। चमार घूमा का भाई बहुत घायल हो गया था। उसका इलाज मझले साव का बेटा अटूट साव कर रहे थे। मझले साव आते ही भड़क उठे, ... फिर घूमा को डपटकर कहा-“उठा अपने भाई को, तेरी इतनी हिम्मत की हमारी खाट पर... चल उठा और ले जा अपने टपरे में। घूमा ने साव की तनी हुई भृकुटियाँ देखी और तुरंत अपने भाई को फिर अपने हाथों में उठा लिया, ...मझले साव ने माचिस की एक तीली जलाई, उससे एक कपड़े के टुकड़े को जलाया और जलता हुआ वह कपड़ा खाट पर फेंक दिया। देखते-ही-देखते खाट धू-धू करके जलने लगी।”¹³

8. शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार

शिक्षा व्यवस्था देश की उन्नति की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वही क्षेत्र भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। शिक्षा व्यवस्था से संबंधित लोग घूस लेकर किसी प्रकाशन की किताब को पाठ्यक्रम में जोड़ते हैं। इस समस्या का उल्लेख 'शब्द बध' उपन्यास में हुआ है। नायक आनंदवर्धन से प्रतिबद्ध प्रकाशन

की मालकिन कहती है कि-“कैशियर से जितना ज़रूरी हो, पाँच हज़ार, दस हज़ार ले लो और आज ही रवाना हो आओ। मुझे उम्मीद है कि आचार्य अपनी योग्यता से सबको प्रभावित कर लेंगे और कम-से-कम चार-पाँच किताबें कोर्स में लगवाकर ही लौटेंगे। मैंने जानना चाहा कि निर्णय कैसे होगा वहाँ? क्या मेरी राय से? और रुपयों का वहाँ क्या काम?”¹⁴

आज शिक्षा व्यवस्था भी एक अच्छी व्यवस्था बन गई है। बच्चों के भविष्य का ख्याल नहीं किया जा रहा है। 'शब्द बध' उपन्यास में शिक्षा संबंधी लोग पाठ्यक्रम में पाठ रखने के लिए पैसे से तय करते हैं। “इसी तरह वहाँ रेणु, यशपाल, प्रेमचंद, अज्ञेय, जैनेन्द्र, मोहन, राही, बेराही, भ्रमर, मक्खियाँ, पतंगों, तिलचट्टे सबके नामों की बोलियाँ लग रही थीं। विद्यार्थी क्या पढ़े यह प्रकाशक तय कर रहा था।”¹⁵

9. साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएँ

क) प्रकाशकों का भ्रष्टाचार

प्रकाशक लेखक की रचनाओं को सारे संसार के सामने प्रस्तुत करता है। उस व्यवस्था के कुछ लोग लेखकों के लेख प्रकाशन करने के लिए घूस लेते हैं या उन्हें यह नहीं पता होता है कि वे क्या प्रकाशन कर रहे हैं। खुद लेखकों से पैसा लिया जाता है। नहीं तो लेख के प्रकाशन में विलम्ब किया जाता है। 'शब्द बध' उपन्यास में लेखक ने इसका स्पष्ट चित्रण किया है। “कुछ

प्रकाशक रुपया जिस लेखक से लेते हैं, पुस्तक उसी की छापें ज़रूरी नहीं। कभी-कभी इनके यहाँ से पांडुलिपि खो जाती है। कभी कागज़ नहीं उपलब्ध होता, तो कभी प्रेस दगा दे जाता है। लेखक बेचारा चक्कर लगाता रहता है। और ये उसकी पूँजी के दम पर अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों, कुत्तों, बिल्लियों की किताबें छापते रहते हैं। कुछ हैं, जो किसी तरह के झमेले में नहीं पड़ते। वे बस रॉयल्टी मुक्त लेखकों की रचनाएँ छापते हैं।¹⁶

कुछ प्रकाशक ऐसे भी हैं, जो यह जानने की कोशिश तक नहीं करते हैं कि वे क्या छापते हैं। 'शब्द बध' उपन्यास में इसका उल्लेख है। "इस शहर में मुझे अब आकर मालूम हुआ कि प्रकाशकों की सचमुच कई बेराटियाँ हैं। कुछ तो जानते ही नहीं कि उन्होंने छपा क्या है। उन्हें इससे कोई सरोकार ही नहीं कि वे क्या छाप रहे हैं। उनके लिए तो बस इतना जानना काफी है कि हमारा फलौं लेखक फलौं महकमे में अफसर है और कोई आधी तो कोई पूरी प्रतियाँ खरीदवा लेता है। कुछ हैं, जो अपनी पूँजी लगाते ही नहीं। वे तो लेखक की जेब देखकर प्रकाशन खर्च उसी से वसूल लेते हैं। और लेखक जो भी लिखे कागज़ दे आए उन्हें छापने के बाद ढो-ढाकर इधर से उधर पहुँचाते रहते हैं।"¹⁷ प्रकाशक सभी बातों पर लिखे लेख को छापते हैं पर कुछ प्रकाशक ऐसे हैं, जो अपनी मनपसंद बातों को मान्यता देनेवाले लेखकों को ही छापते हैं। 'शब्द बध' उपन्यास के प्रतिबद्ध प्रकाशन के प्रकाशक

कांताजी, जो साम्यवादी बातों को मान्यता देती हैं। इसके कारण वे साम्यवादी लेखकों के लेख ही छपाती है। "हाँ, कांताजी साम्यवादी हैं। साम्यवाद का प्रचार करना उनके प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य है। साम्यवादी विचारधारा को माननेवाले लेखक ही यहाँ से छापते हैं।"¹⁸

ख) लेखकों का शमन

लेखक वह व्यक्ति है, जो अपने लेखन के द्वारा सबको मनोरंजित या सबमें चेतना जागृत करता है। लेखक भावुक होते हैं। वे किसी भी अत्यचार को सहन न कर पाते हैं। इसका फायदा उठाकर प्रकाशक इनसे घूस लेकर लेख छापते हैं या अपने प्रकाशन में काम दिलाकर जमकर शोषण करते हैं।

'शब्द बध' उपन्यास में इसका उल्लेख है। आनंदवर्द्धन के मित्र उसको समझाते हुए कहते हैं-"अरे यार, तुम इस बलभद्र को नहीं जानते। इसकी आदत है लेखक किस्म के लोगों को नौकरी पर रखने की। क्योंकि लेखक जो होता है वह बुद्धिजीवी होता है, भावुक होता है। भावनाओं की कद्र करता है। ये साहब चूँकि लेखकों की इस कमज़ोरी को जानते हैं, इसलिए जान बूझकर लेखक किस्म के लोगों को काम पर रखते हैं, ताकि उनका जमकर शोषण कर सकें। और वे बेचारे शर्म के मारे, केवल इस संकोचवश कि कहीं उनके विरोध करने से बलभद्रजी का अपमान न हो जाए, कहीं उनके दिल को ठेस न पहुँचे, अपना शोषण होने देते हैं। चूँकि विरोध को कहीं तो प्रकट होना ही हुआ।

सो बलभद्रजी के बजाय साहित्य में उनकी रचनाओं में उसका शमन होता रहता है।”¹⁹

निष्कर्ष

वीरेंद्र जैन के उपन्यास मात्र साहित्यिक रचनाएँ नहीं, बल्कि समाज की सच्चाइयों को उजागर करनेवाले सशक्त माध्यम हैं। उनके लेखन में यथार्थ की गहराई, संवेदनशीलता और परिवर्तन की चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी कृतियाँ न केवल समाज की जटिल संरचनाओं को उजागर करती हैं, बल्कि पाठकों को उन पर विचार करने और समाधान की दिशा में सोचने के लिए भी प्रेरित करती हैं।

वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में पारिवारिक विघटन, नारी-शोषण, जातिगत भेदभाव, शिक्षा में भ्रष्टाचार और साहित्यिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसी सामाजिक समस्याओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया है। उनका लेखन मात्र समस्याओं का चित्रण नहीं करता, बल्कि सामाजिक बदलाव की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। उनकी रचनाएँ साहित्य से आगे बढ़कर समाज में जागरूकता लाने का कार्य करती हैं। ये उपन्यास केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक विचारोत्तेजक दस्तावेज़ हैं, जो पाठकों को आत्ममंथन के लिए उत्साहित करते हैं। यह शोध-पत्र उनके साहित्य में चित्रित सामाजिक समस्याओं का गहन विश्लेषण कर उनके साहित्यिक योगदान को समझने का प्रयास करता है। यह विश्लेषण न केवल उनके उपन्यासों में प्रस्तुत सामाजिक यथार्थ को समझने में सहायक

होगा, बल्कि साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंधों को भी स्पष्ट करेगा।



संदर्भ सूची

1. सुरेखा पर्व, ऋषभ चरण जैन एवं संस्कृति, नई दिल्ली, संस्करण-1978, पृष्ठ सं- 13
2. सुरेखा पर्व, ऋषभ चरण जैन एवं संस्कृति, नई दिल्ली, संस्करण-1978, पृष्ठ सं- 63
3. सुरेखा पर्व, ऋषभ चरण जैन एवं संस्कृति, नई दिल्ली, संस्करण-1978, पृष्ठ सं- 59
4. सुरेखा पर्व, ऋषभ चरण जैन एवं संस्कृति, नई दिल्ली, संस्करण-1978, पृष्ठ सं- 56
5. सुरेखा पर्व, ऋषभ चरण जैन एवं संस्कृति, नई दिल्ली, संस्करण-1978, पृष्ठ सं- 31
6. कबीर की कविता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2003, पृष्ठ सं- 119
7. कबीर की कविता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 121
8. सुरेखा पर्व, ऋषभ चरण जैन एवं संस्कृति, नई दिल्ली, संस्करण-1978, पृष्ठ सं- 29
9. डूब, वीरेंद्र जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1991, पृष्ठ सं- 81
10. सबसे बड़ा सिपहिया, वीरेंद्र जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1988, पृष्ठ सं- 27
11. गैल और गन, वीरेंद्र जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 41
12. पार, वीरेंद्र जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1994, पृष्ठ सं- 86

13. डूब, वीरेंद्र जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1991, पृष्ठ सं- 72
14. पार, वीरेंद्र जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1994, पृष्ठ सं- 86
15. शब्द बध, वीरेंद्र जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1993, पृष्ठ सं- 134
16. शब्द बध, वीरेंद्र जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1993, पृष्ठ सं- 136
17. शब्द बध, वीरेंद्र जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1993, पृष्ठ सं- 100
18. शब्द बध, वीरेंद्र जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1993, पृष्ठ सं- 111
19. शब्द बध, वीरेंद्र जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1993, पृष्ठ सं- 94



डॉ. प्रफुल्ल कुमार, सहायक प्राध्यापक (हिंदी विभाग)
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा-852113, बिहार
संपर्क prafullkumarbhu@gmail.com

उत्तर आधुनिकता और हिंदी उपन्यास

शोध सारांश

वर्तमान समय की सबसे लोकप्रिय विधाओं में उपन्यास का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। उपन्यास ने आधुनिक युग के मनुष्य की जटिल जीवन स्थितियों के चित्र खींचने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर आधुनिकता ने मानव जीवन की स्थितियों को और जटिल व उलझाऊ बनाने का कार्य किया है। ऐसे में उपन्यासों में भी कथ्य और शिल्प के स्तर पर कई बदलाव देखने में आए हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विकेंद्रीयतावाद एवं बहुलतावाद की गत्यात्मक अवस्थिति साहित्य, कला एवं जीवन के क्षेत्र में प्रायः 'अप्रस्तुति योग्य की प्रस्तुति' के माध्यम से प्रकट होती है। समकालीन हिंदी उपन्यासों में विरूपित हो रहे समाज का चित्रांकन हमें समाज के सच से रूबरू कराने के साथ-साथ, हमें सोचने विचारने का भी एक नया आधार प्रदान करता है। इसमें दो विपरीत विचारधाराओं की साथ-साथ प्रस्तुति एवं दो भिन्न-भिन्न जीवन स्थितियों, भिन्न-भिन्न ध्वनियों और अभिव्यक्तियों को स्वर देने में जहाँ एक तरफ रचनात्मक मूल्यों का अतिक्रमण किया है, वहीं

अभिव्यक्ति के नए खतरों को भी उठाने का कार्य किया है।

बीज शब्द

1. उत्तर आधुनिकता
2. सामंतवाद
3. आधुनिकताबोध
4. मार्क्सवाद
5. मनोविश्लेषणवाद

मूल शोध

उत्तर आधुनिकता वर्तमान समय में सबसे ज्यादा विचार और विमर्श किए जानेवाले विषयों में से एक है। इस विचार ने समूचे विश्व के कला, साहित्य और समाजशास्त्र संबंधी चिंतन को प्रभावित करते हुए इसे नए सिरे से देखने का आह्वान किया है। ऐसे में इस चिंतन से हिंदी साहित्य जगत का भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। इस चिंतन का रचनात्मक प्रतिफलन हमें सबसे अधिक उपन्यासों में देखने को मिलता है। उत्तर आधुनिकता के संश्लिष्ट विचारों ने उपन्यास विधा पर गहरी छाप छोड़ी है, क्योंकि वर्तमान जीवन संदर्भों में उपन्यास ही समाज के सच को बयान करने में सबसे अहम उपकरण साबित हो रहे हैं।

इसके साथ ही इन रचनाओं ने साहित्य के फलक को विस्तार देने का भी कार्य किया है।

आधुनिकता ने सम्पूर्ण मानवता को अज्ञानता एवं रूढ़िवाद से मुक्त करवाकर ज्ञान-विज्ञान और तार्किकता की नवीन भावभूमि पर खड़ा किया। परंतु द्वितीय विश्वयुद्ध की भीषण तबाही, उन्नत औद्योगिक समाज में युवाओं का व्यवस्थाओं के प्रति असंतोष, वियतनाम युद्ध, मशीनीकरण का उग्र विकास, औद्योगिक समाजों में मनुष्य के व्यक्तित्व का एकांगी विकास और तीसरी दुनिया के देशों में उपजे भीषण आर्थिक विषमताओं सरीखे तदयुगीन जीवन संदर्भों ने आधुनिकता की अवधारणा पर पुनर्विचार करने की स्थितियाँ पैदा कीं। आधुनिकता की चकाचौंध लोगों में ऊब बनकर उभरी जिसने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर आधुनिकता की ज़मीन तैयार करने का कार्य किया। इस चिंतन को कुछ विचारकों ने जहाँ आधुनिकता का विस्तार कहा, वहीं कुछ चिंतकों ने इसे आधुनिकताबोध की प्रतिक्रिया में जन्मे परवर्ती अध्याय के रूप में देखा।

उत्तर आधुनिकता कोई एक सिद्धांत नहीं, बल्कि यह अनेक सिद्धांतों का एक समुच्चय है, जो सभी बने बनाए सिद्धांतों को नकारता है। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। लेकिन यह कई अर्थों में आधुनिकता पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए उसका अतिक्रमण करती है और इसे व्यापक स्वरूप प्रदान करती है। उत्तर आधुनिकता का सिद्धान्त लेखक के अंत, इतिहास के अंत, विचारधाराओं के अंत आदि की बात करते हुए

सत्य के किसी एक मानक, सार्वभौमिक, निरपेक्ष, शाश्वत और स्थिर रूप को नकारता है। यह एकल सत्य की जगह बहुलतावादी दर्शन और खंड-खंड यथार्थ की बात करता है। इस संबंध में कृष्णदत्त पालीवाल लिखते हैं-“**उसके अनुसार कोई विचार, दर्शन शाश्वत, पूर्ण, अंतिम और स्थायी नहीं है, सब कुछ अनिश्चित और अस्थिर है। हर अवधारणा एक भ्रम है।**”¹ कुल मिलाकर देखा जाए, तो हम पाते हैं कि उत्तर आधुनिकता किसी एकल सत्य की जगह बहुलतावादी सत्य को प्रमुखता देते हुए हाशिये के समाज (सबाल्टर्न) के विमर्शों के साथ खड़ा होता है।

जब हम साहित्य में उत्तर आधुनिकता की बात करें, तो पाते हैं कि इस काल में काव्य का आकार या पाठ महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उसमें से व्यक्त होनेवाले अर्थों के संदर्भों को उजागर करना महत्वपूर्ण होता है। यही विखंडन है। उत्तर आधुनिकतावादी विकेंद्रीयतावाद एवं बहुलतावाद की गत्यात्मक अवस्थिति साहित्य, कला एवं जीवन के क्षेत्र में प्रायः ‘अप्रस्तुति योग्य की प्रस्तुति’ के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के अनुसार कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे प्रस्तुत न किया जा सके। अगर कुछ अप्रस्तुति योग्य समझा जा रहा है, तो यह किसी न किसी आधुनिक साज़िश के तहत किया जा रहा है। यह प्रत्येक स्थानीय, देशीय, लोक के दृष्ट-अदृष्ट, संवादी-असंवादी को प्रस्तुति योग्य मानता है। यहाँ सभी प्रकार की भिन्नता और विविधता के लिए स्थान है। इसे ल्योतार भी लिखते

हुए बताते हैं कि-“**उत्तर आधुनिकता प्रत्येक अप्रस्तुतियोग्य की प्रस्तुति को अनिवार्य मानता है।**”²

उत्तर आधुनिकता के चिंतन का हिंदी उपन्यासों पर प्रभाव समझने से पूर्व हिंदी में ‘औपन्यासिक आधुनिकताबोध’ को समझना ज़रूरी हो जाता है। उपन्यास को ‘आधुनिक जीवन का महाकाव्य’ कहा गया है। अगर दूसरे शब्दों में कहना हो, तो इसे हम आधुनिक युग की सबसे लोकप्रिय और यथार्थवादी विधा का नाम दे सकते हैं। उपन्यास की उत्पत्ति ही आधुनिकता के गर्भ से हुई है। यहाँ आधुनिकता से हमारा तात्पर्य रूढ़िवादिता की जगह वैज्ञानिकता, आदर्श की जगह यथार्थ और उच्च वर्ग की जगह सामान्य जन के साहित्य में प्रतिष्ठापना से है। इस विचार ने समाज, संस्कृति, कला और साहित्य को एक नए सिरे से जानने और समझने के लिए प्रेरित किया है। पश्चिम में जन्मे इस विचार ने हिंदी साहित्य की रचना और आलोचना, दोनों को प्रभावित करने का कार्य किया है। आधुनिक काल में विज्ञान और तकनीक के प्रसार, सामंतवाद के पतन, नए-नए रोज़गारों के सृजन, शिक्षा का प्रसार, परिवहन के साधनों का विकास, प्रेस का विकास, मध्यवर्ग के उदय और व्यक्तित्व के विकास और जटिल व संश्लिष्ट होते मानवीय संबंधों की उपज के रूप में उपन्यास विधा हमारे सामने आया। भारत में हिंदी से पहले बंगाल में उपन्यास लेखन की शुरुआत हो चुकी थी और 1909 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ‘गोरा’ लिखकर उपन्यास विधा के

बहुआयामी चरित्र की महत्ता को स्थापित कर दिया था। इसी उपन्यास के माध्यम से टैगोर ने बता दिया था कि उपन्यास में समाज, संस्कृति, परंपरा, राष्ट्रीयता के बीच संबंधों की जटिलता को व्यक्त करने की क्षमता है और आधुनिक युग के यथार्थ की अभिव्यक्ति का यह श्रेष्ठ माध्यम है।

हिंदी में उपन्यास लेखन कुछ समय बाद भारतेन्दु युग में आरंभ हुआ और शुरुआत में इसका मूल स्वर समाज सुधार, नैतिकता युक्त आचरण, तिलिस्मी, जासूसी आदि तत्त्वों से ही जुड़ा रहा। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के आगमन ने सम्पूर्ण कथा जगत और उपन्यास को आधुनिकता से जोड़ने का अद्भुत कार्य किया। इस कड़ी में उनके द्वारा लिखित ‘गोदान’ ने आधुनिकता के विभिन्न आयामों जैसे- मानवीय संबंधों की जटिलता, गाँव और शहर की मरजाद, खत्म होते सामंतवाद और उभरते पूंजीवाद, नए जीवन संबंध, स्वतंत्रता आंदोलन और कटु जीवन यथार्थ को बड़ी संजीदगी से अभिव्यक्त करते हुए इसे एक महा आख्यान का स्वरूप दिया है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में गोदान को आधुनिकता का प्रस्थान बिन्दु माना जा सकता है। इस संबंध में इन्द्रनाथ मदान लिखते हैं-“**यदि हिंदी उपन्यास पर सरसरी नज़र भी डाली जाए तो लगता है कि आधुनिकता के बोध की शुरुआत गोदान (1934-36) से मानी जा सकती है। ‘आज का हिंदी उपन्यास’ में इसका संकेत दिया गया है, इसका अंत उपन्यास के बाहर हो जाता है। इसका अंत इनके**

पहले के उपन्यासों की तरह बंद न होकर खुलने की गवाही देने लगता है। इसमें समस्या का समाधान नहीं दिया गया है।”³

‘गोदान’ के बाद से हिंदी साहित्य में यथार्थवादी और आधुनिकताबोध से युक्त कई सारे उपन्यास लिखे गए और इनमें आधुनिकता के विविध आयामों को दिखाया गया। इस कड़ी में कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों जैसे मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, फ्रायडीय चिंतन, डार्विनवाद जैसी विचारधाराओं को केंद्र में रखकर भी कई उपन्यास लिखे गए। इसके अतिरिक्त भारत में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश विभाजन स्वातंत्र्योत्तर भारत में गाँवों की स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रभाव को लेकर हिंदी में विभिन्न कलेवर के उपन्यास लिखे गए, जिनमें आंचलिक उपन्यास भी शामिल थे। हिंदी उपन्यासों के इसी विकास क्रम में उत्तर आधुनिक उपन्यासों का लेखन भी शामिल है। हिंदी उपन्यासों में उत्तर आधुनिकता की पहचान करते हुए डॉ. हेतु भारद्वाज ने कृष्ण बलदेव वैद कृत ‘विमल उर्फ जायें तो जायें कहाँ’ (1974 ई.) को इसके कथ्य और शिल्प के आधार पर पहला उत्तर आधुनिक उपन्यास एवं इसके रचनाकार को पहला उत्तर आधुनिक उपन्यासकार कहा है। इस उपन्यास की समीक्षा करते हुए डॉ. चन्द्रकान्त बांदिवाड़ेकर लिखते हैं कि-“कृष्ण बलदेव वैद की रचना ‘विमल उर्फ जायें तो जायें कहाँ’ (1974) एक अलग प्रयोग है। मनुष्य के अवचेतन मन के प्रवाह का यह चित्रण एक दिन

की अवधि की मानसिकता को अंकित करता है।.....सार्थक वाक्य रचना का एक बंधन स्वीकार कर सब प्रकार की छूट इसमें ली गई है। यह एक प्रयोगधर्मी रचना है, जिसको पढ़ना ज़रूरी है। असल में यह कलात्मक सौष्ठव या संरचना की तोड़मरोड़ और टूटे मनुष्य के सम्पूर्ण विघटन की त्रासदी व्यक्त करती है।”⁴ इस उपन्यास में वर्तमान समय में संशय की प्रमुखता बताने के साथ-साथ कहीं नहीं पहुँच पाने की पीड़ा व्यक्त हुई है, जो इसे उत्तर आधुनिक बनाती है। हालांकि इससे पूर्व श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास ‘राग दरबारी’ को उत्तर आधुनिकता से जोड़कर देखने का प्रयास किया जाता रहा है, जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है। ‘राग दरबारी’ उत्तर आधुनिकतावादी विशेषताओं से युक्त एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। वर्तमान समय में क्षरित होते मूल्यों की कथा है। इस कथा का केन्द्र एक कल्पित गाँव शिवपालगंज है, लेकिन यह कथा भारत के किसी गाँव की हो सकती है। इस उपन्यास में मूल्यहीनता, स्वार्थ, अवसरवादिता और अमानवीयता जैसे आधुनिकतावादी लक्षणों के साथ ऐसी स्थितियों की निर्मिति हुई है, जिससे यह एक अति यथार्थवादी रचना जान पड़ती है। यहाँ विकास के तमाम दावे और आदर्शवाद की परिणति यथास्थितिवाद में हो गई है, जो यह एक प्रकार की विद्रूप स्थिति है, लेकिन रचनाकार इसका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता और ना ही इस पर किसी विचारधारा का टैग लगाता है, बल्कि इसके पात्रों का संवाद और उसका मनमौजीपन

या खिलंदड़ापन उपन्यास की अंतर्पाठीयता के बहाने इसके कई अर्थ खोलते हैं। इस संबंध में रवि रंजन लिखते हैं-“विभिन्न सूत्रों एवं स्रोतों के सम्मिश्रण से रचित इसकी संरचना कोलाज की तरह है- एक ऐसी संरचना जिसमें समाज का मुकम्मल आईना दिखाने के लिए नानाविध क्षेत्रों (टुच्ची चुनावी राजनीति, गाँव देहात का जीवन, जात-पात, लंपटता, नौकरशाही, लालफ़ीताशाही, कुछ काव्य पंक्तियाँ, पूर्व रचित उपन्यासों का ज़िक्र, कई लोकप्रिय फिल्मी गाने आदि) की संयोजित सामग्री इस्तेमाल की गई है। इसके चलते राग दरबारी के औपन्यासिक पाठ में कई जगह एक विलक्षण अंतरपाठीयता है।”⁵ यही विशेषता इसे उत्तर आधुनिक बनाती है।

हिंदी के आरंभिक उत्तर आधुनिकतावादी उपन्यासों में वीरेंद्र जैन रचित ‘डूब’ (1991) उपन्यास का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। इसमें वर्तमान जीवन की बेहतरी के लिए होनेवाले विकास के विरुद्ध यथास्थितिवादी पात्र (माते) को नायकत्व प्रदान किया गया है, जो नायक की एक अलग अवधारणा है। ‘माते’ के माध्यम से बुंदेलखंड की कथा कही गई है। माते को आधुनिक विकास योजनाओं की राजनीति समझ नहीं आती, लेकिन वह विकास के नाम होनेवाले ‘विनाश’ को समझता है। तभी तो वह कहता है-“कैसा फरेब है ये? कितना बड़ा झूठ है ये? कैसी खुशहाली है ये? कैसा बांध है ये? नर बलि लेगा ये? धरती माता की बलि लेगा?

धोखा है ये। जो हमें लीलेगा वह औरों को भी लीलेगा।”⁶ इस उपन्यास में आधुनिकता के नाम पर होनेवाले परिवर्तनों का प्रति आख्यान प्रस्तुत किया गया है। आधुनिकतावादी विकास की प्रक्रिया में शहरों के हो रहे अंधाधुंध विकास की कीमत गाँव ही क्यों चुकाए। इन प्रश्नों से टकराने के क्रम में उपन्यास का विन्यास और सूत्र इसे उत्तर आधुनिक बनाते हैं। उत्तर आधुनिक भावबोध युक्त उपन्यासों में सुरेन्द्र वर्मा कृत ‘मुझे चाँद चाहिए’ (1993) अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उपन्यास में ‘सिलबिल’ के चाँद पाने की चाहत अर्थात् ‘अथाह यश पाने की चाहत’ के बाज़ार में बिकने की कहानी है। सरल शब्दों में कहें, तो यह उपन्यास पूँजीवादी युग में सपनों के खरीद-फरोख्त की शिनाख्त करता है, लेकिन कोई हल नहीं देता। इस उपन्यास में रचनाकार ने स्त्री विमर्श, उपभोक्तावाद और राष्ट्रीय इतिहास के परस्पर भिन्न-भिन्न बिंबों को एक साथ लाकर एक नया प्रभाव पैदा कर दिया है। यहाँ कई सारे बिंब एक साथ घुल-मिल गए हैं, जिससे उपन्यास में पाठ की भिन्नता को चिह्नित किया जा सकता है। यही बहु-पाठीयता इसे एक अलग पहचान दिलाती है और उत्तर आधुनिक बनाती है।

उत्तर आधुनिक उपन्यासकारों में मनोहर श्याम जोशी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके द्वारा लिखित-‘कुरु-कुरु स्वाहा’, कसप, हमज़ाद, क्वाप और ‘हरिया हरक्यूलीज’ की हैरानी’ (1994) कई अर्थों में उत्तर आधुनिक लक्षणों से युक्त दिखाई पड़ते हैं। कुरु कुरु स्वाहा

के प्रकाशन ने आधुनिक सौन्दर्यशास्त्र के प्रतिमानों को न केवल ध्वस्त किया, बल्कि इसे नए रूप में परिभाषित भी किया। इस उपन्यास में यथार्थ के कई स्तर एक साथ गतिशील हैं। इसमें खलीक के माध्यम से विचारधारा (मार्क्सवाद) का अंत दिखाया गया है। इसमें कथा का नायक, मनोहर श्याम जोशी का श्री टियर चरित्र व्यक्त हुआ है, अर्थात् उसके तीन चेहरे हैं। ये तीनों एक-दूसरे में जब चाहे गड़मड़ करते हैं, वहीं इसकी नायिका के हज़ार रूप हैं। कहानी का कोई भी पात्र स्थिर-चरित्र नहीं रहता, इसके किसी पात्र को हम पकड़ नहीं सकते। यह हमारे पहुँच से निकल जाता है। नायक की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए पहुँचेली कहती है-“ जिसके बारे में तुम्हें जिज्ञासा है, वह स्वयं जिज्ञासा है। जिसके लिए तुम भटक रहे हो, वह स्वयं भटकन है। जो भी गुण, जैसी भी क्रिया तुम्हें अपेक्षित हो। उसी हिसाब से कल्पना कर डालो।”⁷ यही उत्तर आधुनिकता का दर्शन है, जो आधुनिकता के एक सत्य और समग्रतावाद को खंड-खंड कर देखता है। ‘हरिया हरक्यूलिस की हैरानी’ मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित भाषिक खिलवाड़ युक्त उपन्यास है। लेखक ने परंपरागत नायकत्व को चुनौती देते हुए एक सीजोफ्रेनिक व्यक्ति को नायक बनाया है। रचनाकर ने थूक, शौच, अटके हुए मल, मुर्दा क्रिया कर्म आदि घिन्न लगनेवाले कार्यों में नायक को सिद्धहस्त बताते हुए साहित्य के आधुनिकतावादी शिष्टता और सौन्दर्यशास्त्र के मानकों को ध्वस्त कर दिया है। यही अप्रस्तुतियोग्य की प्रस्तुति है। इस उपन्यास

में पहले कभी हैरान न होनेवाले हरिया के साथ पाठक भी हैरान होते हैं कि गूमालिंग था कि नहीं, हरिया और हैरी स्मिथ एक थे या नहीं। इन प्रश्नों से कथा को अन्तर्पाठीयता मिलती है। पाठक अपने-अपने अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। मनोहर श्याम जोशी के अन्य रचनाओं में भी उत्तर आधुनिक तत्त्वों की पहचान आसानी से की जा सकती है।

इन उपन्यासों के अलावा विनोद कुमार शुक्ल का ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ का ज़िक्र ज़रूरी हो जाता है। यह उपन्यास स्वप्न और यथार्थ के बीच जीवन संसार रचता है। इसे विनोद कुमार शुक्ल ने जादुई यथार्थवादी शैली में प्रस्तुत कर हिंदी में एक नई कथा योजना की शुरुआत की है। इस उपन्यास में काव्य और कथा को, अतीत और वर्तमान को, स्मृति और समकालीनता को, भ्रम और यथार्थ एवं इतिहास और मिथक को एक साथ प्रस्तुत कर विरोधाभासी स्थितियों को एक साथ संजोया गया है। इस उपन्यास की भाषा में संवादधर्मिता अपने चरम पर है और बहुअर्थी पाठ देनेवाले हैं। शायद यही कारण है कि उपन्यास में आपसी संवाद में भी एक ‘खिड़की’ काम कर रही है, जो मध्यमवर्गीय परिवारों के चाहत का प्रतीक है। उनके द्वारा लिखे गए ‘खिलेगा तो देखेंगे’ में एक खुला अंत या निष्कर्षहीनता प्रकट हुई हैं, जो इसके भिन्न-भिन्न पाठों के लिए स्पेस प्रदान करती है।

उत्तर आधुनिकता केंद्रीयता के विरुद्ध विकेंद्रीयता की ओर जाने का दर्शन है। इस चिंतन

का एक महत्वपूर्ण रूप है, हाशिये के समाज की अभिव्यक्ति। वे अभिव्यक्तियाँ जो पूर्व में नहीं हो पाई थी और वर्तमान में अपने स्थानीयता के साथ बिना किसी लाग-लपेट के व्यक्त की जा रही है। वर्तमान साहित्यिक लेखन में जो 'अस्मिता विमर्श' और हाशिये का समाज तेज़ी से उभर रहा है, जिसमें उत्तर आधुनिकता की महती भूमिका है, इस कड़ी में हम तमाम ऐसे उपन्यासों को शामिल कर सकते हैं- जिनमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श आदि की अभिव्यक्ति हुई हो। अस्मितामूलक उपन्यासों ने शोषण के विविध पक्षों, इसके यथार्थवादी स्वरूप और इसके भिन्न-भिन्न आयामों को प्रस्तुत कर उपन्यास विधा को व्यापकता प्रदान किया है। अस्मितामूलक उपन्यासों में-मैत्रेयी पुष्पा का 'इदन्नम', 'चाक', 'अल्माकबूतरी', नमिता सिंह का 'अपनी सलीबें', नासिरा शर्मा की 'शाल्मली', जयप्रकाश कर्दम के 'छप्पर', मोहनदास नैमिशराय के 'मुक्तिपर्व' तुलसीराम का आत्मकथात्मक उपन्यास- 'मुर्दहिया' व 'मणिकर्णिका', गीतांजली श्री की 'माई' व 'अपना शहर उस बरस', चित्रा मुद्गल के 'आवां' और 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा', संजीव के 'सावधान: नीचे आग है', रणेन्द्र के 'ग्लोबल गाँव के देवता', महेंद्र भीष्म के 'मैं पायल', प्रदीप सौरभ के 'मुन्नी मोबाइल' आदि कई उपन्यासों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूधनाथ सिंह का 'नमो अंधकार' गिरिराज किशोर के 'ढाई घर' मिथिलेश्वर के 'यह अंत नहीं' एवं वीरेन्द्र सक्सेना

के 'खराब मौसम के बावजूद' आदि में भी उत्तर आधुनिक तत्त्वों की पहचान की जा सकती है।

निष्कर्ष

निरंतर परिवर्तित होते समय में साहित्यिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। विशेषकर आधुनिक साहित्यिक विधाओं में उपन्यास इस परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। चूँकि आधुनिक युग में जटिलतर होते संबंध और विकृत होते यथार्थ को उपन्यास के माध्यम से ही आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। मिलान कुंदेरा ने उपन्यास के बारे में कहा है- 'उपन्यास यथार्थ का नहीं अस्तित्व का परीक्षण करता है। अस्तित्व घटित का नहीं होता, वह मानवीय संभावनाओं का आभास है, जो मनुष्य हो सकता है, जिसके लिए वह सक्षम है।' उपन्यास निश्चित तौर पर जीवन के सच और संभावनाओं को हमारे सामने रखता है। उत्तर आधुनिक विचारधारा के प्रभाव ने हिंदी उपन्यासों की भावभूमि का विस्तार करते हुए पल-पल परिवर्तित होते जीवन संबंध में जीवन जीने के सूत्र भी प्रदान किए हैं। समकालीन समय में उपन्यासों में नवीन जीवन दृष्टि के भिन्न-भिन्न शेड्स देखने को मिल रहे हैं। इनकी भाषा, इनका शिल्प और इनका नायक नए मिजाज़ का है। इन उपन्यासों में जीवन के बेहद सामान्य से प्रसंगों के यथार्थ की असाधारण अभिव्यक्ति हुई है। यह उपन्यास जीवन की किसी समस्या का कोई समाधान नहीं प्रस्तुत करते, बल्कि अंतहीन खुलेपन के साथ विसर्जित होते जाते हैं। इसका कारण है कि आज के समय में

सभी समस्याओं का हल आदर्शों और नैतिकता से संभव नहीं है। आधुनिकता के मूल्य और आदर्श आज खंडित हो चुके हैं। उत्तर आधुनिकता ने हाशिये के समाज (सबाल्टर्न) को भी केंद्र में लाने के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। इन उपन्यासों अथवा आत्मकथात्मक उपन्यासों में 'अप्रस्तुति योग्य की प्रस्तुति' ने घुटन और अवसाद भरे मानव जीवन के अन्तर्मन को खोलकर इसे खुली हवा देने का काम किया है और सड़ने से बचा लिया है। एक ओर उत्तर आधुनिकता ने वाजिब अभिव्यक्तियों के लिए जगह बनाई, तो दूसरी ओर इसने मन के भड़ास को भी निकालने का मौका दे दिया है। खैर अब तो रचनाएँ 'टेक्स्ट' हो गई हैं, इसलिए यह पाठक का समय है और पाठक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पाठ अथवा टेक्स्ट में निहित भाषिक संरचना के माध्यम से अपने लिए एक संदर्भित पाठ का निर्माण करे।



संदर्भ ग्रंथ

1. कृष्णदत्त पालीवाल, उत्तरआधुनिकतावाद और दलित साहित्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण जनवरी-2020, पृष्ठ सं- 33
2. द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन: ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, जे.एफ़. ल्योतार्द; मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, इंग्लैंड, संस्करण-1984, पृष्ठ सं- 81 से अनूदित
3. आधुनिकता और हिंदी साहित्य, इन्द्रनाथ मदान, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण जनवरी-2006, पृष्ठ सं-145
4. बीसवीं सदी का हिंदी साहित्य, सं-विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ज्ञानपीठ वाणी प्रकाशन; नई दिल्ली, संस्करण -2012, पृष्ठ सं- 76-77
5. राग दरबारी: यथास्थितिवाद के विरुद्ध खड़गहस्त बतरस की कला, रवि रंजन
<https://www.hindisamay.com>
6. वीरेंद्र जैन, डूब (उपन्यास), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1998, पृष्ठ सं- 108
7. मनोहर श्याम जोशी, कुरु-कुरु स्वाहा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 134



डॉ. नवल पाल

गाँव साल्हावास, जिला झज्जर, पिन-124146, हरियाणा

संपर्क parbhakarnavalpal@gmail.com

किन्नर पीड़ा का कटीला दंश : पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा के संदर्भ में

शोध सारांश

आज विश्व धरातल पर हर समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसे उभयलिंगी, हिजड़ा, नपुंसक, किन्नर, खुसरा, थर्ड जेंडर, छक्का आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। 21वीं शताब्दी के लोग अपने आपको आधुनिक मानते हुए भी संकीर्ण सोच के दायरे की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पाए। समाज के सभ्य कहलानेवाले लोगों ने इस वर्ग को अनदेखा करने की कोशिश की है। समाज के साथ-साथ परिवार के लोगों ने भी इस वर्ग के साथ नाइंसाफी की है। इस नाइंसाफी के कारण ही यह वर्ग खुद को लाचार महसूस कर रहा है। चित्रा मुद्गल का उपन्यास (पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा) इस वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत एवं आशा की किरण बनकर मानवीय संवेदना से ओत-प्रोत दिखाई देता है एवं समाज का इस वर्ग के प्रति नज़रिया बदलने के लिए मार्गदर्शन बनता है।

बीज शब्द

1. पत्रात्मक शैली
2. किन्नर
3. संवेदना
4. स्मृति
5. आशावादी

मूल शोध

हिंदी साहित्य जगत में चित्रा मुद्गल प्रतिष्ठित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। चित्रा जी द्वारा लिखा हुआ पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा (2016) पत्रात्मक शैली में लिखा 224 पृष्ठों का उपन्यास है। इसमें विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ बिमली द्वारा अपनी माँ को 17 पत्रों के माध्यम से किन्नर जगत की पीड़ा के कटीले दंश एवं आशावादी सोच को चित्रित किया गया है। 23 जुलाई 2011 से 27 दिसंबर 2011 तक लगभग 5 महीने एक किन्नर पत्रों के माध्यम से परिवार की जानकारी लेता है एवं खुद की जानकारी देता है। नालासोपारा मुंबई का आखिरी रेलवे स्टेशन है। यहाँ विनोद की ज़िंदगी का सफर शुरू होता है। विनोद की भूतकाल की स्मृतियों के माध्यम से उपन्यास को आगे बढ़ाया गया है। वह अपने परिवार के पते पर पत्र नहीं भेज सकता, जिस कारण वह अपनी माँ को नया पोस्ट बॉक्स लेने की सलाह देता है। उसकी माँ पोस्ट बॉक्स ले लेती है, जिस पर वह पत्र भेजता है। उपन्यास

में विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ बिमली अर्थात् बार-बार उर्फ का प्रयोग थोड़ा-सा असामान्य प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति समाज में अपनी पहचान को तलाशने की कोशिश कर रहा हो। संवेदनाओं एवं भावनाओं से ओत-प्रोत यह उपन्यास अपनी अविरल धारा के प्रवाह में पाठक को बहाकर लिंगदोषी की पीड़ा को प्रश्न रूपी नाखूनों से परत-दर-परत कुरेदता चला जाता है। उपन्यास का नायक अपने परिवार से अलग होकर जिन कठिनाइयों एवं अत्याचारों का सामना करता है, उसे अपनी माँ को पत्रों के माध्यम से पूरे समाज से प्रश्न करता हुआ नज़र आता है।

यह उपन्यास किन्नर की पीड़ा के यथार्थ और स्मृति और विस्मृति के अनेक आयामों को छूता हुआ मानव के तीसरे रूप की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराता है। उपन्यास को पढ़ते समय किन्नरों के अनेक मर्मस्पर्शी अनुभव हमें कचोटकर रख देते हैं। पूरा उपन्यास संवेदना से ओत-प्रोत दिखाई देता है। इसी संवेदना का रचनात्मकता से अटूट एवं गहरा रिश्ता है। इसी संवेदना के माध्यम से रचनाकार किन्नर जगत के कटीले जीवन का सत्य उद्घाटित करता है।

उपन्यास में लिंगदोषी की पीड़ा को केंद्र में रखकर साहित्य सर्जन का बीड़ा उठाया गया है। किन्नरों का दर्द, घर से बहिष्कृत, दर-दर की ठोकें एवं आशावादी सोच द्वारा इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता चित्रा मुद्गल ने दिखाया है। पीड़ा के दंश एवं संवेदनशीलता के साथ-साथ आशावादी सोच का अथाह भंडार है। इस उपन्यास

में मुख्य पात्र विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ बिमली के माध्यम से जीवन की वास्तविक स्थिति को उजागर किया गया है। विनोद प्रमाणित करता है कि वह पढ़ाई में अपने सहपाठियों से कम नहीं है। अपने परिवार के प्रति उसके दिल में भी संवेदना है। मानसिक एवं शारीरिक बल में भी वह किसी से कम नहीं है, फिर भी उसे परिवार द्वारा परित्याग का पुख्ता कारण नज़र नहीं आता। विनोद का उपर्युक्त कथन सामाजिक व्यवस्था के दोहरे मापदंड करता हुआ लिंगदोष को सर्वोपरि माननेवाले नज़रिए पर प्रश्नचिन्ह लगाता दिखाई देता है। हमारा समाज शारीरिक और मानसिक विकलांगता को तो स्वीकार करता है, लेकिन लिंगदोष का बहिष्कार करता है, यह काफी आश्चर्यजनक है।

एक आशावादी किन्नर विनोद के माध्यम से नकारात्मक सोच के खिलाफ विद्रोह कर, स्वयं के उत्थान के लिए कुछ नया सीखने की जज़्बे से निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करता रहता है। विनोद का कहना है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा समाज में किन्नर तबके को बराबरी का दर्जा मिल सकता है। विनोद अपने साथी किन्नरों का पेशा नहीं अपनाना चाहता, क्योंकि उसे किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं, जिस कारण उसे अपने साथियों की जली-कटी भी सुननी पड़ती है, फिर भी वह विचलित नहीं होता। वह गाड़ियों को धोकर अपना जीवन निर्वाह करता रहता है। वह दूसरों को भी शारीरिक श्रम करने और आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा

बनता है। विधायक जी उसकी आशावादी सोच की प्रशंसा करते हुए कहते हैं-“ज़िल्लत की ज़िंदगी तू नहीं जीना चाहता, पुत्तर ! बुलंद हौसला है तेरा। तेरे जज़्बे को सलाम।”¹ वह अपने किन्नर साथियों से अभद्र भाषा का प्रयोग न करने के लिए समझाता है। उसका मानना है कि उनका अच्छा व्यवहार ही उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। उसकी आशावादी सोच से प्रभावित होकर पूनम श्रम करते हुए जीवन जीने का निर्णय कर लेती है।

अब प्रश्न उठता है कि वे भिक्षावृत्ति छोड़कर कौन-सा व्यवसाय अपनाएँ। “वर्जित बिरादरी को। शपथ लीजिए जहाँ से लौटकर आप किसी लिंगदोषी नवजात बच्चे-बच्ची को, किशोर-किशोरी को युवक-युवती को जबरन उसके माता-पिता से अलग करने का पाप नहीं करेंगे। उससे उसका घर नहीं छीनेंगे। उपहासों के लात-घुंसाओं से उसे ज़लील होने की विवशता नहीं सौंपेंगे। जलालत का नरक भोग कुछ नहीं सीखे आप? नहीं जानते। कौन लोग करते हैं आपका इस्तेमाल? वो, जो आपको इंसान नहीं समझते। आपके जीने-मरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरे के बावजूद वो आपकी मैयत को कंधा देने नहीं पहुँचते। आँसू नहीं बहाते। रूढ़ि नियति की है। जीवित रहते धिक्कार की चप्पलों से भी आपको पीटेंगे। मरणोपरांत वे आपको अपनी बिरादरी से पिटवाएँगे। जिनके नवजात शिशुओं को ढूँढ़-ढाँढ़, नाच-गाने, आशीषने पहुँचते हैं, आप उन्हीं के घर दूसरे रोज़ पहुँचकर देखिए,

घर का दरवाज़ा आपके मुँह पर भेड़ दिया जाएगा।”² क्या हमारा समाज उन्हें इन रूपों में अपनाने के लिए तैयार है अर्थात् इस समुदाय को अपनाने के लिए समाज को प्रेरित करना होगा।

सर्वप्रथम हमें उन्हें मनुष्य के रूप में स्वीकार करने की ज़रूरत है। यहाँ उसे समाज के तानों को सुनना पड़ता है, इनके सरदार मानसिक और शारीरिक यातनाएँ देकर बची कसर पूरी कर देते हैं। इस तबके के कुछ लोग सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ खुद को बदलना चाहते हैं, तो उनका दायरे का अतिक्रमण भी किन्नर समुदाय एवं हमारे समाज को मंज़ूर नहीं। हमारा समाज श्रम करने, स्वाभिमान से जीने में कई मुश्किलें पैदा करता है। समाज द्वारा भेदा मज़ाक किया जाता है। विनोद और पूनम के द्वारा गाड़ियों को धोने का कार्य करने पर लोग भेदी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, लेकिन विनोद पूनम को समझाता है कि कुछ नया करेंगे, तो मुश्किलें अवश्य आएँगी। अतः इन मुश्किलों का डटकर सामना करना है।

इस उपन्यास में कुछ दूरियाँ एवं त्रास भी है। विनोद के परिवार में मोटा भाई अपने होने वाले बच्चे को लेकर सदैव आशंकित रहता है। वे अपनी शंका का समाधान अल्ट्रासाउंड करवाकर करना चाहते हैं। उन्हें लड़का-लड़की तो पसंद है, लेकिन विनोद की तरह लिंगदोषी पसंद नहीं है। परिवार नहीं चाहता कि उन्हें ज़िल्लत का सामना करना पड़े। “कालबादेवी वाले घर की काली परछाई, उस घर को बेच देने के बावजूद इस नए घर से अलग नहीं हो पाई है। उस काली

परछाई के दंश से वह अपनी औलाद को दूर रखना चाहता है। फिर वह मेरी ओर मुड़ा था तैश से उबलते हुए।.... तुम भले कभी उस काली परछाई का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाती तो क्या बिना वजह तीज-त्योहार पर तुम्हारी भर-भर आती आँखें.....उसे जबरन खींच लाती हैं इस घर में।”³ विनोद का मोटा भाई विनोद को काली परछाई कहकर बुला रहा था, लेकिन प्रकृति ने जो नाइंसाफी की है उसमें विनोद का क्या दोष है।

विनोद भावुक प्रकृति का है। वह अपनी बा के पत्र न मिल पाने के कारण भावुक होता रहता है। इसमें उसे परिवार द्वारा अलगाव की बू नज़र आती है। वह ‘राइट टू एजुकेशन’ के माध्यम से रास्ता खुलने पर इंदिरा गाँधी ओपन यूनिवर्सिटी से पत्राचार कोर्स करना चाहता है। उसके लिए वह अपनी माँ से अनुमति माँगता है कि वह फार्म में उनके बेटे के रूप में नाम भर दे। वह कंप्यूटर का कोर्स भी करता है, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। “बा...! तुझे लग रहा है न कि मैं इतना ही समझदार हूँ तो क्यों तुझे बार-बार कोंचकर तकलीफ पहुँचाने की क्षुद्र कोशिश करता हूँ। कोसता तो मैं उन लोगों को भी हूँ बा, जिन्होंने मुझे हाशिए के इस नर्क में बित्ताभर जगह टिकने के लिए मुहैया की है, लेकिन इस सच से भी मुँह कैसे मोड़ लूँ और मोड़ भी नहीं पाता कि मेरी इस दुर्गति के पीछे, उन्हीं का हाथ है।”⁴ विनोद इस नर्क की छाती में भी जीना नहीं चाहता। इस नर्क से बाहर निकलने के लिए शिक्षा उसकी ज़िंदगी में आनेवाले भूकंपों को रोक देगी। वह अपने मकसद में सफल होना चाहता है।

चित्रा ने उच्च वर्ग के लोगों को बेनकाब करने का प्रयास किया। पूनम जैसे इस तबके के लोग समाज के उच्च वर्ग के लोगों की हवस का शिकार बनते हैं। “पाशविकता का नृशंस नाच चरम पर पहुँचकर बारी-बारी स्खलित हो गया।”⁵ जिसमें कोई न्याय न कोई पुलिस केस होता है, बल्कि बच्चों की गलती कह कर टाल दिया जाता है। किन्नर की शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा को देखकर यह गूँगा एवं बहरा समाज मौन क्यों हो जाता है। लिंगदोषी, गालियों की बौछार करनेवाले, ज़िद्दी इस संसार की भीड़ में कितने अकेले एवं कटीला दंश झेल रहे हैं, जो एक आम इंसान की सोच समझ से बहुत परे है। इन लिंगदोषी बच्चों को तब तक न्याय नहीं मिल सकता, जब तक किन्नर समुदाय द्वारा परिवारों में डर पैदा करना बंद नहीं किया जाता एवं इन लिंगदोषी बच्चों को परिवार में सामान्य जीवन जीने नहीं दिया जाता। जब तक इनको परिवार से अलग करने की हठधर्मिता खत्म नहीं होती, तब तक इनमें सुधार लाना मुश्किल है। सदियों से किन्नर समुदाय की पीड़ा के लिए यह समुदाय खुद ज़िम्मेवार है, क्योंकि किन्नर परंपरावादी सोच की परिधि के दायरे से जीवन बाहर नहीं निकाल पाते।

चित्रा मुद्गल ने अपने उपन्यास में पारंपरिक काम को चुनौती देकर काम चुनने को कहा है, जिसमें श्रम तो हो, लेकिन शर्म नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में उनका कथन देखें-“इस अवमानना को झेलने से इंकार कीजिए। कुली बनिए, मिस्त्री बनिए, ईंट गारा ढोइए, जो चाहे सो कीजिए।

पाएँगे महंत के कोर की तृप्ति.....मानता हूँ
बा आरक्षण निदान नहीं है। आत्म चेतना बुनियादी
अधिकारों की माँग का पहला पायदान है।”⁶

मनुष्य ने जब से मुख्य ज़रूरतों (रोटी, कपड़ा और मकान) से अधिक सोचना शुरू किया है, तब से समाज कई वर्गों में विभाजित हो चुका है। यहीं से स्त्री-पुरुष दो वर्गों का विभाजन हुआ, लेकिन किन्नर तबके को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। जिस कारण इस वर्ग की स्थिति दयनीय बनी हुई थी। समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जाता अर्थात् उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है, जिस कारण इस वर्ग को लड़का होने पर बधाई माँगने, रेलगाड़ी के अंदर भिक्षावृत्ति करके और यौन शोषण के अलावा कोई कार्य नहीं मिलता। आखिर ये किन्नर कौन हैं? किन्नर समाज की ही देन है। परिवार के लोग आपसी मज़ाक, प्रतिष्ठा में आंच के डर से इन्हें त्याग देते हैं। परिवार में न रह पाने का कारण कहीं न कहीं यह किन्नर समाज भी उत्तरदायी है, क्योंकि जब किसी के घर में थर्ड जेंडर का जन्म होता है, तो किन्नर समाज के लोग खुद ही उन्हें घर पर टिकने नहीं देते और अपने साथ ले जाते हैं। “यह भीतर से खोखले और डरे हुए लोगों की जमातें हैं। यह चाहते हैं जिस विशेष परिभाषा से उन्हें मंडित किया गया है, उसी रूप में ही सही, उनकी भी एक संगठित उपस्थिति समाज में बने। उनकी ताकत में इजाफा हो। ढूँढते फिरते हैं जननांग, विकलांगों को, इसीलिए। कहीं से कोई टोह मिल जाए। गुरु परंपरा से दीक्षित कर बनाए रखना

चाहते हैं उस एकता को जो उन्हें आपस में जोड़े रहे।”⁷ इस वर्ग की नेटवर्किंग बहुत तेज़ होती है। किस घर में कौन-सा बच्चा पैदा हुआ है, इन्हें पहले ही पता चल जाता है। हमारे घर में कोई विकलांग बच्चा पैदा हो जाए, तो हम उसकी भी तो देखभाल करते हैं, फिर किन्नर बच्चा पैदा हो जाए, तो उसकी देखभाल हम क्यों नहीं कर सकते क्यों किन्नर समाज उन्हें परिवार से अलग कर देता है किन्नर वर्ग समाज को त्याग कर उस नन्हे किन्नर को किन्नर वर्ग में शामिल करने के लिए उतावला रहता है।

किन्नर की पीड़ा को आत्मलाप के द्वारा जाना जा सकता है। सभी को उसके काम असामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन उसके लिए यह सब सामान्य काम होते हैं। उसकी आत्मा और शरीर जो कहते हैं, वह वही काम करता है। उसमें स्त्रियों की तरह हरकतें न होने के कारण ही उसे हिजड़ा, किन्नर आदि कहकर दुत्कारा जाता है। विनोद में कोई भी हरकत हिजड़ों की नहीं है और न ही वह उनकी तरह बनना पसंद करता है।

माँ-बाप द्वारा समाज के डर से उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच सड़क पर विनोद की मौत दिखाकर लाश न मिलने की अफवाह फैला दी जाती है, इसके बाद विनोद की बा बंदना बेन शाह बीमार रहने लगती है। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया। बंदना बेन शाह मरने से पहले माफीनामा एवं विनोद की घर वापसी की अपील करते हुए समाचार पत्र में कहती है-“मैं बंदना बेन शाह पत्नी श्री हरेंद्र शाह-सार्वजनिक रूप से घोषणा

करती हूँ, दिनांक 22 नवंबर 2011 को अपने पूरे होशोहवास में कि मैं अपने तीनों बेटे सिद्धार्थ शाह, विनोद शाह, मंजुल शाह में से मंजुल बेटे विनोद शाह, लिंगदोष के चलते बरसों पहले हमने जबरन किन्नर चंपाबाई को सौंपकर दुर्घटना में उसकी मृत्यु होने का नाटक रचा था, लोकापवाद के भय से उस भूल का परिष्करण करना चाहती हूँ। अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करें। अपनी बा का सपना पूरा करने के लिए।”⁸ वह चाहती है कि उसके तीनों बेटे उसे मुख्वाग्नि दें।

निष्कर्ष

जब से साहित्य में किसी विधा के रूप में इन पर लिखा गया है, तब से समाज का नज़रिया इनके प्रति बदलता नज़र आ रहा है। यदि ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन के आवासीय स्कूलों में इस वर्ग के लिए ‘ही’ अथवा ‘शी’ न होकर ‘जी’ संबोधन के आदेश दिए गए हैं, ताकि इस वर्ग को भी इज्जत की दृष्टि से देखा जा सके। इस वर्ग को मनुष्य के रूप में संविधान में दर्जा देने के लिए सदियों का वक्त लग गया। वर्ष 2009 में बड़े आंदोलन के बाद इन्हें तृतीय लिंग के रूप में मान्यता मिली। 2009 में ‘अन्य श्रेणी’ में शामिल कर मतदान का अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को अपने ऐतिहासिक फैसले में किन्नर वर्ग को एक नई पहचान दी है। सरकारी नौकरियों के लिए दस्तावेज़ों में भी थर्ड जेंडर का अलग कॉलम दिया जाने लगा है। अब इन्हें बच्चा गोद लेने, शादी करने, तलाक लेने के साथ-साथ राज्यों के द्वारा चलाई गई भावी योजनाओं का भी लाभ मिल

सकता है। हिंदी साहित्य और समाज की मानसिकता अभी भी पूर्वगृहपूर्ण दायरे से बाहर नहीं आ पा रही और इन्हें स्वीकार करने में घुटन महसूस कर रहा है, लेकिन धीरे-धीरे यह भी सामान्य लोगों की तरह जीवन व्यतीत करने लगेंगे।



संदर्भ सूची

1. चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 39
2. चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 186-187
3. चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 23
4. चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 50
5. चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 205
6. चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं-187
7. चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 50-51
8. चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 222



देशमुख निलेश शिवाजी, Ph.D. शोधार्थी, (हिंदी विभाग)
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005, उत्तर प्रदेश
संपर्क nilesdh2112@gmail.com

आदिवासी साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र

शोध सारांश

हिंदी साहित्य में दलित व स्त्री विमर्श के बाद आदिवासी विमर्श पर सबसे अधिक संगोष्ठियों एवं परिचर्चाओं का आयोजन होने लगा है। कुछ वर्ष पूर्व तक आदिवासियों के नाम, संस्कृति, सभ्यता, तो कभी उनके अस्तित्व और अस्मिता का प्रश्न उठता था, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है 'आदिवासी दर्शन' और 'आदिवासी सौन्दर्यबोध' के अध्ययन का। आदिवासी साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र आदिवासी के जीवनबोध और मूल्यबोध से बनता है। उनकी जीवन शैली में बड़ी मात्रा में विविधताएँ देखने को मिलती हैं। इन विविधताओं में उनका सौन्दर्य अंतर्निहित होता है। आदिवासी जीवन के परिपेक्ष्य में देखें, तो उनके छोटे से छोटे पहलुओं को भी इसमें समाहित किया जाता है। आदिवासी जीवन दृष्टि का विकास उनके रोज़मर्रा के कार्यों एवं गीत-संगीत-नृत्य से भी परिलक्षित होता है। इनके गीत-संगीत-नृत्य में विकास की एक लंबी परंपरा देखने को मिलती है। आदिवासी सौन्दर्यशास्त्र अभी भी गर्भस्थ अवस्था में ही है। इसलिए आदिवासी

विद्वानों को इस तरफ भी लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए।

बीज शब्द

1. आदिवासी 2. सौन्दर्यशास्त्र 3. साहित्य
4. समाज 5. दर्शन 6. गीत 7. संस्कृति

मूल शोध

आदिवासी साहित्य के सौन्दर्यशास्त्र पर एक दशक पहले किसी भी प्रकार की चर्चा बहुत अल्प स्वरूप में पढ़ने, सुनने को मिलती थी। सौन्दर्यशास्त्र का अपना स्वतंत्र दर्शन, सिद्धांत व वाद है। इसलिए किसी भी साहित्य के बारे में कोई विशिष्ट दृष्टिकोण बनाने से पहले हमें उसके दर्शन व सौन्दर्यशास्त्र के कुछ पैमानों के आधार पर भी देखना होगा, तब सही अर्थ में उस समाज का सही मूल्यांकन हो पाएगा। आदिवासी समाज पर चर्चा करने से पहले आदिवासी शब्द और परिभाषा को सही अर्थों में हमें समझना चाहिए। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आदिवासी कौन है और आदिवासी किसे कहा जाता है? यह एक सवाल हमेशा भ्रमित करता रहा है। विशेषकर उस समय,

जब कोई गैर आदिवासी बिना जाने-समझे और किसी आदिवासी की पुस्तक को पढ़े बगैर और न किसी आदिवासी बस्ती में जाते हुए ही अपनी सीमित मानसिकता बनाकर लिखता एवं बताता है, उस समय सबसे अधिक भ्रम पैदा होता है। इसलिए सबसे पहले 'आदिवासी' की परिभाषा को जानना ज़रूरी होता है।

आदिवासी साहित्य को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध मराठी आदिवासी साहित्यकार डॉ. विनायक तुमराम कहते हैं-“आदिवासी साहित्य वन संस्कृति से सम्बन्धित साहित्य है। आदिवासी साहित्य वन जंगलों में रहनेवाले उन वंचितों का साहित्य है, जिनके प्रश्नों का अतीत में कभी उत्तर ही नहीं दिया गया। यह ऐसे दुर्लक्षितों का साहित्य है, जिनके आक्रोश पर मुख्यधारा की समाज व्यवस्था ने कान ही नहीं धरे। यह गिरी-कन्दराओं में रहनेवाले अन्याय ग्रस्तों का क्रांति साहित्य है। सदियों से जारी क्रूर और कठोर न्याय-व्यवस्था ने जिनकी सैकड़ों पीढ़ियों को आजीवन वनवास दिया, उस आदिम समूह का मुक्ति-साहित्य है आदिवासी साहित्य। वनवासियों का क्षत जीवन, जिस संस्कृति की गोद में छुपा रहा, उसी संस्कृति के प्राचीन इतिहास की खोज है यह साहित्य। आदिवासी साहित्य इस भूमि से प्रसूत आदिम-वेदना तथा अनुभव का शब्दरूप है।”¹

प्रसिद्ध आदिवासी एक्टिविस्ट व कवयित्री रमणिका गुप्ता कहती हैं-“मैं आदिवासी साहित्य उसी को मानती हूँ, जो आदिवासियों ने लिखा

और भोगा है। उसे आदिवासी समस्याओं, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों तथा उनकी जीवन-शैली पर आधारित होना होगा। अर्थात् आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के लिए आदिवासियों पर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य कहलाता है।”²

वर्तमान संदर्भ में-“आदिवासी शब्द का प्रयोग विशिष्ट पर्यावरण में निवास करनेवाले, धार्मिक परम्पराओं को मानने और उन पर प्रगाढ़ आस्था रखने वाले, सदियों से जंगलों, कन्दराओं और पहाड़ों के रूप में परिलक्षित किया जाता है।”³ आदिवासी वह है, जो अपनी पुरातन सभ्यता एवं परम्परा का विकास करते हुए, मूल रूप से इस देश का मालिक है। लेकिन आज उसे ही किनारे कर गैर आदिवासी इस देश के मालिक बन बैठे हैं। शुरू से आदिवासियों और आदिवासी के साहित्य का दरकिनार कर मुख्यधारा ने अपना वर्चस्व निर्मित किया है।

आदिवासी साहित्य पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार होता रहा है। लेकिन उनके अस्तित्व और अस्मिता का सवाल आज भी है, बीच-बीच में उनके विस्थापन का सवाल भी अंकुरित होता है। आदिवासी समाज में जीवन पद्धति एवं विचारबोध के साथ-साथ सौन्दर्यबोध पहले से ही परिपक्व स्थिति में उपलब्ध नहीं होता, लेकिन आज उनके वाचिक परम्परा एवं साहित्य से हमें समझना चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज उनसे सीखने की ज़रूरत महसूस हो रही है। आदिवासी साहित्य

पर बहुत सारे विद्वान बने बनाए ढांचे के आधार पर अपने चश्मे से आदिवासियों को आंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज आदिवासी की कलम से ही आदिवासियों के साहित्य को समझने की ज़रूरत है। आदिवासी समाज का अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपनी संस्कृति होती है, अपनी परम्परा है, अपना दर्शन है, जिससे वह इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूर अपनी संस्कृति और प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन करते हुए अपना जीवन बिताता है। लेकिन आज पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पृथ्वी के गर्भ से सारी सम्पदा निकाली जा रही है, उनकी ज़मीन कॉर्पोरेट के निशाने पर है। ऐसे में वह खुद का संरक्षण भी बड़े ही जद्दोजहद में कर रहा है। उनके यहाँ सौन्दर्य का दूसरा नाम संघर्ष है। इसलिए साहित्य के सृजन व संघर्ष से ही आदिवासी साहित्य का, सौन्दर्यशास्त्र का निर्माण होता है।

सौन्दर्यशास्त्र वह शास्त्र है, जिसमें कलात्मक कृतियों रचनाओं आदि से अभिव्यक्त होनेवाला अथवा उनमें निहित रहनेवाले सौन्दर्य का तात्त्विक और मार्मिक विवेचन होता है। यह सौन्दर्यपरक मूल्यों पर विमर्श है, जो विशेषतः रस की प्रसमीक्षा से अभिव्यंजित होता है। आदिवासी जीवन की अपनी भावभूमि है, सौन्दर्यबोध है, विश्वदृष्टि है। साहित्य में मानवीय मूल्यों एवं सहअस्तित्व में अटूट विश्वास ही उसकी विशेषता है। आदिवासी दर्शन में प्रकृति और पुरखों के प्रति आभार का भाव निहित होता है। यह साहित्य समूचे जीव-जगत को समान महत्त्व देकर मनुष्य की श्रेष्ठता के दंभ

को खारिज करता है। सौन्दर्यशास्त्र आदिवासी को और उनके साहित्य को देखने की एक नयी दृष्टि प्रदान करता है।

किसी भी व्यक्ति के अंदर सौन्दर्यबोध का होना ज़रूरी है। बिना सौन्दर्यबोध के उसका जीवन अधूरा है। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है मगर मन स्वच्छ होगा, तो चरित्र भी अच्छा होगा और जब चरित्र अच्छा होगा, तभी हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से आदिवासी अपने आस-पास के प्रकृति, संस्कृति को सुन्दर से सुन्दर दृष्टि से देखता है। इन सहजता, आत्मीयता और सामाजिकता से वह सबको स्वीकारता है और एक जैसे ही समझता है। इसलिए उनका सौन्दर्यबोध अपने आप में विशिष्ट है। आदिवासी सौन्दर्यबोध को जानने के लिए उनकी बस्ती में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह उनकी विचारधारा है, किस तरह से किसी को भी रंग, वर्ण, गरीब की दृष्टि से नहीं देखता। सबको सौन्दर्यवादी दृष्टि से देखने का पक्षपाती है। उनके यहाँ सब कुछ सुंदर है। आज हमें किसी भी व्यक्ति या समाज में श्रेष्ठता का भावबोध त्यागकर घृणा से वैराग्य स्थापित कर इन आदिवासी गीतों के उपमानों को जगह देने की आवश्यकता है। इन भिन्नताओं को लेकर भिड़ने के बजाए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। यही किसी भी साहित्य का महत्त्व व उद्देश्य भी होता है। जब तक इस तरह से आदिवासी की दृष्टि एवं विचारधारा को नहीं जानेंगे, तब तक उस व्यक्ति का ज्ञान अधूरा ही समझा जाएगा।

संसार में हर एक रीति-रिवाज़ और सांस्कृतिक प्रदर्शन, मौखिक परंपरा और लोक-रूपों का ऋणी है, जिन्हें हम कला के अर्थ और धर्म के नाम पर अलग-अलग करके देखते हैं। वे सभी उसी जीवन-व्यापार में समाहित हैं। **“व्यक्ति का स्वभाव, सौन्दर्यबोध और उसका विश्व दृष्टिकोण बचपन में आकार ग्रहण करते हैं और बाद में जीवन में दृढ़ होते जाते हैं। ये ही शाब्दिक और शब्दातीत परम्पराएँ गढ़ती हैं। व्यापक निरक्षर संस्कृति में हर कोई चाहे वह गरीब हो या अमीर, सवर्ण हो या शूद्र, प्रोफेसर हो या पंडित अथवा अज्ञानी, इंजीनियर हो या फेरीवाला- अपने भीतर एक बड़ा निरक्षर उपमहाद्वीप लिए होता है।”**⁴ वर्तमान समय में हमें प्रकृति के अनुपम सौन्दर्य को निखारने के लिए आदिवासी परंपरा को बरकरार रखने की ज़रूरत है। आदिवासी परंपराओं को जब तक हम संभालेंगे नहीं तब-तब प्रकृति के साथ-साथ हम सभी नष्ट होते रहेंगे। आज जिस तरह से प्रकृति का दोहन सभी जगह कमोबेश एक जैसे हो रहा है। ऐसे में किसी से किसी भी प्रकार की उम्मीद करना बेकार है। हर कोई अपने लाभ के लिए कार्य करता है। वह कभी भी समाज का विचार नहीं करता, लेकिन आदिवासी समाज अपने साथ-साथ आनेवाली नस्ल व सभी व्यक्तियों को शुद्ध हवा मिले, जल मिले इसके लिए प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन करता है।

जिस प्रकार से दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र सवर्ण वर्चस्व या मुख्यधारा के सौन्दर्यशास्त्र से भिन्न है, वैसे ही आदिवासी साहित्य

का सौन्दर्यशास्त्र भी सवर्ण वर्चस्व अर्थात् मुख्यधारा के सौन्दर्यशास्त्र से भिन्न है। “आदिवासी साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र प्राकृतिक दर्शन पर आधारित है। इसके केंद्र में उच्च मानवीय मूल्य होते हैं। इस सौन्दर्यशास्त्र में मनुष्यों के साथ पेड़-पौधों और जीव जंतुओं, नदि-नालों और पहाड़ों के लिए भी जगह होती है। **“आदिवासी सौन्दर्यशास्त्र में अलग से किसी ‘वाद’ को चलाने की ज़रूरत नहीं है। यह अपनी मौलिकता और स्वाभाविकता के लिए जाना जाता है और हर प्रकार के बनावटीपन का निषेध करता है। यह सामुदायिकता के दर्शन पर आधारित सौन्दर्यशास्त्र है, जिसके केंद्र में प्रेम, भाईचारा, संवेदना और जीवन है।”**⁵ आदिवासी साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र सबसे अधिक जहाँ कहीं दिखाई देता है वह है उनके गीत, कविता आदि में।

सौन्दर्यशास्त्र भारतीय साहित्य के लिए एक नया शब्द रहा है। इसके पहले भारतीय साहित्य में इस शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। इसका निर्माण ऐस्थेटिक्स के पर्याय के रूप में किया गया। ऐस्थेटिक्स वैसे तो यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ है ऐंद्रिय संवेदना। पाश्चात्य साहित्य में सबसे प्रथम बाइमगार्टन ने प्रस्तुत संदर्भ में उक्त शब्द का प्रयोग कर इस बात पर बाल दिया था कि सौन्दर्य मूलतः एक प्रकार का ऐन्द्रिय संवेदन ही है। “परंपरा के अनुसार सौन्दर्यशास्त्र दर्शन की एक शाखा है, जिसका विवेच्य विषय है- कला और प्रकृति का सौन्दर्य।” सौन्दर्यशास्त्र के स्वरूप का वर्तमान में अधिक विस्तार हुआ है। वास्तविक

अर्थ में सौन्दर्यशास्त्र ऐन्द्रिय संवेदना का विज्ञान है, जिसका लक्ष्य है सौन्दर्य। बिना सौन्दर्य के किसी भी वस्तु को देखने का नज़रिया साफ नहीं होगा। मनुष्य को किसी भी वस्तुओं को देखने से पहले अपने विचारों को, हृदय को उसी दृष्टि से देखना होगा, जिसे वह देख रहा है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पौधे को देख रहा है और उसे लगे कि इस पौधे से बाद में छांव, फल-फूल मिलेगा। यह जीवन उपयोगी है, तो वह उसे अत्यंत सुंदर कहेगा, लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति उस पौधे को देखकर उसके मन में आएगा कि यह पौधा यहाँ किसी काम का नहीं है। इन दोनों ही दृष्टियों को देखते हैं, तो अंतर समझ में आ जाता है। इनमें प्रथम व्यक्ति की सौन्दर्यवादी दृष्टि साफ देखने को मिलती है। यह प्रथम दृष्टि ही आदिवासी समुदाय में कार्य करती है। वे किसी भी वस्तु, वह सजीव हो या निर्जीव, कीट-पतंगा हो या संपूर्ण प्रकृति, उसे एक ही दृष्टि से देखता है। उन्हें इनसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती।

सौन्दर्यशास्त्र की परिभाषा देखते हैं, तो मालूम होता है कि वास्तविक रूप में सौन्दर्यशास्त्र है क्या इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में कहा गया है कि-“**सौन्दर्यशास्त्र, कलाओं और उनसे संबंध (मानव) व्यवहार तथा अनुभूति का सैद्धांतिक अध्ययन है। परम्परा के अनुसार यह दर्शन की एक शाखा है, जिसका प्रयोजन है सौन्दर्य तथा कला और प्रकृति में अभिव्यक्त उसके बहुविध रूपों का अध्ययन।**”⁶ इस परिभाषा से स्पष्ट होता

है कि सौन्दर्यशास्त्र में मनुष्य और कला के संबंध से सृजित अनुभूति का अध्ययन सही अर्थ में सौन्दर्यशास्त्र है।

डॉ. नगेन्द्र के अनुसार-“**सौन्दर्यशास्त्र ललित कलाओं के रूप में अभिव्यक्त सौन्दर्य से सम्बन्धित मौलिक प्रश्नों के तात्त्विक विवेचन और उसके परिणामी सिद्धांतों की संहिता का नाम है।**”⁷ अर्थात् सौन्दर्यशास्त्र में विविध कलाओं तथा सौन्दर्य के सभी मौलिक प्रश्नों व सिद्धांतों का विवेचन होता है।

सौन्दर्यशास्त्र संवेदनात्मक-भावात्मक गुण-धर्म और मूल्यों का अध्ययन है। कला, संस्कृति और प्रकृति के प्रति अंकन ही सौन्दर्यशास्त्र है। सौन्दर्यशास्त्र दर्शनशास्त्र का ही एक अंग है, इसे सौन्दर्य की मीमांसा तथा आनंद मीमांसा भी कहते हैं। प्रकृति में सर्वत्र सौन्दर्य विद्यमान होता है। सौन्दर्यशास्त्र वह शास्त्र है, जिसमें कलात्मक कृतियों, रचनाओं आदि से अभिव्यक्त होनेवाला अथवा उनमें निहित रहनेवाले सौन्दर्य का तात्त्विक, दार्शनिक और मार्मिक विवेचन होता है। किसी सुन्दर वस्तु को देखकर हमारे मन में जो आनंददायिनी अनुभूति होती है, उसके स्वभाव और स्वरूप का विवेचन तथा जीवन की अन्य अनुभूतियों के साथ उसका समन्वय स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। सौन्दर्यशास्त्र दर्शन की एक शाखा है, जिसके तहत कला और सुंदरता से संबंधित प्रश्नों का विवेचन किया जाता है। सौन्दर्यशास्त्र का अर्थ होता है इंद्रिय जनित अनुभूति। हम हमारे इंद्रियों से सौन्दर्य को ग्रहण

करते हैं। लेकिन आज उन इंद्रियों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डाला जा रहा है। उन्हें आज नियंत्रित व वश में किया जा रहा है। इन्हीं इंद्रियों के सहारे कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता सुनता व पढ़ता है।

आदिवासी सौन्दर्य को समझने के लिए वाचिक गीत, कविता आदि विधाओं के साथ उसे देखने की दृष्टि भी बदलनी चाहिए। जिस प्रकार कविता का सौन्दर्य अलग होता है, वैसे ही उपन्यास का अपना सौन्दर्य है। इसलिए इसे सबसे पहले समझना ज़रूरी होता है। आज का सौन्दर्यबोध भावभूमि, विचारभूमि, मनोभूमि से सम्बन्धित होने से उस भावभूमि, विचारभूमि और मनोभूमि पर हमले किए जा रहे हैं। आदिवासी सौन्दर्यशास्त्र के केंद्र में सहजीविता होगी, सामूहिकता व पारस्परिकता होगी, सामुदायिकता होगी, प्रेम होगा और जीवन होगा; उसे सौन्दर्यवादी दृष्टि से देख सकते हैं। वर्तमान में इस सौन्दर्यबोध की रक्षा करनी है। इसकी रक्षा कैसे होगी, इसे हमें अपनी साहित्यिक रचना में हो, चाहे कविता, बिम्ब, प्रतीकों के ज़रिए हो या इसकी केवल रक्षा और संरक्षित ही नहीं करना है, इसे अपनी रचना में उतार कर लोगों तक ले जाना है और इसके लिए उस आलोचना दृष्टि की बहुत अधिक आवश्यकता है, जो हमें लगता है कि आदिवासी साहित्य के भीतर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के सौन्दर्य को श्रम और संघर्ष के बिना अलग नहीं कर सकते और बिना संघर्ष के कोई सृजन भी नहीं होगा। आदिवासी सौन्दर्य का संबंध संघर्ष से है, जहाँ

सृजन है वहाँ संघर्ष है ही। आदिवासी के यहाँ सौन्दर्य, संघर्ष और सृजन का परस्पर संबंध परिलक्षित होता है।

प्रकृति-सौन्दर्य के प्रत्यक्ष भाव और चिंतन से कला का जन्म होता है और कला निबद्ध सौन्दर्य के भाव तथा चिंतन से सौन्दर्यशास्त्र का, कला चिंतन का विकास विविध दृष्टि से होता है, जिसमें कभी प्रकृति के सुंदर वातावरण में निकलना पड़ता है, कभी गीत-संगीत-नृत्य से आनंद लेना पड़ता है। इनका अप्रत्यक्ष संगीत नदी का बहना, पक्षियों की आवाज़ हमें प्रकृति के सान्निध्य में ही मिलती है।

आदिवासी दर्शन के स्वरूप एवं उसके पहचान के बारे में कह सकते हैं कि प्रकृति के सान्निध्य में रहना, मानवेतर प्राणी जगत के साथ सह-अस्तित्व, अपने आप में खुलापन, सामूहिकता, सहभागिता, आदिवासी संस्कृति, जीवन शैली, उनकी अपनी समस्याएँ, स्वतंत्रता, जल-जंगल-ज़मीन-जानवर, मातृभाषा, इतिहास, भूगोल, लोककथाएँ, मुहावरे, मिथक आदि सब आदिवासी दर्शन के अंतर्गत निहित हैं। आदिवासी दर्शन में सौन्दर्यबोध होता है। यह सौन्दर्य प्रकृतिगत समता, सहजता, निश्चलता एवं सामूहिकता से बनता है। आदिवासी समाज जिस प्रकार रचनात्मक है उसी प्रकार उनका साहित्य सृजनात्मक भी है। आदिवासी समाज में जितना मनुष्य को महत्त्व है, उतना ही महत्त्व पशु-पक्षियों, नदियों, झरनों, पहाड़, वनस्पति, कीट-पतंगों, पेड़-पौधों अर्थात् प्रकृति के प्रत्येक जड़-चेतन की रचना का इसमें

संतुलन भी दिखाई देता है।

निष्कर्ष

आदिवासी साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र गर्भाशय की स्थिति में ही है, लेकिन उसकी निर्मिति मौखिक रूप में आरंभिक समय से ही होती रही है, जो आज भी गीत, संगीत, नृत्य, कथा, गाथाओं में परिलक्षित होती है। आदिवासी साहित्य के सौन्दर्यशास्त्र का निर्माण उनके सौन्दर्यबोध, जीवनबोध और मूल्यबोध से होता है। इनमें सौन्दर्य के साथ-साथ सृजन व संघर्ष का अंतरसंबंध भी अंतर्निहित होता है। आदिवासी सौन्दर्यशास्त्र का संबंध मुख्यतः उनके जीवन शैली के साथ होता है। इसमें गीत, संगीत, कथा, गाथा तो है, साथ ही दुनिया को देखने की सौन्दर्यवादी दृष्टि भी विकसित होती है। आदिवासी साहित्य में जीवन मूल्य के साथ-साथ आदिवासी दर्शन भी भली-भाँति परिलक्षित होता है।



संदर्भ सूची

1. रमणिका गुप्ता, आदिवासी साहित्य यात्रा, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 24
2. संपादक डॉ.उषाकीर्ति, पाण्डेय डॉ.सतीश, दुबे डॉ.शितला प्रसाद, आदिवासी केंद्रित हिंदी साहित्य, अतुल प्रकाशन, कानपुर, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 30
3. विभूतिनारायण राय, शहर में कफरू, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 3
4. <https://janchowk.com/art-culture-society/life-away-from-materialism-in-tribal-literature/>
5. संपादक- शम्भूनाथ, वागर्थ पत्रिका, अंक 284, मार्च-2019, पृष्ठ सं- 86
6. इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, संस्करण-1968
7. डॉ.नगेन्द्र, भारतीय सौन्दर्यशास्त्र की भूमिका, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, संस्करण-1974, पृष्ठ सं- 4



वंदना सिंह, Ph.D. शोधार्थी
National Institute of Educational Planning
And Administration (NIEPA), New Delhi-110016

संपर्क vandanasingh@niepa.ac.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और हिंदी शिक्षण

शोध सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक क्रांतिकारी पहल है, जो समावेशी, बहुभाषी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देती है। इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू हिंदी शिक्षण की स्थिति को सुदृढ़ बनाना और मातृभाषा-आधारित शिक्षण को प्राथमिकता देना है।

विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जब बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनकी बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षमताएँ बेहतर विकसित होती हैं। इसके अतिरिक्त, नीति शिक्षकों के लिए नवाचारों, डिजिटल शिक्षण उपकरणों और बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा देने की अनुशंसा करती है।

यह नीति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे विद्यार्थियों को व्यावहारिक और संवादात्मक शिक्षा प्राप्त हो सके। कुल मिलाकर,

NEP 2020 हिंदी शिक्षण को एक समावेशी, प्रभावी और आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे भाषा शिक्षण के क्षेत्र में नई संभावनाएँ खुलती हैं।

बीज शब्द

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
2. हिंदी शिक्षण
3. मातृभाषा शिक्षा
4. बहुभाषिकता
5. समावेशी शिक्षा
6. शिक्षण पद्धतियाँ
7. डिजिटल शिक्षण
8. शिक्षक प्रशिक्षण

मूल शोध

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लानेवाली नीति है, जिसका उद्देश्य छात्र-केंद्रित, लचीली और नवाचारपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह नीति शिक्षण प्रणाली को अधिक समावेशी, आधुनिक और व्यावहारिक बनाने का प्रयास करती है, जिससे सभी छात्रों को उनकी मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। “हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति, संप्रेषण और शैक्षिक विकास का अभिन्न अंग है। नीति का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक

स्तर की शिक्षा में मातृभाषा को माध्यम बनाकर बच्चों की सीखने की क्षमता को सशक्त बनाना है।”¹

“शिक्षण पद्धतियों में नवाचार के अंतर्गत, संवादात्मक शिक्षण, कहानी-कथन और प्रायोगिक शिक्षण विधियों को अपनाने की बात कही गई है।”²

“NEP 2020 की प्रमुख विशेषताओं में से एक मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्राथमिक स्तर तक लागू करना है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने यह सिद्ध किया है कि मातृभाषा में शिक्षण बच्चों की समझ और बौद्धिक क्षमता को विकसित करने में सहायक होता है।”³ इसका उद्देश्य छात्रों को भाषा के माध्यम से सीखने में सहजता प्रदान करना और उनकी तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।

उक्त नीति के अनुसार, हिंदी शिक्षण को बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इससे छात्रों को भाषा सीखने की सहज प्रक्रिया में प्रवाहित करने में मदद मिलेगी और हिंदी भाषा की उपयोगिता बढ़ेगी। भाषा शिक्षण में डिजिटल साधनों के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया गया है, जिससे ऑनलाइन संसाधनों, डिजिटल पाठ्यक्रम और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी शिक्षण अधिक प्रभावी हो सके।

इसके अतिरिक्त, हिंदी शिक्षकों के प्रशिक्षण को एक अनिवार्य घटक के रूप में सम्मिलित किया गया है। नीति के तहत, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों

में नवाचारों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल उपकरणों और समावेशी कक्षाओं को प्रबंधित करने के कौशल प्राप्त होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हिंदी शिक्षण को एकीकृत और आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह नीति हिंदी भाषा को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। शिक्षा प्रणाली में यह परिवर्तन विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभाषा में सीखने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

शिक्षा का सैद्धांतिक आधार विभिन्न दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में हिंदी शिक्षण को समझने के लिए वायगोत्स्की का समाज-सांस्कृतिक सिद्धांत, जॉन ड्यूरू का प्रगतिशील शिक्षा सिद्धांत और नोम चोम्स्की का भाषा अर्जन सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं।

वायगोत्स्की (1978) ने अपने समाज-सांस्कृतिक सिद्धांत में यह बताया कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक परिवेश और भाषा के माध्यम से होता है। “हिंदी शिक्षण में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि छात्र

अपनी मातृभाषा में अधिक सहजता से सीख सकते हैं और सामाजिक संदर्भों में ज्ञान को अधिक प्रभावी रूप से आत्मसात कर सकते हैं। शोध दर्शाते हैं कि मातृभाषा आधारित शिक्षा छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं को मज़बूत करती है और उनकी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करने में सहायता करती है।”⁴

जॉन ड्यूई (1938) ने अपने प्रगतिशील शिक्षा सिद्धांत में अनुभव-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने शिक्षा को केवल जानकारी देने का माध्यम न मानकर, एक सतत प्रक्रिया बताया जिसमें छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। “हिंदी शिक्षण में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता तब और अधिक बढ़ जाती है, जब शिक्षकों को संवादात्मक और प्रायोगिक शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह शिक्षण पद्धति छात्रों की रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में मदद करती है।”⁵

“नोम चोमस्की (1965) का भाषा अर्जन सिद्धांत यह कहता है कि भाषा सीखना एक सहज और जैविक प्रक्रिया है, जो मानव मस्तिष्क की संरचना में निहित होती है।”⁶ यह सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा में शिक्षित किया जाए, तो वे भाषा को अधिक स्वाभाविक और सुगमता से सीख सकते हैं। हिंदी शिक्षण के संदर्भ में यह सिद्धांत यह इंगित करता है कि छात्रों के लिए मातृभाषा आधारित शिक्षा एक प्रभावी और आवश्यक कदम

है, जो भाषा संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है।

इन सिद्धांतों के आधार पर, यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाया गया मातृभाषा आधारित शिक्षण दृष्टिकोण वैज्ञानिक और शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक लाभकारी है। हिंदी शिक्षण को मज़बूत करने के लिए नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण, डिजिटल साधनों का उपयोग और बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली के समावेशन पर बल दिया गया है। यह दृष्टिकोण छात्रों के लिए न केवल भाषा सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, बल्कि उनकी आलोचनात्मक और सृजनात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है।

अनुसंधान पद्धति

यह शोध गुणात्मक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें नीति दस्तावेजों का विश्लेषण, शिक्षाविदों के विचारों का संकलन, तथा हिंदी शिक्षकों के अनुभवों का अध्ययन किया गया है। “गुणात्मक अनुसंधान पद्धति को अपनाने का मुख्य कारण यह है कि यह विषयवस्तु की गहराई से जांच करने और नीतिगत प्रभावों को समझने में सहायक होती है।”⁷

इस शोध में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में शिक्षकों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं के साक्षात्कार तथा हिंदी शिक्षण से संबंधित शैक्षिक संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भागीदारी सम्मिलित है। “इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा

नीति 2020 का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिससे हिंदी शिक्षण पर इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझा जा सके।”⁸ द्वितीयक स्रोतों में शोध-पत्र, पुस्तकें और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टें सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग हिंदी शिक्षण और नीति निर्माण से संबंधित प्रवृत्तियों को समझने के लिए किया गया है।

गुणात्मक अध्ययन के अंतर्गत अंतःविषयक दृष्टिकोण (Interdisciplinary Approach) अपनाया गया है, जिसमें शिक्षा विज्ञान, भाषा विज्ञान और नीति अध्ययन को समाहित किया गया है। “इस शोध में संदर्भ-आधारित सामग्री (Context-Based Analysis) का उपयोग किया गया है, जिससे नीति कार्यान्वयन की व्यावहारिक स्थितियों को गहराई से समझा जा सके। उदाहरण के लिए, यह अध्ययन हिंदी शिक्षण से संबंधित भाषाई विविधता और डिजिटल शिक्षण विधियों के प्रभावों की समीक्षा करता है।”⁹

इस अनुसंधान का महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुभवों का विश्लेषण करना है। “इस प्रक्रिया में प्राथमिक डेटा संग्रहण के लिए अर्ध-संरचित साक्षात्कार (Semi-Structured Interviews) और केंद्रित समूह चर्चा (Focused Group Discussions - FGD) का उपयोग किया गया है। यह पद्धति शोधकर्ताओं को अर्थपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता करती है और शिक्षकों की व्यावहारिक चुनौतियों और सुझावों को समझने में सहायक होती है।”¹⁰

डेटा विश्लेषण के लिए विषयवस्तु विश्लेषण पद्धति (Thematic Analysis Method) का प्रयोग किया गया है। इस पद्धति का उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षाविदों के अनुभवों के आधार पर मुख्य प्रवृत्तियों और समस्याओं को पहचानना है। यह अध्ययन नीति निर्माण और शिक्षकों के दृष्टिकोण के बीच की खाई को कम करने में योगदान देने का प्रयास करता है।

इस प्रकार, यह शोध राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हिंदी शिक्षण के संदर्भ में नीति और व्यवहारिकता के बीच संबंध स्थापित करने का एक प्रयास है। गुणात्मक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से यह अध्ययन हिंदी शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए उपयोगी निष्कर्ष और सुझाव प्रदान करता है।

विश्लेषण और चर्चा

1. मातृभाषा आधारित शिक्षण और हिंदी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अधिक सहजता से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और उनका संज्ञानात्मक विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। जब बच्चों को उनके घर में बोली जानेवाली भाषा में शिक्षण प्रदान किया जाता है, तो वे विषय-वस्तु को गहराई से समझते हैं और सीखने की प्रक्रिया में अधिक रुचि लेते हैं।

शोध बताते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त

करनेवाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि अधिक होती है। उदाहरण के लिए-“यूनिसेफ (2020) की एक रिपोर्ट में बताया गया कि जिन देशों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है, वहाँ छात्रों की साक्षरता दर अधिक होती है और विद्यालय छोड़ने की दर कम होती है।”¹¹ यह हिंदी शिक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत में हिंदी व्यापक रूप से बोली जानेवाली भाषा है और इसका प्राथमिक शिक्षण में समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।

2. बहुभाषिकता और हिंदी शिक्षण

नीति में बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के शिक्षण को सुदृढ़ किया जा सके। “बहुभाषिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषाओं के प्रति जागरूक बनाना और उनकी बहुभाषिक क्षमता को विकसित करना है।”¹²

भारत जैसे बहुभाषी समाज में बहुभाषिक शिक्षा आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि यह बच्चों की भाषा संबंधी दक्षताओं को बढ़ाने में सहायक होती है।

इसके अतिरिक्त, नीति इस बात पर ज़ोर देती है कि शिक्षण संस्थानों को क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी के समन्वय को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि छात्र भाषा सीखने के दौरान कठिनाई महसूस न करें। शोध बताते हैं कि द्विभाषिक या बहुभाषिक शिक्षा बच्चों की बौद्धिक क्षमता को और अधिक मज़बूत बनाती है।¹³

3. शिक्षण पद्धतियों में नवाचार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षकों को सक्रिय शिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कक्षा में सहभागिता बढ़ाई जा सके और छात्रों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जा सके।

नीति में यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षक कहानी-कथन, संवादात्मक शिक्षण और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करें, ताकि शिक्षण अधिक प्रभावी और रुचिकर बन सके।

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति ने विभिन्न ई-लर्निंग प्लेटफार्मों को अपनाने की सिफारिश की है। उदाहरण के लिए, डीआईकेएसए और एनसीईआरटी द्वारा विकसित ऑनलाइन संसाधन हिंदी शिक्षण के लिए सहायक हो सकते हैं।

4. हिंदी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और विकास

इस नीति के तहत शिक्षकों के सतत विकास और डिजिटल शिक्षण साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। “इसके अंतर्गत शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण देने और उनकी दक्षताओं को उन्नत करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की सिफारिश की गई है।”¹⁴

“शोध बताते हैं कि यदि शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे अधिक प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समृद्ध बना सकते हैं।”¹⁵

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हिंदी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करती है। यह नीति मातृभाषा शिक्षा, बहुभाषिकता और शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी शिक्षण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, ताकि बच्चों की समझने की क्षमता में वृद्धि हो और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी भाषा में संवाद कर सकें। यह सिद्धांत वायगोत्स्की (1978) के सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुरूप है, जिसमें बताया गया है कि भाषा और संस्कृति सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मातृभाषा आधारित शिक्षण बच्चों को जटिल संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है और उनके बौद्धिक विकास में सहायक होता है।

बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की नीति न केवल हिंदी, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं को भी समान महत्व प्रदान करती है। इससे भाषाओं के प्रति छात्रों में रुचि विकसित होती है और वे अधिक सहजता से विभिन्न भाषाओं में संवाद कर सकते हैं। शोध बताते हैं कि बहुभाषिक शिक्षा बच्चों की संज्ञानात्मक लचीलापन (Cognitive Flexibility) और उनकी समस्या-समाधान क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है।

शिक्षण पद्धतियों में नवाचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों की तुलना में अधिक संवादात्मक और व्यावहारिक शिक्षण पद्धतियाँ बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती हैं। डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नीति में यह अनुशंसा की गई है कि ई-लर्निंग प्लेटफार्म, वीडियो आधारित शिक्षण और संवादात्मक डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जाए।

नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू शिक्षक प्रशिक्षण और उनके सतत विकास पर बल देना है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षकों का सतत प्रशिक्षण आवश्यक है, जिससे वे नवीनतम शिक्षण तकनीकों और पद्धतियों से अवगत हो सकें। शोध दर्शाते हैं कि प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा अधिक प्रभावी होती है और छात्रों की अकादमिक उपलब्धि में वृद्धि होती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह नीति हिंदी शिक्षण को मज़बूत करने के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। यह नीति शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए समान रूप से लाभकारी होगी। यह नीति शिक्षा प्रणाली में एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाती है, जिससे समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। यदि इस नीति को सही रूप से लागू किया जाए, तो यह हिंदी शिक्षण के क्षेत्र

में एक नया आयाम स्थापित कर सकती है और भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित करने में सहायक सिद्ध होगी।



संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय अनुभाग 4, भारत सरकार-स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति अनुभाग 22-भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन। Retrieved from: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep_update/NEP_final_HI_0.pdf
2. ड्यूई, जे. (1938), अनुभव और शिक्षा, मैकमिलन, पृष्ठ सं- 20-43 Retrieved from: <https://www.schoolofeducators.com/wp-content/uploads/2011/12/EXPERIENCE-EDUCATION-JOHN-DEWEY.pdf>
3. वायगोत्स्की एल, (1978). माइंड इन सोसाइटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, अध्याय 1 - Tool and Symbol in Child Development, पृष्ठ सं- 69-70, अध्याय 6 - Interaction between Learning and Development, पृष्ठ सं- 85-90
4. गुप्ता एस, विद्यालयों में बहुभाषिक शिक्षा के प्रभाव. चंडीगढ़: शिक्षा परिषद अध्ययन, 2020, पृष्ठ सं- 77-84
5. शर्मा पी, डिजिटल शिक्षण और शिक्षण पद्धतियों में बदलाव, जयपुर: शिक्षा प्रकाशन-2020, पृष्ठ सं- 74-77
6. चॉम्स्की एन, सिंटेक्स के सिद्धांत के पहलू, एमआईटी प्रेस, (1965), पृष्ठ सं- 4-7, Retrieved from: <https://www.colinphillips.net/wp-content/uploads/2015/09/chomsky1965-ch1.pdf>
7. मायर्स एम.डी, सूचना प्रणालियों में गुणात्मक अनुसंधान का परिचय, MIS Quarterly, 21(2), 1997, पृष्ठ सं- 241-242
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं- 5-6
9. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT, 2018), भाषा शिक्षण: भाग-1, NCERT, प्रकाशन, पृष्ठ सं- 70-101
10. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT, 2019), शिक्षा में गुणात्मक अनुसंधान: पद्धतियाँ और अनुप्रयोग, NCERT प्रकाशन, पृष्ठ सं- 45-60
11. UNICEF (2025, 27 फरवरी), Retrieved from: <https://www.unicef.org/india/stories/children-learn-best-when-theyre-taught-their-mother-tongue>
12. NCERT (2021), बहुभाषिक शिक्षा और शिक्षण पद्धतियाँ, नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भाग 1: अनुभाग 1.2.6 - बहुभाषिकता का उद्देश्य और बहुभाषिक कक्षा, पृष्ठ सं- 30, भाग 2: अनुभाग 8.1, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री, पृष्ठ सं- 275-308
13. क्यूमिंस जे, लैंग्वेज, पावर एंड पेडागॉजी: बिलिंगुअल चिल्ड्रन इन द क्रॉसफायर, मल्टीलिंगुअल मैटर्स, 2000, पृष्ठ सं- 34-35
14. NCPE (2021). शिक्षक प्रशिक्षण नीति और शिक्षण प्रभाव, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली • अनुभाग 3.1, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एवं एनईपी 2020, पृष्ठ सं- 14 • अनुभाग 3.2, शिक्षक कैरियर प्रगति और व्यावसायिक मानक, पृष्ठ सं- 15-20
15. कुमार. ए, शिक्षक प्रशिक्षण और सतत विकास, भारतीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, 2019, पृष्ठ सं- 25-29



बमबम कुमार, Ph.D. शोधार्थी (इतिहास विभाग)
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा-852113, बिहार
संपर्क kumarbamkyaday37@gmail.com

औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज सुधार आंदोलनों का विवेचन

शोध सारांश

औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के आगमन और उनके बढ़ते आधिपत्य ने भारतीय समाज, संस्कृति और परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन ने न केवल राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि भारतीय जनमानस को अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों पर पुनर्विचार करने के लिए भी बाध्य किया। इस प्रक्रिया में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य जीवन दृष्टि का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसने भारतीय समाज में नई चेतना जागृत की।

औपनिवेशिक शासन के प्रभावस्वरूप भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति-व्यवस्था और स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति पर सवाल उठाए जाने लगे। इस नई बौद्धिक चेतना ने समाज और धर्म सुधार आंदोलनों को जन्म दिया, जिनका उद्देश्य भारतीय समाज को अधिक प्रगतिशील और आधुनिक बनाना था। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और

स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार हुई और आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध हुए।

बीज शब्द

1. उपनिवेश
2. नवजागरण
3. संस्कृति
4. पाश्चात्य जीवन दृष्टि
5. आंदोलन

मूल शोध

यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप दुनिया भर में बाजारों की खोज के लिए अभियान चला और इसी अभियान के तहत 17वीं सदी में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। व्यापार करने के साथ अंग्रेजों ने भारतीय राजव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया और एक समय ऐसा आया जब पूरा भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजों के यहाँ काबिज होने से यहाँ की अर्थव्यवस्था बड़ी बुरी तरह प्रभावित हुई।

इसने भारतीय उद्योग धंधों, देशी शिल्पकारों और यहाँ के कामगारों को भी प्रभावित किया। अंग्रेज़ों के आने से काफी पहले भारत के पास एक विशाल उत्पादन और व्यापार तंत्र मौजूद था। यहाँ तक कि अकबर के समय में भी महकमा-ए-कारखाने (उद्योग विभाग) की शुरुआत की गई। अंग्रेज़ों के आगमन के बाद से कृषि व्यवस्थाओं में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, पारंपरिक फसलों के बजाय नगदी फसलों का उत्पादन उस समय की प्राथमिकता बनती जा रही थी। इस कारण यहाँ के सामान्य जनो की आर्थिक स्थिति और अधिक कमज़ोर होने लगी।

भारत का बाज़ार से उपनिवेश के रूप में विकास ने यहाँ की आर्थिक स्थिति को और बदतर बनाने में योगदान दिया। इसके दुष्परिणाम के रूप में भीषण अकाल भी आए, जिसमें लाखों ज़िंदगियाँ काल कवलित हो गईं। उपनिवेशवाद को समझाते हुए रहीस सिंह लिखते हैं-“**सामान्य दृष्टि से उपनिवेशवाद एक ऐसा ढांचा होता है, जिसके माध्यम से किसी देश का आर्थिक (उसके परिणामस्वरूप राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक) शोषण तथा उत्पीड़न सम्पन्न होता है। इस प्रकार के ढांचे के अंतर्गत कई प्रकार के विचार और व्यक्तित्व और नीतियाँ समाहित होती हैं। अर्थात् इसका अभिप्राय विशुद्ध शोषण ही नहीं, बल्कि उपनिवेशों पर राजनीतिक कब्ज़ा बनाए रखना भी होता है। उपनिवेशवाद की प्रकृति मुख्यतः इसके आर्थिक शोषण के तरीकों से जानी जाती है और इसके कुछ खास तरीके भी हैं, जैसे**

उपनिवेश राष्ट्रीय उत्पादन की एक विशेष मात्रा का उत्पादन करता है, जिसका एक भाग उस उपनिवेश के रखरखाव और निर्वाह के लिए आवश्यक होता है।”¹

औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज सुधार आंदोलनों का उदय एक जटिल प्रक्रिया थी, जो ब्रिटिश शासन की नीतियों, प्रशासनिक संरचनाओं और शिक्षा प्रणाली के प्रभाव से विकसित हुई। अंग्रेज़ों ने भारतीय प्रदेशों का शोषण विभिन्न स्तरों पर किया, किंतु अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उन्होंने कुछ विकासात्मक कदम भी उठाए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही वे एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचे के निर्माण में संलग्न थे, जिसमें शासन, प्रशासन, शिक्षा और व्यापार से संबंधित नीतियों का निर्धारण शामिल था।

सन् 1830 के दशक में शासन और शिक्षा का व्यापक रूप से अंग्रेज़ीकरण कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज में गहरा परिवर्तन देखने को मिला। इस प्रशासनिक तंत्र के प्रभावी संचालन हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त एक नया बुद्धिजीवी वर्ग अस्तित्व में आया। प्रारंभ में, इस वर्ग का प्राथमिक उद्देश्य उपनिवेशवादी सत्ता के संचालन में सहयोग प्रदान करना था, किंतु धीरे-धीरे इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे पाश्चात्य विचारों को आत्मसात कर लिया।

इस शिक्षित वर्ग ने पारंपरिक भारतीय मूल्यों और आधुनिक विचारधारा के समन्वय से समाज

सुधार आंदोलनों को गति प्रदान की। जातिवाद, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित ये आंदोलन भारतीय समाज में जागरूकता और परिवर्तन का आधार बने। इस प्रकार, ब्रिटिश शासन की नीतियाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारतीय समाज में नवजागरण और सुधारवादी चेतना के उत्प्रेरक के रूप में कार्यरत रहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवाद के विकास हेतु उपनिवेश का शोषण व उसपर अपना आधिपत्य कायम करना था। अंग्रेजों के इस उपनिवेशवादी नीति के तहत भारत में राजनीतिक के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मामले में भी हस्तक्षेप किए गए और इसी आलोक में नयी कानून व्यवस्था, अर्थात् आधुनिक नियमों को लागू किया गया। इस व्यवस्था से जुड़े नए शिक्षित वर्ग ने समाज में प्रचलित शिशु वध, बहू विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता, लैंगिक भेदभाव, विधवा पुनर्विवाह का विरोध जैसी व्यवस्थाओं को धर्म के आवरण में जब पाया, तो ऐसे में एक उद्वेलन आवश्यक था। इन परिस्थितियों का विस्तारपूर्वक विवेचन राजा राममोहन राय के विचारों से प्राप्त होता है। उपनिवेशकालीन भारत के समाज सुधारकों में राजा राममोहन राय का स्थान प्रथम पंक्ति में आता है। उनके बारे में विस्तार से अपनी बात रखते हुए विपिन चंद्र लिखते हैं-“**राममोहन राय प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट (मिले जुले) रूप के प्रतिनिधि थे। वे विद्वान थे और**

संस्कृत फारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू सहित एक दर्जन से अधिक भाषाएँ जानते थे। युवावस्था में उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिन्दू दर्शन, पटना में कुरान, व फारसी तथा अरबी साहित्य का अध्ययन किया था। वे जैन धर्म और भारत के अन्य धार्मिक आंदोलनों तथा पंथों से अच्छी तरह परिचित थे। बाद में उन्होंने पाश्चात्य चिंतन और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने सन् 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट’ (एकेश्वरवादियों का उपहार) लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वज़नदार तर्क दिए।”²

राजा राममोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ समाज और धर्म सुधार आंदोलन भारतीय नवजागरण की आधारशिला बना। उन्होंने सती प्रथा, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के विरुद्ध प्रभावी संघर्ष किया, जिससे समाज में बौद्धिक जागरूकता का संचार हुआ। उनके प्रयासों से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसने तर्कसंगत सोच, समानता और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। आगे चलकर, इन सुधार आंदोलनों की शृंखला ने समग्र भारत में जागरण की भूमि तैयार की, जिसने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया और स्वाधीनता संग्राम की

वैचारिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई।

‘ब्रह्म समाज’, जो धार्मिक कर्मकांडों और बलि प्रथा के विरुद्ध था, एकेश्वरवाद और सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और ज्ञान का उदय हुआ, जिसने परोक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया, जो परवर्ती आंदोलनों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्त्वबोधिनी सभा के माध्यम से तत्त्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें भारतीय इतिहास का व्यवस्थित अध्ययन और राजा राममोहन राय के तार्किक विचारों का प्रचार शामिल था। इसके अतिरिक्त प्रार्थना समाज ने भी तर्कसंगत पूजा और सामाजिक सुधार पर बल दिया। इसके साथ-साथ अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा एवं अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रमों का भी संचालन किया। इसके संस्थापक रानाडे, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार को एक ही मानते थे। समाज सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत समाजसेवी ज्योतिबा फुले ने उच्च जाति के ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक आंदोलन की अगुआई की। उन्होंने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य समाज सेवा, महिलाओं और निचली जाति के लोगों को साक्षर बनाना था। ज्योतिबा फुले का उद्देश्य जाति व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को पूरी तरह से समाप्त करना था।

वेदों के सच्चे ज्ञान को प्रतिपादित करने और धर्म के व्यापक सरोकारों को केंद्र में रखकर आर्य समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त पाखण्ड और आडंबरों पर प्रश्न खड़े किए और उनको सुधार कर वैदिक मतों के अनुसार कार्य करने को प्राथमिकता दी। इन सिद्धांतों के प्रसार हेतु दयानंद एंग्लो-वैदिक (डीएवी) स्कूल खोला गया, जो यंग बंगाल मूवमेंट कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से शुरू हुआ। इसके शुरुआतकर्ता हेनरी लुईस विवियन डेरोज़ियो ने अपने शिक्षण के माध्यम से और साहित्य, दर्शन, इतिहास तथा विज्ञान पर तार्किक विमर्श हेतु एक संघ बनाकर फ्रांसीसी क्रांति (वर्ष 1789 ई.) के आदर्शों और ब्रिटेन की उदारवादी सोच को विस्तारित करने का प्रयास किया व महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की भी वकालत की। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसने भारत में व्यापक स्तर पर शैक्षिक और समाजसेवी कार्य किए। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य की चिंता को सबसे बड़ी चिंता मानते हुए नर की सेवा (जीवित वस्तुओं) को ही नारायण की पूजा का नाम दिया।

इन प्रमुख आंदोलनों के अतिरिक्त भारत के विभिन्न भागों में भी अन्य छोटे बड़े समाज-सुधार आंदोलन देखने को मिलते हैं। इन्हीं आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद के ढांचे को विकसित कर स्वाधीनता आंदोलन को बल दिया। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि ये सुधार आंदोलन मुख्य रूप से पश्चिमी विचारों और औपनिवेशिक

मूल्यों से प्रेरित थे, जबकि कुछ विद्वान इसे उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं देते। इस संबंध में नरेंद्र शुक्ल लिखते हैं-“सच यह है कि उसे लाने में इंग्लैंड, इतिहास का एक अचेतन उपकरण मात्र ही था। कभी-कभी अचेतन प्रक्रियाएँ, सचेतन, ठोस परिणामों का कारक बनती हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव इसका एक प्रबल उदाहरण है। यह ध्यान देने योग्य है कि 19वीं शती के अंतिम दशकों और 20वीं सती के प्रथम दशक में पश्चिम में राष्ट्रवाद जहाँ व्यावहारिक तौर पर साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के साथ खड़ा था, वहीं भारत में यह साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शोषण-चक्र के विरोध से शक्ति प्राप्त कर रहा था।”³

के. एम पणिककर ने विवाह सुधार के सामाजिक और वैचारिक आधारों व व्यावहारिक प्रतिफलन पर अध्ययन करते हुए लिखते हैं कि-“प्रभुत्वशाली विचारधारा और उनसे संबंधित संस्थाओं की अस्वीकृति उन समाजार्थिक परिवर्तनों के कारण संभव हुई, जो 15वीं सदी के बाद आरंभ हुए और जिनमें अंग्रेज़ी शासन के दौरान तेज़ी आई। इसके अलावा अंग्रेज़ी शासकों के अपने प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग तैयार करने की नीति से भी इस अस्वीकृति में सहायता मिली।”⁴

वास्तव में भारत में होनेवाले समाज और धर्म सुधार आंदोलनों द्वारा संश्लिष्ट रूप से स्वाधीनता चेतना का विकास हुआ। ये आंदोलन समय के साथ साथ समाज के अन्य क्षेत्रों से भी

जुड़ते चले गए, क्योंकि इनके पुरस्कर्ताओं के पास आधुनिक युग का एक स्वप्न मौजूद था। तमाम प्रगति के बावजूद विभिन्न धर्मों में कई कुप्रथाएँ एवं स्त्रियों और दलितों के प्रति पूर्वाग्रह के भाव शामिल थे। उन मुद्दों पर बात किए बिना समाज सुधार के स्वप्न को पूरा नहीं किया जा सकता था। ऐसे में समाज सुधार के अगले चरण में धर्म सुधार आंदोलनों का भी रूप हमारे सामने आया। इस संबंध में विपिन चंद्र लिखते हैं-“विज्ञान, जनतंत्र तथा राष्ट्रवाद की आधुनिक दुनिया को आवश्यकताओं के अनुसार अपने समाज को ढालने की इच्छा को लेकर तथा यह संकल्प करके कि इस रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी, विचारशील भारतीयों ने अपने पारंपरिक धर्मों के सुधार का काम आरंभ किया। इसका कारण था कि धर्म उन दिनों जनता के जीवन का एक अभिन्न अंग था।”⁵

इस प्रकार, समाज और धर्म सुधार आंदोलनों ने न केवल धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में कार्य किया, बल्कि सामाजिक असमानता और अन्याय को चुनौती देते हुए आधुनिकता और राष्ट्रीय चेतना को भी विकसित किया। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने तर्क, विज्ञान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की। इन सुधार आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर एक सशक्त आधार प्रदान किया। इस प्रकार, समाज सुधार

और धर्म सुधार आंदोलनों की परिणति एक व्यापक राष्ट्रीय चेतना के रूप में हुई, जिसने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक मज़बूत किया।

निष्कर्ष

अतः कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने औपनिवेशिक नीतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग रूपों में व्यक्त कीं, जिससे समाज सुधार आंदोलनों को गति मिली। भारतीय परंपरागत मूल्यों और पाश्चात्य विचारों के समन्वय ने इन आंदोलनों को वैचारिक आधार प्रदान किया, जहाँ मुक्ति की कामना और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता प्रमुख प्रेरणाएँ रहीं। इन आंदोलनों ने केवल सामाजिक सुधार तक सीमित न रहकर औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भी एक सशक्त भूमिका निभाई।

विशेष रूप से किसान समुदाय ने ब्रिटिश शासन की भूमि और राजस्व नीतियों के कारण उत्पन्न आर्थिक शोषण के खिलाफ संगठित विरोध दर्ज कराया। बढ़ते करों और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं से त्रस्त किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिससे औपनिवेशिक प्रशासन को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

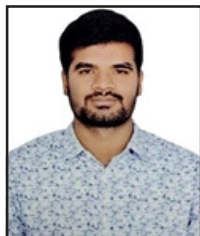
साथ ही नए प्रशासनिक ढाँचे के भीतर पले-बढ़े शिक्षित वर्ग ने समाज सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों में फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों

की गूँज सुनाई देती है, जिसने भारतीय समाज में जागरूकता फैलाई। हालाँकि, ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य केवल अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना था, जिससे भारतीय समाज की वास्तविक उन्नति बाधित होती रही।



संदर्भ सूची

- 1) आधुनिक भारत : भारत में ब्रिटिश राज का विस्तार, रहीस सिंह, पियर्सन एजुकेशन, नई दिल्ली, संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 61
- 2) आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्र, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 115
- 3) ब्रिटिश राज और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, औपनिवेशिक भारत में प्रतिबंधित साहित्य 1907-1935, नरेंद्र शुक्ल, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2017, पृष्ठ सं-21
- 4) औपनिवेशिक भारत में सांस्कृतिक और विचारधारात्मक संघर्ष (अनुवादक: आदित्य नारायण), के.एन. पणिकर, ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 199
- 5) आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्र, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, संस्करण-2013; पृष्ठ सं- 216



डॉ. वड्डी जगदीश, हिंदी व्याख्याता
द पैराडाइस. पी. यू. कलाशाला, बेंगलुरु-560099, कर्नाटक
संपर्क : drvaddijagadeesh@gmail.com

नई शिक्षा नीति के संदर्भ में हिंदी की स्थिति और गति

शोध सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में संज्ञानात्मक विकास और भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में हिंदी के महत्व पर विशेष ज़ोर दिया गया है। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य त्रि-भाषा सूत्र को प्रभावी ढंग से लागू करना और हिंदी तथा गैर-हिंदी भाषी राज्यों के बीच भाषाई अंतर को पाटकर राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करना है। NEP का उद्देश्य हिंदी और अन्य भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है, जिससे छात्रों को अपनी मातृभाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं को भी समझने का अवसर मिले।

इस नीति में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिकता दी गई है, जिससे छात्रों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह न केवल प्रभावी शिक्षण को सुगम बनाता है, बल्कि भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को संरक्षित और सम्मानित भी करता है।

NEP, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में विभिन्न पहलों को बढ़ावा देती है। इनमें सेमिनार, कार्यशालाएँ, प्रतियोगिताएँ, छात्र शोध भ्रमण और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य हिंदी के साथ छात्रों की भागीदारी और जुड़ाव बढ़ाना है। इस तरह की रुचि और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देकर, NEP समकालीन शिक्षा में हिंदी की स्थिति और पहुँच को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिससे उभरते हुए शैक्षणिक परिदृश्य में इसकी गतिशील वृद्धि सुनिश्चित होती है। यह छात्रों को हिंदी के प्रति रुचि विकसित करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करने में भी मदद मिलती है।

बीज शब्द

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)
2. हिंदी का महत्व
3. त्रि-भाषा सूत्र
4. राष्ट्रीय एकता
5. भाषाई विविधता

मूल शोध

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के संदर्भ में हिंदी भाषा की स्थिति और गति पर विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीति का मूल उद्देश्य बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करते हुए हिंदी के विकास को सुनिश्चित करना है। इसमें राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाने और त्रि-भाषा सूत्र को सही रूप से लागू करने पर विशेष बल दिया गया है, जिससे हिंदी और गैर-हिंदी भाषी राज्यों के बीच भाषा संबंधी अंतर समाप्त हो सके।

“राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाते हुए त्रि-भाषा सूत्र को सही रूप से लागू करना और हिंदी व गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना।”¹ यह नीति हिंदी को एक सेतु भाषा के रूप में स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे भाषा के आधार पर होनेवाले भेदभाव को कम किया जा सके।

शिक्षा, संस्कृत शब्द ‘शिक्ष’ धातु से उत्पन्न हुआ। इस शब्द को ‘अ’ प्रत्यय जोड़ने से शिक्षा बना है। शिक्षा, जिसका मूल अर्थ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, तभी प्रभावी हो सकती है जब शिक्षक, छात्र और पाठ्यपुस्तक तीनों सशक्त हों। हिंदी भाषा में गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री विकसित करना और शिक्षकों को इसके प्रयोग के लिए सक्षम बनाना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति के तहत यह प्रयास किया गया है कि हिंदी न केवल एक विषय के रूप में, बल्कि ज्ञानार्जन के प्रभावी माध्यम के रूप में भी विकसित हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

आज भारत की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ब्रिटिश के प्रतिरूप पर आधारित है, जो सन् 1835 में लागू हुई। कई सालों के बाद भारत में भी अलग से नियम बने। वे भारतीय संविधान के अनुसार आयु 6 से 14 तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसका पूरा परिचय कुछ इस प्रकार से दिया गया है-“**डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। उसी समय ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ का पहला प्रस्ताव हुआ। इसके बाद शिक्षा में बदलाव लाने हेतु ‘कोठारी आयोग’ की सिफारिशों पे सन् 1968 में पहली बार ‘शिक्षा नीति’ के लिए प्रस्ताव रखा गया। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने ‘नई शिक्षा नीति - 1986’ का प्रारूप तैयार किया। तत्पश्चात, इस नीति का सन् 1992 में संशोधन हुआ और फिर बारह साल के बाद वर्ष 2014 में और वर्ष 2019 में भारत सरकार के ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय’ ने ‘नई शिक्षा नीति’ के लिए आम जनता से सलाह मांगना शुरू किया। इसी क्रम में कुछ परिवर्तनों के साथ भारत सरकार ने ‘नई शिक्षा नीति - 2020’ को लागू किया जो भारत की शिक्षा नीति है। जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया।”²**

नई शिक्षा नीति के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर अर्थात् पहली कक्षा से लेकर पाँचवी कक्षा तक शिक्षण का माध्यम मातृभाषा या हिंदी होगा। इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक

विकास को प्रोत्साहित करना है, जिससे वे अपनी मूल भाषा में विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकें। इसके साथ ही, यह पारंपरिक रट्टा प्रणाली को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे शिक्षा अधिक व्यावहारिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध हो सके। इस पहल से न केवल छात्रों की अवधारणात्मक स्पष्टता बढ़ेगी, बल्कि उनकी तर्कशक्ति और रचनात्मक सोच को भी मज़बूती मिलेगी।

भाषा शिक्षण का महत्त्व

भाषा शिक्षण का महत्त्व ऐसे दिया जा सकता है कि-“भाषा बिना हम शिक्षा के किसी भी क्रियाकला की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भाषा शिक्षण का महत्त्व अपने आप बढ़ जाता है। इस तरह भाषा संस्कृति का आधार है। इसी भाषा शिक्षण से ही हमारा बौद्धिक, मानसिक व सामाजिक विकास होता है।”³

भाषा शिक्षण का महत्त्व न केवल व्यक्तिगत विकास में है, बल्कि यह समाज को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के साथ संवाद में सुधार ला सकते हैं। इसके अलावा, भाषा शिक्षण सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है और वैश्विक समझ को गहरा करता है। इस प्रकार भाषा शिक्षण न केवल शैक्षिक, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भाषा शिक्षण के माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं और उनकी

सराहना कर सकते हैं। यह हमें विविधता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है और हमें अधिक सहिष्णु और खुले विचारोंवाला बनाता है। इसके अलावा, भाषा शिक्षण के कारण हम वैश्विक बाज़ार में अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकते हैं और विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मज़बूत कर सकते हैं।

इस प्रकार भाषा के बिना हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और न ही हम दूसरों की संस्कृति को समझ सकते हैं। इसलिए, भाषा शिक्षण को प्राथमिकता देना हमारे समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

हिंदी भाषा को नई शिक्षा नीति से लाभ

भारत की भाषाई विविधता में हिंदी का विशेष स्थान है। यह केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और साहित्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम भी है। हिंदी भाषा ने देश के विभिन्न हिस्सों को एक सूत्र में बाँधने का कार्य किया है और इसे एक सशक्त भाषाई पहचान प्रदान की है। नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद हिंदी भाषा को और भी अधिक महत्त्व और विस्तार प्राप्त हुआ है, जिससे इसके शिक्षण और प्रयोग में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हिंदी भाषा को हुए प्रमुख लाभ

मातृभाषा में शिक्षा: इस नीति के तहत, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय

भाषा को बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिला है, जिससे विद्यार्थियों की समझ और अभिव्यक्ति क्षमता मजबूत हो रही है। यह नीति भाषा की पकड़ को गहरा करने के साथ-साथ बुनियादी शिक्षा को अधिक प्रभावी बना रही है।

डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट कक्षाओं का विस्तार:

छात्रों को अब हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे- कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध आदि की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से आसानी से प्राप्त हो रही है। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा के ज़रिए हिंदी विषयों को अधिक रोचक और सहज तरीके से समझाने की प्रक्रिया विकसित हो रही है। इससे छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि और सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल रहा है।

परीक्षा प्रणाली में सुधार: नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है, जिससे परीक्षा की तैयारी चरणबद्ध तरीके से होती है। यह व्यवस्था छात्रों को निरंतर अध्ययन की आदत विकसित करने में सहायक होती है और उन्हें हिंदी भाषा में सटीकता और गहराई से समझ विकसित करने का अवसर देती है।

विकल्प आधारित परीक्षा प्रणाली: परीक्षा में विकल्प प्रणाली को शामिल किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिलते हैं और उनकी सफलता की संभावना बढ़ती है। इससे यह

सुनिश्चित किया जा रहा है कि अधिकतर छात्र अपनी परीक्षाओं में सफल हो सकें और शिक्षा प्रणाली अधिक समावेशी एवं प्रभावी बने।

गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा का विस्तार:

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उन राज्यों में भी हिंदी को बढ़ावा दिया गया है जहाँ यह द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। इससे गैर-हिंदी भाषी विद्यार्थियों को भी हिंदी भाषा का गहन ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, जिससे यह भाषा एक सेतु की तरह कार्य कर रही है और देशभर में इसके प्रसार को बढ़ावा मिल रहा है।

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किए गए ये सुधार न केवल हिंदी भाषा की शिक्षा को समृद्ध बना रहे हैं, बल्कि इसे आधुनिक तकनीक और परिवर्तनों के अनुकूल भी बना रहे हैं। डिजिटल साधनों, परीक्षा सुधारों और मातृभाषा में शिक्षण के प्रावधानों के चलते हिंदी भाषा की लोकप्रियता और उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, जिससे यह भविष्य में और अधिक सशक्त भाषा के रूप में उभरने की क्षमता रखती है।

“किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। ऐसे क्रियान्वयन के लिए कई निकायों द्वारा समन्वित एवं व्यवस्थित तरीके से बहुत-सी पहल करनी होंगी और कई कदम उठाने की ज़रूरत होगी। इसलिए, इस नीति के क्रियान्वयन को कई निकायों जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), केब, केंद्र एवं राज्य सरकारें, शिक्षा संबंधी मंत्रालय, राज्यों के शिक्षा विभाग, बोर्डस,

एनटीए, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के नियामक निकाय, एससीईआरटी, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा संस्थान शामिल हैं, द्वारा शिक्षा में शामिल सभी निकायों में योजना को लेकर आपसी समनवय और तालमेल के माध्यम से इसके भाव एवं प्रयोजन अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया जाएगा।”⁴

हिंदी शिक्षा और करियर के उभरते आयाम

उच्च शिक्षा संस्थानों में हिंदी भाषा को व्यावहारिक रूप देने के प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अंतर्गत अब हिंदी को रोज़गार के एक प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित किया जा रहा है। हिंदी में स्नातक एवं परास्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न करियर विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। साथ ही, हिंदी अनुवाद में डिप्लोमा करने वाले छात्रों के लिए भी रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्हें केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी टंकक, अनुवादक, हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी आदि पदों पर नियुक्ति मिल रही है। निजी क्षेत्र में भी हिंदी भाषा से संबंधित कार्यों की माँग बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति के तहत बेरोज़गारी की दर को कम करना प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। इसी उद्देश्य से कई शिक्षण संस्थान हिंदी में उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ ‘प्रयोजनमूलक हिंदी’ जैसे अंशकालिक पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहे हैं।

शिक्षा प्रणाली में हिंदी का महत्त्व

हिंदी भाषा की शिक्षा क्षेत्र में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-

1. अहिंदी भाषी राज्यों में त्रिभाषा-सूत्र का पालन अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक छात्र को अपनी मातृभाषा के साथ हिंदी को द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में अध्ययन करना आवश्यक होता है। इससे पूरे देश में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिलता है।
2. अनिवार्य शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों में हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने से छात्र विषय-वस्तु को सरलता से समझ सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
3. विद्यालयों में हिंदी को एक विषय के रूप में अध्ययन करने से छात्र हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं... कविता, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना आदि... की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही, वे प्रेमचंद, निराला, तुलसीदास, कबीर, सूरदास सहित आधुनिक साहित्यकारों की रचनाओं से भी परिचित होते हैं, जिससे उनका साहित्यिक दृष्टिकोण विकसित होता है।
4. हिंदी भाषा में डिग्री, स्नातकोत्तर (पी.जी.), शोध (पीएच.डी.) तथा डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रम विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने पर छात्रों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं। साथ ही, हिंदी पब्लिशिंग, टंकण

(टाइपिंग) एवं अनुवाद कार्यों में भी वे सफलतापूर्वक करियर बना सकते हैं।

हिंदुस्तान पत्रिका हिंदी का महत्त्व देते हुए लिखता है कि-“उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी भाषा को व्यावहारिक बनाने की कोशिश सफल नज़र आ रही है। इसके तहत अब हिंदी भाषा को भी रोज़गार का सशक्त माध्यम बनाया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में वोक्शेनल कोर्स के तौर पर प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ाई जाती है। प्रो. श्रुति का कहना है कि इसके तहत छात्रों की वर्तनी में सुधार आता है। उन्हें कहानी, उपन्यास, मीडिया लेखन, साहित्यिक पत्रकारिता और सिनेमा एवं रंगमंच की जानकारी मिलती है।”⁵ नई शिक्षा नीति में जिस तरह से प्राथमिक तौर पर मातृभाषा के प्रभाव को समायोजित करते हुए हिंदी भाषा के महत्त्व को भी सम्मिलित किया है वह हिंदी के प्रभुत्व को स्थापित करते हुए भविष्य में हिंदी युग की स्थापना का कारक बनेगा। हिंदी के साथ-साथ भारतीय भाषाओं का भी महत्त्व बने और अंग्रेज़ी का आधिपत्य समाप्त हो, यही मूल ध्येय है।

तमिलनाडु में स्थिति

लोगों को आपस में जोड़ने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम सिर्फ भाषा को ही माना जाता है, लेकिन हाल ही में यह एक जुबानी जंग का कारण बन गई है, जो केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच चल रही है। मामला यह है कि तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में पूरी

तरह से लागू नहीं किया है और इसका कारण ये बताया है कि यह नीति हिंदी को राज्य में थोपने की कोशिश है।

“लोगों को आपस में जोड़ने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम भाषा को माना जाता है, लेकिन हाल ही में यह एक जुबानी जंग का कारण बन गई है, जो केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच चल रही है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि-राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन भाषाओं की नीति है, जिनमें तमिल, अंग्रेज़ी और एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है। हालांकि, इस नीति में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि तीसरी भाषा हिंदी ही होनी चाहिए, बल्कि यह कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है।”⁶

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा की व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, हर एक क्षेत्र में भाषा का महत्त्व अद्वितीय है। हमारी व्यवहारिक जीवन शैली में और चाहे अध्ययन शैली में ककहरा सीखना हो, वह भाषा के बिना व्यर्थ है क्योंकि वह अधूरा होता है। भाषा के बिना जो भी कुछ सीखें उसे याद करना असंभव है। इसलिए मातृभाषा हो या हिंदी हो, उसका महत्त्व स्वीकार करना है।



संदर्भ सूची

1. [www.drishtiias.com.neweducationpolicy/2020](http://www.drishtiias.com/neweducationpolicy/2020). दिनांक 23-2-2025
2. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020
3. वेब दुनिया, हिंदी, डॉ. अर्पण जैन अविचल की रचना। दिनांक 25-2-2025
4. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep_update/NEP_final_HI_0.pdf
5. <https://www.livehindustan.com/career/story-hindi-diwas-face-of-hindi-bhasha-changed-due-to-the-new-shiksha-neetii-hindi-day-8709645.html>
6. <https://www.bbc.com/hindi/articles/c7vznmedq5>. दिनांक 28-2-2025



डॉ.सी. चिन्न नरसिंहडु, अकादमिक कन्सल्टेंट (हिंदी विभाग)
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति-517502, आंध्र प्रदेश
संपर्क narasimhuduchinna@gmail.com

नयी सदी का साहित्य सृजन और पारिवारिक

बिखराव

शोध सारांश

इक्कीसवीं सदी में वैश्वीकरण और आर्थिक स्रोतों में हुए परिवर्तनों ने पारिवारिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला है। रोज़गार और बेहतर जीवन स्तर की आशा और खोज में लोग अपने परिवारों से दूर जाने को विवश हुए हैं, जिससे पारिवारिक संबंधों में बिखराव तेज़ी से बढ़ा है। केवल आर्थिक कारण ही नहीं, बल्कि अहं, प्रेम और अनुराग की कमी, संबंधों में अविश्वास और व्यक्तिगत स्वार्थ भी पारिवारिक विघटन के प्रमुख कारक बने हैं। साहित्य में इस सामाजिक परिवर्तन की गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। विभिन्न हिंदी लेखकों ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से पारिवारिक बिखराव के यथार्थ को चित्रित किया है। मधु कांकरिया के 'सलाम आखिरी' और 'पत्ता खोर' में आर्थिक और पारिवारिक प्रेम की कमी से उत्पन्न संकट को दर्शाया गया है, जबकि चंद्रकांता की 'नेपथ्य' और 'रात में सागर' में विदेश प्रवास और वृद्धावस्था की त्रासदी को उकेरा गया है। यह साहित्यिक दृष्टिकोण पारिवारिक मूल्यों

के हास को दर्शाने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का भी संकेत देता है।

बीज शब्द

1. वैश्वीकरण
2. पारिवारिक विघटन
3. हिंदी साहित्य
4. प्रवासन
5. सामाजिक परिवर्तन

मूल शोध

नयी सदी, यानि इक्कीसवीं सदी में मनुष्य के आर्थिक स्रोतों में भारी परिवर्तन आये हैं। वैश्वीकरण का पूरा प्रभाव मनुष्य के आर्थिक स्रोतों पर पड़ा है। जीवन की गति बढ़ी है। जीवन के लिए आवश्यक साधनों में वृद्धि हुई है। उन साधनों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नये-नये आर्थिक स्रोतों को ढूँढने की आवश्यकता हुई है। इन नये आर्थिक स्रोतों को ढूँढने में मनुष्य को भारी पारिवारिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है। कई परिवार आर्थिक स्रोतों को ढूँढने के लिए अपने परिवार से अलग होकर सुदूर प्रदेशों में चले जा रहे हैं।

कई लोग अपने परिवारों के साथ रहने के बावजूद आर्थिक स्रोतों को जुटाने में निमग्न होकर अपने पारिवारिक जीवन को मूल्य के रूप में चुका रहे हैं। कई पति-पत्नियों को ये आर्थिक स्रोत ही अलग कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय परिवारों के बिखराव के लिए ये आर्थिक स्रोत ही मुख्य ज़िम्मेदार हैं। परिवार के लिए आवश्यक आर्थिक स्रोतों के होते पारिवारिक जीवन संतुलित रहता है। न होने से पारिवारिक बिखराव शुरू होता है।

पारिवारिक बिखराव के लिए सिर्फ आर्थिक स्रोत ही नहीं, बल्कि मनुष्य के संस्कार, व्यवहार, वैयक्तिक चेतना, मनुष्य का अहं आदि भी ज़िम्मेदार हो सकते हैं। आर्थिक स्रोतों के बाद पारिवारिक बिखराव के लिए पारिवारिक सदस्यों का अहं भी ज़िम्मेदार है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेम, अनुराग, सौहार्द की जगह अहं आता है। या एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने की कोशिश होती है, तो पारिवारिक बिखराव अति तेज़ गति से होता है। यह खासकर पति-पत्नियों में देखा जाता है। दो भिन्न परिवारों से आए पति-पत्नी आरंभ से ही आधिपत्य की भावना या अहं को पालते हैं। यही इन दोनों के बीच के संघर्ष के लिए कारण बनता है। सहज समझौता होने की दशा में भी अहं के कारण समझौता नहीं हो पाता है। या समझौते के लिए कोशिश ही नहीं की जाती है। अपने को उच्च या श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में, या अपने विचारों को ही महत्त्व देने के लिए ज़ोर देने की कोशिश में पति और पत्नी दोनों अहं का शिकार होते हैं। एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने

की कोशिश करते हैं। इससे उनका पारिवारिक जीवन बिखर जाता है।

प्रेम और अनुरागराहित्य भी पारिवारिक बिखराव का एक और कारण है। प्रेम, अनुराग एवं परस्पर सहयोग का दूसरा नाम ही परिवार है। इन गुणों के न होने से वह परिवार ही नहीं कहला सकता है। परिवारों में अविश्वास इन गुणों को सुखा देता है। अविश्वास से प्रेम द्वेष में बदल जाता है। अविश्वास से अनुराग, क्रोध में बदल जाता है। उसी प्रकार अविश्वास से एक दूसरे के काम को करने की जगह दूसरों के काम को बिगाड़ने के लिए प्रेरित करता है। फिर परिवारों में अविश्वास पैदा होने के अलग-अलग कारण होते हैं। पत्नी, पति पर उस समय अविश्वास करने लगती है, जब पति उसकी उपेक्षा कर परायी स्त्री से अवैध संबंध जोड़ता है। पति भी अपनी पत्नी पर उस समय अविश्वास पालने लगता है, जब वह दूसरे पुरुषों के साथ संबंध जोड़ती है। अविश्वास उस समय भी पैदा होता है, जब पुरुष परिवार के लिए आवश्यक पैसा कमा नहीं पाता है। अविश्वास उस समय भी पैदा होता है, जब पति-पत्नियों में वैचारिक भिन्नता होती है। किसी भी कारण से पारिवारिक संबंधों में अविश्वास शुरू होता है, तो वह परिवार को बिखरा कर ही छोड़ता है। पारिवारिक सदस्यों का एक जगह पर न होना ही पारिवारिक बिखराव नहीं, बल्कि एक जगह पर रहते हुए भी परिवार में अकेला जीवन जीना भी पारिवारिक बिखराव कहलाता है। आज कई परिवारों में पारिवारिक सदस्य एक छत के नीचे

रहते हुए भी एकांत जीवन जीने के लिए विवश हैं। इसके लिए ऊपर उल्लेखित कारण ही ज़िम्मेदार हैं।

इस पारिवारिक बिखराव के प्रति पिछली सदी के लेखक-लेखिकाएँ ही नहीं, बल्कि नयी सदी के लेखक लेखिकाएँ भी सचेत हैं, चिंतित हैं। इन संदर्भों के प्रति उनमें पूर्ण संवेदना है। इन संदर्भों से परिवारों को बचाने की दायित्वपूर्ण कामनाएँ भी हैं। इसीलिए कई लेखक-लेखिकाएँ पारिवारिक बिखराव के उन संदर्भों की याद दिलाते हुए पारिवारिक बिखराव को रोकने के लिए आवश्यक साहित्यिक उपायों को प्रस्तुत करते हैं। इसमें हिंदी और तेलुगु के लेखक-लेखिकाएँ शामिल हैं, जिन्होंने अपने साहित्य के द्वारा पारिवारिक बिखराव के यथार्थ चित्र को न केवल प्रस्तुत किया, बल्कि उसके लिए ज़िम्मेदार कारणों का विश्लेषण करके पारिवारिक बिखराव को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की तलाश भी की। उनकी साहित्यिक कृतियों में व्यंजित इस प्रकार की पारिवारिक तलाश निम्नांकित है।

हिंदी की प्रसिद्ध कथा लेखिका मधु कांकरिया ने गाँवों से शहरों में आकर अपने परिवार के सदस्यों से दूर रहकर पारिवारिक प्रेम से तथा पारिवारिक संबंधों से वंचित होनेवाले दुर्भाग्य लोगों की कहानी 'सलाम आखिरी' (2002) उपन्यास में प्रस्तुत की है। रोज़गार या परिवार के लिए आर्थिक स्रोत सभी को चाहिए। इस उपन्यास की नलिनी एक गाँव के परिवार से आई है। माँ बाप खेतों में काम करते हैं। अचानक एक दिन

उनकी कुटिया जल जाती है। घर में उसके अतिरिक्त चार भाई और बहन हैं। घर के आर्थिक स्रोत ढूँढने हेतु नलिनी के पास और कोई रास्ता नहीं। वह कलकत्ता चली आती है। वहाँ वह वेश्या बनती है। घर से तथा परिवार से बिछुड़ जाती है। लेखिका नलिनी के मुँह से ही उसकी कहानी कहती है-“मेरे माँ-बाप दोनों खेत में काम करते थे। छह-भाई-बहन हैं हम। आज भी देख सकती हूँ अम्मा को रोड़ियाँ गिनते हुए और हिसाब लगाते हुए। सारा दिन अम्मा का यही सोचते-सोचते बीतता था कि शाम किस प्रकार गुज़रेगी, सूखी या भूखी।”¹ घर की इस हालात से नलिनी परिवार को बचाने काम ढूँढते हुए शहर आकर वेश्याओं के चुंगुल में फँसती है। नारकीय जीवन जीने के लिए विवश होती है।

मधु कांकरिया के 'पत्ता खोर' (2005) उपन्यास में भी भौगोलिक रूप से परिवार से दूर रहने के कारण पारिवारिक प्रेम से वंचित होनेवाले नवयुवक आदित्य की कहानी प्रस्तुत की गई है। इस उपन्यास में आदित्य के माता पिता हेमंत बाबू और वनश्री दोनों नौकर पेशा लोग हैं। दोनों सदा व्यस्त रहनेवाले हैं। अपनी संतान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। ऊपर से वे आदित्य को हॉस्टल में छोड़ते हैं। इस कारण से पारिवारिक प्रेम से आदित्य वंचित हो जाता है। आदित्य के पास पैसे की तंगी नहीं, बल्कि पारिवारिक प्रेम की कमी है। माता पिता से अलग रहने के कारण आदित्य ड्रग्स का शिकार होता है। परिवार के साथ रहते समय भी उपन्यास के ये तीनों पात्र

एक ही घर में द्वीप की तरह अलग-अलग जीते हैं। माता पिता दोनों दो भिन्न स्वभाव के हैं। लेखिका ने लिखा है-“**एक ही घर में रहते हुए भी तीन ज़िंदगियाँ अपने-अपने द्वीप में बहती विचरती रहीं, बिना किसी को छूते हुए।**”² ऐसी अवस्था में एक बार वह घर से भी भाग जाता है। फिर कुछ दिनों के लिए अलग रहकर नौकरी भी करता है। आखिर वह हेरोइन का शिकार होता है। आगे चलकर वह अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। लेखिका ने इस उपन्यास के द्वारा अभिभावकों को यह संदेश दिया है कि माता-पिता को अपनी संतान के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए।

चंद्रकांता की कहानी ‘नेपथ्य’ (2001) में भारतीय युवकों का विदेश आकर्षण वर्णित है। लेखिका ने इस कथ्य के सहारे भारतीय युवकों को चेतावनी दी है कि वे युवक विदेश जाकर किस प्रकार के पारिवारिक प्रेम तथा मूल्यों को खो रहे हैं। इस उपन्यास का बेटा पात्र अपने परिवार को छोड़कर अमरीका जाता है और वहीं विवाहबद्ध भी होता है। इधर माता-पिता के प्रति उसमें कोई आत्मीय भाव या चिंता नहीं रह जाती है। माता-पिता अकेलेपन की त्रासदी भोगते हैं।

चंद्रकांता की ही एक और कहानी ‘रात में सागर’ (2005) वृद्धावस्था की त्रासदियों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ भौगोलिक रूप से परिवार से संतान के अलग होने से होनेवाले पारिवारिक बिखराव और संतान के पारिवारिक मूल्यों के प्रति उदासीनता को प्रस्तुत करती है। इस कहानी में वीरजी वृद्ध हैं। उनके दो पुत्र हैं।

एक पुत्र जो छोटा है अमरीका में रहता है। वीरजी फिलहाल उसी के पास हैं। किंतु घर पर इलाज अधिक होने के कारण उसे सेंटर पर रखा गया है। छोटा पुत्र और उसकी पत्नी उसकी अच्छी देखभाल करते हैं। किंतु भारत में रहनेवाला बड़ा बेटा धीरेन्द्र और उसकी पत्नी श्रेया उसकी देखभाल नहीं करते हैं। ये दोनों अपनी माँ, वीरजी को देखने अमरीका जाते हैं। किंतु वहाँ भी संवेदनशून्यता है। दोनों पुत्र खर्चे के बारे में ही अधिक सोचते हैं। इस रूप में इस कहानी में भौगोलिक दृष्टि से अलग होनेवाले माता-पिता और संतान के बीच के पारिवारिक बिखराव को ही दिखाया गया है।

काशीनाथ सिंह का उपन्यास ‘रेहन पर रघू’ (2010) भौगोलिक दृष्टि से परिवार से अलग होनेवाली संतान की उपेक्षा का शिकार होनेवाले रघुनाथ की कहानी प्रस्तुत करता है। रघुनाथ एक साधारण मध्यवर्गीय आदमी है। पैसा कर्ज़ पर लेकर अपने बेटे को विदेश भेजता है। विदेश जाने के बाद बेटा उसकी उपेक्षा करता है। रघुनाथ को भारी दुःख होता है। संतान पर वैश्वीकरण का पूरा प्रभाव है। संतान गाँव की अपनी ज़मीन पर कोई भावनात्मक संबंध नहीं रखती है। उसे सिर्फ मूल्यवान वस्तुएँ चाहिए। न कि कोई पारिवारिक मूल्य। इसलिए बहुत आसानी से वह पिता को गाँव की ज़मीन बेचकर पैसा बाँटने की बात कहता है। मध्यवर्गीय रघुनाथ के बारे में लेखक ने लिखा है-“**हर सुखी और सफल आदमी की तरह रघुनाथ ने भी अपने जीने, आगे बढ़ने और ऊँचाईयाँ छूने के कुछ नुस्खे ईजाद कर लिये**

थे। सच पूछिये तो उन्होंने ईजाद नहीं किए थे उनकी प्रकृति में ही थे, बस वे समझ गये थे और उसे नित्य व्यवहार का अंग बना लिया था।”³

बच्चों के हाथों ठगे जाने के बाद रघुनाथ बोलते हैं-“ मेरी औरत बांझ है और मैं निःसंतान पिता हूँ। माँ और पिता होने का सुख नहीं जाना हमने। न बेटे की शादी देखी न बेटी की, न बहू देखी न होने वाला दामाद। हम ऐसे अभागे माँ-बाप हैं, जिसे उनका बेटा अपने विवाह की सूचना देता है और बेटी धौंस देती है कि इजाज़त नहीं दोगे, तो न्यौता नहीं दूँगी।”⁴ स्पष्ट है कि रघुनाथ की संवेदना अत्यंत गहरी है। संतान के होते हुए भी वे अपने को बांझ समझना पसंद करते हैं। लेखक ने इस रूप में पारिवारिक मूल्यों के ह्रास से उत्पन्न पारिवारिक बिखराव को दिखाने की सफल कोशिश की है।

पारिवारिक विघटन एवं पारिवारिक बिखराव के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच में अविश्वास, आर्थिक तंगी, अहं और स्वार्थ भी काफी सीमा तक ज़िम्मेदार हैं। इनके होते सारे पारिवारिक मूल्य जलकर राख हो जाते हैं। नयी सदी के साहित्यकारों ने टूटनेवाले उन पारिवारिक मूल्यों की याद दिलाकर उनके टूटने से होनेवाले दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने यही संदेश दिया कि इस बिखराव को रोकने के लिए पारिवारिक मूल्यों के ह्रास को रोकना अनिवार्य है।

सुनीता जैन ने अपनी कहानी ‘पाँच दिन’

(2003) में आर्थिक महत्वाकांक्षा और बिखरे पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया है। वैश्वीकरण के प्रभाव से पैसे का महत्त्व और बढ़ गया है। पैसे के पीछे दौड़नेवाला आदमी पारिवारिक मूल्यों को नहीं मानता है। पारिवारिक प्रेम जैसी कोई वस्तु उसके लिए मूल्यवान नहीं है। प्रस्तुत कहानी में भारत से अमरीका गई एक माँ की करुण कहानी है। पुत्र ललित और बहु प्रज्ञा के स्वार्थ का उसकी माँ शिकार होती है। अमरीका जाने पर बहु प्रज्ञा अपनी सास की देखभाल ठीक से नहीं करती है। ललित और प्रज्ञा के बीच के ये संवाद प्रज्ञा के स्वार्थ को चीर कर रख देते हैं। वह ललित से बोलती है-“और मैं...?” ‘तुम भी चलो। छोड़ो यह दो टके की प्रोफेसरी।’

‘और मनु...?’ ‘उसे तो अभी वीसा नहीं मिलेगा। इक्कीस से ऊपर है वह।’ ‘मनु को अकेले कैसे छोड़ दूँ? और इस घर को।’ ‘तो रहो। मुझे तो जाना है। मुझे कोई अटैचमेंट नहीं।’⁵ स्पष्ट है कि प्रज्ञा पूरी तरह आर्थिक रूप से महत्वाकांक्षी है। वह किसी पारिवारिक मूल्य को कोई मूल्य नहीं देती है। न सास को न घर को। यहाँ तक कि अपनी संतान मनु को भी छोड़कर वह विदेश जाने की तैयारी करती है। पारिवारिक मूल्यों के प्रति प्रज्ञा के विचारों को देखकर आश्चर्य होता है। लेखिका ने इस कटु यथार्थ को बड़ी संवेदना के साथ व्यक्त किया है।

राजी सेठ की ‘दलदल’ (2003) कहानी में अहं के कारण पारिवारिक मूल्यों के बिखराव का चित्रण हुआ है। यह कहानी दांपत्य जीवन

की कहानी है। दंपतियों में अहं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में अनुराग और प्रेम के होते अहं काम नहीं करता है। किंतु पुरुष सत्तात्मक समाज में पुरुष अहं को पालता है। स्त्री की श्रेष्ठता या उच्चता को वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। इस कहानी के दंपति अमर और आरती हैं। आरती, वर्मा के यहाँ काम करती है। उसकी नौकरी पक्की है। अमर से बेहतर नौकरी है। अमर की नौकरी पक्की नहीं है। अच्छी भी नहीं है। वह दो एक नौकरी बदलता है। उसमें हीनता की ग्रंथी जागती है। आरती अपने बॉस, वर्मा की सहायता से अमर की नौकरी अपने कार्यालय में लगाने की कोशिश करती है। उस कोशिश में वह सफल भी होती है। किंतु अमर को यह पसंद नहीं है। उसे बाहर दूसरे शहर में नौकरी मिलती है। उस नौकरी के कारण वह अपनी पत्नी को भी छोड़कर जाने के लिए तैयार होता है। निम्न संवाद दोनों के बीच के तनाव को स्पष्ट करता है। आरती अपने बॉस से कहकर नौकरी के कागज़ तैयार करवाती है-“कागज़ तैयार हों, तो लेती जाऊँ...? ...एक दो दिन बाद तुम जाकर मिल लेना।” “कहा न मुझे जल्दी नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ।” “कुछ और क्या? तुम जाओ न अभी। घड़ी तो देखो। वह कुछ और क्या है... आरती सच में इस समय जानने का समय नहीं है। शाम को आएगी तो समझोगी।”⁶ स्पष्ट है अपने अहं के कारण अमर आरती के द्वारा प्राप्त नौकरी करना नहीं चाहता है।

मालती जोशी की ‘तुम मेरी राखो लाज हरी’ कहानी तो पारिवारिक सदस्यों के स्वार्थ का भांडा फोड़ करती है। परिवार में कोई पुरुष काम वासना से हैवान हो जाता है, तो परिवार की स्त्रियाँ इसका शिकार होती हैं। परिवार के नैतिक मूल्य मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रस्तुत कहानी संध्या नामक विधवा की कहानी है। संध्या का पति मर गया है। वह बहुत ही खूबसूरत है। उसके ससुर की नज़र उस पर पड़ती है। अकेले में ससुर उस पर अत्याचार करता है। इस जघन्य अपराध के बारे में नारी सुलभ गुण के कारण वह किसी से नहीं बताती है। सास को इसका पता चलता है, तो वह चिंतित होती है। लेखिका ने संध्या के जवाब का चित्रण किया है-

‘ये हाथ में क्या हुआ’

‘कट गया।’

‘कैसे’

थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ‘दरवाज़े में आ गया था।’

‘दरवाज़े में कैसे’ इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।⁷ स्पष्ट है कि अपने पर हुए अत्याचार के बारे में संध्या अपनी सास को बता नहीं पाती है। उससे छिपाती है। इसका भी ससुर फायदा उठाता है। बार-बार उसपर अत्याचार करने की कोशिश करता है।

निष्कर्ष

भारत देश, अपनी पारिवारिक व्यवस्था के लिए ही विश्वभर में प्रसिद्ध रहा है। किंतु वैश्वीकरण

के प्रभाव से भारत के सुखी परिवार की व्यवस्था में भारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बेरोज़गारी, उपयुक्त रोज़गार की कमी, आर्थिक तंगी, महंगाई, आर्थिक संबंधों का विकास आदि जैसी समस्याओं ने नयी सदी के मनुष्य को विवश कर दिया है। इन्हीं विवशताओं को इस सदी की कहानियों में साफ-साफ देखा जा सकता है। नयी सदी की इस संवेदना को अनेक रचनाकारों ने बड़ी मात्रा में अपनी कहानियों में स्थान दिया है। काफी संदर्भ ऐसे मिलते हैं, जो कि संज्ञानात्मक यथार्थ के संदर्भ हैं। यानि लेखक और लेखिकाओं का भोगा हुआ यथार्थ है। उपर्युक्त कहानियाँ भारत की इस परिवर्तनशील पारिवारिक व्यवस्था के वेदनात्मक चित्रों को भली-भाँति प्रस्तुत करती हैं।



संदर्भ सूची

1. सलाम अखिरी, मधु कांकरिया, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2007, पृष्ठ सं- 38
2. पत्ताखोर, मधु कांकरिया, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2005, पृष्ठ सं- 23
3. रेहन पर रग्घू, काशीनाथ सिंह, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 97
4. रेहन पर रग्घू, काशीनाथ सिंह, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 108
5. नया ज्ञानोदय, सुनीता जैन, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, अंक मई-2003, पृष्ठ सं- 57
6. नया ज्ञानोदय, दलदल, राजीसेठ, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, अंक अप्रैल-2003, पृष्ठ सं- 20

7. नया ज्ञानोदय, तुम मेरी राखो लाज हरी, मालती जोशी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, अंक जुलाई-2003, पृष्ठ सं- 17



गोवर्धन.जी, Ph.D. शोधार्थी (हिंदी विभाग)
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति-517502, आंध्र प्रदेश
संपर्क govardan1995@gmail.com

हिंदी साहित्य में दलित स्वर : स्वरूप, अस्मिता, संघर्ष और परिवर्तन

शोध सारांश

दलित साहित्य एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन है, जो दलित समुदाय के संघर्षों, अनुभवों और प्रतिरोध को दर्शाता है। यह सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जाति उत्पीड़न को उजागर करता है और समानता की वकालत करता है। केवल भारती जैसे विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि दलित साहित्य केवल कलात्मक अभिव्यक्ति के बजाय जीवित अनुभवों पर आधारित है। ओमप्रकाश वाल्मीकि और शरण कुमार लिंबाले जैसे लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि केवल दलित ही अपनी वास्तविकताओं का प्रामाणिक रूप से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, गैर-दलित लेखकों द्वारा सहानुभूतिपूर्ण चित्रण को खारिज करते हैं।

मराठी दलित साहित्य से प्रभावित, हिंदी दलित साहित्य ने कबीर और रैदास जैसे मध्ययुगीन कवियों से प्रेरणा लेते हुए 1960 के दशक के बाद गति पकड़ी। यह जाति-आधारित पदानुक्रमों

को चुनौती देता है और भारतीय साहित्य में हाशिए पर पड़ी आवाजों को फिर से परिभाषित करता है। आज, दलित साहित्य न्याय और सम्मान की वकालत करनेवाला एक शक्तिशाली सामाजिक-साहित्यिक विमर्श बना हुआ है।

बीज शब्द

1. दलित साहित्य
2. जाति उत्पीड़न
3. सामाजिक परिवर्तन
4. हाशिए की आवाजें
5. हिंदी दलित साहित्य
6. पहचान
7. प्रतिरोध

मूल शोध

दलित साहित्य दलितों के जीवन और उनकी समस्याओं को केंद्र में रख कर दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य है। वास्तव में देखा जाए तो दलित साहित्य सामाजिक अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और आक्रोश है। अगर कोई गैर दलित लेखक दलित समस्याओं पर लिखता है, तो सहानुभूति ज़रूरी है। साथ ही दलित साहित्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ दलित लेखकों के विचारों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है।

दलित साहित्य के स्वरूप का रेखांकन करते हुए साहित्यकार कँवल भारती ने लिखा है-‘दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है, जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को स्थापित किया है, अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उसी की अभिव्यक्ति करता है। यह कला के लिए कला का नहीं, बल्कि जीवन का और जीवन की जिजीविषा का साहित्य है।’ यह कहना तर्कसंगत है कि जीवन भर सामाजिक विधि व्यवस्था से पीड़ित अछूत या नीच कहे जानेवाले लोगों में सदियों से संचित विद्रोह की भावना दलित साहित्य में दलितों की लेखनी से भड़क उठी है। दलित साहित्य की अवधारणा व इसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए मोहनदास नैमिशराय कहते हैं-“शोषक वर्ग के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए समाज से समता, बंधुता तथा मैत्री की स्थापना करना ही दलित साहित्य का उद्देश्य है।”¹

दलित साहित्य में गाँवों का ज़्यादातर वर्णन देखने को मिलता है। लगभग हर गाँव में दलितों की बस्ती होती है। दलितों की बस्तियाँ प्रायः गाँव के बाहर ही होती हैं। कहीं-कहीं तो इनके लिए अलग कुंआ, अलग श्मशान भी बना होता है। इससे गाँव में दलितों के प्रति अन्य सवर्ण जातियों का मनोभाव स्पष्ट हो जाता है। दलित साहित्यकार शरण कुमार के अनुसार-“दलित साहित्य का जन्म अस्पृश्यता की कोख से हुआ है।” इसी बात को स्पष्ट करते हुए वे आगे भी कहते हैं कि दलितों की परेशानी, गुलामी,

पारिवारिक विघटन, दुःख, गरीबी और उपेक्षापूर्ण जीवन का वास्तविक चित्रण करनेवाला साहित्य ही दलित साहित्य है। पीड़ा और आह का उदात्त स्वरूप अर्थात् दलित साहित्य है।”² दलित साहित्यकारों का मानना है कि एक दलित साहित्यकार ही अपने जीवनाभव को लेकर दलित साहित्य लिख सकता है। दलित साहित्य दलितों को हृदयहीन ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए लिखा जाता है। दलितों को आज भी गैर दलित की सहानुभूति एवं करुणा में बहुत कम विश्वास है। हरिनारायण ठाकूर लिखते हैं-“दलितों के आज तक के आंदोलन और मुख्यधारा के आंदोलन में मुख्य अंतर यह है कि मुख्यधारा जाति, वर्ण-व्यवस्था को बनाये रखते हुए ही इसमें सुधार करना चाहती है, जबकि दलित चेतना सामाजिक संरचना में अमूल परिवर्तन करना चाहती है। आज दलित व्यक्ति या समाज शिक्षित है, तो वह स्वाभाविक रूप से इस वर्णव्यवस्था का विरोध करेगा।”³

दलित साहित्यकार दलित साहित्य को गाँधीवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं मानते। “मार्क्सवादी आलोचकों ने भी प्रायः डॉ. धर्मवीर की उक्त स्थापना को माना है। नामवर सिंह का विचार है-“जन्मना दलित होने के कारण अनुभव के जिन आसंगों से एक आदमी को गुज़रना पड़ता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं एक दलित के जैसा है, अपनी पूरी अनुभूतियों व कल्पना का विस्तार करने के बावजूद मैं, जो एक गैरदलित हूँ, उस अनुभव को उसी तीव्रता और तनाव से

आपको अनुभव नहीं करा सकता। इस बात को समझते हुए अगर साहित्य में उसका अनुभव उसी तीव्रता से व्यक्त होता है, जैसा कि मराठी की अनेक दलित रचनाओं को पढ़कर अनुभव होता है, तो वह सच्चे अर्थों में दलित-साहित्य है। मैनेजर पाण्डेय ने 'राख ही जानती है, जलने की पीड़ा और कोई नहीं' कहकर दलित-अनुभवों को दलितेतर अनुभवों से भिन्न माना।⁴

इस प्रकार दलितों पर सवर्ण जातियों के लोगों की भावना, समाज में भेदभाव उत्पन्न कर सामाजिक स्थितियों में न केवल भयंकरता, बल्कि दलितों में विद्वेष की भावना भी उत्पन्न करती है। दलित साहित्य इस सामाजिक असमानता के खिलाफ है, जो समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। इस संबंध में ओमप्रकाश वाल्मीकि का कहना है—“दलित साहित्य, समाज में समानता, भाईचारा और मानवीय स्वतंत्रता की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि मनुष्य ही सर्वोपरि है। इस प्रकृति में जो कुछ हमारे सामने है, वह मनुष्य की देन है। इसलिए मनुष्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए दलित साहित्य मनुष्य का साहित्य है।”⁵

हिंदी दलित साहित्य

भारत में दलित चेतना के प्रचार प्रसार में हिंदी दलित साहित्यकारों का सबसे अधिक योगदान देखने को मिलता है। इस दिशा में दलित साहित्यकारों के अलावा शुरू से कुछ गैर दलित साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पर गैर दलित साहित्यकारों के द्वारा किये गए

ऐसे प्रयास दलित साहित्यकारों द्वारा नकारात्मक दृष्टि से देखे जाते हैं। दलित, गैर दलित साहित्यकारों की रचनाओं के मूलभूत अंतर स्पष्ट करते हुए ओमप्रकाश वाल्मीकि ने कहा है—“दलित जीवन और उनकी समस्याओं पर गैर दलित, जैसे प्रेमचन्द, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, गिरिराज किशोर, जगदीश चन्द्र आदि ने लिखा है और दलित लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिशराय, श्यौराज सिंह बेचैन आदि ने भी लिखा है। किन्तु उनकी अन्तर्वस्तु में इनके द्वारा अर्जित और प्रतिष्ठित मूल्यों में और उस अनुभव की प्रक्रिया की व्याख्या में गहरा फर्क है। ज़ाहिर है, इन मूल्यों की प्रकृति और प्रक्रिया में वर्णभेद अहम भूमिका अदा करता है। उनके अपने आग्रह और संस्कारिक मूल्य मानन्यताएँ कृति की समग्रता में अपने निष्कर्ष स्थापित करती हैं, उसे प्रभावित करती हैं। यह सब एक विशिष्ट सतर्कता के रूप में प्रस्तुत होकर अपनी विशिष्टता रेखांकित करता है।”⁶

अनुरूप विचार केवल भारती में भी देखने को मिलता है। दलित चिंतक केवल भारती का मत है कि—“दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है, जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपायित किया है। अपने जीवन-संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उनकी उसी अभिव्यक्ति का साहित्य है। यह कला के लिए कला नहीं, बल्कि जीवन का और जीवन की जिजीविषा का साहित्य है। इसीलिए कहना न होगा कि वास्तव में दलितों

द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की कोटि में आता है।”⁷ कँवल भारती ने दलित साहित्य को एक सीमा रेखा में बाँध दिया है, उनके विचार से दलितों द्वारा दलितों के लिए लिखा गया साहित्य ही दलित-साहित्य की श्रेणी में आता है। उनकी यह दृष्टि दलित लेखन को संकुचित करती हुई प्रतीत होती है। डॉ. एन. सिंह भी दलितों के द्वारा लिखे गए साहित्य को दलित साहित्य मानते हैं। अपनी पुस्तक ‘दलित साहित्य के प्रतिमान’ में उन्होंने इस पर अपना विचार स्पष्ट करते हुए कहा है— **“दलित साहित्य दलित लेखकों द्वारा लिखित वह साहित्य है, जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित लोगों की जीवन्त भाव में लिखा गया हो।”⁸**

हिंदी में दलित साहित्य लिखने की परंपरा नौवें दशक से शुरू होती है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि हिंदी दलित साहित्य का उद्गम मराठी दलित साहित्य से हुआ है, यानि हिंदी दलित साहित्य पर मराठी दलित साहित्य की संपूर्ण छाप है। पर इनकी धारणा पूरी तरह सच नहीं है। हिंदी दलित साहित्य के उद्भव के पीछे नाथ और सिद्ध कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। सिद्ध कवियों में बहुत सारे कवि शूद्र थे, जिन्होंने अपनी तत्कालीन पीड़ा का परिप्रकाश किया था। इतना ही नहीं मध्यकाल में निर्गुण संत रैदास जैसे कवि ने खुद वर्ण व्यवस्था के शिकार होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दलितों में चेतना उत्पन्न करने का प्रयास किया था। इस दृष्टि से उन्हें मध्यकाल में प्रथम दलित चेतना संपन्न कवि

माना जाता है। वस्तुतः हिंदी दलित कविता मध्यकाल के निर्गुण संत कवि रैदास और कबीर से शुरू होकर ‘हीराडोम’ और ‘अछूतानंद’ तक आई।

बीच में, लगभग पाँच सौ वर्षों तक अन्तराल में, निश्चित रूप से और कुछ कवि हुए होंगे जिनसे सामाजिक छूत अछूत भेद-भाव के खिलाफ आवाज़ बुलन्द की गई होगी। लेकिन यह देखने को मिला है कि साठ दशक में महाराष्ट्र में वर्ण व्यवस्था के खिलाफ मराठी दलित कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से दलितों में चेतना उत्पन्न कर न केवल ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया, बल्कि पूरे मराठी साहित्य की नींव भी हिला दी। इसका प्रभाव पूरे हिन्दुस्तान में देखने को मिला। फलस्वरूप भारत के अन्य प्रान्तों के दलित साहित्यकार इनसे उत्प्रेरित हुए। खासकर हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी के दलित कवियों ने बड़े जोश के साथ दलित कविता लिखना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में हिंदी में दलित कविता की बाढ़-सी आ गई। आगे चलकर दलित साहित्य, हिंदी साहित्य का एक अंग बन गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कांशीराम द्वारा डी. एस और बसपा की स्थापना के बाद हिंदी दलित लेखकों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। दलितों को बल मिला। मंडल कमीशन से दलित साहित्य को एक नई दिशा मिली। आगे चलकर राजेन्द्र यादव के संपादन में प्रकाशित ‘हंस’ और रमणिका गुप्त की ‘युद्धरत आम आदमी’ जैसी पत्रिकाओं में अनेक दलित रचनाकारों की रचनाएँ प्रकाशित होने लगीं। जिसके चलते विगत

दो ढाई दशकों में हिंदी के दलित साहित्य में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, आलोचना जैसी साहित्य की विविध विधाओं में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें रची गईं।

इस प्रकार हिंदी में दलित साहित्य का उद्भव और विकास होने लगा। डॉ. एन. सिंह कहते हैं कि हिंदी में दलित साहित्य की बाकायदा शुरुआत बीसवीं शताब्दी के आठवें दशक में हुई। इसकी प्रेरणा डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा तो थी ही, महात्मा ज्योतिबा फूले का संघर्ष, मार्क्स की क्रांति दृष्टि तथा मराठी का दलित साहित्य भी रहा।

इस संबंध में राजेन्द्र यादव के विचार भी महत्वपूर्ण हैं। उनका कथन है कि—“दलित लेखकों की यह ज़िद है कि नुमाइन्दगी या प्रतिनिधित्व की यह राजनीति बहुत दूर तक उनकी बात नहीं कह सकती। दुनिया का कोई वकील अपनी सादी निष्ठा और ईमानदारी या कानूनी पेंतरेबाज़ी के बावजूद वादी की तड़प, यातना और गुस्से को नहीं बता सकता, जितना वे स्वयं व्यक्त कर सकते हैं।”⁹

हिंदी दलित साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा और आलोचना जैसी विविध विधाओं में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं। कविता के क्षेत्र में कवि माता प्रसाद का ‘दिग्विजयी रावण’, डॉ. श्यौराज सिंह बेचैन का ‘क्रॉच हूँ मैं’, डॉ. जयप्रकाश कर्दम का ‘तिनका तिनका आग’, नवेन्दु महर्षि का ‘संसद तो सर्वण है’, एन. आर. सागर का ‘आज्ञात हैं हम’, डॉ.

सी.बी. भारती का ‘आक्रोश’ जैसी पुस्तकें (काव्य-संग्रह) विषय वस्तु, भाषा शैली आदि की दृष्टि से अभिनव मानी जाती हैं।

कहानी: कविताओं की तरह दलित चेतना के विकास में कई कहानीकारों की भूमिका प्रशंसनीय रही हैं। ऐसे कहानीकारों के कुछ चर्चित कहानी संकलन के नाम इस प्रकार हैं। ओमप्रकाश वाल्मीकि का ‘सलाम’, मोहनदास नैमिशराय की ‘आवाज़ें’, दयानन्द बटोही की ‘सुरंग’, सूरजपाल चौहान का ‘हैरी कब आएगा’, प्रहलाद चंद्र दास का ‘पुटूस का फूल’ आदि कहानी संकलन, कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से आकर्षक और प्रभावोत्पादक हैं। वस्तुतः ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानी ‘सलाम’ से दलित कहानी का आविर्भाव माना जाता है। ओमप्रकाश वाल्मीकि ने सलाम, घुसपैठिए, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, शवयात्रा, जैसी कहानियों के माध्यम से, दलितों की त्रादसी का बखूबी चित्रण करते हुए दलित समाज में बड़ा आक्रोश उत्पन्न करने का भरसक प्रयास किया।

उपन्यास: हिंदी दलित साहित्य में अन्य साहित्यिक विधाओं की तुलना में उपन्यासों की संख्या सीमित है। सीमित संख्यक दलित लेखकों ने हिंदी में दलितों की समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखे हैं। देवीदयाल सेन ने दलितों की समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखे हैं। उनका उपन्यास ‘मानव की परख’ को हिंदी दलित साहित्य में पहला उपन्यास माना जाता है। कुछ आलोचक मोहनदास नैमिशराय के ‘मुक्ति पर्व’

को पहला दलित उपन्यास मानते हैं। नैमिशराय जी का दूसरा उपन्यास 'वीरांगना झलकारी बाई', भी एक और महत्वपूर्ण दलित उपन्यास है। उसी प्रकार हिंदी दलित उपन्यासों में जयप्रकाश कर्दम के 'छप्पर' उपन्यास की एक अलग पहचान है। दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का जीता जागता चित्र इस उपन्यास में उभर कर आया है। साथ ही लेखक की आकर्षक भाषा शैली उपन्यास को जीवन्तता प्रदान करती है।

आत्मकथा: हिंदी दलित साहित्य में आत्मकथा लिखने की परंपरा डॉ. अम्बेडकर से शुरू होती है। वस्तुतः डॉ. अम्बेडकर ही दलित साहित्य के जन्मदाता और प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने सर्वप्रथम मराठी भाषा में अपनी आत्मकथा 'माझी आत्मकथा' लिखकर दलित लेखकों को आत्मकथा लिखने को प्रेरित किया था। फलस्वरूप मराठी दलित साहित्य में पर्याप्त संख्या में आत्मकथाएँ लिखी जाने लगीं। बहुत ही जल्द इसका प्रभाव हिंदी दलित साहित्यकारों पर पड़ा और हिंदी दलित साहित्य में कई आत्मकथाएँ प्रकाशित हुईं। हिंदी में प्रकाशित कुछ आत्मकथाएँ इस प्रकार हैं- जूठन (ओमप्रकाश वाल्मीकि), अपने-अपने पिंजरे, भाग 1 और 2 (मोहनदास नैमिशराय), तिरस्कृत, संतप्त (सूरजपाल चौहान), दोहरा अभिशाप (कौसल्या बैसंत्री), झोंपड़ी से राजभवन (माता प्रसाद), ये सारी आत्मकथाएँ उपयुक्त लेखकों के पारिवारिक जीवन, तत्कालीन सामाजिक परिवेश, एवं विविध तथ्यों से परिपूर्ण एक-एक सफल दस्तावेज़ हैं।

निष्कर्ष

हिंदी दलित साहित्य न केवल सामाजिक अन्याय और शोषण की कहानी कहता है, बल्कि यह समाज में चेतना जागृत करने का कार्य भी करता है। यह साहित्य दलित समुदाय के संघर्ष, अस्मिता और अधिकारों की पुकार को शब्द देता है, जिससे सामाजिक संरचना में बदलाव की संभावना उत्पन्न होती है। दलित लेखकों ने अपने अनुभवों के माध्यम से समाज में व्याप्त विषमताओं को उजागर किया है, जो मुख्यधारा के साहित्य से भिन्न एक नया विमर्श प्रस्तुत करता है।

समकालीन हिंदी दलित साहित्य ने न केवल जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, बल्कि दलित समाज के आत्मसम्मान और समानता के अधिकारों की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह साहित्य हमें यह सोचने पर विवश करता है कि एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हमें किस प्रकार के सामाजिक और साहित्यिक बदलावों की आवश्यकता है। इस प्रकार, हिंदी दलित साहित्य केवल साहित्यिक विधा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और परिवर्तन का एक प्रभावशाली माध्यम भी है।



संदर्भ सूची

1. https://www.apnimaati.com/2014/05/blog-post_5526.html
2. शरण कुमार लिंबाले, हंस, जनवरी-फरवरी 1919, पृष्ठ सं- 53

3. हरिनारायण ठाकूर, दलित साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण-2009, पृष्ठ सं- 382
4. <https://ebooks.inflibnet.ac.in/hinp12/chapter/दलित-साहित्य-का-वैचारिक-आ-2/>
5. ओमप्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य (अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ), राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 8
6. ओमप्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2001, पृष्ठ सं- 55
7. कँवल भारती, युद्धरत आम आदमी, अंक 41-42, संस्करण-1998, पृष्ठ सं- 41
8. डॉ. एन सिंह, दलित साहित्य के प्रतिमान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2012, पृष्ठ सं- 23
9. राजेन्द्र यादव, हंस, अगस्त-1998, पृष्ठ सं- 4



विजयता दुबे, Ph.D. शोधार्थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय,
कोलकाता-700073, पश्चिम बंगाल

संपर्क vijayatadubey26@gmail.com

हिंदी जाति के 'संकट मोचन' डॉ. रामविलास शर्मा

शोध सारांश

डॉ. रामविलास शर्मा हिंदी प्रगतिशील आलोचना के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्यिक विमर्श को नई दिशा प्रदान की। उनका अध्ययन मुख्य रूप से मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था, जिससे हिंदी साहित्य को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझने की नई दृष्टि मिली। 'प्रेमचंद और उनका युग', 'भाषा साहित्य और संस्कृति', 'प्रगति और परम्परा', 'भाषा और समाज', 'निराला की साहित्य साधना' आदि जैसी कृतियों के माध्यम से उन्होंने साहित्यिक आलोचना की एक सुसंगठित और विश्लेषणात्मक परंपरा विकसित की। उनकी आलोचना केवल साहित्य तक सीमित न रहकर भाषा-विज्ञान, इतिहास, दर्शन और उपनिवेशवाद तक विस्तृत थी, जिससे हिंदी आलोचना को बौद्धिक गहराई प्राप्त हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और निराला जैसे साहित्यकारों के साथ संवाद स्थापित कर उन्होंने हिंदी साहित्यिक चिंतन में प्रगतिशील दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया। छह

दशकों से अधिक के उनके विपुल लेखन ने हिंदी आलोचना को समृद्ध किया और भावी पीढ़ियों के लिए एक बौद्धिक आधार तैयार किया। यह अध्ययन उनके योगदान का मूल्यांकन करते हुए हिंदी आलोचना में उनके प्रभाव को रेखांकित करता है।

बीज शब्द

1. रामविलास शर्मा 2. हिंदी साहित्यिक आलोचना 3. मार्क्सवादी व्याख्या 4. प्रगतिशील साहित्य 5. आचार्य रामचंद्र शुक्ल 6. प्रेमचंद 7. निराला

मूल शोध

भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा में रामभक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' के लंका कांड में लिखा है- "प्रभु प्रताप सुनि कान बिकल भए बानर निकर आइ गयउ हनुमान जिमि करुना मँह बीर रस।।"¹

अर्थात् लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने से राम का विलाप धीरे-धीरे प्रलाप में बदल जाता है। प्रभु श्रीराम के व्याकुल व तर्कहीन वचन-प्रवाह

को सुनकर वानर व भालू का समूह भी बेचैन व व्याकुल हो उठा। जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया है। जिस प्रकार 'लक्ष्मण-मूर्च्छा और राम का विलाप' में हनुमान जी ने संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाये व संकटमोचन की भूमिका निभाई, ठीक उसी प्रकार मार्क्सवादी ऋषि व हिंदी प्रगतिशील आलोचना के पितामह डॉ. रामविलास शर्मा ने 'भारतेन्दु युग', 'महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण', 'निराला की साहित्य साधना', 'नई कविता और अस्तित्ववाद'- जैसी पुस्तकों के द्वारा अनेक नए ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में आधुनिक हिंदी साहित्य का एक नया इतिहास प्रस्तुत किया। जब हिंदी आलोचना तमाम विसंगतियों से पीड़ित थी, तब उन्होंने अपनी संजीवनी रूपी समीक्षा के ज़रिए हिंदी आलोचना को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। उनके योगदान को स्वीकारते हुए डॉ. नामवर सिंह लिखते हैं-**"राम की शक्तिपूजा का वह बिंब अपने समूचे अर्थगौरव के साथ मूर्तिमान हो रहा हो... भूधर ज्यों ध्यानमग्न, केवल जलती मशाल।"**²

शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में डॉ. रामविलास शर्मा ने अपनी उल्लेखनीय भूमिका रेखांकित की है। वे एक मौलिक चिंतक तथा विचारक रहे हैं। उनके साहित्य-चिंतन का प्रमुख बिंदु मार्क्सवाद रहा है। उनकी आलोचना का संदर्भात्मक त्रिकोण जनसाधारण, जनसंस्कृति और जनस्वातंत्र्य के योग से निर्मित हुआ है। इसी

दृष्टि के तहत उन्होंने तुलसी से लेकर निराला और प्रेमचंद को अपनी आलोचना का आधार बनाया है।

हिंदी आलोचना में रामविलास शर्मा की आलोचना पद्धति 'प्रगतिवादी समीक्षा' के आधार स्तंभ के रूप में स्वीकार की गई है। उनकी आलोचना का क्षेत्र न केवल विषय की दृष्टि से, बल्कि कार्य की दृष्टि से भी अत्यधिक विस्तृत है। उन्होंने हिंदी आलोचना की चर्चा करते हुए संस्कृत और अंग्रेज़ी साहित्य, भाषा विज्ञान, इतिहास, मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद, समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र जैसे विषयों पर गहराई से विचार किया है। उनकी आलोचना का काल भी प्रायः 1934 (निराला जी की कविता) से शुरू होकर 2000 ई. (भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश) तक लगभग छह दशकों में विस्तृत है। डॉ. रामविलास शर्मा को आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपन्यासकारों में प्रेमचंद तथा कवियों में निराला सर्वाधिक प्रिय हैं। डॉ. रामविलास शर्मा मूलतः एक मार्क्सवादी रचनाकार हैं, किंतु उन्होंने अपने सृजनात्मक विवेक से मार्क्सवाद का एक प्रगतिशील संस्करण तैयार किया है। हिंदी समीक्षा में रामविलास शर्मा के योगदान को मूल्यांकित करते हुए डॉ. माया प्रसाद लिखती हैं-**"डॉ. रामविलास शर्मा प्रगतिशील हिंदी-समीक्षा के ऐसे दुर्धर्ष व्यक्तित्व का नाम है, जिसने विगत छह दशकों से हिंदी आलोचना की समृद्धि और संवर्धन में योगदान देने के साथ-साथ अपने धारदार लेखन से प्रगतिशील समीक्षा का मानक भी गढ़ा है।...**

आधुनिक हिंदी समीक्षा में वे समीक्षकीय प्रतिबद्धता के अपूर्व प्रतिमान हैं।”³

डॉ. रामविलास शर्मा ने सौ से अधिक पुस्तकों की रचना की है। उनकी प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, ‘प्रेमचंद’, ‘प्रेमचंद और उनका युग’, ‘भारतेन्दु हरिश्चंद्र’, ‘निराला की साहित्य साधना’ (तीन खंड), ‘महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण’, ‘आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना’, ‘भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद’, ‘संस्कृति और साहित्य’, ‘प्रगति और परंपरा’, ‘आस्था और सौन्दर्य’, ‘प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ’, ‘नई कविता और अस्तित्ववाद’, ‘सन् सत्तावन की राज्यक्रांति और मार्क्सवाद’, ‘भारतीय सौन्दर्यबोध और तुलसीदास’, ‘भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश’ (दो खंड), ‘पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद’, ‘भारतीय नवजागरण और यूरोप’, ‘इतिहास दर्शन’, ‘लोकजागरण और हिंदी साहित्य’ आदि।

उनकी रचनात्मक पुस्तकों में ‘चार दिन’ (उपन्यास), ‘पाप के पुजारी’ (नाटक), ‘महाराजा कठपुतली सिंह’ (प्रहसन), ‘अपनी धरती अपने लोग’ (तीन खंड, आत्मकथा), ‘बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएँ’, ‘सदियों से सोए जाग उठे’ आदि (कविताएँ), ‘मित्र संवाद’, ‘अत्र कुशलतम तत्रास्तु’ (पत्र साहित्य) आदि प्रमुख हैं। उन्होंने ‘समालोचक’ नामक पत्र का संपादन भी किया है और प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव के रूप में लेखकों के संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया है। डॉ. रामविलास शर्मा के योगदान

के संदर्भ में डॉ. अमरनाथ शर्मा लिखते हैं-“अपने विशाल मौलिक कार्य के द्वारा हिंदी आलोचना को उत्कर्ष तक पहुँचाने में डॉ. शर्मा ने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है।”⁴

डॉ. रामविलास शर्मा की ‘आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना’ नामक पुस्तक सन् 1953 में लिखी गई और सन् 1956 में प्रकाशित हुई। शर्मा जी इस समय तक प्रगतिशील लेखक संघ से अलग हो चुके थे। इस समय रीतिवादी तथा तथाकथित मार्क्सवादी एकजुट होकर आचार्य शुक्ल का विरोध कर रहे थे। रामचंद्र शुक्ल पर उन्होंने पुस्तक इसीलिए लिखी, क्योंकि वे समझते थे कि रामचंद्र शुक्ल जनवादी और स्वाधीन भारत में सुखी और शिक्षित जनता के समृद्ध जीवन के आधार पर नए जन-साहित्य का निर्माण करना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति को रामविलास शर्मा ने प्रगतिशील और लोकोन्मुख माना है। रामविलास शर्मा की आलोचना हर उस लेखक और प्रवृत्ति के लिए रक्षा कवच का काम करती है, जो साम्राज्यवादी और विदेशी ताकतों का विरोध करती है और अपने साहित्य और देश को विदेशी ताकतों की तुलना में श्रेष्ठ और प्रगतिशील मानती है। उनका रामचंद्र शुक्ल के पक्ष में खड़ा होना इसका प्रमाण है। ‘आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना’ की भूमिका में वे लिखते हैं-“उन्होंने बाह्य जगत और मानव-जीवन की वास्तविकता के आधार पर नए साहित्य-सिद्धांतों की स्थापना की और उनके आधार पर सामंती साहित्य का विरोध किया

और देशभक्ति और जनतंत्र की साहित्यिक परंपरा का समर्थन किया। उनका यह कार्य हर देशप्रेमी और जनवादी लेखक तथा पाठक के लिए दिलचस्प होना चाहिए। शुक्ल जी पर पुस्तक लिखने का यही कारण है।”⁵

डॉ. रामविलास शर्मा रामचंद्र शुक्ल की प्रतिरक्षा में इसीलिए खड़े हुए क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदी आलोचना दिशाहीन हो रही है और उसे लीक पर लाना ज़रूरी है। वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साम्राज्यवाद, सामंतवाद और पूँजीवाद विरोध को उजागर करते हैं और इसीलिए मानते हैं कि आलोचना के क्षेत्र में भवभूति के समानधर्मा शुक्ल हैं, जैसे काव्य में उनके समानधर्मा महाकवि निराला हैं।

डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसार आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की विशेषता यह है कि वे अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़नेवाली जनता की प्रमुख शक्तियों- किसान और मज़दूर को पहचानते थे। वे देश के औद्योगिक विकास को महत्त्व देते थे। हिंदी को उसका अधिकार दिलाने के लिए सचेष्ट थे। वे हिंदी भाषी प्रदेश के नवजागरण के प्रतीक थे। द्विवेदी जी के महत्त्व को उजागर करते हुए डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं-“द्विवेदी जी ने अपने साहित्यिक जीवन के आरंभ में पहला काम यह किया कि उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने जो पुस्तक बड़ी मेहनत से लिखी और जो आकार में उनकी और पुस्तकों से बड़ी है, वह ‘संपत्ति शास्त्र’ है।... अभी तक हिंदी में कोई ऐसा लेखक नहीं हुआ

जो साहित्यकार हो, साथ ही जिसे अर्थशास्त्र का ऐसा गहरा ज्ञान हो।... जो लोग भारत में अंग्रेज़ी राज की भूमिका समझना चाहते हैं, उनके लिए द्विवेदी जी की पुस्तक में महत्त्वपूर्ण सामग्री है।... इसके साथ भारत के प्राचीन दर्शन और विज्ञान की ओर उन्होंने ध्यान दिया और यह जानने का प्रयत्न किया कि हम अपने चिंतन में कहाँ आगे बढ़े हुए हैं और कहाँ पिछड़े हैं।... उनके कार्य का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है।”⁶

डॉ. रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को बहुत महत्त्व दिया है। प्रेमचंद को महत्त्व देने का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने जनता को अपनी कला का शक्ति-स्रोत माना है। वे इस बात के प्रमाण हैं कि जनता से अलग रहकर महान साहित्य की रचना संभव नहीं है। वे ऐसे लेखक हैं, जिनकी रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिन्दुस्तान को पहचानते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं से साम्राज्यवादियों द्वारा फैलाए हुए भ्रमों को छिन्न-भिन्न कर दिया। प्रेमचंद के महत्त्व को मूल्यांकित करते हुए डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं-“प्रेमचंद का चिंतन बहुत-कुछ मौलिक था; समाजवादी क्रांति के सभी अंगों का सूक्ष्म विश्लेषण किये बिना भी उन्होंने अनुभव किया था कि हमारा आदर्श व्यक्तिगत संपत्ति से अलग समष्टिवादी होना चाहिए।”⁷

डॉ. रामविलास शर्मा ने साहित्य में सामाजिक यथार्थ के चित्रण पर बल दिया। इसी कारण वे प्रेमचंद के प्रशंसक थे। उनकी स्पष्ट

धारणा थी कि प्रगतिशील साहित्य युग की माँग को पूरा करनेवाला साहित्य है। रामविलास शर्मा की मान्यता है कि जिस समाज में वर्गभेद कायम है, उसमें वर्गों से परे होकर किसी शाश्वत साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद के वर्गीय दृष्टिकोण को अपनी पुस्तक 'प्रेमचंद' में सफलतापूर्वक चित्रित किया है। इस संदर्भ में नन्द किशोर नवल लिखते हैं-“ इस पुस्तक ('प्रेमचंद', 1941) में डॉ. रामविलास शर्मा ने भारतीय समाज की बनावट का परिचय देते हुए दिखलाया कि प्रेमचंद ने विभिन्न वर्गों और उनके बीच के संबंधों का किस रूप में चित्रण किया है और उन वर्गों में कौन-सा वर्ग मिट रहा है और कौन-सा वर्ग उठ रहा है। इसके अलावा उन्होंने इसमें प्रेमचंद की कला का भी बहुत सटीक विश्लेषण किया।”⁸

डॉ. रामविलास शर्मा यह मानते हैं कि, भारतेन्दु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। भारतेन्दु युग की ज़िंदादिली, उसके व्यंग्य और हास्य, उसके सरल-सरस गद्य और लोक संस्कृति से उसकी निकटता से सभी परिचित हैं। रामविलास शर्मा, भारतेन्दु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता तथा भाषा का प्रथम सशक्त नाट्यशिल्पी ही नहीं मानते, एक सशक्त कवि रूप में भी उन्हें यथोचित मान्यता प्रदान करते हैं।

भारतेन्दु की विचारधारा पर भक्त कवियों का गहरा असर था। भक्त कवियों से हरिश्चंद्र

को सबसे बड़ी शिक्षा यह मिली थी कि धर्म, संस्कृति और साहित्य का मूल तत्त्व प्रेम है। इसके प्रभाव को उजागर करते हुए डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं-“ इस प्रेम के आधार पर उन्होंने जाति-पाँति, ऊँच-नीच, छुआछूत, सामाजिक विषमता आदि का विरोध करना सीखा। इस प्रेम से उन्होंने देशप्रेम का संबंध भी जोड़ा।”⁹

भारतेन्दु देश के राजनीतिक आंदोलन की बहुत-सी बात पहले ही सोच चुके थे। समाज सुधार से लेकर स्वदेशी आंदोलन तक उनकी दृष्टि गई थी। वे देश की जनता में एक नयी चेतना जगाना चाहते थे, जो प्रत्येक क्षेत्र में उसे सजग रखे।

निराला साहित्य की समीक्षा रामविलास शर्मा के समीक्षक व्यक्तित्व के चरम उत्कर्ष का प्रमाण है। उन्होंने तीन खंडों में 'निराला की साहित्य साधना' लिखकर जो ऐतिहासिक कार्य किया है, उस तरह का आलोचना का कार्य दूसरा नहीं दिखाई देता। 'निराला की साहित्य साधना' में उन्होंने एक ओर तो निराला के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है, तो दूसरी ओर निराला की काव्य प्रतिभा, रचना प्रक्रिया, भाषा एवं काव्य सौंदर्य को भी उद्घाटित किया है। आधुनिक कवियों में निराला के कृतित्व एवं व्यक्तित्व ने डॉ. रामविलास शर्मा को सर्वाधिक प्रभावित किया है। निराला की सजग सामाजिक चेतना को रेखांकित करते हुए डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं-“ निराला के चिंतन की विशेषता यह थी कि उनके लिए सामाजिक क्रांति शुरू होती थी निम्न जातियों से और

राजनीतिक आंदोलन की सफलता के लिए वे इस सामाजिक क्रांति को अनिवार्य मानते थे। निराला के लिए अछूतोद्धार कोई रचनात्मक कार्यक्रम न था जो राजनीतिक आंदोलन से छुट्टी मिलने पर फुर्सत के वक्त अपना लिया जाता। निराला के लिए जाति प्रथा का विनाश और समानता के आधार पर समाज का पुनर्गठन एक राजनीतिक कर्तव्य था। उसे पूरा किए बिना राष्ट्रीयता का विकास असंभव था।¹⁰

हिंदी जाति के गठन और उसके विकास पर डॉ. रामविलास शर्मा का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके सामने सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस देश में, बल्कि पूरी दुनिया में जातियों की अवधारणाएँ रेखांकित की गई हैं, किंतु हिंदी जाति की अवधारणा से ही अनेक भाषा वैज्ञानिक और इतिहासकार इनकार करते हैं। आश्चर्य यह है कि इनमें कई भारतीय भी हैं।

डॉ. रामविलास शर्मा का दृढ़ मत है कि, जो लोग हिंदी जाति का अस्तित्व अस्वीकार करते हैं और हिंदी भाषा की एकता खंडित करना चाहते हैं, वे कहीं न कहीं भारत की राष्ट्रीय एकता का भी विरोध करते हैं। कारण यह है कि इस राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का माध्यम हिंदी ही है।

डॉ. रामविलास शर्मा द्वारा प्रस्तावित हिंदी जाति की अवधारणा हिंदी क्षेत्र को सांप्रदायिकता और संकीर्णता से मुक्त करने का प्रयास है। उसका उद्देश्य हिंदू, मुसलमान आदि भिन्न मतावलंबियों, हिंदी और उसकी बोलियों तथा उर्दू आदि को जातीयता के सूत्र में एकबद्ध करना है। हिंदी क्षेत्र

की जातीय चेतना को वे भारत की भावी राजनीति के लिए निर्णायक मानते हैं। बंगाली, तमिल, पंजाबी, मलयाली जाति की तरह ही वे हिंदी की भी प्रतिष्ठा चाहते हैं।

हिंदी जाति और हिंदी भाषा के महत्त्व को उजागर करते हुए डॉ. अमरनाथ शर्मा लिखते हैं—“सच्चाई तो यह है कि बहुभाषा भाषी और अनेक जातीयताओं वाले इस विशाल देश को एकता के सूत्र में बाँधने वाली हिंदी जाति और हिंदी भाषा ही है। इस धरती के कोने-कोने को हिंदी जाति ने अपने पसीने से सींचा है। इसीलिए सच्चा हिंदुस्तानी समूचे मुल्क की चिंता करता है, केवल अपनी जाति के हितों का ही नहीं।”¹¹

डॉ. रामविलास शर्मा ने भाषाओं के विकास का अध्ययन समाज, भाषा विज्ञान की पद्धति पर किया और भाषा, परिवारों के संबंधों का वैज्ञानिक विश्लेषण, उनकी ध्वनि प्रकृति, भाव प्रकृति और मूल शब्द भंडार आदि के आधार पर करते हुए जो प्रामाणिक निष्कर्ष दिए वे विश्वसनीय तो हैं ही, हमारी राष्ट्रीय एकता और जातीय स्वाभिमान को पुष्ट करनेवाले भी हैं। रामविलास शर्मा ने ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की कमज़ोरियों को पहचाना, साम्राज्यवादियों की साज़िशों का पर्दाफाश किया तथा भारत को एक भाषायी क्षेत्र में प्रतिष्ठापित किया। डॉ. रामविलास शर्मा के भाषायी योगदान के संदर्भ में डॉ. नामवर सिंह लिखते हैं—“साहित्य चिंतन के क्षेत्र में शायद ही हिंदी में कोई दूसरा आलोचक हो जिसने भाषा पर इतनी गंभीरता से विचार किया हो।... अकेले

डॉ. रामविलास शर्मा ने वैज्ञानिक आधार पर हिंदी के स्वरूप और राष्ट्रीय जीवन में उसके स्थान पर विचार किया।... डॉ. रामविलास शर्मा का भाषा संबंधी कार्य, विश्व कोटि की प्रकृति का कार्य होगा।”¹²

चूँकि परंपरा को लेकर रामविलास शर्मा पूरी तरह आश्वस्त थे, यही कारण है कि उस दृष्टि से हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों के साथ-साथ उससे जुड़े लेखकों और कवियों को मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन का आधार बनाकर उनके समग्र साहित्य का सांगोपांग अध्ययन-विश्लेषण प्रस्तुत किया। रामविलास शर्मा की भाषायी चिंता भी जातीय परंपरा के विकास से जुड़ी हुई थी। उन्होंने इसी उद्देश्य के तहत भाषा, साहित्य और चिंतन की परंपरा को बराबर आगे बढ़ाने का काम किया। साहित्य की परंपरा के ज्ञान को महत्त्व देते हुए रामविलास शर्मा लिखते हैं—“जो लोग साहित्य में युग-परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है।... किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए।”¹³

डॉ. रामविलास शर्मा का एक और महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र, इतिहास है। इतिहास का भाषा और साहित्य, दोनों से ही गहरा संबंध है। जब तक हम भारतीय समाज की विशिष्टता को नहीं समझ सकते, तब तक इसमें निर्मित साहित्य का

व्याख्यान भी नहीं कर सकते। यदि हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, तुलसीदास, प्रेमचंद, निराला के साहित्य की विशिष्टता को समझना है, तो ज़रूरी है कि हम समाज के उस विशिष्ट रूप को समझे, जिसमें इनका निर्माण हुआ था। इसीलिए डॉ. रामविलास शर्मा भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज की अपनी ऐतिहासिक और जातीय विशिष्टता की खोज में प्रवृत्त हुए। इस संदर्भ में डॉ. नामवर सिंह लिखते हैं—“यह हिंदी के लिए गौरव की बात है कि हिंदी के क्षेत्र में, अखिल भारतीय प्रगतिशील आंदोलन में, एक साहित्यकार समालोचक ऐसा है जो भारतीय इतिहास और भारतीय समाज के विकास और परिवर्तनों के बारे में मौलिक चिंतन कर रहा है।”¹⁴

जिस तरह समाज का विकास वर्ग संघर्ष से होता है, उसी तरह साहित्य का विकास वैचारिक संघर्ष से होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा में डॉ. रामविलास शर्मा ने जो वैचारिक संघर्ष किया है, वह निराशा और पलायन के साहित्य के विरुद्ध है। रामविलास शर्मा ने साहित्य की इन गतिरोधक शक्तियों के खिलाफ अनवरत संघर्ष किया। उन्होंने लिखा कि हिंदी साहित्य का विकास संघर्षों के माध्यम से हुआ है। रामविलास शर्मा आत्मसम्मानी आलोचक हैं। यह आत्मसम्मान रामविलास शर्मा में साधना और आत्मसंघर्ष से आया है। यह आत्मसम्मान अपनी जनता से उपजा है।

डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की प्रगतिशीलता का प्रश्न वास्तव में समाज पर साहित्य के शुभ और अशुभ प्रभाव का प्रश्न है। प्रगतिशील जीवनदृष्टि के कारण रामविलास शर्मा ने आदर्शवाद, निराशावाद, प्रतीकवाद, मनोविश्लेषणवाद, अभिव्यंजनावाद तथा राजनीति के क्षेत्र में साम्राज्यवाद, सामंतवाद, प्रतिक्रियावाद तथा सांप्रदायिकता, धार्मिक रूढ़िवादिता आदि सभी ऐसी धारणाओं का प्रतिरोध किया है, जो प्रतिक्रियावादी हैं।

सौंदर्य के प्रति रूढ़ मान्यताओं के विरुद्ध रामविलास शर्मा की दृष्टि मार्क्सवादी है। डॉ. रामविलास शर्मा कहते हैं कि सहृदय कवियों के लिए सुंदर कर्म से बाहर सौंदर्य की सत्ता है ही नहीं। उनका साहित्य मानव कर्म से प्रभावित होता है, मानव कर्म को प्रभावित करने के लिए होता है। डॉ. रामविलास शर्मा यह मानते हैं कि कला के दोनों आयाम रूप और वस्तु परस्पर अभिन्न हैं। पर रचना प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका विषयवस्तु की होती है।

डॉ. रामविलास शर्मा का नयी कविता के प्रति रुख कुछ-कुछ उसी प्रकार का है जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का छायावाद के प्रति था। डॉ. रामविलास शर्मा का विचार है कि नयी कविता के सभी प्रमुख कवि और आलोचक पश्चिम के निराशावादी-पराजयवादी दर्शन के साथ रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि ये सभी स्वाधीनता आंदोलन की विरासत से वंचित हो गए हैं।

डॉ. रामविलास शर्मा का आलोचना-कर्म

हिंदी साहित्य ही नहीं, बल्कि समग्र भारतीय साहित्य की परंपरा की दिशा में किया गया एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न है। उन्होंने हिंदी आलोचना में आचार्य शुक्ल की विरासत को बढ़ाने के लिए कठिन संघर्ष किया है। डॉ. रामविलास शर्मा के योगदान के संदर्भ में रविभूषण लिखते हैं-“**उनका व्यक्तित्व और कृतित्व रेनेसां के महामानवों का स्मरण कराता है। मार्क्सवादी आलोचना में उनका नाम सदैव पूरे आदर और सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा।**”¹⁵

डॉ. रामविलास शर्मा के महत्त्व का मूल्यांकन, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं-

‘न देखा था
मैंने
देवदार
तुम आए
और दिख गया मुझे
छड़ स्तंभ पेड़
मेरी आँखों में खड़ा
अटूट आस्था से
हो गया बड़ा
दिन’

अंत में डॉ. रामविलास शर्मा के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी-

‘परंपरा का वाहक वह,
तुलसी की लोकमंगल का संचालक वह,
संघर्ष करता पहलवान वह,

परशुराम जैसा प्रहारक वह,
 राम जैसी मर्यादा का संचालक वह,
 निराला की क्रांति की जलती मशाल वह,
 मृत पड़े हिंदी जाति में चेतना का प्रसार
 करता, संकटमोचन हनुमान वह,
 हिंदी जाति, हिंदी भाषा का दान वह,
 अभिमान भी वह।'

निष्कर्ष

डॉ. रामविलास शर्मा का साहित्यिक आलोचना में योगदान केवल एक विचारधारा तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐतिहासिक, सामाजिक और दार्शनिक संदर्भों में पुनर्परिभाषित किया। उनकी आलोचना पद्धति तर्कसंगत, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक रही, जिसमें साहित्यिक रचनाओं को केवल सौंदर्यबोध के आधार पर नहीं, बल्कि उनके सामाजिक-ऐतिहासिक संदर्भों में मूल्यांकित किया गया। उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज से पृथक् नहीं हो सकता, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। उनकी कृतियाँ, जैसे निराला की साहित्य साधना और भारतेन्दु युग, साहित्यिक अध्ययन के लिए दिशासूचक साबित हुईं। उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास को ऐतिहासिक और वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति विकसित की। उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, जो यह दर्शाती है कि उनकी आलोचना पद्धति केवल उनके समय तक सीमित नहीं थी, बल्कि भविष्य के साहित्यिक

विमर्शों को भी प्रभावित करती रहेगी।



संदर्भ सूची

1. आरोह भाग-2, कक्षा 12 के लिए हिंदी (आधार) की पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), पुनर्मुद्रण- 2025, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 43
2. त्रिपाठी विश्वनाथ, प्रकाश अरुण, हिंदी के प्रहरी डॉ. रामविलास शर्मा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2002, पृष्ठ सं- 10
3. प्रसाद डॉ. माया, डॉ. रामविलास शर्मा के समीक्षा सिद्धांत, भावना प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1999, पृष्ठ सं- 05
4. शर्मा डॉ. अमरनाथ, हिंदी आलोचना का आलोचनात्मक इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 216
5. शर्मा डॉ. रामविलास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1973, भूमिका
6. शर्मा डॉ. रामविलास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 16
7. शर्मा डॉ. रामविलास, प्रेमचंद, सरस्वती प्रेस, बनारस, संस्करण-1941, पृष्ठ सं- 109
8. नवल नंदकिशोर, हिंदी आलोचना का विकास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, चौथी आवृत्ति, संस्करण-2011, पृष्ठ सं- 232
9. शर्मा डॉ. रामविलास, भारतेन्दु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, छठी आवृत्ति, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 47

10. शर्मा डॉ. रामविलास, निराला की साहित्य साधना (द्वितीय खंड), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-1972, पृष्ठ सं- 29
11. त्रिपाठी विश्वनाथ, प्रकाश अरुण, हिंदी के प्रहरी डॉ. रामविलास शर्मा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2002, पृष्ठ सं- 184
12. त्रिपाठी विश्वनाथ, प्रकाश अरुण, हिंदी के प्रहरी डॉ. रामविलास शर्मा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2002, पृष्ठ सं- 410
13. शर्मा डॉ. रामविलास, परंपरा का मूल्यांकन, राजकमल प्रकाशन, संस्करण-1981, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 14-15
14. त्रिपाठी विश्वनाथ, प्रकाश अरुण, हिंदी के प्रहरी डॉ. रामविलास शर्मा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2002, पृष्ठ सं- 413
15. रविभूषण, रामविलास शर्मा का महत्त्व, राजकमल प्रकाशन, संस्करण-2018, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 109



सुशील कुमार राम, Ph.D. शोधार्थी, काज़ी नज़रुल विश्वविद्यालय,
कोलकाता-700009, पश्चिम बंगाल
संपर्क kumardsc.sushil25@gmail.com

दलितों की गरिमा, स्वाभिमान एवं अधिकारों की त्रिवेणी- 'क्रीमी लेयर'

शोध सारांश

दलित साहित्य भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और वंचित समुदायों के संघर्ष को दर्शानेवाला महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रवाह है। यह साहित्य दलितों द्वारा उनके वास्तविक अनुभवों पर आधारित होता है, जिसमें सामाजिक अन्याय, उत्पीड़न और आरक्षण जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं। जाति-आधारित भेदभाव की गहरी जड़ों को उजागर करने के लिए विभिन्न साहित्यकारों ने लेखन किया है। ओमप्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, मोहनदास नैमिशराय और श्योराज सिंह बेचैन जैसे प्रतिष्ठित दलित साहित्यकारों ने इस विमर्श को दिशा दी।

दलित साहित्य का उद्देश्य केवल सहानुभूति प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुता की स्थापना करना है। यह साहित्य केवल दलितों का ही नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की चेतना को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम भी है। श्योराज सिंह

बेचैन की कहानी 'क्रीमी लेयर' जातिगत आरक्षण और सामाजिक भेदभाव पर प्रकाश डालती है। यह कहानी दो पात्रों 'सुधांशु और प्रणीता' के माध्यम से दलित विरोध और समर्थन की बहस प्रस्तुत करती है।

इस शोध के माध्यम से दलित साहित्य की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रासंगिकता को समझने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि दलित साहित्य केवल वंचित समुदायों के संघर्षों की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि यह व्यापक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप भी है।

बीज शब्द

1. दलित साहित्य
2. जातिगत भेदभाव
3. आरक्षण
4. सामाजिक न्याय
5. आत्मकथा
6. समता
7. दलित चेतना

मूल शोध

स्वदेश कुमार अपने एक दोस्त के साथ गाँव गया। गाँव के एक होटल में उन्होंने चाय पीने

की इच्छा जताई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। इसके बाद स्वदेश कुमार को सुंदर कप में और उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था।

उपरोक्त प्रसंग भेदभाव को दर्शाता है। जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव संविधान में दंडनीय अपराध है। 'समता के अधिकार' द्वारा छुआछूत की प्रथा समाप्त कर दी गई है। यह अधिकार भारत को सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो।

संविधान से प्रेरित होकर दलित साहित्यकारों ने दलितों को सम्मान और समान अवसर दिलाने का प्रयास किया है। दलित साहित्य में 'आरक्षण' एक संघर्षमयी मुद्दा बना हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में स्पष्ट किया गया है-**"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।"**¹ ओमप्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, श्योराज सिंह बेचैन आदि दलित साहित्यकार वंचितों के अधिकारों की बात करते हैं। उनका साहित्य अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करते नज़र आता है।

भारत में 'दलित' शब्द आमतौर पर अनुसूचित जातियों के लिए प्रयोग होता है, जिसका

अर्थ शोषित, दबाया हुआ या वंचित होता है। ब्रिटिशकाल में इसे उन वर्गों के लिए उपयोग किया जाता था, जिन्हें समाज अछूत मानता था। दलित शब्द को परिभाषित करते हुए केवल भारती लिखते हैं-**"दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है, जिसे कठोर और गंदे कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है, जिसे शिक्षा ग्रहण करने और स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया और जिस पर अछूतों ने सामाजिक निर्योग्यताओं की संहिता लागू की, वही और वही दलित है और इसके अंतर्गत वही जातियाँ आती हैं, जो अनुसूचित जातियाँ कही जाती हैं।"**²

दलित साहित्य दलित समुदाय के संघर्षों और अनुभवों पर आधारित लेखन है। डॉ. नामवर सिंह के अनुसार, यह दलितों द्वारा, दलितों के लिए लिखा गया साहित्य है, जो केवल अंबेडकरवाद से प्रभावित है और इसमें गाँधीवाद या मार्क्सवाद का मिश्रण नहीं है।

डॉ. मैनेजर पांडेय दलित साहित्य को दो रूपों में देखते हैं-...एक, दलितों द्वारा लिखा गया, दूसरा, गैर-दलितों द्वारा सहानुभूति से लिखा गया। मोहनदास नैमिशराय के अनुसार, दलित साहित्य केवल दलितों का हो सकता है, क्योंकि यह समानुभूति पर आधारित होता है, न कि कल्पना पर। दलित साहित्य के उद्भव के संदर्भ में शरण कुमार लिंबाले ने लिखा है-**"अछूत का अनुभव अथवा 'जाति-व्यवस्था का कलंक' अलग कर दिया जाए, तो सर्वहारा का जीवन एक जैसा**

होता है। प्रत्यक्ष जाति-व्यवस्था होने के बावजूद उसे नकार कर सभी का जीवन एक समान है' कहना वास्तविकता को नकारना तथा यथार्थ पर लीपापोती करना है। 'अछूत के अनुभव' की ओर से आँखें नहीं मोड़ी जा सकतीं, क्योंकि यह अनुभव हज़ारों वर्षों के, हज़ारों मनुष्यों का है। दलित साहित्य का जन्म अस्पृश्यता की कोख से हुआ है और यही इसकी विशेषता है।"³

अतः दलित विमर्श वह साहित्य है, जिसमें दलितों ने अपनी पीड़ा और जीवन संघर्ष के यथार्थ को स्वयं अभिव्यक्त किया है। इस संदर्भ में शिवकुमार मिश्र ने लिखा है-"पहली बार दलितों का अपना भोगा हुआ उनकी अपनी लेखनी से सामने आ रहा है। उनकी अपनी आशाएँ, आशंकाएँ, उनके अपने स्वप्न, उनका अपना वजूद, उनकी अपनी सोच में ढलकर अभिव्यक्त हो रहा है। इस लेखन में दया, करुणा और सहानुभूति नहीं, खालिस वह यथार्थ है, जिसके वे भोक्ता रहे हैं, दृष्टा नहीं। उसमें आक्रोश, विक्षोभ, घृणा और प्रतिहिंसा के स्वर हैं। उफान और उद्वेग है, चुनौतियाँ और चेतावनियाँ हैं, आत्मविश्वास और संतुष्टि का भाव है। इन सब को लेकर उनसे इतर जो हैं; उनमें अपने-अपने ढंग की प्रतिक्रियाएँ हैं। इन प्रतिक्रियाओं की चिंता ना करते हुए दलित लेखन अपने निजी अधिकारों से अपने को स्थापित कर रहा है।"⁴

20वीं सदी के अंतिम दो दशक हिंदी दलित साहित्य के लिए महत्वपूर्ण रहे। दलित आत्मकथाओं ने दलित विमर्श को प्रखर बनाया,

जहाँ लेखकों ने अपने अनुभवों से दलित उत्पीड़न और संघर्ष को अभिव्यक्त किया। इस संदर्भ में पुनीता जैन लिखती हैं-"दलित चिन्तन की सर्वाधिक सशक्त प्रस्तुति आत्मकथा विधा में हुई है।...हिंदी में लगभग उन्नीस सौ अस्सी के पश्चात दलित लेखन अस्तित्व में आया। ...मोहनदास नैमिशराय की 'अपने अपने पिंजरे' हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा के रूप में प्रतिष्ठित हुई।"⁵

हिंदी दलित साहित्य दलित जीवन, संघर्ष और चेतना का प्रतिबिंब है। यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। दलित साहित्यकारों ने जातिगत भेदभाव व अस्पृश्यता मिटाने और दलित अस्मिता जागृत करने के उद्देश्य से इसे विकसित किया, जिससे समाज में उनकी पहचान स्थापित हो सके।

श्योराज सिंह बेचैन की कहानियाँ 1990 से 2020 के बीच की हैं, जो ओमप्रकाश वाल्मीकि के बाद के समय को दर्शाती हैं। इस दौर में दलितों की नई पीढ़ी सरकारी नौकरियों में स्थान बना रही थी, जिससे उच्च जातियों में आरक्षण विरोध बढ़ा। उनकी कहानियाँ जाति भेद और सवर्ण मानसिकता पर प्रहार करती हैं, लेकिन सवर्णों की प्रगतिशीलता भी दिखाती हैं। उनकी कहानी 'क्रीमी लेयर' में प्रणीता, जो सवर्ण होते हुए भी दलित अधिकारों का समर्थन करती है, इसका उदाहरण है।

श्योराज सिंह बेचैन के अनुसार, कहानियों में सामाजिक दायित्वबोध होना चाहिए, जो समाज

सुधार और अधिकार चेतना से जुड़ा हो। **‘क्रीमी लेयर’** में उन्होंने उन बुद्धिजीवियों और नेताओं की पोल खोली है, जो दलित समानता की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अधिकारों को कमजोर करते हैं। ये लोग समाज और संविधान के लिए खतरा हैं, क्योंकि स्वतंत्रता और बंधुता की बातें केवल दिखावा हैं। आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी दलितों की स्थिति में वह सुधार नहीं हुआ, जिसका सपना डॉ. अंबेडकर और गाँधीजी ने देखा था। इस संदर्भ में श्योराज सिंह बेचैन लिखते हैं- **“मैं यह देखकर दुखी था कि तथाकथित रोशन ख्याल जाति बुद्धिजीवी, खासकर साहित्य-संस्कृति के क्षेत्र में कथनी करनी का ऐसा भेद बनाए हुए हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘हम भारत के लोग’ जिस समता स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित देश बनाने के लिए स्वयं को वचनबद्ध करते हैं, उस भावना के ठीक विपरीत जाति बौद्धिक काम कर रहे हैं। उनकी सोच और साज़िशें कहानी के खलनायकों के संवाद बन रहे हैं।”**⁶

‘क्रीमी लेयर’ कहानी संवादात्मक शैली में प्रस्तुत है, जिसमें दलितों के पक्ष-विपक्ष की बहस मंचन जैसी प्रतीत होती है। इसके दो मुख्य पात्र हैं सुधांशु और प्रणीता। सुधांशु दलितों और आरक्षण का विरोधी है, जबकि प्रणीता मानवाधिकारों की समर्थक और आरक्षण की पक्षधर है। सुधांशु संकुचित, अनैतिक और अमानवीय मानसिकता का प्रतीक है, वहीं प्रणीता न्यायप्रिय, ईमानदार और निर्भीक चरित्र की नारी

है। कहानी समाज में फैली विषमताओं और राजनीतिक पाखंड को उजागर करती है।

सुधांशु ने दलित साहित्य पर पीएच.डी. की है, लेकिन क्रीमी लेयर का सहारा लेकर वह पूरे दलित आरक्षण को समाप्त करना चाहता है। उसका मानना है कि आर्थिक रूप से सक्षम पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, परंतु यह विचार दोगलापन दर्शाता है, क्योंकि वह संपूर्ण आरक्षण हटाने की मंशा रखता है। उसकी सोच जातीय विद्वेष से प्रेरित है और वह सवर्ण गठबंधन के ज़रिए दलितों का शोषण कर संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना करता है। उसकी मंशा को स्पष्ट करते हुए बेचैन जी लिखते हैं- **“सुधांशु को एससी/एसटी से जातीय दुश्मनी थी। उसने कसम खा रखी थी कि एससी/एसटी को नौकरी में नहीं रहने दूँगा। इसके लिए उसने कानून पढ़ा, वर्णचेता संगठन से संपर्क किया। समान विचार के संपादक की तलाश की, अखबार के स्वजातीय तत्त्वों से मिलकर एससी/एसटी के खिलाफ लेखन किया।”**⁷ प्रणीता उसकी दलित संबंधी मंशा का विरोध करती है और उन भ्रष्ट दलित नेताओं की आलोचना करती है, जो सत्ता पाकर वंचितों के साथ अन्याय करने लगते हैं। इस संदर्भ में प्रणीता कहती है- **“दलित कह रहे हैं कि उनके वर्ग के आरक्षण भोगी नेताओं और अफसरों ने समाज के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने उच्च वर्ग की नकल की और उनकी नकल करने की कोशिश में समाज डूब गया। वंचितों की शिक्षा, रोज़गार जैसी ज़रूरी सुविधाएँ पाने योग्य**

नहीं बनने दिया।”⁸

सुधांशु ब्राह्मण जाति का है और एससी-एसटी के प्रति द्वेष रखता है। उसका दोहरा चरित्र तब सामने आता है, जब वह क्रीमी लेयर के ज़रिए दलितों को नौकरी से रोकना चाहता है, जबकि शिक्षा के व्यवसायीकरण से खुश भी होता है, क्योंकि इससे दलित तालीम से वंचित रहेंगे। उसकी पत्नी प्रणीता उसके इस रवैये से असहमत है। वह मानती है कि पढ़े-लिखे लोग ही वंचितों को शोषित कर देश को कमज़ोर बना रहे हैं। प्रणीता दलितों की आज़ादी और बराबरी की समर्थक है तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते जातिभेद व अस्पृश्यता का पूर्ण अंत चाहती है। प्रणीता सुधांशु को समझाते हुए कहती है—
“...हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सुधरे हुए समाजों को न्याय का रास्ता अपनाना पड़ता है। बल्कि हम तो एक देश के रूप में आज़ाद हुए, किसी वर्ण, किसी धर्म या किसी जाति विशेष के रूप में नहीं।”⁹

प्रणीता को अपने पति सुधांशु की दलित-विरोधी राजनीति अस्वीकार्य है। दोनों के विचार मेल नहीं खाते—जहाँ सुधांशु एससी, एसटी विरोधी नीति पर चलता है, वहीं प्रणीता दलित अधिकारों के लिए संघर्षरत एक सच्ची मानवाधिकार कार्यकर्ता है। वह बुद्धिजीवियों पर व्यंग्य करती है, जो विदेशों से पढ़कर आते हैं, दलितों पर शोध भी करते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जातिगत भेदभाव और ईर्ष्या से ग्रसित रहती है। वह कहती है, ऐसी शिक्षा व्यर्थ है, जो न्याय को समझ ही न

सके। प्रणीता सुधांशु पर व्यंग्य करती हुई कहती है—
“अगर न्यायप्रिय पाठ कहीं से भी सीख नहीं पाए, तो क्या पढ़ें और क्या पढ़ाया।”¹⁰ प्रणीता मानती है कि भारत के सवर्ण बुद्धिजीवी पश्चिमी विकास चाहते हैं, लेकिन सामाजिक समानता अपनाने से हिचकते हैं। वह समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के माध्यम से दलितों की स्थिति सुधारना चाहती है। हालांकि, उसे दुःख है कि आज भी दलितों को न्याय नहीं मिला और उनके हित में कोई ठोस योजना लागू नहीं हुई। इस संदर्भ में वह कहती है—
“क्या वर्ण वर्चस्व के उलट सर्वसमावेशी नई व्यवस्था आ गई? क्या सरकारों द्वारा संविधान की समतामूलक भावना समझी जा सकी है? समाजवाद की संकल्पना सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता, वंचितों के हक-हकूकों के साथ चार हज़ार सालों से चली आ रही अस्पृश्यता बहिष्कार अविद्या बेगार के रूप में होती आ रही क्षति की पूर्ति कराने की कोई योजना अमल में आ सकी है?”¹¹

प्रणीता की बातों से तिलमिलाए सुधांशु ने पूछा—
“क्या तुम एससी-एसटी को सवर्णों के बराबर लाना चाहती हो?” प्रणीता ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया कि संविधान और भारतीय संकल्पना समानता पर आधारित है। वह स्वयं वचनबद्ध नागरिक है और दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जब प्रणीता उसकी मंशा पूर्ण होने नहीं देती, तो सुधांशु सवर्णों में प्रचलित पितृसत्तात्मक धारणा को चरितार्थ करते नज़र आता है—
“मैं यह सब

सहन नहीं कर सकूँगा। तुम्हारे लिए न्याय यही है कि तुम एक हिंदू पत्नी हो। पत्नी-धर्म के अनुसार मेरा अनुसरण करो।”¹² वह प्रणीता से अलग होने की बात कहता है, यह सोचकर कि वह गिड़गिड़ाएगी। लेकिन प्रणीता स्पष्ट कहती है कि उसे दोगले लोग पसंद नहीं और वह खुद उससे अलग होना चाहती है, जिससे सुधांशु दिखावे में कहता है-“तुम्हें ऐसा कहते हुए बिलकुल नहीं लगता कि मैं एक हाई क्वालिफाइड व्यक्ति हूँ और मैं जो भी सोचता-करता हूँ वह सब करता तो अपनी सोसाइटी के इंटरेस्ट में हूँ। आखिर हमारे इंटरेस्ट तो कॉमन ही होने चाहिए।”¹³ सुधांशु ने समान रुचियों के बहाने अपनी सवर्ण मानसिकता व्यक्त की, लेकिन प्रणीता को उसकी बातें बनावटी लगीं। वह चिंतित है कि सुधांशु जैसे लोग आर्थिक असंतुलन, सामाजिक विषमता, सांप्रदायिकता और जातिवाद के कारण समावेशी विकास में बाधा डाल रहे हैं। सुधांशु की संकीर्ण सोच तब उजागर होती है, जब वह परंपराओं और धार्मिक रूढ़ियों का समर्थन करते हुए कहता है कि शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखना सही था। उसका मानना है कि इससे न स्त्रियाँ पढ़तीं, न ही दलितों का संरक्षण होता। बेचैन जी ने प्रणीता के माध्यम से दलितों की समस्याएँ उभारने का प्रयास किया है। वे दिखाते हैं कि दलित आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, भूमि वितरण योजनाएँ बनीं, परंतु अधिकांश भूमिहीन और आवासहीन अब भी दलित ही हैं।

प्रणीता-सुधांशु संवादों में बेचैन जी दलित

समस्या व शिक्षा-स्वास्थ्य विसंगतियाँ उजागर करते हैं-“तुम्हारे जीजा जी के प्राइवेट अस्पताल में तो कभी किडनी काण्ड होता है, कभी इन्फेक्शन डिलीवरी कराने पर प्रसूताओं के बेमौत मरने का हादसा होता है। ...यूँ तो तुम्हारे एक दूर के रिश्तेदार ने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली है, अनट्रेंड अनक्वालिफाइड टीचर्स रखकर जितने पैसे दो उतने मार्क्स लो, की सौदेबाज़ी कर रखी है।”¹⁴

प्रणीता का मानना है कि दलितों के प्रति बढ़ती असमानता के खिलाफ लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई से कठिन है। वह एससी, एसटी को उनका हक दिलाने को आत्मनिर्भरता से जोड़ती है। सुधांशु जैसे लोगों पर व्यंग्य करते हुए वह कहती है कि वे आरक्षण खत्म करने और शिक्षा-स्वास्थ्य के व्यवसायीकरण से दलितों को हाशिए पर धकेल रहे हैं। प्रणीता कहती है-“कभी जानने की कोशिश की है? उनके लिए खुले सस्ते सरकारी स्कूलों को बंद कराकर अपने व्यावसायिक स्कूल किसने खोले हैं? एससी/एसटी ने या आपके क्रीमी लेयर ने? सरकारी अस्पताल किसने बंद कराए? एससी/एसटी ने या आपके जनरल ने? ये फाइव स्टारनुमा अस्पताल और स्कूल किसके स्वामित्व में चल रहे हैं, एससी/एसटी के या आपके? जवाब दो सुधांशु चुप क्यों हो गए?”¹⁵ प्रणीता की बात सुनकर सुधांशु पूछता है-“क्या तुम्हें एससी/एसटी से सहानुभूति है?” प्रणीता स्पष्ट जवाब देती है-“हाँ, न्याय, इंसानियत और देशप्रेम के आधार

पर।” इस पर सुधांशु आक्षेप लगाता है कि उसका किसी एससी/एसटी से संबंध है। यह दर्शाता है कि पितृसत्तात्मक मानसिकता के लोग स्त्रियों की गरिमा का सम्मान नहीं करते और अभद्र भाषा का प्रयोग कर अपनी संकीर्ण सोच उजागर करते हैं।

वर्तमान में एससी/एसटी समुदाय अब भी अन्याय और शोषण का शिकार है। उनकी ज़मीनें और व्यवसाय छीने जा रहे हैं, जबकि शिक्षा उनके लिए दुर्लभ बनी हुई है। जो सरकारी ज़मीनें उन्हें मिलनी चाहिए थीं, वहाँ एनजीओ स्थापित कर दिए गए हैं। स्वामित्व संबंधी कोई संस्था भी नहीं बनी। जब प्रणीता यह मुद्दा उठाती है, तो सुधांशु व्यंग्यपूर्वक ताना मारता है कि मेहनत सवर्ण करें और लाभ एससी/एसटी लें। वह उसे राजनीति में जाने की सलाह देते हुए कहता है कि वह बीएसपी या कांग्रेस ज्वाइन कर ले।

श्योराज सिंह बेचैन तर्कशील कथाकार हैं, जिन्होंने सुधांशु के कथन के माध्यम से भारत की राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया है। प्रणीता कहती है-“**मैं क्यों मायावती के साथ खड़ी होऊँ? वे कौन-सी गाँव-गाँव में हुई सरकारी स्कूलों की हत्याएँ रोक पाई? उन्हीं के समय में लखनऊ से लेकर गाज़ियाबाद तक विकसित की गई आवास विकास कॉलोनियों में कहीं कोई सरकारी स्कूल खोला मायावती ने? वे कब एससी/एसटी को वीसी बनाती हैं, उनके हिस्से के साहित्यिक सम्मान किसे दिला पाती हैं? वे हिंदी अध्यापक स्नातक में लगी संस्कृत की अनिवार्यता नहीं**

हटवा पाती हैं। जबकि हिंदी अध्यापक के लिए स्नातक में संस्कृत की शर्त किसी राज्य में नहीं है। मायावती के राज में हिंदी अध्यापक की नौकरी किसी एससी/एसटी को क्यों नहीं मिलती है?”¹⁶

प्रणीता के ज़रिए श्योराज सिंह बेचैन आगे कहते हैं कि-“**साठ साल कांग्रेस के भरोसे ही तो रहीं ये अनुसूचित जातियाँ और शायद भविष्य में भी रहना पड़ जाए, पर आरक्षण तो पूरा नहीं किया। उलटे निजी क्षेत्र में इनके स्थान शिफ्ट कर दिये, वहाँ एससी/एसटी की भागीदारी का कोई उपक्रम नहीं।”¹⁷**

सुधांशु प्रणीता की एससी/एसटी के प्रति सहानुभूति सहन नहीं कर पाता और बुज़दिल पुरुष की तरह व्यवहार करता है। वह पहले उसके चरित्र पर और फिर उसकी माँ पर आरोप लगाता है, यह कहकर कि उसका दलितों से जुड़ाव पारिवारिक कारणों से है। प्रणीता स्पष्ट करती है कि उसके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने समानता का सपना देखा था। वह चाहती है कि अस्पृश्यता खत्म हो और एससी/एसटी को सरकारी सेवाओं, शिक्षा, व्यवसाय और न्याय में उचित प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन हकीकत यह है कि उच्च सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व 1% से भी कम है और क्रीमी लेयर लागू होने से यह शून्य हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में दलितों की खराब स्थिति के बारे में प्रणीता बताती है-“**मन्दिर में, मीडिया में, साहित्य में, सिनेमा में किसका वर्चस्व है, किसका आरक्षण है?...विदेश सचिवों और केंद्रीय सचिवों में एससी/एसटी कितने हैं?**

संपादकों, प्रोफेसरों और वी.सी. में कितने दलित हैं?”¹⁸ प्रणीता के कहने का आशय है कि दलितों को आरक्षण देने से उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उनकी स्थिति में सुधार आएगा।

श्योराज सिंह बेचैन न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं और कहानी में दर्शाते हैं कि क्रीमी लेयर सवर्णों पर भी लागू हो। न्याय प्रणाली पर विश्वास जताते हुए श्योराज सिंह बेचैन ने लिखा है-“**कोर्ट में एक ब्राह्मण वकील आर. रतन पाण्डे ने जब यह कहा कि क्रीमी लेयर एससी/एसटी पर लागू हो सकता है, तो जनरल पर क्यों नहीं हो सकता जहाँ एक-एक घर में पाँच-पाँच आईएस, आईपीएस और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर भरे पड़े हैं। ऊपर से उनके लिए कला, मीडिया, निजी क्षेत्र सभी के दरवाज़े खुले हैं। उनमें क्रीमी लेयर क्यों नहीं हो सकते?**”¹⁹

श्योराज सिंह बेचैन के तर्क अनुसार, जब जनरल आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, तो वे बेरोज़गार होकर एससी/एसटी को दोष देते हैं। लेखक मानते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले दलितों को न्याय दिलाना आवश्यक है।

प्रणीता सोचती है कि सुधांशु को एससी/एसटी से इतनी नफरत क्यों है। एक दिन, उसकी पुरानी डायरी और ननद आकांक्षा से बातचीत के बाद उसे पता चलता है कि सुधांशु दलितों से व्यक्तिगत बदला लेने के लिए दृढ़संकल्प है। उसके दृढ़संकल्प की बातों को निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से समझा जा सकता है-“**बड़ी दी और**

छोटी बुआ मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा। मैं उन दोनों की पीढ़ियाँ तबाह कर दूँगा?”²⁰ प्रणीता को पता चलता है कि उसके पिता ने इज्जत बचाने के लिए उसकी बुआ और दीदी की हत्या करवाई और दलित लड़कों पर केस दर्ज कराया, क्योंकि उन्होंने एससी/एसटी से शादी की थी। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।

श्योराज सिंह बेचैन ने इस कहानी में दलितों की पीड़ा और उसकी जड़ों को उजागर किया है। उन्होंने सवर्णों की संकीर्ण मानसिकता, दलितों की आत्महीनता, उनके राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में सीमित प्रतिनिधित्व, सरकारी योजनाओं की विफलता, भ्रष्ट नेतृत्व और संवैधानिक मूल्यों की उपेक्षा जैसे कारणों को रेखांकित किया है। इन समस्याओं के प्रभावों पर चर्चा करते हुए वे बताते हैं कि दलितों का जीवन मामूली रूप से ही बदला है। यदि उनका प्रतिनिधित्व न्यून बना रहा, तो उनका संघर्ष जारी रहेगा, जिससे वे आज भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

निष्कर्ष

यह कहानी सवर्णों में दो प्रकार की मानसिकताओं को दर्शाती है, जैसे- सुधांशु जैसे लोग दलितों के प्रति अन्याय व अनैतिकता का मार्ग अपनाते हैं, तो वहीं प्रणीता के पिता एवं ब्राह्मण वकील आर. रतन पाण्डे दलितों की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। संक्षेप में कहें, तो यह कहानी दलितों के प्रश्न पर सवर्णों में चल रहे आपसी द्वंद्व को दर्शाती है जहाँ सुधांशु जैसे लोग

दलितों की चीख, समाज तक नहीं पहुँचने देना चाहते, तो वहीं प्रणीता दलितों की आवाज़ बनकर उन्हें उनका हक दिलाना चाहती है।

यदि हमें अपने समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों, गणतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों, लोकमंगल की भावना तथा अम्बेडकर तथा गाँधी के सपनों को पूरा करना है, तो हमें दलितों को न्याय एवं समानता दिलानी होगी। जिस दिन दलित गरिमापूर्ण जीवन जीते हुए अपने विकल्पों का चयन खुद करेंगे, उस दिन भारत समावेशी विकास को प्राप्त कर सकेगा और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बन सकेगा।



संदर्भ सूची

1. भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 32
2. शर्मा डॉ. अमरनाथ, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2021, पृष्ठ सं- 71
3. लिंबाले शरण कुमार, दलित साहित्य: स्वरूप और प्रयोजन, सं. डॉ. श्योराज सिंह बेचैन और डॉ. देवेन्द्र चौबे, चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य, निर्मल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2010, पृष्ठ सं- 68
4. मिश्र शिव कुमार, दलित साहित्य का आंदोलन और हिंदी क्षेत्र, नया पथ, जुलाई-सितम्बर-1997, पृष्ठ सं- 97
5. जैन पुनीता, हिंदी दलित आत्मकथाएँ: एक मूल्यांकन, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2022, पृष्ठ सं- 09
6. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 08
7. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 13
8. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 14
9. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 14
10. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 14
11. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 15
12. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 15
13. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 16
14. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 17
15. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 18
16. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं- 19

17. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं-19
18. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं-21
19. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं-23
20. बेचैन श्योराज सिंह, मेरी प्रिय कहानियाँ, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-2019, पृष्ठ सं-25



डॉ. पी. बालाजी, अनुवादक, राजभाषा प्रकोष्ठ,
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति-517507, आंध्र प्रदेश
संपर्क pbalaji64@gmail.com

अमृतलाल नागर के उपन्यासों में राजनीतिक चेतना

शोध सारांश

वर्तमान राजनीति, समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करनेवाली प्रक्रिया बन चुकी है। हिंदी साहित्य में राजनीतिक चेतना की प्रवृत्ति स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से विकसित हुई है। अमृतलाल नागर जी ने अपने उपन्यासों में सत्ता, शोषण, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता के जटिल पहलुओं को उकेरा है। उनका साहित्य केवल कथा-विन्यास नहीं, बल्कि समाज की वास्तविकता का दार्शनिक और आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

नागर जी ने अपने साहित्य के माध्यम से यह दर्शाया है कि राजनीति का अपराधीकरण और सत्ता का स्वार्थपरक उपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास का मुख्य कारण है। उनके उपन्यासों में राजनीति की विसंगतियों का गहन चित्रण मिलता है, जहाँ सत्ता-लोभ, भाई-भतीजावाद और सामाजिक असमानता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन न होकर

समाज को जागरूक करने और उसे परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करने का माध्यम होना चाहिए।

नागर जी का साहित्य आधुनिक समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह सामाजिक चेतना को जागृत करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। उनके उपन्यास सत्ता-संघर्ष की वास्तविकता को उजागर कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

बीज शब्द

1. राजनीति
2. हिंदी साहित्य
3. अमृतलाल नागर
4. सत्ता-संघर्ष
5. लोकतांत्रिक मूल्य
6. सामाजिक असमानता

मूल शोध

वर्तमान युग में राजनीति, समाज के सभी पक्षों को प्रभावित करनेवाली प्रक्रिया और चेतना है। साहित्यकार, समसामायिक राजनीतिक परिस्थितियों का निरीक्षण करता है। समाज से प्रेरणा ग्रहण कर, उन्हें अपने साहित्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अंकित करता है। आजकल

समाज के विभिन्न स्तरों में और वर्गों में मूल्य परिवर्तन का स्वर मुखरित होता जा रहा है। मूल्य परिवर्तन का अर्थ, पुरातनता के प्रति विद्रोह और नवीनता के प्रति विश्वास का आग्रह है। आज समाज में वही मूल्य स्वीकार्य हैं, जो युगानुरूप परिवर्तित होकर समाज की प्रगति में सहायक हैं। स्वतंत्रता के बाद, हिंदी के प्रायः सभी उपन्यासों में राजनीतिक परिस्थिति किसी न किसी रूप में व्यक्त हुई है।

यह परिवर्तन केवल राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना, व्यक्तिगत विचारधारा और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को भी प्रभावित कर रहा है। आधुनिक साहित्य में यह प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई है, जहाँ लेखक न केवल सामाजिक असमानताओं, भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष को चित्रित कर रहे हैं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक उथल-पुथल, अस्मिता के संघर्ष और सामाजिक दायित्वों की जटिलताओं को भी व्यक्त कर रहे हैं। इस संदर्भ में साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम न होकर एक दार्शनिक और सामाजिक विश्लेषण का सशक्त उपकरण बन गया है, जो समाज को आत्ममंथन और परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है।

अमृतलाल नागर जी ने अपने उपन्यासों में भारत की विशाल पृष्ठभूमि में देश की वर्तमान राजनीति, शासन-सत्ता और विघटित प्रजातांत्रिक मूल्यों को सजग दृष्टि से अपने साहित्य में अंकित किया। वे देश के शासन-तंत्र चलानेवाली किसी

भी पार्टी में विश्वास नहीं करते। उनके उद्देश्य में रूढ़िगत, राजनीतिजन्य अंधविश्वासों और भ्रांतियों से जकड़े जन-जीवन को अस्त-व्यस्त करनेवाली राजनीतिक पार्टियों और दलों के स्वार्थ का गहन चित्रण शामिल है। नागर जी के लेखन में सत्ता के दोहरे चरित्र, आम जनता के शोषण और राजनीतिक नैतिकता के ह्रास का सजीव अंकन मिलता है। उनके उपन्यास केवल कथा-विन्यास तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज की नब्ज को टटोलते हुए राजनीतिक छल-प्रपंच और सत्ता संघर्ष की वास्तविकता को उजागर करते हैं। उन्होंने अपने पात्रों और कथानकों के माध्यम से यह दर्शाया कि किस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण समाज में अस्थिरता और मूल्यों के पतन का कारण बनता है। उनकी दृष्टि में जन-कल्याण से अधिक स्वार्थसिद्धि पर केंद्रित राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास का प्रमुख कारण रही है।

भारत के स्वतंत्र होने के बाद, राजनीति में भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अत्याचार, जाति-धर्म एवं चरित्र हनन जैसी घृणित प्रवृत्तियाँ घर कर गईं। धीरे-धीरे यह विष-बेल फलती-फूलती रही और इसे पानी देने में सत्ता दलों ने अपनी क्षमता का अपूर्व परिचय दिया। भूमि सुधार, हरित क्रांति, सामुदायिक विकास योजनाएँ तथा अन्य प्रकार की सरकारी योजनाएँ, जनता तक पहुँच ही नहीं पाईं। परिणामस्वरूप, सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता बढ़ती गई, जिससे आम नागरिक का व्यवस्था से विश्वास उठने लगा। राजनीति,

जो देश के विकास का आधार बन सकती थी, वही जनहित की अनदेखी कर अपने स्वार्थ तक सीमित रह गई।

अपने युग की राजनीतिक समस्याओं के प्रति प्रगतिशील लेखक नागर जी का स्वस्थ दृष्टिकोण वैज्ञानिक विश्लेषण का परिणाम है। उनकी लेखनी समाज के उन जटिल पहलुओं को उजागर करती है, जो आम जनमानस की पीड़ा और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ी होती हैं। उन्होंने सत्ता के उन निहित स्वार्थों को रेखांकित किया, जो लोकतंत्र को वास्तविक रूप में फलने-फूलने नहीं देते। उनका साहित्य केवल यथार्थ का चित्रण मात्र नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को जागृत करने का एक सशक्त प्रयास भी है।

नागर जी अनुभव करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, हमारे राजनेताओं में स्वार्थी के गुण दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उनके विचार में स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक न्यायसंगत, नैतिक और पारदर्शी शासन व्यवस्था की स्थापना भी था। लेकिन विडंबना यह रही कि कई नेताओं ने व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी, जिससे समाज में असंतोष और नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ। इन विषयों को नागर जी ने अपने उपन्यास के माध्यम से सजीव रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ वे सामाजिक यथार्थ और राजनीतिक परिवर्तनों की गहरी पड़ताल करते हैं। इस राजनीतिक स्थिति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए, सज्जन भी वनकन्या का समर्थन करता

है-“आप सच कहती हैं, बिल्कुल मेरे मन की बात कह रही हैं। मैं पोलिटिक्स से हेट करता हूँ।”¹

नागर जी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहते हैं-“आज इस देश में क्या कांग्रेस, क्या सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, जनसंघ, हिन्दू महासभा आदि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सब अधिकांश में एक-दूसरे से बढ़कर, बेईमान, क्षुद्र आकांक्षाओंवाले, दंभी और मगरूरों द्वारा अनुशासित हैं। आदर्श और सिद्धांत तो सहज शिकार खेलने के लिए आड की टट्टियाँ हैं।”²

‘अमृत और विष’ उपन्यास का अरविंद शंकर, अपनी जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत की राजनीतिक स्थिति तथा सामान्य जनता की दयनीय अवस्था के संबंध में चिंतन करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बावजूद, देश की शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता और राजनीतिक स्वार्थ उसे व्यथित करते हैं। वह देखता है कि आम जनता आज भी आर्थिक विषमता, शोषण और असमानता की चपेट में है। शासन सत्ता के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए वह कहता है-“जहन्नुम में जाए, ये बे पेंदी की सरकार और इसके कर्णधार। इन्होंने चालीस करोड़ आदमियों को कुत्तों का जीवन बिताने पर मजबूर रखा है। इन्होंने व्यक्ति का आत्माभिमान नष्ट कर दिया है।”³ यह कथन उसकी निराशा और व्यवस्था में बदलाव की तीव्र आकांक्षा को प्रकट करता है, जो उस समय के राजनीतिक परिदृश्य की कटु

सच्चाई को उजागर करता है।

अमृतलाल नागर जी का मत है कि सामाजिक विकास के लिए राजनीति की आवश्यकता है। उनका मानना था कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समाज के उत्थान और जनकल्याण की दिशा में कार्य करने का साधन बने। इस प्रकार नागर जी ने अपने उपन्यासों में वर्तमान राजनीति के जटिल पहलुओं और उसमें व्याप्त विसंगतियों पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का सशक्त माध्यम भी है। **“साहित्य में राजनीतिक चेतना प्रजातंत्रात्मक समाजवाद के तत्त्वों में निर्मित हुई है। नवलेखन की मूल प्रवृत्तियाँ प्रजातंत्रात्मक पद्धति में जन्मी हैं और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाती हैं।”**⁴ नागर जी इस विचारधारा के समर्थक थे कि साहित्य को राष्ट्रीयता और मानवतावाद जैसे उच्चतम मूल्यों को संजोकर समाज में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य करना चाहिए।

‘बूँद और समुद्र’ उपन्यास में सज्जन का चिंतन, साम्प्रदायिकता के संबंध में सत्य प्रतीत होता है-“आज इस देश में क्या कांग्रेस, क्या सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, जनसंघ, हिन्दू महासभा आदि, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं इनका आपसी संघर्ष अधिकतर व्यक्तिगत है। इस देश की प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तियाँ भारतीय परम्पराओं को केवल रूढ़ियों में देखती

हैं।”⁵ रूढ़ियों में देखने का यह दृष्टिकोण ही साम्प्रदायिकता की भावना को उत्तेजित करता है। नागर जी अपने उपन्यास में यह दर्शाते हैं कि सामाजिक विकास के लिए परंपराओं का संरक्षण आवश्यक है, किंतु जब परंपराएँ रूढ़ियों का रूप ले लेती हैं, तो वे समाज को जड़ बना देती हैं। उनका मानना था कि सांस्कृतिक मूल्यों का परिष्कार आवश्यक है, ताकि वे समावेशी और प्रगतिशील बन सकें। अतः आज के युग में रूढ़ियों की संकीर्ण परिधि को तोड़कर, बृहद दृष्टिकोण बनाने की प्रेरणा नागर जी के उपन्यासों से मिलती है। उनके साहित्य में सामाजिक समरसता और सहिष्णुता को प्राथमिकता दी गई है, जो आधुनिक समाज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है।

नागर जी हिन्दू-मुसलमान के भेद-भाव को शहरों की देन मानते हैं। उनका मानना है कि गाँवों में समाजिक ताना-बाना और आपसी सहयोग, सौहार्द और एकजुटता से बुना गया होता है, जहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव की गुंजाइश कम होती है। गाँवों में लोग एक-दूसरे के सुख-दुःख में सांझेदार होते हैं और जीवनयापन की कठिनाइयों से मिलकर जूझते हैं। इस सन्दर्भ में हिदायत का सारगर्भित कथन इस बात को प्रमाणित करता है-“अमां, ये हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा तो हमने सिर्फ यहाँ शहर में आ के देखा, हमारे गाँव में तो यह तमाशा अभी तक दिखलाई नहीं देता। जब एक गाँववाले दूसरे गाँववालों पर हमला करते हैं, तो हिन्दू-मुसलमान सब साथ होते हैं। उसमें ये कभी नहीं होता कि मुसलमान

सिर्फ हिन्दुओं को ही मारे और मुसलमानों को छोड़ दें। दो गाँव की लड़ाई होती है, हिन्दू-मुसलमान की नहीं।”⁶ यह कथन न केवल सामाजिक वास्तविकता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शहरों में राजनीतिक स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म का उपयोग कैसे किया जाता है, जबकि गाँवों में मानवीय संबंध और पारस्परिक सहयोग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

साम्प्रदायिकता और राजनीतिक व्यवहार के बारे में कवि अपना उद्देश्य इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता में राजनीति के प्रति एक प्रकार की उदासीनता है। इसका मूल कारण यह है कि जनता ने समय के साथ नेताओं की वास्तविक मंशा को समझ लिया है। वे देखते हैं कि चुनावी प्रक्रियाएँ अधिकतर स्वार्थ और छल-कपट से भरी होती हैं। इस स्थिति के बारे में डॉ. मुरलीधर नायक कहते हैं- ‘लोक सभा, विधान सभा तथा राज्य सभा के चुनाव में खड़े? रहनेवाले उम्मीदवार, अवैध अपव्यय किये बिना, विजय-लाभ नहीं ले पाते और पार्टी के नाम पर चंदा माँग-माँग कर, इकट्ठी हुई निधि से ही दस-दस रुपये में वोट खरीदना, पैसे के प्रलोभन से जनता के अधिकारों की रक्षा करना, पूँजीपतियों को झूठे आश्वसान देना, गुण्डागर्दी करना ये सब नैतिक, अनैतिक बातें आज की चुनाव पद्धति में आमतौर पर पाई जाती हैं।’ इस प्रकार प्रत्येक दल का नेता अपने दल को केवल दाँव-पेंच का अखाड़ा बना रहा है। वैयक्तिक स्वार्थों ने

राजनेताओं की बुद्धि का हरण कर लिया है।

राजनीति, जो कभी राष्ट्रसेवा का माध्यम मानी जाती थी, अब केवल सत्ता प्राप्ति का साधन बन चुकी है। चुनावों के दौरान बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता की समस्याएँ गौण हो जाती हैं। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक अवसरवादिता ने लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा आघात पहुँचाया है। आज़ादी के बाद भारतीय नेताओं ने जिस प्रजातंत्रीय व्यवस्था को स्वीकार किया, उसका वास्तविक लाभ समाज के वंचित तबकों तक नहीं पहुँच पाया। आज भी यदि कोई इस व्यवस्था से लाभान्वित हुआ है, तो वह शासक वर्ग और उच्च वर्ग ही है। आम जनता, जो लोकतंत्र की असली शक्ति होनी चाहिए, वह अपने जीवन की समस्याओं में उलझी रह जाती है और राजनीति से धीरे-धीरे विमुख होती जा रही है।

‘बूँद और समुद्र’, ‘अमृत और विष’, ‘बिखरे तिनके’, ‘अग्निगर्भा’ उपन्यासों में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर ज़ोर देते हुए नागर जी ने राजनीति के भ्रष्टाचारों एवं विकृत स्वरूप की निन्दा की है। नागर जी के उपन्यासों में उनकी गाँधीवादी विचारधारा और अहिंसा के सिद्धांत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में सांप्रदायिकता, राजनीतिक स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता आदि की कड़ी निन्दा के साथ-साथ जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था भी व्यक्त की है। यही नागर जी की राजनीतिक चेतना है। उनके साहित्य में तत्कालीन राजनीतिक

परिस्थितियों की तीव्र आलोचना देखने को मिलती है, जहाँ वे सत्ता के केंद्रीकरण, नेताओं की अवसरवादी नीतियों और नैतिक पतन को उजागर करते हैं। नागर जी का लेखन मात्र कथा कहने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उनके पात्र न केवल समाज के यथार्थ को प्रतिबिंबित करते हैं, बल्कि पाठकों को आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित करते हैं। उनकी रचनाएँ लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की अपील करती हैं और एक न्यायसंगत, नैतिक तथा समानता पर आधारित समाज की ओर इंगित करती हैं।

वर्तमान राजनीतिक दल केवल स्वार्थ से परिपूर्ण हैं। अतः भारतीय जनता में राजनीति के प्रति जो उदासीनता की भावना है, उसका जीता-जागता वर्णन अमृतलाल नागर जी के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजकीय अधिकारों का सर्वाधिक दुरुपयोग चुनाव के अवसर पर ही होता है। 'बिखरे तिनके' में चुनाव के दौरान नेताओं की स्वार्थपरता तथा युवा शक्ति के दुरुपयोग का पर्दाफाश किया गया है।

नागर जी का मत है कि यदि समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है, तो सबसे पहले जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करनी होगी। वे मानते हैं कि जब तक जनता शिक्षित और जागरूक नहीं होगी, तब तक वह राजनेताओं के स्वार्थ और छल-कपट को नहीं समझ सकेगी। इस संदर्भ में उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम

से यह दिखाया है कि अज्ञानता और अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ने के लिए शिक्षा और वैज्ञानिक चिंतन आवश्यक हैं। एक सभ्य और नैतिक समाज की स्थापना के लिए जागरूकता लाना ही एकमात्र उपाय है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके।

नागर जी का उद्देश्य है कि जब तक राजनीतिक दल सुदृढ़ नहीं होते, तब तक लोकतंत्र भी सुदृढ़ नहीं हो सकता। उन्होंने पूँजीवाद व सामंतवाद का विरोध करते हुए समाजवाद के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। यही नहीं, उनके उपन्यासों पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उनके लेखन में सत्ता और व्यवस्था की विसंगतियों का यथार्थवादी चित्रण मिलता है, जिससे उनके सामाजिक सरोकारों का आभास होता है। इस प्रकार साम्प्रदायिकता, राजनीतिक स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता आदि की कड़ी निन्दा करके, नागर जी ने राजनीतिक चेतना का स्पष्ट विवेचन किया है।

अमृतलाल नागर जी की राजनीतिक चेतना पर गाँधी दर्शन और चिंतन का गहरा प्रभाव है। उन्होंने अनेक स्थानों पर अहिंसावादी विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए मानवतावादी जीवन दर्शन को जन-कल्याण के लिए अत्यंत हितकारी माना है। उनके विचारों में सामाजिक समरसता और न्याय की अवधारणा प्रमुख रूप से स्थान पाती है। वे मानते थे कि वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है, जब सत्ता जनहित को प्राथमिकता दे और

जनता के नैतिक एवं बौद्धिक उत्थान का माध्यम बने। यही कारण है कि उनके साहित्य में समाज सुधार, समानता और नैतिकता की गूँज सुनाई देती है।

निष्कर्ष

अमृतलाल नागर जी के साहित्य में राजनीतिक चेतना का गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनके उपन्यास केवल कथा-विन्यास तक सीमित न रहकर समाज की नब्ज को टटोलते हैं और सत्ता संघर्ष, राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार तथा सामाजिक असमानताओं की वास्तविकता को उजागर करते हैं। वे राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन न मानकर, समाज सुधार और जनकल्याण की दिशा में एक प्रभावशाली उपकरण मानते थे। नागर जी ने अपने लेखन के माध्यम से यह दर्शाया कि स्वतंत्रता के बाद भी देश की शासन व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता बनी रही। उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करते हुए सत्ता के दुरुपयोग, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक अनैतिकता की ओर संकेत किया। उनका साहित्य केवल राजनीतिक घटनाओं का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का दर्पण भी है। इस संदर्भ में नागर जी का साहित्य आधुनिक युग में भी प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि उनकी रचनाएँ राजनीतिक व्यवस्था की विसंगतियों को उजागर करने के साथ-साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। वे मानते थे कि राजनीति

केवल सत्ता संघर्ष तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सामाजिक समरसता, न्याय और नैतिक मूल्यों की स्थापना में सहायक होनी चाहिए। अतः नागर जी का साहित्य केवल साहित्यिक योगदान तक सीमित न रहकर, समाज और राजनीति के अंतर्संबंधों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है।



संदर्भ सूची

1. बूँद और समुद्र, अमृतलाल नागर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 128
2. बूँद और समुद्र, अमृतलाल नागर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 582
3. अमृत और विष, अमृतलाल नागर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 38
4. हिंदी नवलेखन, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, संस्करण-1960, पृष्ठ सं- 219
5. बूँद और समुद्र, अमृतलाल नागर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 582
6. अमृत और विष, अमृतलाल नागर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 463



डॉ. टी. लता मंगेश, सहायक प्राध्यापिका (हिंदी विभाग)
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति-517507, आंध्र प्रदेश
संपर्क lathamangesht@gmail.com

हिंदी साहित्य में डॉ. बालशौरि रेड्डी की सृजनात्मक दृष्टि

शोध सारांश

कथा-साहित्य ने अन्य साहित्यिक विधाओं और जनसंचार माध्यमों के तीव्र विकास के बावजूद अपनी व्यापक लोकप्रियता बनाए रखी है। अपनी अंतर्निहित विशेषताओं के कारण, कथा-साहित्य जीवन की वास्तविकताओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे यह समकालीन लेखकों का पसंदीदा माध्यम बन गया है। दक्षिण भारत के प्रमुख हिंदी लेखक डॉ. बालशौरि रेड्डी अपने विस्तृत साहित्यिक योगदान, विशेष रूप से उपन्यास और कहानियों के माध्यम से इसका सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके लेखन में ग्रामीण जीवन, नैतिक मूल्यों और ऐतिहासिक विषयों की गहरी पकड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, विशेषकर आंध्र प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित विषयों में।

डॉ. रेड्डी की साहित्यिक यात्रा उनके ग्रामीण परिवेश और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संपर्क से गहराई से प्रभावित हुई थी। बाल साहित्यिक

पत्रिका चंदामामा में उनके संपादकीय कार्य ने उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कथा-साहित्य में ऐतिहासिक और पौराणिक तत्वों का समावेश होता है, जो उनके पात्रों को गहराई और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ प्रदान करता है। उनका उपन्यास 'शबरी' शास्त्रीय कथाओं की उनकी पुनर्व्याख्या का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, डॉ. रेड्डी ने तेलुगु साहित्य का हिंदी में अनुवाद कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। बाल साहित्य और गंभीर कथा-साहित्य दोनों में उनके योगदान ने उन्हें हिंदी साहित्यिक विमर्श में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है।

बीज शब्द

1. कथा-साहित्य
2. डॉ. बालशौरि रेड्डी
3. हिंदी कथा साहित्य
4. आंध्र प्रदेश की संस्कृति
5. ऐतिहासिक आख्यान

मूल शोध

कथा-साहित्य विश्वभर में आज लोकप्रिय

विधा बन गया है। साहित्य के अन्यान्य विधाओं के विकास के बावजूद तथा दूरसंचार माध्यमों के तेज़ गति से विकास के बावजूद कथा-साहित्य पाठकों में अधिक चर्चित और लोकप्रिय विधा के रूप में विकसित हुआ है।

अपने स्वाभाविक लक्षणों के कारण कथा-साहित्य जीवन यथार्थ को प्रस्तुत करने में सफल विधा के रूप में माना जाता है। वर्तमान जीवन को जितनी आसानी से कथा-साहित्य में खोजा जा सकता है, इस रूप में किसी और साहित्य विधा में संभव नहीं हो सकता। कथा साहित्य की इस विलक्षणता के कारण ही वर्तमान लेखकों में अधिकांश ने इसे अपने सृजन का एक प्रमुख रूप बनाया है। ऐसे लेखकों में दक्षिण के हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक डॉ. बालशौरि रेड्डी भी एक हैं। उनके सम्पूर्ण कृतित्व को दृष्टि पटल में रखने से इसी बात की पुष्टि होती है। बड़ी संख्या में प्रकाशित उनके उपन्यास तथा उनकी कहानियाँ इसी बात के साक्ष्यप्रमाण हैं। समीक्षा और अनुवाद जैसे विषयों पर भी डॉ. रेड्डी ने अपनी कलम चलाई है। फिर भी यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि कथा-साहित्य ही उनके लेखन पर उनकी मुख्य विधा है। तथा जिस मूलभूत संवेदना को लेखक होने के नाते वे व्यक्त करना चाहते हैं, वह सिर्फ कथा-साहित्य के माध्यम से ही संभव हो सका। श्री बालशौरि रेड्डी का व्यक्तित्व उनके कृतित्व से भी उदात्त एवं उन्नत है। उनके व्यक्तित्व में एक देहाती जीवन के व्यक्ति की गंध आती है। देहाती व्यक्ति आस्थावान, मूल्यप्रेमी, भोला,

ईमानदार और कर्मठ होता है। देहाती व्यक्ति के ये सभी गुण डॉ. रेड्डी में देख सकते हैं। डॉ. बालशौरि रेड्डी एक मध्य वर्गीय किसान जीवन से संबन्ध रखनेवाले हैं। भारत के अनेकानेक महापुरुषों को इसी वर्ग ने जन्म दिया है। जीवन के आरंभिक पारिवारिक स्नेह और पारिवारिक परिवेश का प्रभाव उनके कथा साहित्य में परावर्तित हुए हैं। उपन्यास लेखन पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि-“ ‘उपन्यास’ लेखन मेरी सर्वाधिक प्रिय विधा रही है। कारण है कि इसमें अपनी पूरी बात को स्वतंत्र रूप से कहने की गुंजाइश होती है।”¹

डॉ. रेड्डी का व्यक्तित्व अपने परिवेश से अलग नहीं था। डॉ. रेड्डी के जीवन के आरंभिक काल में राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव रहा। डॉ. रेड्डी ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया। डॉ. रेड्डी का लेखकीय परिवेश दक्षिण का ही रहा। इसका मुख्य कारण उनका आरंभिक जीवन आंध्र और तमिलनाडू से जुड़कर रहा। हालाँकि उनके बाद का जीवन उत्तर भारत से जुड़ गया था। वह उनकी भाषा को परिमार्जित करने में सहायक बना न कि उनके लेखकीय व्यक्तित्व को बनाने में। अतः डॉ. रेड्डी का लेखकीय व्यक्तित्व दक्षिण भारत का है, वह भी खासकर दक्षिण भारत के आंध्र से ही बना है। इसी कारण से उनके कथा-साहित्य में आंध्र प्रदेश का ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन अधिक अभिव्यंजित हुआ है।

“ भारत की सभी भाषाओं में शहरी जीवन पर अधिक संख्या में न तो कहानियाँ लिखी गई

हैं और न उपन्यास। गाँव हमें आकर्षित करते रहे हैं और हमारे बहुत से कथाकार गाँवों में ही जनमे, गाँवों में ही बड़े हुए हैं। हमारी भाषाओं के पाठक भी तो अधिक संख्या में गाँव में ही बसते हैं। शहर के लोग अंग्रेज़ी पढ़ लेते हैं। तेलुगु की अनेक कहानियाँ और उपन्यास ग्रामीण जीवन पर आधारित हैं। इस संकलन में त्रिपुरनेनि गोपीचन्द की 'मिट्टी', करुण कुमार की 'बैकना' और भास्कर भल्ल की 'प्रतिष्ठा' नामक कहानी में हम किसान, खेत की मिट्टी और किसान के बैल से भी परिचय पाते हैं।"²

डॉ. रेड्डी कथाकार होने के साथ-साथ एक कुशल पत्रकार भी थे। पत्रकारिता की दुनिया ने डॉ. रेड्डी को एक ऐसा लेखकीय व्यक्तित्व प्रदान किया है, जिसकी बुनियाद पर डॉ. रेड्डी ने बहुत ही मार्मिक कथा-साहित्य का निर्माण किया है। अपने आरंभिक जीविका के रूप में डॉ. रेड्डी ने मद्रास से प्रकाशित होनेवाली बालपत्रिका 'चंदामामा' का संपादन किया। इस संपादक कार्य ने उन्हें साहित्य के साथ जोड़ दिया। इस साहित्यिक संसर्ग ने डॉ. रेड्डी में एक मूल्यप्रेमी लेखक को जन्म दिया। 'चंदामामा' अपने समय में चर्चित बाल साहित्य की पत्रिका रही है। डॉ. रेड्डी ने इस पत्रिका के माध्यम से कई भावि नागरिकों को बनाया है। वहीं बाल साहित्य के रचने से प्रभावित होकर उन लक्षणों को अपने लेखकीय व्यक्तित्व में संजोया है। कदाचित इसी प्रेरणा ने डॉ. रेड्डी को मूल्यवादी व आदर्शवादी बनाया। उनके व्यक्तित्व की यह मूल्यवादी व

आदर्शवादी गंध उनके पूरे कथा-साहित्य में व्याप्त दिखाई पड़ती है। डॉ. रेड्डी का कथा-साहित्य न केवल उनके लेखकीय व्यक्तित्व से निसृत है, बल्कि अपने परिवेश के प्रति सजग प्रतिक्रिया मात्र है। जैसा कि डॉ. रेड्डी के लेखन का परिवेश दक्षिण भारत का जीवन और उसकी संस्कृति है, परिवेश के इसी सीमा में ही डॉ. रेड्डी के कथा-साहित्य का विश्लेषण किया जा सकता है।

“पाश्चात्य देशों की तुलना में भारत में आज भी बाल साहित्य की कमी है। इस क्षेत्र में बालशौरि रेड्डी का प्रयास सराहनीय है। 'चंदामामा' पत्रिका के माध्यम से उन्होंने बाल साहित्य लेखन को आगे बढ़ाया। उनकी मान्यता है कि देश का भविष्य बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास पर ही निर्भर होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हिंदी पाठकों के लिए तेलुगु की लोक कथाएँ, 'आँध्र के महापुरुष', 'तेनाली राम के लतीफे', 'तेनाली राम के नए लतीफे', 'बुद्ध से बुद्धिमान', 'न्याय की कहानियाँ', 'तेनाली राम की हास्य कथाएँ', आदर्श जीवनियाँ और 'आमुक्त माल्यदा' जैसे बालोपयोगी रचनाएँ कलात्मक रूप से प्रस्तुत कीं।"³

डॉ. रेड्डी के कृतित्व के व्यापक विश्लेषण से एक बात स्पष्ट होती है कि कथा लेखन उनका मुख्य कर्म है। वे उपन्यासकार और कहानीकार दोनों ही रूपों में चर्चित हैं। फिर उपन्यासों के वस्तुपरक अध्ययन से एक सत्य सामने आता है कि डॉ. रेड्डी ने वर्तमान जीवन की अभिव्यक्ति के

लिए इतिहास और पुराणों को आधार बनाया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह वही व्यक्ति कर सकता है, जिसे इतिहास और पुराणों का समग्र बोध हो। जिसने भारतीय इतिहास और पुराणों का समुचित परिचय प्राप्त किया हो। डॉ. रेड्डी ऐसे ही इतिहास और पुराणवेत्ता थे।

डॉ. रेड्डी के कथा-साहित्य में व्यक्त इतिहास, विशेषकर आंध्र से जुड़ा हुआ इतिहास है। डॉ. रेड्डी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से आंध्र के प्राचीन इतिहासों को जोड़ने का प्रयास किया, जो उनके उपन्यासों की विशेषता है। इस दृष्टि से 'प्रकाश और परछाई', 'दावानल', 'वीरकेशरी', 'लकुमा', 'शंखनाद' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। डॉ. रेड्डी में एक पौराणिक द्रष्टा भी छिपा हुआ है। उनका 'शबरी' उपन्यास इसका साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करता है। **“‘शबरी’ उपन्यास में रेड्डी ने रामायणकालीन शबरी को एक नयी विशेषता के साथ प्रस्तुत किया है। शबरी अपने शौर्य पराक्रम एवं योग्यता के कारण अपने कबीले का नेतृत्व कर पाती है। रेड्डी जी शबरी को भीरु व डरपोक नहीं बताकर, शबरी को निर्भीक व साहसी सिद्ध करते हैं।”**⁴

डॉ. रेड्डी के व्यक्तित्व में रामायण के प्रति तथा राम कथाश्रित पात्रों के प्रति विशेष रुचि रही है। उसी रुचि के अनुकूल डॉ. रेड्डी ने शबरी उपन्यास को लिखा। उनका शबरी उपन्यास सिर्फ एक पौराणिक उपन्यास ही नहीं, बल्कि दलित जातियों की यथार्थ गाथा को प्रस्तुत करनेवाला प्रगतिशील उपन्यास है। इसमें एक दलित जाति

की स्त्री को सामाजिक साधिकारता दिलाने का प्रयास किया है। रामायण कथासूत्र से इस अप्रकाशित अंश को उठाकर डॉ. रेड्डी ने हिंदी में पौराणिक उपन्यासों की नई परंपरा का सूत्रपात किया है। डॉ. रेड्डी ने बड़ी संख्या में सामाजिक उपन्यास ही लिखे हैं, जिनमें दक्षिण भारत का जीवन प्रतिफलित हुआ है। 'ज़िंदगी की राह', 'यह बस्ती ये लोग', 'भग्न सीमाएँ', 'बैरिस्टर', 'स्वप्न और सत्य', 'धरती मेरी माँ', 'प्रोफेसर', 'कालचक्र' आदि उनके बहुचर्चित सामाजिक उपन्यास हैं। डॉ. रेड्डी ने अपने सामाजिक उपन्यासों में वर्तमान जीवन को ही अधिक प्राथमिकता दी। इन औपन्यासिक कृतियों के अतिरिक्त लगभग तीस कहानियाँ उन्होंने लिखीं। इन कहानियों में प्रमुखतः सामाजिक जीवन की अनेक विषमताओं और असंगत जीवन का चित्रण पाया जाता है। कथा-साहित्य की ये सारी रचनाएँ उच्च स्तर की हैं तथा डॉ. रेड्डी को अपने समय में हिंदी कथाकारों में एक विशिष्ट स्थान दिलाने में सक्षम हुई हैं।

“इन्ही परिस्थितियों की कथा व्यथा है 'ज़िंदगी की राह', 'यह बस्ती ये लोग'-जैसे सामाजिक उपन्यास में भले ही मद्रास जैसे महानगर को कथा का आधार बनाया गया हो, किन्तु कमोबेश हर शहर, हर बस्ती की यही स्थिति है, कंक्रीटों के जंगल में रहते-रहते हमारा मन भी पाषाण होता जा रहा है। कहने को मनुष्य अति आधुनिक होता जा रहा है, किन्तु उसका मन क्षुद्र से क्षुद्रतर होता जा रहा है।”⁵

दक्षिण भारत के जीवन का उद्घाता डॉ.

बालशौरि रेड्डी के कथा-साहित्य में वस्तुगत विविधता दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपने समय के जीवन को अपने कथा-साहित्य में व्यापक पटल पर प्रस्तुत किया है। डॉ. रेड्डी अपने समय के जीवन का सिर्फ द्रष्टा ही नहीं, बल्कि एक कुशल समीक्षक भी हैं। अतः उनका कथा-साहित्य न केवल उनके परिवेश से तथा जीवन से सिर्फ परिचय ही नहीं कराता है, बल्कि उस जीवन का साक्षात्कार भी कराता है। वे सृजन के लिए जीवन को चुनते हैं, तो इस चयन में ही उनकी समीक्षात्मक दृष्टि उभरती है। बीसवीं सदी की भारतीय जीवन की सबसे विस्फोटक घटना पारिवारिक जीवन का बदलाव है। इस ज्वलंत सामाजिक बदलाव को डॉ. रेड्डी ने अपने कथा-साहित्य की न केवल मुख्य-वस्तु बनाई, बल्कि इस बदलाव से उत्पन्न भयानक परिणामों का लेखा-जोखा भी बहुत ही सफल ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी दृष्टि में भारतीय सामाजिक बदलाव में पारिवारिक जीवन का बदलाव ही मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि मनुष्य समाज से सीधा संबंध नहीं रखता है, बल्कि किसी परिवार के माध्यम से ही परिवार से जुड़ता है। पारिवारिक बदलाव इसलिए परिवार तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि पूरे पारिवारिक बदलाव के लिए ज़िम्मेदार होता है। डॉ. रेड्डी ने सामाजिक बदलाव के इस सत्य को पहचानने के लिए पारिवारिक जीवन के बदलाव को अपने कथा-साहित्य में बड़े पैमाने पर स्थान दिया है।

आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है, जहाँ पारिवारिक व्यवस्था सुदृढ़ है। फिर भी साठोत्तर

काल के परिवेश ने इसे भी प्रभावित किया। डॉ. रेड्डी ने अपने कथा साहित्य में इस बदलाव को यथासंभव रेखांकित किया है। भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह आंध्र प्रदेश भी कृषि जीवन पर आधारित राज्य रहा है। कृषि जीवन पर आधारित परिवार संयुक्त व्यवस्था में अपने प्रयोजन को देखता है। परंतु बदले हुए आज के संदर्भ में कृषि जीवन पर आधारित आज के परिवारों में भी संयुक्त व्यवस्था नहीं रही। इसलिए डॉ. रेड्डी को विवश होकर अपने कथा-साहित्य में एकल परिवारों को ही चुनना पड़ा। आज जीवन में धन का महत्त्व बढ़ गया है। इस धन ने पारिवारिक संबंधों में भयानक स्वार्थ को जन्म दिया है।

डॉ. रेड्डी ने अपने कथा-साहित्य में इस सत्य का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने पति पत्नी के संबंध से लेकर अन्य सभी संबंधों को प्रस्तावित किया है। पिता-पुत्र, पिता-पुत्री तथा माता-पुत्र के संबंधों को विशेष रूप से बदलते हुए दिखाया है। पति-पत्नी के संबंधों में डॉ. रेड्डी ने पत्नी को परंपराश्रित ही रखा है। पत्नी भारतीय परंपरा के अनुसार ही अब भी पति के अत्याचार और अन्याय को झेलती है। परिवार को बचाने के क्रम में वह पति का विरोध नहीं करती। डॉ. रेड्डी ने सचमुच ही परिवार को बचाने के लिए पत्नी में इस समर्पित भाव को प्रतिष्ठित किया है। डॉ. रेड्डी के कथा साहित्य में ऐसे पति पात्र भी देखने को मिलते हैं, जो पत्नी के आधुनिक होने से पारिवारिक प्रेम से वंचित होते हैं। 'प्रोफेसर' उपन्यास का पति लगभग इन्हीं स्थितियों से गुजरता है। डॉ.

रेड्डी के कथा-साहित्य में आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व इस रूप में दिखाई पड़ता है। डॉ. रेड्डी ने स्त्री में मातृत्व की गरिमा को दिखाया है। माता के रूप में वह अपनी संतान की भलाई ही चाहती है। परिवार पर गुजरनेवाले सभी कष्टों से अपने संतान को बचाने की हर संभव कोशिश करती है। माता और पुत्रों के संबंध में डॉ. रेड्डी ने पुत्र पात्र के स्वार्थ को दिखाने का प्रयास किया है। लगभग यही क्रम पिता और पुत्र के संबंधों में भी दिखाया गया है।

पुत्र स्वार्थी है। अपने बूढ़े माता-पिता के लिए उसके मन में कोई स्थान नहीं है। डॉ. रेड्डी ने पिता के रूप में पुरुष का जो चित्रण किया है, वह बहुत ही उदात्त है। पिता के रूप में वह अपनी संतान की पूरी भलाई चाहता है। इसके अतिरिक्त डॉ. रेड्डी ने अपने कथा-साहित्य में कुछ नये मानवीय संबंधों की तलाश की है। ऐसे मानवीय संबंधों में मित्र के बीच का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, प्रेमी और प्रेमिका का संबंध आदि शामिल हैं। डॉ. रेड्डी ने इन सारे पारिवारिक संबंधों के बदलाव को दिखाया है। उनके बदलते और बिगड़ते रूपों को दिखाकर डॉ. रेड्डी ने उनके दुष्परिणामों की ओर भी संकेत किया है।

डॉ. रेड्डी का नारी संबंधी दृष्टिकोण विशिष्ट रहा है। उनका दृष्टिकोण परम्पराश्रयी और आदर्शवादी ही रहा है। वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि शिक्षित नारी ही सामाजिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में उनके नारी पात्र भी अधिकांश शिक्षित

ही हैं। वर्तमान समाज की इस विशेषता को उन्होंने पौराणिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ में भी तलाशने की कोशिश की है। उनके कथा-साहित्य में नारी के तीन प्रमुख रूप प्राप्त होते हैं - पौराणिक, ऐतिहासिक और वर्तमान समाज की नारी। इन तीनों रूपों में डॉ. रेड्डी ने नारी के वर्चस्व को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वर्तमान नारी के व्यक्तित्व के विविध गुणों के समर्थन में ऐतिहासिक नारी पात्रों को प्रस्तुत किया है। शबरी उनका पौराणिक पात्र है, जो सहनशीलता और संघर्ष का प्रतीक है। इन गुणों को डॉ. रेड्डी आज की नारी में भी देखने की इच्छा रखते हैं।

इसी प्रकार 'लकुमा' उनका ऐतिहासिक पात्र है। 'लकुमा' एक देवदासी होते हुए भी उच्च व्यक्तित्व रखती है। डॉ. रेड्डी ने उसमें आत्मसम्मान, सतीत्व और बलिदान के गुण को दिखाया है, जो आज की नारी के लिए भी अत्यावश्यक है। डॉ. रेड्डी ने अपने उपन्यासों में नारी के उज्ज्वल चरित्र का अंकन किया है। इस दृष्टि से 'बैरिस्टर' उपन्यास की अनुसूया, 'प्रोफेसर' उपन्यास की सुधा, 'धरती मेरी माँ' उपन्यास की सोनी और 'ज़िंदगी की राह' उपन्यास की सुहासिनी आदर्श पात्र हैं। ये सभी अपनी गरिमा की रक्षा करती हुई नारी अस्मिता की खोज में आगे बढ़ती हैं। डॉ. रेड्डी के सभी पात्र अस्मिता की खोज में आगे बढ़ते हैं। डॉ. रेड्डी ने इन सभी पात्रों में संघर्ष और सुधार की भावना को भरकर भारतीय नारी के प्रति अपने उच्च आदर्श का परिचय दिया है। भारत में नारी की पूजा की जाती है। उसे साक्षात् शक्ति

स्वरूपिणी माना गया है। फिर भी वर्तमान में नारी अनेक परंपराओं और विश्वासों के बीच जकड़ी गई है। उसके जीवन में और सुधार करने की आवश्यकता है। डॉ. रेड्डी ने नारी जीवन में सुधार की कामना करते हुए नारी साधिकारिकता की बात कही है। इसलिए उन्होंने अपने कथा-साहित्य में साधिकारिकता को प्राप्त करनेवाली नारी पात्रों का चित्रण किया है। नारी अपने अधिकारों को प्राप्त करके भी परिवार और समाज के प्रति समर्पित भाव रखती है। डॉ. रेड्डी का यह विश्वास है कि नारी सुधार में ही समाज का सुधार छिपा हुआ है। भारतीय नारी भले ही समस्याओं में घिर सकती है, या समस्याओं का सामना कर सकती है, परंतु समस्याओं से भागती नहीं है। वह समस्याओं का सामना करती हुई अपने संघर्षशील व्यक्तित्व का परिचय भी देती है। डॉ. रेड्डी के नारी पात्रों से यही संदेश प्राप्त होता है। **“रेड्डी के उपन्यासों की नायिकाएँ कुसुम, कोमल होते हुए भी समय आने पर वज्रकठोर हो जाती हैं। ये नारी पात्र शारीरिक व मानसिक दोनों रूपों में शक्तिशाली हैं।”⁶**

साहित्य मूलतः मूल्यधर्मी होता है। साहित्य का सबसे बड़ा प्रयोजन मूल्य संशोधन और मूल्य निर्माण होता है। साहित्यकार साहित्य के माध्यम से यही महती कार्य करता है। जो साहित्य मूलधर्मी या मूल्य संशोधन या मूल्य निर्माण नहीं करता, वह साहित्य की गरिमा से गिर जाता है। डॉ. रेड्डी ने इसी उच्च आदर्श से साहित्य सृजन किया है। डॉ. रेड्डी मूलतः सत्यान्वेशी और मूल्यान्वेशी हैं।

वे उन मूल्यों की याद दिलाते हैं, जो टूटकर नष्ट हो चुके हैं, परंतु टूटने योग्य नहीं हैं। अभी भारतीय समाज और पारिवार के लिए उनकी आवश्यकता है। डॉ. रेड्डी उन टूटे हुए मूल्यों की जगह नये मूल्यों का निर्माण करने की चेष्टा भी करते हैं, जिनका होना मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक है। डॉ. रेड्डी का यह मूल्यान्वेषण उनके संपूर्ण कथा-साहित्य में देखा जा सकता है। मूल्यों के प्रति डॉ. रेड्डी की इस प्रतिबद्धता को खासकर पारिवारिक मूल्यों के संदर्भ में देख सकते हैं। भारत में पारिवारिक मूल्य आज बदलाव के शिकार हुए हैं। परंतु इन मूल्यों के बदलने से भारतीय परिवार को बड़ी क्षति पहुँची है। डॉ. रेड्डी का यही विचार है कि इन मूल्यों की रक्षा से ही भारतीय परिवार बच सकता है, जिससे भारत अपनी पुरानी अस्मिता को विश्वभर में रख सकता है। डॉ. रेड्डी ने अपने कथा-साहित्य में माता पिता और संतान के बीच में टूटनेवाले संबंधों की ओर इशारा करके उनके टूटने से होनेवाले दुष्परिणामों का चित्रण किया है। ये दुष्परिणाम ही संकेत करते हैं कि उनके टूटने से परिवार को कितना नुकसान पहुँच रहा है।

डॉ. रेड्डी ने एक अद्भुत तकनीक अपनाकर पारिवारिक मूल्यों के विघटन के लिए चारित्रिक मूल्यों के विघटन को ज़िम्मेदार ठहराया। डॉ. रेड्डी के कथा-साहित्य की यह विशेषता है कि चारित्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए न केवल वर्तमान पात्रों को आधार बनाया है, बल्कि इसके लिए उन्होंने पुराणों और इतिहासों का प्रमाण भी प्रस्तुत

किया है। 'शबरी' जैसे पौराणिक पात्रों से लेकर 'नागम्मा' जैसे ऐतिहासिक पात्रों का सृजन डॉ. रेड्डी ने इस संदर्भ में किया है। उन्होंने चारित्रिक मूल्यों में, विशेषकर सौंदर्य के प्रति वितृष्णा, समरसता, प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व, त्याग और सेवाभाव का द्वंद्व, संघर्ष और सार्थकता आदि का उल्लेख किया है। आज व्यक्तित्व के इन मूल्यों के ह्रास से आदमी का व्यक्तित्व खोखला बन गया है। इस खोखलेपन की जगह को स्वार्थ और पैसा ने भर दिया है। परिणामतः व्यक्ति से संबंध रखनेवाले पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्य टूट कर बिखर गए हैं। डॉ. रेड्डी ने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से जीवन मूल्यों की इसी गाथा को प्रस्तुत किया है। डॉ. रेड्डी मूलतः मूल्य संरक्षक हैं। अतः उन्होंने इन मूल्यों के टूटने के यथार्थ को प्रस्तुत करके उनके दुष्परिणामों की ओर संकेत किया है। साथ ही उन्होंने अपने पात्रों की ओर से उच्च आदर्श की स्थापना करने की कोशिश की है। इसलिए उनके उपन्यासों और कहानियों में ऐसे चरित्र हमारे सामने आते हैं, जो मूल्यों के लिए लड़ते हैं। अपने स्वार्थ को भी भूलकर आदर्श मूल्यों की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे संदर्भों में डॉ. रेड्डी प्रेमचंद पीढ़ी के कथाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं।

डॉ. रेड्डी के साहित्य का एक कुशल आयाम 'बाल साहित्य' का सृजन है। शायद उनकी जीविका के आरंभिक दिनों की छाप इस पर देख सकते हैं। डॉ. रेड्डी का बाल साहित्य सिर्फ मनोरंजनकारी ही नहीं है, वह ज्ञानवर्द्धक है तथा

बच्चों के सहज विकास में महत्वपूर्ण योगदान देनेवाला है। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के आदर्श को सामने रखकर ही डॉ. रेड्डी ने विविधमुखी, बाल साहित्य को रचा है। बाल साहित्य की आवश्यक सभी गुणों एवं विशेषताओं को उनके बाल साहित्य के माध्यम से निरूपण कर सकते हैं। उनके बाल साहित्य में वस्तुगत विविधता बहुत सहज भाव से व्यंजित हुई है। उनके बाल साहित्य में पौराणिक कथाएँ, लोक कथाएँ, व्यंग्यात्मक कथाएँ, नीतिपरक कथाएँ, ज्ञानवर्द्धक कथाएँ, जीवनीपरक कथाएँ, ऐतिहासिक कथाएँ तथा सामाजिक कथाएँ शामिल हैं। डॉ. रेड्डी में एक कुशल बाल साहित्यकार का उदय उस समय होता है, जब उनके बाल साहित्य शिल्प चेतना से समृद्ध हुए। उनकी बाल-कथाओं का वस्तु विन्यास अद्भुत है। जिज्ञासा और रोचकता को बनाए रखने में उनका स्थान अद्वितीय है। उनके बाल साहित्य के पात्र और संवाद बच्चों को बाँधकर रखने में अत्यंत समर्थ हैं। संप्रेषणीयता की यह पूरी सफलता उनको सरल भाषा शिल्प के कारण प्राप्त हुई है।

डॉ. बालशौरि रेड्डी के कथा-साहित्य से परिचय प्राप्त करना बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के भारतीय जीवन से, खासकर दक्षिण भारत के जीवन से परिचय प्राप्त करना ही है। यह कहना अधिक उचित होगा कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश का जीवन और उसकी संस्कृति ही डॉ. रेड्डी के कथा-साहित्य में हिलोरे मारती दर्शन देती है।

निष्कर्ष

डॉ. बालशौरि रेड्डी का साहित्यिक योगदान न केवल हिंदी कथा-साहित्य, बल्कि अनुवाद, बाल साहित्य और संपादन के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनके लेखन में ग्रामीण जीवन, नैतिक मूल्य, ऐतिहासिक संदर्भ और पौराणिक तत्वों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपने कथा-साहित्य में सजीव रूप में प्रस्तुत किया। उनके उपन्यास और कहानियाँ यथार्थवादी दृष्टिकोण और मानवीय संवेदनाओं की गहराई को प्रकट करते हैं। बाल साहित्य और अनुवाद कार्य में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। 'चंदामामा' पत्रिका के संपादन के माध्यम से उन्होंने बाल साहित्य को समृद्ध किया और हिंदी पाठकों के लिए तेलुगु साहित्य को उपलब्ध कराया। उनके अनुवाद कार्य ने साहित्यिक सेतु का निर्माण किया, जिससे हिंदी पाठकों को अन्य भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य से परिचित होने का अवसर मिला। डॉ. रेड्डी की रचनाएँ केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का दस्तावेज़ भी हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में नैतिकता, ईमानदारी और आदर्शवाद की भावना को मज़बूत किया। उनकी कहानियों में मानवीय रिश्तों की जटिलताओं, समाज की रुढ़ियों और व्यक्ति की आंतरिक संवेदनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। उनके लेखन में भाषा की सहजता और प्रवाहमयता के साथ-साथ विचारों की स्पष्टता भी देखने को

मिलती है। इस प्रकार डॉ. बालशौरि रेड्डी का साहित्यिक अवदान हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करता है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, शोधपरक दृष्टि और सृजनशीलता उन्हें हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षरों में शामिल करती है। उनके द्वारा स्थापित साहित्यिक परंपराएँ भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।



संदर्भ सूची

1. https://web.archive.org/web/20090923223944/http://in.jagran.yahoo.com/news/features/general/8_14_5787144.html
2. तेलुगु की बीस कहानियाँ, अनुवादक डॉ. बालशौरि रेड्डी, आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी, हैदराबाद, संस्करण-1965, पृष्ठ सं- 3
3. http://saagarika.blogspot.com/2009/09/blog-post_18.html
4. डॉ. बालशौरि रेड्डी के उपन्यास साहित्य में नारी विमर्श, तरुणा दधीच, शब्द ब्रह्म पत्रिका, इंदौर, खंड 2, अंक 11, 17-सितंबर-2014, पृष्ठ सं- 51
5. International Journal of Scientific : Innovative Research Studies, Vol (5), No.4, April-2017, Page No- 19
6. डॉ. बालशौरि रेड्डी के उपन्यास साहित्य में नारी विमर्श, तरुणा दधीच, शब्द ब्रह्म पत्रिका, इंदौर, खंड 2, अंक 11, 17-सितंबर-2014, पृष्ठ सं- 50



डॉ. दीपा, सहायक प्राध्यापिका, (हिंदी विभाग)
श्री अरविन्द महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय)
मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
संपर्क deepaneemwal@gmail.com

वर्तमान में लोक साहित्य की प्रासंगिकता

शोध सारांश

लोक साहित्य किसी भी समाज की सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक स्मृतियों को संरक्षित रखनेवाला महत्वपूर्ण माध्यम है। यह जनमानस की मान्यताओं, रीति-रिवाजों, त्योहारों, कथाओं और लोकोक्तियों को संजोकर उनकी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने में सहायक होता है। श्रुत परंपरा के माध्यम से इसका संचार निरंतर होता रहता है, जिससे यह समय के साथ परिवर्तित होते हुए भी अपनी मूल भावनात्मक और सांस्कृतिक सारतत्त्व को बनाए रखता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोक साहित्य केवल एक साहित्यिक धरोहर नहीं, बल्कि समाज की सहज अभिव्यक्ति है। जर्मन विद्वान ग्रिम बंधुओं सहित कई पश्चिमी विचारकों ने भी इसकी वैज्ञानिक संरचना और महत्व को स्वीकार किया है। लोक साहित्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह सामाजिक मूल्यों, नैतिक शिक्षा और ऐतिहासिक घटनाओं का भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है। यह विविध लोकगीतों, गाथाओं, कथाओं

और पारंपरिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से समाज के अनुभवों और भावनाओं को स्वर देता है। इसके माध्यम से न केवल सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहती है, बल्कि समाज की विचारधारा और चेतना का विकास भी संभव होता है। आधुनिक तकनीकी युग में भी यह लोकजीवन की संवेदनाओं को व्यक्त करता है और बदलते संदर्भों के अनुरूप स्वयं को नया आकार देता है। इस प्रकार लोक साहित्य भाषा, संस्कृति और परंपरा को समझने का एक प्रभावी माध्यम बना हुआ है।

बीज शब्द

1. लोक साहित्य
2. संस्कृति
3. परंपरा
4. मौखिक परंपरा
5. जनमानस
6. लोकगीत
7. गाथाएँ
8. नैतिक शिक्षा
9. सांस्कृतिक धरोहर
10. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

मूल शोध

लोक साहित्य को मूलतः समाज का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह सदैव ही समाज से संपृक्त रहा है। यह समाज से जुड़ी भिन्न-भिन्न

मान्यताओं, रीति-रिवाजों, त्योहारों, गीतों, गाथाओं, कथाओं, कहावतों, मुहावरों, लोकोक्तियों इत्यादि लोक अभिरुचियों का प्रतिबिंब होता है। वहीं, लोक साहित्य में समाज से जुड़े तमाम अनछुए पहलू उद्घाटित होते हैं। यह समाज संबंधी तमाम आदर्शों तथा आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होता है। वैसे देखा जाए तो लोक साहित्य, समाज के लिए एक अमूल्य व अभूतपूर्व संपदा है। जहाँ भारतीय समाज में लोक संस्कृति का दर्पण, लोक साहित्य में अंतर्निहित रहता है। ऐसे में भारतीय संस्कृति के उच्चतर जीवन मूल्यों की अभिव्यंजना इसी लोक साहित्य में पूर्णरूपेण भाव से अभिव्यक्ति पाती है। आज के इस तकनीकी युग में लोक साहित्य की महत्ता अक्षुण्णीय है। वस्तुतः लोक साहित्य का स्वरूप अनवरत है। इसमें निहित लोक परंपराएँ काल प्रवाह में तिरोहित नहीं होतीं, अपितु यह अपने नवीन संदर्भ में युगानुरूप नूतन व परिष्कृत होकर आविर्भूत होती हैं। काल विशेष में रचित साहित्य, समय की गति के साथ कालातीत और देशातीत होकर, प्रायः सार्वजनिक होता जाता है। यही मूल कारण है, जिसके चलते लोक में व्याप्त आख्यान, गाथाएँ, कथाएँ, वार्ताएँ, लोकनाट्य इत्यादि को हमारे समाज की अद्वितीय धरोहर माना जाता है। वैसे, वाचिक परंपरा से रचा गया यह लोक साहित्य, पीढ़ी-दर-पीढ़ी श्रुत परंपरा से होता हुआ दिखलाई पड़ता है।

साहित्य को मानव जगत की संवेदनशील स्थिति तथा गतिशील चेतना की वैचारिक

अभिव्यक्ति के रूप में साहित्य मनीषियों द्वारा समय-समय पर व्याख्यायित किया गया है। वहीं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा है-“**ज्ञानराशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है।**”¹ साहित्य को परिभाषित करते हुए पश्चिमी विचारक विलियम हेनरी हडसन कहते हैं कि-“**Literature contains the revelation of many different personalities and we ourselves have our well-marked leanings and antipathies.**”² अर्थात् ‘साहित्य में अनेक भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वों का प्रकटीकरण होता है और हमारे स्वयं के भी सुस्पष्ट झुकाव और विरोध होते हैं।’ साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है।

लोक साहित्य, लोक की विषय-वस्तु होने के अतिरिक्त, लोकात्मक संवेदनाओं तथा समकालिक चेतनाओं को भी युगानुकूल परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करता है। अपनी इसी सहजता, सरसता व अकृत्रिमता के चलते लोक साहित्य अपना एक विशेष स्थान रखता है। लोक साहित्य में मूलतः सामान्य जनमानस की भावनाओं तथा विचारात्मक संकल्पनाओं के सम्मिश्रित प्रतिनिधि रूप को अत्यंत यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य में उद्घाटित किया जाता है। मूलतः ‘लोक’ और ‘साहित्य’ शब्द की यह शब्दबद्ध संरचना दो शब्दों से मिलकर बनी है “ ‘लोक’ शब्द का प्रयोग हमारे प्राचीन वाङ्मय में देखने को मिलता है। जैसे- वेद, उपनिषद्, भाष्यों, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में ‘जोक’ शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द संस्कृत की ‘लोक दर्शने’ धातु में ‘घञ्’ प्रत्यय

जुड़ने से बना है। अतः 'लोक' शब्द का मूल अर्थ है- देखने वाला। इसलिए 'लोक' शब्द का अभिप्राय उस संपूर्ण जन-समुदाय से है, जो किसी देश में निवास करता है।³

'लोक' शब्द को परिभाषित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि- "लोक का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई समूची जनता है, जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं। ये लोग नगर में परिष्कृत रुचि सम्पन्न तथा सुसंस्कृत समझे जानेवाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रुचिवाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारता को जीवित रखने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएँ होती हैं, उनको उत्पन्न करते हैं।"⁴

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'लोक' अत्यंत पुरातन व्यवहृत शब्द है। संस्कृत वैयाकरणकार पाणिनी ने वेद से पृथक् लोक की सत्ता को स्वीकार किया है। वस्तुतः 'लोक' शब्द अनेक संदर्भों में प्रयुक्तार्थ है। देखा जाए तो 'लोक' मनुष्य समाज का वह समीचीन रूप है, जो आभिजात्य संस्कार और पांडित्य की चेतना व अहंकार से पूर्णतः रहित है। लोक साहित्य की प्राचीन समय से ही एक मौखिक व सृजनशील परंपरा रही है, जिसमें भिन्न-विभिन्न जातीय संस्कृतियों की अभूतपूर्व आभा व संबंधित मूल्यों की सौंदर्यमयी झलक को विविध परिवेशगत संदर्भों में देखा जा सकता है। लोक साहित्य की

मौखिकता ने ही उसे विषय विशेष संबंधी विविधता प्रदान की है। वैसे, लोक साहित्य सामान्य जनमानस की सरस, सहज व स्वाभाविक वैचारिक अभिव्यक्ति का नाम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार- 'जो चीज़ें लोक चित्त से आन्दोलित करती हैं, वे ही लोक साहित्य के नाम से पुकारी जाती हैं।'

वहीं, डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार- 'परंपरागत जीवन यात्रा की पद्धति जिन सामाजिक आचार-विचार, श्रद्धा के द्वारा अभिव्यक्ति होती है, उसे लोक साहित्य कहते हैं।' देखा जाए, तो लोक साहित्य में लोक संस्कृति के सभी रूप व रंगों की मनोहारी छटा देखने को मिलती है। लोक साहित्य में जीवन का ऐसा कोई अंग शेष नहीं बचता, जो कि इसमें अछूता रहे, साथ ही हृदय का ऐसा कोई कोना नहीं छूटता, जिसका चित्रण लोक साहित्य में ना किया गया हो। अर्थात् लोकभाषा के माध्यम से लोक चिन्ता की अकृत्रिम अभिव्यक्ति का नाम ही लोक साहित्य है। यह लोक जीवन का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अभिजात, परिष्कृत या लिखित साहित्य के प्रतिकूल, लोक साहित्य परिमार्जित, भाषा शास्त्रीय, रचना पद्धति तथा व्याकरण संबंधी नियमों से पूर्णतः विमुक्त रहता है। डॉ. श्याम परमार ने मालवी लोक साहित्य में इस लोक वाणी के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि- 'व्यक्तित्व से रहित समान रूप में समाज की आत्मा को व्यक्त करनेवाली मौखिक अभिव्यक्तियाँ, लोक साहित्य की श्रेणी में आती हैं।'

अतः भाषा, साहित्य व सांस्कृतिक मूल्यों को समग्रता से समझने के संदर्भ में लोक साहित्य एक सशक्त माध्यम व महत्वपूर्ण आधार रूप है। 1968 ई. में प्रकाशित 'An Encyclopedia of Social Sciences' में लोक साहित्य संबंधी अवधारणा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि- 'लोकवार्ता का अर्थ है 'लोक का ज्ञान'। इसके अंतर्गत वह सारा ज्ञान सम्मिलित है, जो मौखिक रूप से संचालित होता है तथा वे सभी दस्तकारियाँ एवं तकनीकी विधियाँ इसमें सम्मिलित हैं, जो परस्पर अनुकरण द्वारा सीखी जाती हैं। इसके साथ ही इसमें उन दस्तकारियों के उत्पादन भी सम्मिलित हैं। अशिक्षित समाजों में लोकवार्ता वस्तुतः संस्कृति से अभिन्न अथवा एक रूप हुआ करती है। किंतु औद्योगिक समाजों में वह संस्कृति का एक अंश मात्र ही होती है।'

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो लोक साहित्य अध्ययन संबंधी पाश्चात्य परंपरा का इतिहास लगभग दो-ढाई सौ वर्ष पुराना ही है। लोक साहित्य के अध्ययन की ओर लोक का झुकाव उत्तर मध्यकाल से प्रारंभ होता है। पहले लोकतात्त्विक अध्ययन के लिए वहाँ 'पॉपुलर एंटीक्विटीज़' अर्थात् 'लोकप्रिय पुरातत्त्व' नाम का प्रयोग किया जाता था। आगे चलकर इसे 'फ़ोकलोर' अर्थात् 'लोकवार्ता' नाम दिया गया। गौरतलब है कि 1688 ई. में जॉन ऑब्रे ने 'रिमेन्स ऑफ़ जेन्टिलइज़्म एंड जुडाइज़्म' नामक पुस्तक में यूरोपीय समाज में प्रचलित रोमांचित करनेवाले रीति-रिवाजों तथा तमाम तथाकथित रूढ़ियों की

ओर पाठक वर्ग का ध्यान आकर्षित किया था। वहीं, रेवरेंड हेनरी बोर्न द्वारा 1746 ई. में विरचित 'एंटीक्विटीज़ ऑफ़ द कॉमन पीपल' भी इसी कड़ी की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इंग्लैंड के बिशप थॉमस पर्सी कृत 'रेलिक्स ऑफ़ एंशिअंट पोएट्री' (1765 ई.) में प्रकाशित तत्कालीन समाज में प्रचलित भूत-प्रेतों, परियों और जादूगरों की विचित्र और रोमांचक लोक गीत-कथाओं ने यूरोपीय जन-समाज को खूब आकर्षित किया। इन शुरुआती अध्ययनों के मूल में पुरातत्त्वविदों की ऐतिहासिक स्थूल घटनाओं से परे, जातीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे जन समुदायों के प्रति जिज्ञासापूर्ण दृष्टि सक्रिय थी, जिसे वहाँ असभ्य, अशिक्षित और असंस्कृत समझा जाता था। यही कारण है कि पश्चिमी संदर्भ में 'लोक' का अभिप्राय अशिक्षित और असभ्य जनसमुदाय को माना गया। आगे चलकर जर्मन विद्वान जेकब और विल्हेल ग्रिम ने लोक समाज के इस प्रकार के अध्ययन को वैज्ञानिक व्यवस्था प्रदान करने की तमाम जुझारु कोशिशें कीं। उन्होंने लोक गीत और लोक कथाओं के दीर्घाकार संग्रह विद्वत्तापूर्ण टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किए। उल्लेखनीय है कि ग्रिम बंधुओं की सबसे बड़ी देन लोकवार्ता संबंधी स्थापनाएँ हैं। उनकी मान्यता थी कि समस्त यूरोपीय लोकवार्ताओं का उद्गम किसी एक मूल भारत-यूरोपीय स्रोत से हुआ है। विश्वव्यापी समानता लिए हुए इन लोक कथाओं में एक समान सांस्कृतिक परंपराएँ अवश्य ही सन्निहित रहीं। यह समानता देश व जाति की सीमा का अतिक्रमण करके, सर्वत्र लोक कथाओं व लोक गीतों की

भावधारा में निर्मम व निश्चल नदी की धारा की भाँति बहती देखी जा सकती है।'

वहीं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में इस परिप्रेक्ष्य में लिखा है कि- "**Folksongs comprise the poetry and music of the groups whose literature is perpetuated not by writing and print but thorough oral tradition.**"⁵

"Primitive spontaneous music has been called folksong."⁶

इस आधार पर कहा जा सकता है कि लोक, मानव समाज की प्राचीन मान्यताओं एवं परंपराओं के प्रति पूर्णतः समर्पित रहता है। यह सामाजिक व सांस्कृतिक विचार मूल्यों का समन्वयात्मक आधार रूप है।

लोक साहित्य की विशेषताएँ-

- (1) लोक साहित्य मौखिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है।
- (2) लोक साहित्य सामान्य जनमानस द्वारा सृजित है।
- (3) लोक साहित्य में शास्त्रार्थ नियमों की कोई भूमिका नहीं होती है।
- (4) लोक साहित्य में मौलिकता, सजगता तथा अकृत्रिमता महत्त्वपूर्ण होती है।
- (5) लोक साहित्य व्यक्तिगत सत्ता से उपर उठकर, मूलतः समष्टिगत सत्ता की बात करता है।
- (6) लोक साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक, नैतिक तथा भाषाई, शास्त्रीय

इत्यादि समाज सापेक्षीय अवधारणाएँ इसमें सम्मिलित रहती हैं।

चूँकि, लोक साहित्य के विविध रूपों को विभिन्न साहित्य मनीषियों, भाषा मर्मज्ञों व विद्वानों ने अपनी-अपनी सुविधानुसार वर्गीकृत किया है, जो कि इस प्रकार है-

- (क) लोक गीत
- (ख) लोक गाथा
- (ग) लोक कथा
- (घ) लोक नाट्य इत्यादि।

(क) लोक गीत

लोक साहित्य के अंतर्गत लोक गीतों का अपना एक विशिष्ट व महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत में लोक गीतों की यह परंपरा वैदिक काल से ही देखी जा सकती है। इस संदर्भ में डॉ. इंदु यादव ने लिखा है कि- 'वैदिक युग में भी पुत्र जन्म, विवाह इत्यादि संस्कारों के उपलक्ष्य पर सुंदर गीत गाये जाते थे, ये गीत गाथाओं के नाम से बहुचर्चित हैं।'

सुख-दुःख, जन्म, विवाह संस्कार, व्रत, श्रम, ऋतु, जाति गीत, मेले, देव पूजन उत्सव, ग्रामीण अंचल में गाई जानेवाली क्षेत्रीय गारियाँ, निवाईस गीत इत्यादि आज भी पारंपरिक रूप से लोक गीत गाए जाने का चलन, हमारे समाज के बहुसंख्यक तबकों में मौजूद है। इस संदर्भ में कुछ उद्धरण यहाँ दृष्टव्य हैं-

पुत्र जन्म के समय को हिंदू परिवारों में अपार प्रसन्नता व परम सौभाग्य का सुअवसर समझा

जाता है और इस उपलक्ष्य पर गाये जानेवाले गीतों में परिवार के सभी लोगों के प्रसन्न होने का उल्लेख भी मिलता है। यथा-

“और सुनो री जच्चा रानी के हाल चाल।
पलका पे पड़ी पड़ी करती विचार,
नाऊन और दाई बो अइहें जरूर, मोरे पैसा
रुपया पै लूट मची रे,
जच्चा रानी के हाल ..
सासो ननदिया वे अइहें जरूर, मोरे सोने और
चांदी पै लूट मची रे,
जच्चा रानी के हाल... ।।”⁷

नेग लेना और नेग देना दोनों ही हिंदू धर्म में सहर्ष विषय समझे जाते हैं। ननद तो अपनी भाभी से बच्चे के जन्म से पूर्व ही प्रतिज्ञा ले लेती है कि अगर पुत्र होगा, तो मैं अमुक वस्तु लूँगी। इनमें इस तरह की होड़ लगने का उल्लेख विविध गीतों में विभिन्न रूपों में मिलता है। यथा-

“रुपइया मांगे ननदी लाल की बधाई
ये तो रुपइया मेरे ससुर की कमाई
अडुनी ले जा ननदी लाल की बधाई
अडुनी मांगे ननदी लाल की बधाई ”⁸

लोक गीत की दृष्टि से हिंदी सिनेमा का भी अविस्मरणीय योगदान रहा है। इस संदर्भ में ‘नदिया के पार’ एक उल्लेखनीय चलचित्र उद्धरण रूप है। उदाहरण के लिए -

“मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार, मोरी
रानी हो तुमहीं मोरी प्राण आधार।”

इस गीत को मोहम्मद रफ़ी व सुरेन्द्र कौर

ने अपनी बेहतरीन आवाज़ में गाया है। वहीं, एक और उद्धरण यहाँ अवलोकनीय है -

‘नगरिया में आई हो, डगरिया में आई हो।
बजरिया में आई हो... हो आई हो साँवरिया ।।’

इस गीत का पार्श्वगायन ललिता देउलकर और चितलकर ने अपनी सुरीली आवाज़ में किया है। वस्तुतः लोक गीत लोक मानस से ही उपजता है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक मानवीय सभ्यता व संस्कृति का वर्णन किया जाता है।

(ख) लोक गाथा

लोक गाथा शब्द अंग्रेज़ी के ‘बैलेड’ (Ballad) शब्द का समानार्थी रूप है। ‘लोक गाथा’ को लोक साहित्य का प्रमुख व विशिष्ट अंग माना जाता है। अधिकतर लोक गाथाओं का कथानक पुराण, वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित गाथाओं इत्यादि धर्मग्रन्थों से संबद्ध होता है। लोक गाथा को परिभाषित करते हुए विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि फ्रैंक सिज़विक ने लोक गाथा के बारे में लिखा है कि-‘लोक गाथा वह सरल वर्णनात्मक गीत है, जो लोकमात्र की सम्पत्ति होती है और जिसका प्रकार मौखिक रूप से होता है। उन्होंने वर्णनात्मकता, कथात्मकता, मौखिकता एवं सरलता को लोक गाथा के मुख्य तत्त्व के रूप में माना है। लोक गाथा साधारणजनों द्वारा रचित होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हीं की भावनाओं को अभिव्यक्त करना होता है।’

हिंदी क्षेत्रों में कई लोक गाथाएँ प्रख्यात हैं। जैसे कि, ढोला-मारु की कथा, भरथरी की

कथा, लोरिक की कथा, नल-दमयंती की कथा, लैला-मजनूँ की कथा, हीर-रांझा की कथा, सोनी-महिवाल की कथा, बगड़ावत की कथा, आल्हा-ऊदल की कथा, हरदौल की कथा इत्यादि। वस्तुतः इन गाथाओं को ही कथा रूप में संबोधित किया जाता है। वैसे लोक गाथाएँ गेय रूप में उद्घाटित होती हैं। कुछ तो नृत्य या वाद्ययंत्र के साथ गायी जाती हैं और जो नृत्यवाद्य के साथ नहीं गायी जाती हैं, उनका भी अपना-अपना अलग राग होता है। लोक गाथाएँ अधिकतर अपढ़ ग्रामीण अंचलीय परिवेश से जुड़े जनों की ज़बान पर पृथक संदर्भ व रूपों में दिखाई पड़ती हैं। हालांकि, बाद में इसके संरक्षण हेतु इनका संग्रहण व प्रकाशन किया जाने लगा। वहीं, कुछ लोक गाथाएँ तो अत्यंत विकसित रूप प्राप्त कर गाथाचक्र और लोक महाकाव्य का रूप ग्रहण कर चुकी हैं। मूलतः लोक गाथाओं में संपूर्ण लोक, समाज, रीति-रिवाज़, संबंध, संस्कार, त्योहार, रुढ़ियों, परम्पराओं इत्यादि का अनुपम चित्रण रहता है। यथा-

‘ढोला और करहा ने दुर्गा माँ से डोर लगाई।
सुन भक्तन की टेर, भगवती ले जमात संग आई।
आइ गए भूत चुरैलें, भैरों और पिशाच
जोगिनी खप्परु लइ के नाचि रही है नाचु।।’

लोक गाथाओं में देवी पूजन संबंधी अथाह प्रसंग दृष्टिगोचर होते हैं। वहीं, बलि प्रथा का भी चित्रण लोक गाथाओं में मिलता है। देखा जाए तो पूजा की सामग्री व तमाम सामाजिक विधि-विधानों को ये लोक गाथाएँ ही जीवित बनाए हुए हैं। जैसे कि-

‘देवी चण्डी के पूजन हित सब सामान लियौ
मँगवाय।

पान, फूल और अक्षत मेवा सोने थाल लए भरवाय
निम्बू, खप्परू, बकरा, मेढ़ा लइके ज्वालासिंह
सरदार।।’

लोक मानव का यह सहज विश्वास है कि देवी के प्रसन्न होने पर उसका कार्य सिद्धि प्राप्त करेगा। इसी विश्वास की पुष्टि करने के लिए वह पूजा संबंधी धार्मिक अनुष्ठानों का विधान इत्यादि करता है। वैसे, यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विद्वपताओं से मुक्ति दिलाने में इन लोक गाथाओं की निर्णायक भूमिका रहती है।

(ग) लोक कथा

लोक साहित्य में लोक कथाओं का भी अविस्मरणीय योगदान रहा है। मौखिक रूप से लोक में कहन शैली रूप में प्रचलित कथाएँ, लोक कथा कहलाती हैं। लोक कथाएँ मनोरंजक व उपदेश प्रधान, दोनों प्रकार की होती हैं। डॉ. रवीन्द्र भ्रमर के शब्दों में-‘लोक का कथा साहित्य अत्यन्त विशाल होता है। प्रायः सभी देशों के लोक जीवन में विभिन्न प्रकार की कथा-कहानियाँ प्रचलित होती हैं, ये मूलतः शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों ही प्रकार के समुदायों की परंपरागत मौखिक संपत्ति मानी जाती हैं। लोक कथाएँ मानव जाति की आदिम परंपरा, प्रथाओं और उसके विभिन्न प्रकार के विश्वासों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती हैं।’

लोक में कहन शैली परंपरा पुरातन व ज्ञानवर्धक रही है। गाँव की चौपालें, खलिहान में बैठकर लोक कथाओं के माध्यम से शिक्षा का

प्रचार-प्रसार इस लोक कथा की एक अन्यतम विशिष्टता है। देखा जाए तो लोक कथाएँ हमारी संस्कृति की पुरातन संवाहिका रही हैं। मूलतः लोक कथाएँ पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, अलौकिक, राजा-रानी, पशु-पक्षी, परी, भूत-प्रेत, देवी-देवता, इत्यादि पर आधारित होती हैं। इस संदर्भ में कुछ लोक प्रचलित कथाओं के नाम इस प्रकार हैं-

ढोला मारू, गोपीचन्द-भरथरी, नल-दमयंती, लैला-मजनूँ, हीर-रांझा, सोनी-महिवाल, लोरिक-चंदा, बगड़ावत, आल्हा-ऊदल, हरदौल इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त लोक कथाएँ व्रतकथा, परीकथा, नागकथा, बोधकथा इत्यादि रूप में दृष्टिगोचर होती हैं।

(घ) लोक नाट्य

भारतीय लोक नाट्य परंपरा अनेकता में एकता को प्रदर्शित करती है। 'लोक' शब्द माध्यम द्वारा जब नाट्य रूप में कथोपकथन के सौजन्य से किसी कथा-वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह 'लोक नाट्य' कहलाता है। लोक नाट्य में अभिनय, संगीत, संवाद तथा रंगमंच इत्यादि रंग तत्त्वों का समायोजन दिखलाई पड़ता है। वस्तुतः भारत में लोक नाट्य की पुरातन परंपरा रही है। वहीं, इस परंपरा का सूत्रपात संस्कृत नाटकों से माना जाता है। लोक नाट्य को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है - नृत्यपरक लोक नाट्य व प्रहसनात्मक लोक नाट्य।

जहाँ प्रहसनात्मक लोक नाट्य की साज-सज्जा हास्यास्पद होती है। अर्थात् इसके माध्यम

से व्यंग्यात्मक नाट्य प्रस्तुति को आधार प्रदान किया जाता है। वहीं दूसरी ओर नृत्यपरक लोक नाट्य में सामाजिक, धार्मिक तथा पौराणिक घटना को केंद्र में रखकर संगीत, नृत्य तथा अभिनय द्वारा, दर्शकदीर्घा में बैठे दर्शकों का मनोरंजन किया जाता है। ये लोक नाट्य नीतिपरक व उपदेश प्रधान होते हैं, जिसमें समसामयिक विचार मूल्यों को उद्घाटित किया जाता है। डॉ. श्याम परमार ने लोक नाट्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि-"लोक नाट्य से आशय नाटक के उस रूप से है, जिसका संबंध विशिष्ट शिक्षित समाज से भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से ही है और जो परंपरा से अपने-अपने क्षेत्र के जन-समुदाय के मनोरंजन का साधन रहा है।"

वहीं डॉ. दशरथ ओझा लिखते हैं कि-"जननाटक की यह विशेषता रही है कि वह अपनी मौलिकता की रक्षा करता हुआ भाषा और पद्धति में जनरुचि के अनुसार परिवर्तन करता चला आ रहा है। यही कारण है कि नाटक की यह पद्धति शताब्दियों से सफलतापूर्वक अभिनय का कार्य करती आ रही है।"⁹

भारत में लोक नाट्य के भिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में विविधात्मक रूप प्रचलित हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, स्वांग, नौटंकी, भाण तथा मध्य प्रदेश में मांच। वहीं, गुजरात में भँवाई, बंगाल में जात्रा, कीर्तन और महाराष्ट्र में तमाशा तथा दक्षिण में 'यक्षगान', 'भागवत नाटकम्' इत्यादि उल्लेखनीय हैं। वहीं, पारम्परिक कलाओं में कठपुतली (राजस्थान, गुजरात,

महाराष्ट्र), बहुरुपिया (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र), चारबैत (राजस्थान), कीर्तन (गोवा), भारुड़ (महाराष्ट्र) प्रख्यात हैं।

जहाँ रामलीला में रामायण का स्वरूप पूरी तरह से 'रामचरितमानस' पर आधारित होता है, जो कि उत्तर भारत में कथा कहन शैली का एक प्रख्यात रूप है। इसमें दशहरा पर्व के दौरान हरेक क्षेत्र, नगर, कस्बे में भगवान राम के वनवास से लेकर अयोध्या वापस आने तक, पर आधारित नाटक का मंचनीय आयोजन किया जाता है। रामलीला में प्रायः राम के बचपन से लेकर वनवास जाने और राम रावण के बीच के युद्ध का जीवंत मंचन होता है। वहीं, रासलीला की लीलाभूमि, श्रीकृष्ण का वृंदावन है। इसमें कहीं भी किसी भी खुले मैदान में बाँसों, रस्सियों, तारों आदि से घेरकर रंगमंच और प्रेक्षागृह का सहज ही निर्माण कर लिया जाता है। इसमें मुख्य पात्र राधा-कृष्ण व गोपियाँ हैं। यथा-

सूरदास ने भी रासलीला संबंधी उपयुक्त गंभीर काव्य सृजित किए हैं-

“संग ब्रजनारि हरि रास कीन्हों।

सबन की आस पूरन करी श्याम जै त्रियनि पियहेत
सुख मानि लीन्हो।

भेंटि कुलकानि मर्यादा- विधि वेद की त्यगि गृह
नेह सुनि बेन घाई।

कबी जै जै करो मनहिं सब जै करी रांक काहू न
करो आप भाई।”¹⁰

इसी तरह, स्वांग लोक नाट्यों की सबसे पुरातन नाट्य कला है। लम्बे तथा कथा प्रधान

लोक गीतों में वर्णन जब अभिनय की माँग करने लगा, तब इस नाटक का सूत्रपात हुआ। शुरुआती दौर में यह नाटक गेय रूप में ही उद्घाटित हुआ। वहीं, गुजरात की सीमा से सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों में भँवाई नामक नृत्य नाटिका अत्यंत ही ख्याति प्राप्त है। मूलतः यह नृत्य नाटिका व्यावसायिक प्रकृति की होती है। खैर, दूसरी तरफ बिदेसिया बिहार के पश्चिमी जिलों आरा, छपरा, तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों विशेषतः बलिया, देवरिया का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। भिखारी ठाकुर रचित 'बिदेसिया' लोक नाट्य अपनी शैली संबंधी विशिष्टता के चलते आज भी समकालिक मूल्यों के वहन में पूर्णतः समर्थ है। यथा-

“गवना कराइ सैया घर बइठवले से,
अपने लोभइले परदेस रे बिदेसिया।।
चढ़ली जवनियाँ बैरन भइली हमरी रे,
के मोरा हरिहं कलेस रे बिदेसिया।।
दिनवाँ बितेला सइयाँ वटिया जोहत तोरा,
रतिया बितेला जागि-जागि रे बिदेसिया।।
घरी राति गइले पहर राति गइले से,
धधके करेजवा में आगि रे बिदेसिया।।”¹¹

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि लोक साहित्य लोक संस्कृति का दर्पण होता है, जिसमें समसामयिक विषयों को नाट्य रूप में उद्घाटित किया जाता है। यही वजह है कि लोक साहित्य को समाज में व्याप्त तमाम प्रकार की विसंगतियों, विद्रूपताओं, लोक गाथाओं, कथाओं, गीतों, नाट्यों तथा कहावतों, मुहावरों

व लोकोक्तियों का जीवंत दस्तावेज़ कहा जाता है और यही मूल कारण है कि लोक साहित्य से जीवन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं रहता है। अर्थात् यह सामान्य जनमानस की विचाराभिव्यक्ति का आधार रूप है, जिसकी महत्ता बदलते संदर्भ व परिवेश के साथ भी बनी रहती है। यह समाज में घटित घटनाओं का जीवंत ब्यौरा है।



संदर्भ सूची

1. <https://hindikahani.hindi-kavita.com/Sahitya-Ki-Mahatta-Mahavir-Prasad-Dwivedi.php>
2. An Introduction To The Study of Literature, William Henry Hudson, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, Edition-2006, Page No- 25
3. लोक साहित्य, सिद्धांत और प्रयोग, डॉ. श्रीराम शर्मा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, संस्करण-1973, पृष्ठ सं- 1
4. जनपद, लोक साहित्य का अध्ययन (लेख), आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अंक 1, सन् 1952, पृष्ठ सं- 65
5. Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, Vol. II; Page No- 1032
6. Encyclopaedia Britannica, Vol. IX; Page No- 447
7. <https://hindikahawat.com/>
8. <https://hindikahawat.com/>
9. हिंदी नाटक, उद्भव और विकास, डॉ. दशरथ ओझा, राजपाल एण्ड सन्ज़, नई दिल्ली, संस्करण-जनवरी-2013, पृष्ठ सं- 42
10. <https://hi.wikisource.org/wiki/पृष्ठ:सूरसागर.djvu/840>
11. http://kavitakosh.org/kk/गवना_कराइ_सैया_घर_बइठवले_से_/भिखारी_ठाकुर



डॉ. मुहम्मद नाज़िम पर्वीन, सहायक प्राध्यापिका व विभागाध्यक्ष (हिंदी विभाग)

जस्टिस बशीर अहमद सईद कॉलेज फॉर वुमेन

तेनाम्पेट, चेन्नई-600018, तमिलनाडु

संपर्क nazim.hindi@jbascollege.edu.in

अमृतलाल नागर के उपन्यास “बूँद और समुद्र” में चित्रित पारिवारिक समस्याएँ

शोध सारांश

अमृतलाल नागर का उपन्यास ‘बूँद और समुद्र’ समकालीन समाज में विकसित हो रहे पारिवारिक ढांचे और उसके सामने आनेवाले मुद्दों का आलोचनात्मक अन्वेषण करता है। यह शोध-पत्र उपन्यास में दर्शाई गई पारिवारिक समस्याओं पर प्रकाश डालता है, पारंपरिक मूल्यों के परिवर्तन और भौतिकवादी आकांक्षाओं के घुसपैठ पर प्रकाश डालता है। उपन्यास बिगड़ते नैतिक मूल्यों पर ज़ोर देता है, जो पारिवारिक रिश्तों में संघर्षों को जन्म देते हैं, खासकर वैवाहिक और माता-पिता के बंधनों में। प्रमुख पात्रों और उनके संघर्षों के विश्लेषण के माध्यम से यह अध्ययन आधुनिक युग में पारिवारिक जीवन के सामाजिक-सांस्कृतिक आयामों, व्यक्तिवादी इच्छाओं के परिणामों और पारिवारिक सद्भाव को बाधित करनेवाले बाहरी प्रभावों की जांच करता है। यह शोध-पत्र अमृतलाल नागर की रचना में चित्रित माता-पिता के अधिकार, लैंगिक गतिशीलता और

आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की भूमिका पर विस्तृत रूप से चर्चा करता है, जो पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं के विघटन की व्यापक आलोचना प्रस्तुत करता है। भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में इन विषयों को संदर्भित करते हुए, यह शोध-पत्र समकालीन परिवारों को प्रभावित करनेवाली नैतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दुविधाओं पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

बीज शब्द

1. अमृतलाल नागर
2. बूँद और समुद्र
3. पारिवारिक समस्याएँ
4. सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन
5. पारंपरिक मूल्य

मूल शोध

परिवार हमेशा से भारतीय समाज की आधारशिला रहा है, जो सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखनेवाली मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, तेज़ी से हो रहे

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों ने पारिवारिक संरचनाओं के क्रमिक क्षरण को जन्म दिया है, जिससे पारस्परिक संबंध और मूल्य गंभीरता से प्रभावित हुए हैं। उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास **‘बूँद और समुद्र’** में एक सम्मोहक कथा प्रस्तुत की है, जो नैतिक पतन, वैवाहिक कलह, आर्थिक आकांक्षाओं और पीढ़ीगत संघर्षों सहित आधुनिक पारिवारिक व्यवस्था के जटिल मुद्दों को समेटे हुए है। इन वास्तविकताओं से जूझ रहे पात्रों के अपने चित्रण के माध्यम से नागर जी परंपरा और आधुनिकता के बीच बढ़ते विभाजन को उजागर करते हैं।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य **‘बूँद और समुद्र’** में दर्शाए गए पारिवारिक मुद्दों के विभिन्न पहलुओं का पता लगाना है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि कैसे वित्तीय लालच, सामाजिक महत्वाकांक्षाएँ और बदलती लैंगिक भूमिकाएँ पारिवारिक जीवन के विघटन में अपना योगदान करती हैं। उपन्यास की प्रमुख घटनाओं और संवादों की जाँच कर, यह शोध-पत्र भारतीय परिवारों के भीतर बदलते प्रतिमानों और उनके सामाजिक-मनोवैज्ञानिक परिणामों का गहन विश्लेषण प्रदान करने का लघु प्रयास है।

पारिवारिक परिवेश के संदर्भ में दिन-ब-दिन बढ़ती जानेवाली समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास अमृतलाल नागर ने **‘बूँद और समुद्र’** में किया है। असल में परिवार, समाज का केंद्र बिंदु होता है। यह स्त्री-पुरुष के संबंधों पर आधारित ऐसी संस्था है, जो समाज मान्य या कानूनी वैधता

प्राप्त विवाह प्रथा पर निर्भर है। यह एक ऐसा सामाजिक समूह है, जो माता-पिता और एक अथवा अधिक संतानों से मिलकर बना होता है, जिसमें स्नेह और उत्तरदायित्व आपस में बंटा होता है और जिसमें बच्चों को एक सामाजिक और संयमी व्यक्ति होने की शिक्षा दी जाती है। ऐसी महत्त्वपूर्ण व विस्तृत पारिवारिक व्यवस्था में आज दरारें पैदा हो रही हैं। जिन आदर्शों व मूल्यों पर परिवार टिके हुए थे, वे अब क्रमशः लुप्त होते जा रहे हैं। इसी कारण आज संपूर्ण पारिवारिक जीवन अशांत, कलहमय एवं दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है। प्रायः मातृ-पितृ भक्ति, आज्ञाकारिता, पति-भक्ति, गृहस्थ जीवन की मर्यादा आदि के स्थान पर व्यक्तिगत विचार के प्रति अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है और परिवार में समस्याएँ दिन-दुगनी, रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं।

पारिवारिक संरचना और उसके विघटन का चित्रण

पारिवारिक संस्था और उसके मूल-तत्त्व- परिवार एक सामाजिक संस्था है, जो समाज की आधारभूत इकाई के रूप में कार्य करती है। यह केवल रक्त संबंधों का बंधन नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक संस्था भी है। भारतीय समाज में पारिवारिक जीवन की नींव त्याग, समर्पण और उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित होती है।

परिवार की विशेषताएँ

संरचना: पारिवारिक संरचना में विभिन्न सदस्य शामिल होते हैं, जैसे माता-पिता, बच्चे,

दादा-दादी आदि। यह संरचना न केवल जैविक संबंधों पर निर्भर करती है, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंधों को भी समाहित करती है।

कार्य: परिवार के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता, समाजीकरण और भावनात्मक समर्थन। ये कार्य परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मज़बूत बनाते हैं।

सांस्कृतिक महत्त्व: भारतीय संस्कृति में परिवार को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ परिवार को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत के तहत देखा जाता है, जिसमें सभी मानवता को एक परिवार माना जाता है।

परिवारों पर आधुनिकता का प्रभाव

हालांकि, आधुनिकता और आर्थिक स्वार्थ ने पारिवारिक मूल्यों को कमज़ोर कर दिया है। आजकल परिवारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे पारिवारिक बंधन कमज़ोर हो रहे हैं।

विभाजन- पारिवारिक विघटन का अर्थ है परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में दरार आना। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे व्यक्तिगत तनाव, आर्थिक समस्याएँ या सामाजिक परिवर्तन।

संरचनात्मक परिवर्तन- पिछले कुछ दशकों में भारतीय परिवारों की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी आई है और एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है।

इस प्रकार पारिवारिक संस्था न केवल व्यक्तिगत संबंधों का समूह है, बल्कि यह समाज की स्थिरता और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिकता के प्रभाव से पारिवारिक संरचना में जो बदलाव आ रहे हैं, वे समाज की मूलभूत धारा को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम पारिवारिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करें ताकि समाज में सामंजस्य और सहयोग बना रहे।

पारिवारिक संरचना की बदलती गतिशीलता

नागर जी परिवार को एक बार पवित्र संस्था के रूप में चित्रित करते हैं, जो अब आर्थिक और व्यक्तिगत दबावों के अधीन है। परंपरागत रूप से भारतीय परिवार भावनात्मक सुरक्षा और सामूहिक ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देते हुए घनिष्ठ इकाइयों के रूप में कार्य करते थे। हालाँकि- '**बूँद और समुद्र**' यह दर्शाता है कि कैसे वित्तीय उद्देश्य अक्सर भावनात्मक और नैतिक विचारों को खत्म कर देते हैं। इसका एक उदाहरण विवाहों की लेन-देन की प्रकृति है, जहाँ मौद्रिक लाभ शामिल व्यक्तियों की भलाई पर हावी हो जाता है। उपन्यास में एक युवक की शादी एक अक्षम महिला से सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उसके माता-पिता को पंद्रह हज़ार रुपये का मौद्रिक प्रोत्साहन मिला था। नायक का कथन- "**अम्मा..., अब्बा को मेरी शादी से 15 हज़ार मिला और मुझे जीवनभर की त्रासदी।**"¹, रिश्तों के वस्तुकरण को सटीक रूप से दर्शाता है।

इस प्रकार के उदाहरण व्यापक सामाजिक-

सांस्कृतिक बदलाव को दर्शाते हैं, जहाँ आर्थिक महत्वाकांक्षाएँ व्यक्तिगत संबंधों को निर्धारित करती हैं, जिससे संकट और संघर्ष उत्पन्न होता है। नागर जी इस परिवर्तन की आलोचनात्मक जाँच करते हैं और व्यक्तियों और परिवारों पर समान रूप से पड़नेवाले दुखों को उजागर करते हैं।

लैंगिक भूमिकाएँ और वैवाहिक कलह

‘बूँद और समुद्र’ में एक मुख्य विषय लैंगिक भूमिकाओं का परिवर्तन और वैवाहिक संबंधों पर इसका प्रभाव है। उपन्यास इस बात पर बल देता है कि महिलाओं की पारंपरिक अपेक्षाओं को कैसे स्वतंत्रता और समानता की उभरती धारणाओं द्वारा चुनौती दी जा रही है। उदाहरण के लिए, नायक महिपाल अपनी पत्नी द्वारा पारंपरिक वैवाहिक मानदंडों की अवहेलना के कारण भावनात्मक उथल-पुथल का अनुभव करता है। उसका विलाप-“**इस औरत ने मेरा जीवन तबाह कर दिया जी। कभी मेरी बात न सुनी। कभी मुझे समझने की कोशिश न की कि आखिर ये आदमी क्या चाहता है? क्या कहता है?**”², लैंगिक अपेक्षाओं के बीच तनाव को दर्शाता है।

जबकि नागर पारंपरिक वैवाहिक मूल्यों के टूटने पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, वे भागीदारों के बीच आपसी सम्मान और समझ की आवश्यकता पर भी बल देते हैं। उनका कार्य पाठकों को आधुनिक आकांक्षाओं और पारंपरिक ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, पश्चिमी आदर्शों को

अंधाधुंध अपनाने के खिलाफ चेतावनी देता है, जो पारिवारिक सद्भाव को बाधित कर सकते हैं।

विश्वासघात और बाहरी प्रभावों का महत्व

वैवाहिक संबंधों में तीसरे पक्ष की घुसपैठ उपन्यास में उजागर किया गया एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। नागर जी का सुझाव है कि विवाहेतर संबंध केवल व्यक्तिगत नैतिक विफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि पारिवारिक मूल्यों के क्षरण और विवाहों में भावनात्मक पूर्ति की कमी का भी परिणाम है। वे कहते हैं-“**कहीं पति, कहीं पत्नी और कहीं पति-पत्नी दोनों ही एक-दूसरे के पीठ-पीछे व्यभिचार करते हैं।**”³

विवाहेतर संबंध पर यह टिप्पणी आधुनिक परिवारों के भीतर विश्वास और संचार के व्यापक संकट को इंगित करती है। उपन्यास दर्शाता है कि भौतिकवाद और पश्चिमी जीवन शैली के संपर्क जैसे बाहरी प्रभाव कैसे वैवाहिक प्रतिबद्धताओं को कमज़ोर करने में योगदान करते हैं, जिससे धोखे और भावनात्मक संकट का चक्र शुरू हो जाता है।

माता-पिता का प्रभाव और पीढ़ीगत संघर्ष

नागर जी बच्चों के नैतिक ढाँचे को आकार देने में माता-पिता की भूमिका पर भी चर्चा करते हैं। पारंपरिक परिवेश में माता-पिता को मार्गदर्शक शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो अपने बच्चों में मूल्यों और अनुशासन का संचार करते हैं। **Definition-"Family is a group defined by sex relationship, sufficiently precise &**

enduring to provide for the procreation and upbringing of children"⁴ - अर्थात् परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन-पोषण की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त रूप में निश्चित और स्थायी यौन-संबंधों से परिभाषित एक समूह है।

माता-पिता मानव समुदाय की आधारभूत इकाई हैं। मनुष्य की प्रारंभिक और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाले संगठन एवं संस्थाओं में माता-पिता का स्थान प्रमुख है। व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा और उसके विकास के समस्त सोपान माता-पिता से ही प्रारंभ होते हैं। इसीलिए पारिवारिक जीवन में माता-पिता का बच्चों के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे ही उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, दुनिया में चलना-फिरना, उठना-बैठना, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना सिखाते हैं। ऐसे माँ-बाप का साया ही अगर बच्चों पर ना रहा तो क्या होगा?

हालाँकि, जैसा कि 'बूँद और समुद्र' में दर्शाया गया है, उचित माता-पिता की देखरेख की कमी और भौतिक सफलता पर अनुचित ज़ोर, अक्सर बच्चों को राह से भटका देता है। इस स्थिति को नागर जी 'सज्जन' नामक पात्र के माध्यम से कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं- "रईस का इकलौता बेटा, जिसके सिर से बड़े बुजुर्गों का साया कम उर्म में ही उठ गया हो, वह आम तौर पर बहक जाता है।"⁵ यह कथन नैतिक पतन को रोकने में मज़बूत माता-पिता के मार्गदर्शन के महत्व को रेखांकित करता है। उपन्यास बताता है कि उपेक्षापूर्ण पालन-पोषण

और मूल्यों से ज़्यादा धन की खोज पारिवारिक संरचनाओं के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे युवा पीढ़ी दिशाहीन और कमज़ोर हो जाती है।

माता-पिता के न रहने पर उस बच्चे के जीवन को प्यार से सींचने का उत्तरदायित्व उस परिवार के हर एक सदस्य पर आता है। लेकिन आज के इस मूल्य-विहीन समाज में अपने उत्तरदायित्वों को निभानेवाले बहुत ही कम हैं। इसी वजह से कई बच्चों का जीवन कुंठा और घृणा से भर उठता है। इसका जीता-जागता उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नागर जी 'ताई' नामक पात्र का चरित्र-चित्रण करते हुए कहते हैं- "माँ-बाप के जल्दी मर जाने के कारण दादा-दादी के अनुचित लाड़-प्यार से पालित; उनके मर जाने से चाचाओं के व्यवहारों से कुंठित; विवाह के बाद लड़की को जन्म देने से सास से तिरस्कृत; उस लड़की को बचाने के लिए सारे घर से विरोधी होने पर भी लड़की के चल-बसने से वात्सल्यहीन दुखित; बाद में रईस पति से परित्यक्त तथा सामान्य जनता के तनाओं से घृणा और हिंसा की प्रतिमूर्ति बन जाती है ताई।"⁶

अन्ततः पुष्पा बंसल ने अमृतलाल नागर को भारतीय संस्कृति का चितेरा होने के कारण उन्हें भारतीय उपन्यासकार का दर्जा दिया है, जो कि अपरिहार्य है। उनके समस्त उपन्यास भारतीय संस्कृति का आख्यान करते हैं। वह कहती हैं- "नागर जी के उपन्यास विशुद्ध भारतीय उपन्यास हैं। ये भारतीय उपन्यास इसलिए नहीं हैं कि हिंदी

में लिखे गए हैं, या भारत के किन्हीं नगरों की गाथा कहते हैं। ये इसलिए भारतीय हैं, क्योंकि इनके पात्र भारतीय हैं, उनका चिंतन, उनके विश्वास भारतीय हैं, उनकी भावनाएँ उनकी आस्था, निष्ठा भारतीय है तथा उनकी समस्याएँ भारतीय हैं। यही इन उपन्यासों की मूल शक्ति है।”⁷

निष्कर्ष

अमृतलाल नागर का ‘बूँद और समुद्र’ उपन्यास भारतीय पारिवारिक जीवन की बदलती गतिशीलता की गहन खोज प्रस्तुत करता है। अपनी कथा के माध्यम से नागर जी पारंपरिक मूल्यों के क्षरण, रिश्तों के वस्तुकरण, लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव के प्रभाव और पारिवारिक बंधनों पर भौतिकवाद के बढ़ते प्रभाव की आलोचना करते हैं। उपन्यास एक चेतावनी कथा के रूप में कार्य करता है, जो समाज को इन परिवर्तनों के परिणामों पर चिंतन करने और आधुनिक आकांक्षाओं और पारंपरिक नैतिक नींव के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करने का आग्रह करता है।

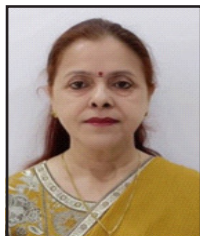
उपन्यास में दर्शाए गए मुद्दे समकालीन समाज में प्रासंगिक बने हुए हैं, जिससे नागर जी का कार्य परिवार और सामाजिक मूल्यों पर चर्चा में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस साहित्यिक कृति से प्राप्त सबक भावनात्मक संबंधों को बहाल करने, परिवारों के भीतर सम्मान और समझ को बढ़ावा देने और सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण पारिवारिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए भौतिकवादी लाभों

पर नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देते हैं।



संदर्भ सूची

1. बूँद और समुद्र, अमृतलाल नागर, राजकमल प्रकाशन, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 131
2. बूँद और समुद्र, अमृतलाल नागर, राजकमल प्रकाशन, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 270
3. बूँद और समुद्र, अमृतलाल नागर, राजकमल प्रकाशन, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 93
4. Society: An Introductory Analysis, R. M. Maciver : Charles H. Page, UNIVERSITY SCIENCE PRESS, Kolkata, Edition-2023, Page No- 230
5. बूँद और समुद्र, अमृतलाल नागर, राजकमल प्रकाशन, संस्करण- 2015, पृष्ठ सं- 291
6. बूँद और समुद्र, अमृतलाल नागर, राजकमल प्रकाशन, संस्करण- 2015, पृष्ठ सं- 11, 12
7. डॉ. पुष्पा बंसल, अमृतलाल नागर, भारतीय उपन्यासकार, संस्करण- 1987, प्रेम प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं- 36



डॉ. सरिता चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर (स्नातकोत्तर हिंदी-विभाग)

मेहर चंद महाजन डीएवी महिला महाविद्यालय,

सेक्टर 36-ए, चण्डीगढ़-160036

संपर्क saritachauhan1204@gmail.com

सत्तरोत्तरी प्रगतिशील कविता : सत्तागत यथार्थ का चित्रण

शोध सारांश

सत्तरोत्तरी प्रगतिशील कविता हिंदी साहित्य का एक ऐसा महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें सत्ता की राजनीति, सामाजिक विसंगतियाँ और मानवीय संघर्षों का यथार्थपूर्ण चित्रण सामने आता है। 20वीं शताब्दी का सातवाँ दशक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक परिवर्तन का साक्षी रहा। इसी परिवेश में कविता ने केवल सौन्दर्यबोध या भावुकता तक सीमित न रहकर राजनीतिक चेतना और जनसंघर्ष की आवाज़ बनना शुरू किया। इस कालखंड की कविताएँ लोकतंत्र की रक्षा, शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध और आमजन की चेतना के साथ जुड़कर सत्ता के दोगलेपन, पूँजीवादी छल-छद्म और सामाजिक अन्याय पर प्रहार करती हैं। नागार्जुन, धर्मवीर भारती, चंद्रकान्त देवताले, राजेश जोशी, नरेन्द्र मोहन जैसे कवियों की रचनाएँ इस यथार्थ को उद्घाटित करती हैं। सत्तरोत्तरी प्रगतिशील कविता ने साहित्य और राजनीति के बीच के जटिल संबंधों को उकेरते हुए सत्ता के

हर बदलते चेहरे को उजागर किया है। यह शोध सत्ता-प्रतिष्ठान की विकृतियों के विरुद्ध कविता के हस्तक्षेप और उसकी सामाजिक प्रतिबद्धता का मूल्यांकन करता है। साथ ही यह विश्लेषण करता है कि किस प्रकार कविता ने न सिर्फ एक वैचारिक प्रतिरोध का स्वर गढ़ा, बल्कि जनचेतना को जागरूक करते हुए साहित्य को एक सक्रिय सामाजिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत भी किया।

बीज शब्द

1. सत्तरोत्तरी प्रगतिशील कविता 2. सत्तागत यथार्थ 3. संघर्ष 4. स्वेच्छाचारिता 5. अमानवीय 6. क्रांति 7. सर्वहारा 8. जनचेतना

मूल शोध

कविता निःसंदेह अपने समय का दस्तावेज़ होती है और उसमें सुन्दर भविष्य के निर्माण की संभावना भी होती है। कविता लगातार उन सवालों को उठाती है, जो मानवता के मार्ग में अवरोध बने हैं। अपने आसपास के जीवन की हल्की से हल्की आवाज़ को भी प्रतिध्वनित करने का साहस

कविता में है। मुक्तिबोध का कहना था कि कविता को आगे ले जाने के लिए हमेशा नये अनुभवों और संवेदनाओं की ज़रूरत होती है। इसी कारण उसमें नये अध्याय और प्रकरण जुड़ा करते हैं। इस दृष्टि से यदि हम सत्तरोत्तरी प्रगतिशील हिंदी कविता पर विचार करें, तो हम पाते हैं कि-“**बीसवीं शताब्दी का सातवाँ दशक अनेक दृष्टियों से वैविध्यपूर्ण तथा घटनाबहुल है। यह वह समय है जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से केवल समाज और उसके उत्पादन संबंध ही नहीं बदलते, कविता और अन्य कलाएँ भी बदलती हैं। कविता को नये सिरे से रचा जाता है।**”¹ यह वह समय था, जब देश के ऐजेन्डे में सत्ता महत्त्वपूर्ण हो गई थी। चूँकि कविता सदैव अपने समकालीन इतिहास से जुझती रही है, अतः ऐसे विकट समय में सत्तरोत्तरी प्रगतिशील कविता लोकतंत्र की रक्षक और प्रहरी बनी। इस युग की कविता की प्रतिबद्धता पीड़ित मानवता के पक्ष और मुक्ति के लिए संघर्षरत ताकतों के समर्थन में व्यक्त होती है। सच्चाई तो यह है कि कविता अपने समय की अनदेखी नहीं कर सकती। उस कालखण्ड की स्थितियों, घटनाओं या दुर्घटनाओं की पहचान उस समय की कविता में होती है और सत्तरोत्तरी कविता भी इसका अपवाद नहीं है।

रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक ‘युद्ध कविता की खोज’ में कहा है कि-“**हम उस कविता को लेकर क्या करेंगे जिसमें न राजनीति हो, न विचारधारा और न जीवन की सच्चाई**”² शमशेर बहादुर सिंह का भी मानना है कि जिस कवि की

कविता में समाज-राजनीति का संकट जितना गहरा और व्यापक होता है, वह अपने युग का उतना ही सच्चा-सजग प्रतिनिधि होता है। वास्तव में कविता तथा राजनीति का रिश्ता नया नहीं है। ऋग्वेद से लेकर आज तक यह रिश्ता बराबर बना हुआ है। सत्तरोत्तरी प्रगतिशील कविता ने साहित्य तथा राजनीति के संबंध को कई कोणों से जांचा-परखा और विश्लेषित किया। यह कविता व्यवस्था के अंतर्विरोध पर खुलकर प्रहार करती है। सत्ता के दोगले चरित्र को उजागर करती यह कविता हमारे समाज, हमारी राजनीति एवं तंत्र के रंग-रेशे भी उधेड़ती है। अपने समाज एवं सत्ता से सीधे आँख मिलाती है यह कविता। सातवें दशक के बाद की कविता में यथार्थ को खुली आँखों से देखने का हौसला, राजनैतिक नेताओं के छल-छद्म से उठते चीत्कार, बाज़ारवाद के परिणामस्वरूप वस्तु में बदलते आदमी के सत्य को जानने की अद्भुत क्षमता है। नागार्जुन, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल, चंद्रकान्त देवताले, उदय प्रकाश, नरेन्द्र मोहन, सौमित्र मोहन, लीलाधर जगूड़ी, कुमार विकल, अरुण कमल, राजेश जोशी आदि की कविताएँ भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण एवं राजनीति के धिनौने चेहरे को उजागर करती हैं। इन कविताओं में न केवल व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त होता है, बल्कि एक मानवीय और न्यायसंगत समाज की आकांक्षा भी स्पष्ट झलकती है। इन रचनाकारों ने कविता को जनचेतना का माध्यम बनाते हुए अपने समय की सामाजिक, सांस्कृतिक

और राजनीतिक जटिलताओं को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे उनकी कविताएँ मात्र साहित्यिक दस्तावेज़ न होकर ऐतिहासिक और वैचारिक हस्तक्षेप का माध्यम बन जाती हैं।

सत्तरोत्तरी कविता का मुख्य स्वर राजनीति की विकृति का यथार्थ चित्रण करना रहा है। इसलिए सत्तागत यथार्थ का हर पल बदलता चेहरा आज की कविता में उभरता है। यह कविता सत्ता और व्यवस्था के बीच के द्वंद्व को न केवल उजागर करती है, बल्कि उसकी परतों को विश्लेषणात्मक दृष्टि से खंगालती भी है। इसमें सत्ता की भाषा, उसके प्रतीकों और उसकी नीतियों की आलोचना के साथ-साथ जनसरोकारों, सामाजिक न्याय और वैकल्पिक विचारधाराओं की आकांक्षा भी गहराई से व्यक्त होती है। इस दौर की कविता सत्ता के विरुद्ध खड़ी एक वैचारिक चेतना बनकर उभरती है। सार रूप में कह सकते हैं कि-“सत्तरोत्तरी कविता का समग्र स्वरूप व्यवस्था, साम्राज्यवाद परंपरागत सामंती नैतिकता और पूँजीवादी शोषण का विरोधी है। विश्व के परिवर्तित परिवेश में आत्मावलोकन के साथ-साथ कहीं भी हो रहे शोषण व अत्याचार के साथ अपने आपको जोड़ने का उल्लेखनीय कार्य भी यह कविता करती है।”³ धर्मवीर भारती की कविता ‘मुनादी’ सत्तागत यथार्थ को बेनकाब करती है-

“जीप अगर बाइशा की है तो उसे बच्चे के पेट पर से गुज़रने का हक क्यों नहीं
आखिर सड़क भी तो बाइशा ने बनवायी है,
और

अब पूछो कहाँ है वह सच जो
इस बुझे ने सड़कों पर बकना शुरू किया था
हमने अपने रेडियो के स्वर उँचे करा दिये हैं
और कहा है कि ज़ोर-ज़ोर से फिल्मी गीत बजायें
ताकि थिरकती धुनों की दिलकश बुलन्दी में
इस बुझे की बकवास दब जाये।”⁴

राजनीति की सच्चाई को मदन डागा इस प्रकार व्यक्त करते हैं-

“पहले लोग
सठिया जाते थे
अब कुर्सिया जाते हैं
दोस्त मेरे भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं
एक कुर्सी प्रधान देश है।”⁵

राजनीतिज्ञों की वास्तविकता के बारे में चंद्रकान्त देवताले का कहना है-

“आदमी की खाल में
गधे और भेड़िये का
आधा-आधा भेजा लिये
घूमते राजनीति के झंडाबरदार
पूरा देश बूचड़खाने की तरह है।”⁶

वास्तव में सत्तरोत्तरी प्रगतिशील कविताओं में आदेश और उपदेश के सतही लहज़े से उपर उठकर राजनीतिक विद्रूपताओं एवं जनसाधारण की संघर्ष चेतना को व्यंजित किया गया है। इन कविताओं में जनसामान्य के जीवन के कष्ट, हाशिए पर खड़े व्यक्ति की व्यथा और सत्ता द्वारा रचित दमनकारी संरचनाओं का गंभीर चित्रण हुआ है। कवि केवल समस्याओं की ओर संकेत

नहीं करते, बल्कि पाठकों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करते हैं और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा को स्वर प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये कविताएँ न केवल यथार्थ का आईना हैं, बल्कि एक संवेदनशील और न्यायसंगत भविष्य की परिकल्पना भी प्रस्तुत करती हैं। राजेश जोशी की एक कविता है (जब तक मैं एक अपील लिखता हूँ)-

“जब तक मैं एक अपील लिखता हूँ
आग लग चुकी होती है सारे शहर में
हिज्जे ठीक करता हूँ
कफ़रू का ऐलान करती घूमने लगती है गाड़ी
अपील छपने जाती है जब तक प्रेस में
दुकानें जल चुकी होती हैं
मारे जा चुके होते हैं लोग
छप कर जब तक आती है अपील
अपील की ज़रूरत खत्म हो चुकी होती है।”⁷

यहाँ कवि का संकेत उस अनिश्चितता की ओर है, जिससे जनसाधारण का जीवन संकटग्रस्त हुआ है। निश्चित ही राजनेता और उनकी घटिया चालें यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

राजनीतिज्ञों के झूठ फरेब ओढ़े विकृत चेहरों को ‘सत्ता’ कविता इस तरह अनावृत करती है-

“तुम्हारे लिए सत्ता एक हवस है
जिसकी प्यास बुझाने के लिए
तुम और तुम्हारे यार, संबंधी
आदमी के रक्त की एक-एक बूँद निचोड़ने
की ललक में

उसे पूरा निगल जाते हैं
तुम्हारी राजनीति
केवल बयान तक शाकाहारी है।
अमल में आने पर माँसाहारी है।”⁸

चंद्रकान्त देवताले की कविताएँ राजनीतिक दुरभिसंधियों, विकृतियों, विसंगतियों आदि की व्याख्या करती हैं। ‘प्रजातंत्र के बुखार में’ शीर्षक कविता में वे कहते हैं-

“बुखार बढ़ता जा रहा है
डाक्टर कहाँ हैं... संसद के सामने
सिर्फ सैकड़ों मुख भाषण उगल रहे हैं
घोषणापत्र गंधे के मुँह में चबता जा रहा है।”⁹

कवि सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ने नेताओं की अवसरवादिता और साथ ही सत्तारूढ़ व्यक्तियों की स्वेच्छाचारिता पर प्रश्न उठाते हुए जनसाधारण से क्रांति की मशाल जलाने का आह्वान किया है। वे कहते हैं-

“भेड़िया गुरांता है तुम मशाल जलाओ
उसमें और तुममे यही बुनियादी फर्क है
भेड़िया मशाल नहीं जला सकता
करोड़ों हाथ में मशाल लेकर
एक-एक झाड़ी की ओर बढ़ो
सब भेड़िये भागेंगे।”¹⁰

नरेन्द्र मोहन की कविता ‘इस हादसे में’ सत्ता प्राप्ति के लिए स्वार्थी और अमानवीय होने जा रहे व्यक्ति पर कटाक्ष करती है। आज का व्यक्ति कुर्सी या सत्ता पाने के लिए किसी भी नुस्खे को आजमा सकता है-

“लो खा लो यह पुड़िया
स्वस्थ भाव से चला सकोगे डंडा
बदबू नहीं आएगी
जी नहीं मितलायेगा
बुरे वीभत्स दृश्य नहीं दिखेंगे।
गोली खाकर धराशायी होते, दम तोड़ते लोग
लगेंगे एक मनोरम सुगंधपूरित दृश्य का समा
बाँधते।”¹¹

नागार्जुन प्रगतिशील कवियों के सिरमोर हैं। उनकी राजनीतिक चेतना सर्वहारा की चेतना से निर्मित है। उन्होंने अपनी ‘अन्न पचीसी’, ‘हम विभोर थे अगवानी में’, ‘हुकूमत की नर्सरी’, ‘जयति जयति जय सर्वमंगला’, ‘कब होगी इनकी दीवाली’ आदि कविताओं के माध्यम से-“देश के राजनीतिक, सामाजिक जीवन में व्याप्त वक्तव्य, उद्गार, घोषणाओं, भाषणों, प्रवचनों, हुंकारों, फटकारों अर्थात् यों समझिये कि समूची राजकीय स्थिति को व्यंग्य का निशाना बनाया है।”¹² वास्तव में नागार्जुन की राजनीतिक समझ एवं विचारधारा बहुत व्यापक थी। वे भारत सरकार की विदेश नीति के प्रति हमेशा जागरूक रहे। जहाँ कहीं भी आवश्यकता हुई, उन्होंने भारत की विदेश नीति पर प्रहार भी किया। 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के भारत में आने पर नागार्जुन ने ‘हम विभोर थे अगवानी में’ कविता लिखी। उन्होंने लिखा-

“तुम आका हो
तुम मालिक हो
दुनिया भर के महाजनों का

उतरे थे तुम इस धरती पर
भाग्य जगाने अकिंचनों का
हम तो भारी बुद्ध निकले
अपना सौदा पटा न पाये
जाओ, भस्मासुरी नृत्य का
कहीं और ही करो रिहर्सल”¹³

सत्तागत यथार्थ का वर्णन करती नागार्जुन की कविताएँ अपने समय के तमाम खतरों को झेलती हुई जनचेतना को संवर्धित करती है। यही इसकी महत्ता है और यही इसकी शक्ति है।

केदारनाथ सिंह की कविताओं में यथार्थ की टकराहट से उपजी अनुगूँज है। अपनी ‘पंचनामा’ कविता में वे लिखते हैं-

“उसे भयानक हादसे के कोई छह घंटे बाद
उस गीले कछार में आ गई पुलिस
भोंपू बजाती हुई
उतनी देर लाशें इंतज़ार करती रहीं
उतनी देर स्वर्ग और नरक
सब प्रतीक्षा करते रहे
पुलिस के आने की”¹⁴

मंगलेश डबराल की कविताओं में यथार्थ की स्याह परछाइयाँ हैं। मनुष्य की अस्मिता को कुचलने के षड्यंत्रों एवं पूँजीवाद की बर्बरताओं को बेनकाब करती उनकी कविताएँ सोचने को मजबूर करती हैं-

“अत्याचारी के निर्दोष होने के कई प्रमाण हैं
उसके नाखून या दांत लंबे नहीं हैं
आँखें लाल नहीं रहतीं

बल्कि वह मुस्कुराता है”¹⁵

निष्कर्ष

सत्तरोत्तरी प्रगतिशील कविता सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विडंबनाओं को संवेदनशीलता और निर्भीकता के साथ उजागर करती है। इस कविता ने आम जन की पीड़ा, उनकी विवशता और संघर्ष को स्वर देकर सत्ता की दमनकारी नीतियों पर प्रहार किया है। यह मात्र सौन्दर्यबोध या कलात्मक अभ्यास नहीं रही, बल्कि जनचेतना की मुखर आवाज़ बनकर सामने आई है।

इस काव्यधारा ने सत्ता की क्रूरताओं, सामाजिक असमानताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर एक मानवीय और न्यायसंगत समाज की कल्पना को बल प्रदान किया। इसके रचनाकारों ने यथार्थ के कटु अनुभवों को न केवल महसूस किया, बल्कि उन्हें साहित्यिक अभिव्यक्ति देकर परिवर्तन का औज़ार भी बनाया।

यह कविता अपने प्रदाय की ओर इंगित कर हमें आश्चर्य करती है कि कठिन से कठिन समय में, गाढ़े वक्त में कविता मनुष्य की सहभागी रहेगी और उसकी जय यात्रा सुनिश्चित करेगी। इस प्रकार, सत्तरोत्तरी प्रगतिशील कविता आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है और आगामी समय में भी सामाजिक चेतना को दिशा देनेवाली सृजनात्मक शक्ति बनी रहेगी।



संदर्भ सूची

1. वागर्थ (मासिक पत्रिका), अंक-234, जनवरी-2015, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, पृष्ठ सं- 26
2. वागर्थ (मासिक पत्रिका), अंक-233, दिसम्बर-2014, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, पृष्ठ सं- 11
3. संवेदना की परिधि, डॉ. राजेन्द्र टोकी, विद्या बुक्स, दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 11
4. धर्मवीर भारती व्यक्तित्व और कृतित्व, चंद्रकान्ता वान्दिवडेलकर, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली, संस्करण-2003, पृष्ठ सं- 216
5. संवेदना की परिधि, संवेदना की परिधि, डॉ. राजेन्द्र टोकी, विद्या बुक्स, दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 11
6. संवेदना की परिधि, डॉ. राजेन्द्र टोकी, विद्या बुक्स, दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 12
7. वागर्थ, अंक-233, दिसम्बर-2014, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, पृष्ठ सं- 25
8. संवेदना की परिधि, डॉ. राजेन्द्र टोकी, विद्या बुक्स, दिल्ली, संस्करण-2013, पृष्ठ सं- 15
9. दूसरे प्रजातंत्र की तलाश में धूमिल, कुमार कृष्ण, साहित्य निधि, नई दिल्ली, संस्करण-1987, पृष्ठ सं- 41
10. आधुनिक हिन्दी कविता एक परिदृश्य, संपादक-डॉ. सरिता चौहान, भारत पुस्तक भण्डार, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 103
11. आधुनिक हिन्दी कविता एक परिदृश्य, संपादक डॉ. सरिता चौहान, भारत पुस्तक भण्डार, नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 116

12. अनुसंधान (त्रैमासिक शोध पत्रिका), संपादक-डॉ. शगुप्ता नियाज़, अंक-जनवरी-मार्च-2016, “नागार्जुन के काव्य में राजनीतिक चेतना”- संगीता, अलीगढ़, पृष्ठ सं- 24
13. अनुसंधान (त्रैमासिक शोध पत्रिका), संपादक-डॉ. शगुप्ता नियाज़, अंक-जनवरी-मार्च-2016, “नागार्जुन के काव्य में राजनीतिक चेतना”- संगीता, अलीगढ़, पृष्ठ सं- 26
14. केदारनाथ सिंह संचयन, संपादक-लीलाधर मंडलोई, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 135
15. आधार चयन, संपादक-मंगलेश डबराल, आधार प्रकाशन, पंचकूला (हरियाणा), संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 79



डॉ. दीपशिखा शर्मा, सहायक प्राध्यापिका (हिंदी विभाग)

मेहर चंद महाजन डीएवी महिला महाविद्यालय,

सेक्टर 36-ए, चण्डीगढ़-160036

संपर्क sharmads1106@gmail.com

दिविक रमेश के बाल-साहित्य का भाषा एवं शैलीगत

अध्ययन

शोध सारांश

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज के बिना नहीं रह सकता। समाज में रहते हुए वह आपस में विचार-विनिमय करता है और भाषा आपसी विचारों की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है। बालक जब जन्म लेता है, तब उसके पास बोलने की शक्ति नहीं होती। आयु बढ़ने के साथ-साथ वह बोलना सीखता है और अपने परिवेश द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है। तत्पश्चात् वह अपने विचारों को प्रकट करता है। इसी समय बालक का जुड़ाव बाल-साहित्य से होता है। उत्तम बाल-साहित्य वही कहा जा सकता है, जो बालक से तादात्म्य स्थापित करने का गुण रखता हो। इसमें भाषा-शैली एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दिविक रमेश ने अपने बाल-साहित्य में भाषा एवं शैली के स्तर पर अनेक प्रयोग किये हैं, जो न केवल बालक को बाल-साहित्य की ओर आकर्षित करता है, बल्कि साथ ही उसके शब्दकोश में भी वृद्धि करता है। प्रस्तुत शोध-पत्र

में दिविक रमेश के बाल-साहित्य का भाषा एवं शैलीगत अध्ययन किया गया है।

बीज शब्द

1. भाषा 2. शैली 3. बाल-साहित्य 4. हास्य-व्यंग्य 5. आम बोलचाल की भाषा 6. मुहावरे एवं लोकोक्ति याँ 7. वर्णनात्मक शैली 8. संवादात्मक शैली 9. स्वप्न शैली 10. किस्सागोई शैली 11. आत्मकथात्मक शैली।

मूल शोध

मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का सहारा लेता है, जो उसे संसार के शेष व्यक्तियों से जोड़ने का कार्य करती है। यह कार्य बाल्यावस्था से ही आरंभ हो जाता है, जब बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। बाल-साहित्य इसमें सहायक की भूमिका निभाता है। दिविक रमेश के शब्दों में-“आज के बाल-साहित्य में हम आसानी से भाषा के कई रूप देख सकते हैं। लोकभाषाओं के शब्द, उर्दू के

शब्द, अंग्रेजी के शब्द, इत्यादि आज के बाल-साहित्य में दुर्लभ नहीं हैं। लहजे की दृष्टि से भी आज का हिंदी बाल-साहित्य बहुत विविधतासंपन्न है। व्यंग्यात्मक, हँसी प्रधान, छेड़छाड़वाला, गंभीर, ध्वन्यात्मक, मुहावरेदार, बिम्बात्मक, संवादात्मक आदि अनेक प्रकार का भाषा-लहजा आज के बाल-साहित्य में चार-चाँद लगाए हुए है। असल में हिंदी बाल-साहित्य की हिंदी का प्रश्न कम से कम दो आयामी है। एक तो यह कि पिछले कुछ वर्षों में श्रेष्ठ बाल-साहित्य की हिंदी अपने सहज विविध रूप में विकसित हुई है और दूसरी ओर बाल-साहित्यकारों ने इस समझ का परिचय दिया है कि जैसे बालक पर खुद को लादना अनुचित है, उसी प्रकार बालक पर कृत्रिम भाषा को लादना भी अनुचित है। उसका उद्देश्य अपने सीमित रूप में बालक के शब्दकोश में वृद्धि करना तो हो सकता है, लेकिन वह होना चाहिए सहज रूप में ही, खेल-खेल की शैली में।¹

दिविक रमेश के साहित्य में भाषा एवं शैली के विविध स्वरूप दिखाई देते हैं।

भाषा- मनुष्य का व्यावहारिक जीवन भाषा पर ही टिका हुआ है। भाषा के द्वारा ही वह अपने मन के भाव दूसरों के समक्ष सरलता से प्रकट करता है और दूसरों के भाव समझता भी है। डॉ. भोलानाथ तिवारी के कथनानुसार-“भाषा वह साधन है, जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।”² भाषा मनुष्य के हृदय के विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है। साहित्य में भाषा का विशेष स्थान है। भाषा साहित्य

की संवाहक कही जा सकती है। भाषा द्वारा ही साहित्यकार पाठक से जुड़ता है और दोनों परस्पर निकट आते हैं। बाल-साहित्य बालक को केंद्र में रख कर लिखा जाता है और उसकी भाषा भी सामान्य साहित्य से भिन्न होती है। डॉ. शम्भुनाथ तिवारी के अनुसार-“बाल-साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भाषा और उसका प्रयोग है। जो रचनाकार बड़ों के लिए लिखने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं करते, बच्चों के लिए लिखते समय भावानुकूल भाषा की स्वाभाविक कठिनाई अनुभव करते हैं। हालांकि बाल-साहित्य को सामान्य साहित्य से अलग कोई चीज़ स्वीकार नहीं किया जा सकता, फिर भी भाषिक संरचना की दृष्टि से बाल-साहित्य की अपनी अलग ही विशिष्टता है।”³

बाल-साहित्य की भाषा आयु अनुसार सरल से सरलतम होती जाती है और भाषिक संरचना में भी परिवर्तन आता रहता है। उसी अनुरूप बालक के शब्द-भंडार, वाक्य-रचना और अर्थ-ग्रहण की शक्ति का विकास होता है। अतः बाल-साहित्य लेखन में भाषा-संरचना के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बाल-साहित्य लिखते समय लेखक को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बाल-साहित्य का प्रथम पाठक बालक होता है। दिविक रमेश के साहित्य में भाषा के स्तर पर पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। इसने साहित्य में बालक के मनोविज्ञान और उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए उसके अपने परिवेश को समझकर भाषा का चुनाव किया गया है।

1 . बोलचाल की भाषा- सामान्य साहित्य से भिन्न बाल-साहित्य की भाषा भी अलग होती है। सामान्य साहित्य में जहाँ कठिन एवं गूढ़ भाषा का प्रयोग रचना को अधिक पठनीय बनाता है, वहीं बाल-साहित्य में बालक के पाठक होने से भाषा में सरलता आना स्वाभाविक है, क्योंकि बाल-साहित्य बालक के मनोरंजनार्थ लिखा जाता है और यदि इसकी भाषा कठिन होगी, तो यह बालक से तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकेगा। अतः बाल-साहित्य लेखन में साहित्यकार को बालक के मानसिक धरातल पर उतरकर साहित्य-सृजन करना चाहिए। बालक की आयु अनुसार भाषा का प्रयोग करके ही एक उत्तम कोटि का बाल-साहित्य लिखा जा सकता है। डॉ. हरिकृष्ण देवसरे बाल-साहित्य की भाषा के विषय में लिखते हैं- “बच्चों का भाषा ज्ञान विकसित करने में बाल-साहित्य का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। कहानियाँ तथा सुंदर चित्रों के लोभ में बच्चे पुस्तकें पढ़ने की ओर आकर्षित होते हैं। किन्तु यदि पुस्तक की भाषा कठिन या बालक की समझ में न आनेवाली हुई तो वह उसे नहीं पढ़ता। वास्तव में यह मनोवैज्ञानिक तथ्य ही इस बात का प्रमाण है कि बाल-साहित्य में केवल ऐसी भाषा का महत्व है जो बच्चे सरलता से समझ सकें।”⁴ दिविक रमेश ने अपने साहित्य में बालक के मानसिक स्तर और समझ को ध्यान में रखकर सरल एवं आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है।

‘अपने भीतर झाँको’ कहानी में आम बोलचाल की भाषा का ऐसा ही प्रयोग किया गया

है-“सो, चल दिया सोनू जंगल की ओर।....चलते-चलते, आखिर पहुँच गया सोनू जंगल में। अभी सूरज डूबा नहीं था। इतने सारे पेड़! इतने सारे पक्षी...! घास...! झाड़-झंखाड़...! और यह क्या...! सामने से फुदककर किसी झाड़ी में छिपता हुआ खरगोश...! एकदम नन्हा-सा। सोनू अब अपने आप में कहाँ था। पूरी तरह जंगल में रम गया था। पहली बार ही तो जंगल में आया था। एक-एक चीज़ देखकर अचम्भे में था। पर अच्छा भी बहुत लग रहा था। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक नदी मिली। इतना साफ पानी तो इसने पहले-पहल देखा था।....पास ही एक बेर की झाड़ी थी, जिसपर पके हुए बेर चमक रहे थे। दो-तीन बेर भी तोड़कर खाए।”⁵

2. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भाषा के प्रमुख अलंकरण हैं। इनके प्रयोग द्वारा भाषा को रोचक, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक बनाया जाता है। मुहावरे किसी विशेष अर्थ के लिए वाक्य में प्रयोग किये जाते हैं। “जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्रायः क्रिया का काम देता है उसे वाग्धारा या मुहावरा कहते हैं।”⁶ लोकोक्ति शब्द ‘लोक’ एवं ‘उक्ति’ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है- लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। प्रायः लोक प्रचलित उक्तियों को ‘कहावत’ कहा जाता है। कहावतों को लोकोक्ति भी कहा जाता है। कहावत का कोशगत अर्थ है-“लोकोक्ति, मसल, उक्ति, कही हुई बात।”⁷ दिविक रमेश ने अपने साहित्य में मुहावरों और लोकोक्तियों का

यथास्थान प्रयोग करके भाषा के सौन्दर्य को बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया है। 'लू लू की सनक' कहानी के पात्र लू लू को घर के बने खाने के स्थान पर बाहर का खाना अधिक पसंद होता है। एक दिन विद्यालय में उसकी अध्यापिका जब उसे परांठा खाने को देती है, तो लू लू की मनोदशा को निम्न मुहावरे द्वारा परिभाषित किया गया है-

“सब बच्चे चुपचाप देख रहे थे। लू लू की एक बार तो नाक-भौंह सिकुड़ गई, लेकिन भूख के आगे उसका वश नहीं चल रहा था। सो परांठा लिया और खाने लगा। यह क्या, परांठा खा कर तो उसे मज़ा आ गया। अगले दिन लू लू की माँ ने उसकी पसंद का गोभी का परांठा बनाकर दिया, परन्तु जब लू लू ने अपना टिफिन खोला तो वह खाली निकला। लू लू को पक्का याद था कि माँ ने गोभी का परांठा उसके सामने रखा था। बाकी सब बच्चे मजे से खा रहे थे। किसी के पास भी गोभी का परांठा नहीं था। मतलब किसी ने उसका परांठा चुराया भी नहीं था। फिर कहाँ गया। उसका तो सिर ही चकरा गया। क्या करे वह। भूख तो ज़ोर से लगनी ही थी। सो लगी। पेट में चूहे भी कूदने लगे।”⁸

3. हास्य-व्यंग्य- हास्य-व्यंग्य, साहित्य के अभिन्न अंग हैं। रचनाकार हास्य-व्यंग्य का प्रयोग करके रचना को रोचक बनाने का प्रयास करता है। प्रायः हास्य-व्यंग्य का प्रयोग एक साथ होता है, परन्तु इन दोनों में संबंध होते हुए भी कई अंतर हैं। हास्य का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, जिसमें आलम्बन का मज़ाक सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उड़ाया

जाता है, जबकि व्यंग्य का उद्देश्य सुधार करना होता है, जिसमें व्यंग्यकार हँसी द्वारा दंड देने का प्रयास करता है। हास्य में भावतत्त्व तथा व्यंग्य में बुद्धितत्त्व की प्रमुखता होती है। समकालीन परिवेश की जटिलता ने बालक को अनेक प्रकार के बोझ तले दबा दिया है, जिसने उससे उसका हँसना-मुस्कुराना छीन लिया है। उषा यादव के कथनानुसार-“विनोद के पल बचे ही कहाँ हैं अब। बच्चों तक के जीवन में हमने जो विरसता पसार दी है, उसके चलते आज समूचा बचपन संकटग्रस्त हो गया है। बस्ते का बोझ, अच्छे नम्बरों में परीक्षा पास करने का तनाव, कम अंक लेने पर लानत-मलामत का डर और हर स्कूली में भाग लेकर जीतने के दबाव की वजह से बच्चे आज सहज रूप से हँसना-गुनगुनाना भूल गए हैं।”⁹

ऐसी परिस्थिति में बालक के बचपन को सहज और सामान्य बनाए रखने के लिए उसमें हास्य-विनोद का समावेश करना बहुत आवश्यक है। बाल-साहित्य में हास्य-व्यंग्य का समावेश करके एक सीमा तक बालक के इस अभाव की पूर्ति की जा सकती है। दिविक रमेश, बालक के मनोविनोद की आवश्यकता को समझते हैं, बालक की नटखट चुहलबाज़ी और शरारतों को आधार बनाकर साहित्य का सृजन करते हैं। ‘किसना और बिसना’ कहानी में दो मूर्ख व्यक्तियों के क्रियाकलाप के माध्यम से हास्य का अनूठा रंग देखने को मिलता है-“किसना और बिसना अब्बल नंबर के मूर्ख थे। लेने भेजो नमक ले आयेंगे घोड़ा। गाँवभर में उनकी मूर्खता के चर्चे चलते ही रहते

थे। फुर्सत के वक्त तो खासतौर पर उनकी मूर्खता के किस्से सबका मनोरंजन करते थे। कहीं मिल जाते तो लोग उन्हें छेड़ते जरूर थे। किसना और बिसना भी थे कि फिर कोई-न-कोई मूर्खता भरी बात कर देते। बस लोगों को मज़ा आ जाता। दूसरों को सुनाने-हँसाने को एक किस्सा मिल जाता।”¹⁰

शैली- शैली शब्द अंग्रेज़ी के ‘स्टाइल’ शब्द का हिंदी पर्याय है। शैली शब्द का साधारण अर्थ है ढंग। किसी कार्य के करने या होने का ढंग शैली कहलाता है। शैली किसी भी लेखक के लेखन की पहचान होती है।

आचार्य गुलाबराय ने शैली की व्युत्पत्ति की चर्चा करते हुए लिखा है-“**शैली शब्द का संबंध शील से है, जिसका अर्थ स्वभाव है। किसी काम के किसी विशेष प्रकार से करने की पद्धति को शैली कहते हैं।.....अंग्रेज़ी का ‘स्टाइल’ शब्द, लैटिन भाषा के ‘स्टाइलस’ शब्द से, जिसका अर्थ कलम है, बना है। चित्रकारी में शैली को प्रायः कलम ही कहते हैं।....स्टाइल एक लोहे की कलम होती थी, जिससे कि मान की पत्तियों पर शब्द अंकित किये जाते थे। कलम का अर्थ लक्षणा द्वारा लेखन-शैली हो गया।**”¹¹ बाल-साहित्य सामान्य साहित्य से भिन्न होता है। अतः उसकी शैली भी भिन्नता लिए होती है। बाल-साहित्य बालक के मनोरंजन को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, जिसमें बाल-साहित्यकार इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि उसकी शैली सरल और रोचक हो। दिविक रमेश बाल

मनोविज्ञान को भली-भाँति समझते हैं। उन्होंने अपने साहित्य में बालमन के अनुरूप शैली का चुनाव किया है। दिविक रमेश के साहित्य में निम्न शैलियों का प्रयोग किया गया है-

1. संवाद शैली- ‘संवाद’ का प्रयोग अधिकतर नाटक में किया जाता है, लेकिन यह कहानी या उपन्यास का भी महत्वपूर्ण अंग है। लेखक द्वारा पात्रों के भावों एवं विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए संवाद का सहारा लिया जाता है, जिससे कहानी अथवा उपन्यास में कलात्मकता का रंग आ जाता है। इस शैली के प्रयोग में संवाद यदि संक्षिप्त हों, तो पाठक इसे सहजता से अपनाता है। दिविक रमेश के साहित्य में संवाद शैली का यथास्थान प्रयोग किया गया है। ‘लू लू का गुस्सा’ कहानी में लू लू और उसकी माँ से बीच संवाद, कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं-“तो बेटा, स्कूल में सबसे अच्छा वही बच्चा कहलाता है, जो सबसे अधिक ध्यान से पढ़ता है। अगर किसी को फटीचर कहना ही पड़े, तो उसे कहो जो अपने काम पर ध्यान नहीं देता है। नहीं तो कहने की जरूरत भी क्या है।

हाँ, माँ!

तो तुम स्कूल में क्या करते हो?

ध्यान से पढ़ता हूँ। तभी तो मुझे किसी विषय से डर नहीं लगता। टीचर भी तो कितना प्यार करती है।

और हम भी।

हाँ, माँ! तुम भी, पापा भी और दीदी भी।

सब तुन्हें प्यार करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है न।

हाँ, माँ! बहुत मज़ा आता है।”¹²

2. स्वप्न शैली- स्वप्न शैली में रचना के किसी पात्र की स्वप्नावस्था में किसी घटना का विकास दिखाया जाता है। इस शैली में कहीं पूरी रचना ही स्वप्न शैली में लिखी जाती है, तो कहीं रचना के किसी विशेष प्रसंग में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वप्न शैली, रचना को नया दृष्टिकोण तो प्रदान करती ही है साथ ही इससे रचना की रोचकता भी बढ़ती है। दिविक रमेश के साहित्य में स्वप्न शैली का प्रभावी चित्रण किया गया है।

‘देशभक्त डाकू’ कहानी में स्वप्न शैली का सफलतापूर्वक प्रयोग मिलता है-“उन्होंने सपने में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक उजाड़-सी जगह थी। दूर-दूर तक कुछ नहीं था। न सड़क, न बिजली। बस थोड़े-बहुत पेड़ और उनके बीच दो-तीन घर थे। रहने वाले मुश्किल से 20-22 आदमी थे, जिसमें 1 एकदम गरीब था। वे एक वक्त्र का खाना भी मुश्किल से खा पाते थे। तभी क्या देखते हैं कि दूर से धूल उड़ती आ रही है। धूल जितनी पास आ रही थी उसमें से दो-तीन आकृतियाँ उभरने लगी थीं। घोड़ों पर। अरे ये क्या। पास आते ही वे उन गरीब लोगों को मारने लगे। उनसे उनका थोड़ा-बहुत सामान भी छीनने लगे। वे रोते रहे, लेकिन घोड़ेवालों पर कोई असर नहीं हुआ।”¹³

3. किस्सागोई शैली- पुराने समय में जब मनोरंजन

के आधुनिक उपकरण नहीं होते थे, तब लोग अपने मनोरंजन के लिए किस्से-कहानी का सहारा लेते थे। यहीं से किस्सागोई शैली का जन्म माना जा सकता है। बालक इस शैली में लिखी रचनाओं में विशेष रुचि लेते हैं। दिविक रमेश के साहित्य में किस्सागोई शैली का अनेक स्थानों पर प्रयोग किया गया है।

‘बोलती डिबिया’ कहानी में किस्सागोई शैली का प्रयोग किया गया है-“भरतपुर का एक राजा था। उसकी अनेक रानियाँ और राजकुमार थे। छोटी रानी सबसे सुन्दर थी। उसका बेटा रौनक सिंह था। वह आलसी और ज़िद्दी था। बड़ी रानी का भी एक बेटा था। उसका नाम विक्रम सिंह था। वह बड़ा ही समझदार और मेहनती था। राजा उसे ही सबसे अधिक चाहता था। छोटी रानी इससे जलती थी। वह अपने बेटे को राजा की नज़रों में चढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन सफल न हो सकी। वह राजा के बाद अपने ही बेटे को राजा बनवाना चाहती थी, लेकिन राजा की नज़रों में विक्रम सिंह था। छोटी रानी ने एक चाल चली। उसने एक लालची मंत्री को ढेर सारा धन दिया और अपनी तरफ मिला लिया। मंत्री ने राजा को सलाह दी कि अनुभव लेने के लिए सभी राजकुमारों को दूर-दूर भेज दिया जाए। इससे उनकी बुद्धि की परीक्षा भी हो जाएगी।”¹⁴

4. आत्मकथात्मक शैली- आत्मकथात्मक शैली एक ऐसी शैली है, जिसमें रचनाकार द्वारा एक पात्र के माध्यम से विषयवस्तु पाठकों के समक्ष रखी जाती है। इससे कथानक अधिक आकर्षक

लगता है। दिविक रमेश के साहित्य में पात्र स्वयं कथानक को आगे बढ़ाते हैं। 'लाल बत्ती पर' कहानी में मुख्य बाल पात्र के द्वारा आत्मकथात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है—“एक कहानी कहूँ...। दिल्ली शहर। एक ठंडी शाम। दिसंबर महीने की। सर्दी में ठिठुरते हुए हम सब। मैं भी। पापा और मम्मी भी। और दादी भी। कितने-कितने कपड़े तो पहने हुए थे हम सिर से पाँव तक। तब भी...। हम पापा के दोस्त की बेटी की शादी में जा रहे थे। चौराहा। लाल बत्ती। हमारी कार रुकी हुई थी। मैं दादी के साथ खेल रही थी। पीछे की सीट पर बैठे थे हम। मम्मी, पापा के साथ अगली सीट पर बैठी थी।...अचानक हमारी कार के बंद शीशे पर टकटक की आवाज़ आई। एक बार तो डर ही गई थी मैं।”¹⁵

निष्कर्ष

दिविक रमेश के साहित्य के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होंने भाषा और शैली दोनों ही दृष्टियों से अपनी रचनाओं को समृद्ध किया है। उनके साहित्य में बालक द्वारा भाषा ग्रहण करने की योग्यता को विकसित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। इनके साहित्य में भाषा के सभी महत्वपूर्ण पक्षों जैसे शब्द-चयन, बोलचाल की भाषा, मुहावरे-लोकोक्तियाँ, हास्य-व्यंग्य आदि को बाल पाठकों के समक्ष प्रभावशाली ढंग से रखा गया है। उनके साहित्य में शैलीगत विविधता भी दिखाई देती है। उन्होंने बालकों की रुचि के अनुरूप वर्णनात्मक, संवादात्मक, स्वप्न, भावनात्मक किस्सागोई और

आत्मकथात्मक शैलियों का प्रयोग करके कथानक की रोचकता में वृद्धि की है। अतः दिविक रमेश का कथ्य के अनुसार किया गया भाषा एवं शैली का चयन, बालकों के साथ-साथ सभी आयुवर्ग के पाठकों को स्वतः ही उनके साहित्य की ओर आकर्षित करता है।



संदर्भ-सूची

1. बाल-साहित्य, दिविक रमेश, किताबवाले, नई दिल्ली, संस्करण-2020, पृष्ठ सं- 12, 13
2. भाषा विज्ञान, डॉ. भोलानाथ तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद, संस्करण-2005, पृष्ठ सं- 1
3. हिंदी बाल-साहित्य : परम्परा, प्रगति और प्रयोग, डॉ. अरुणा दुबलिश (संपादक), लोकवाणी संस्थान, नई दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ सं- 124
4. हिंदी बाल-साहित्य : एक अध्ययन, डॉ. हरिकृष्ण देवसरे, आत्माराम एंड सन्स, नई दिल्ली, संस्करण-1969, पृष्ठ सं- 347
5. अपने भीतर झाँको, दिविक रमेश, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, पुनर्मुद्रण, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 13
6. हिंदी बाल-साहित्य का अनुशीलन, डॉ. आनंद बक्षी, आराधना ब्रदर्स, कानपुर, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 343
7. हिंदी बाल-साहित्य का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, डॉ. प्रणोति पाटिल, आशा प्रकाशन, कानपुर, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 163
8. लू लू की सनक, दिविक रमेश, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 15,16

9. हिंदी बाल-साहित्य और बाल विमर्श, उषा यादव, राजकिशोर सिंह (संपादक), सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2014, पृष्ठ सं- 157
10. बचपन की शरारत, दिविक रमेश, आलेख प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 111
11. हिंदी बाल-साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन, मस्तराम कपूर, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि., नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ सं- 86
12. बचपन की शरारत, दिविक रमेश, आलेख प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 28
13. बचपन की शरारत, दिविक रमेश, आलेख प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 61
14. बचपन की शरारत, दिविक रमेश, आलेख प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 84
15. बचपन की शरारत, दिविक रमेश, आलेख प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ सं- 41